लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

द्वादश माला खंड 2, दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)

अंक 3, शुक्रवार, 29 मई, 1998/8 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 44	2-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	45 से 60	31-50
अतारांकित प्रश्न संख्या	413 से 642	50-297
सभा पटल पर रखे गए पत्र		297-307
सभा का कार्य		307-309
समितियों के लिए निर्वाचन		309-313
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
पाकिस्तान का नाभिकीय परीक्षण		313
श्री जार्ज फर्नान्डीज		
रेल बजट - 1998-99		314-336
श्री नीतीश कुमार		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1995-96		337
वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 - *पुरःस्थापित*		337
वित्त (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण		338
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक - *पुरःस्थापित*		338
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण		339
गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के स्थगन के बारे में घोषणा		353-354

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण	339–433
श्री वैको	342–349
श्री पूर्णो ए. संगमा	350–353,354–366
श्री शांता कुमार	367–373
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	373–387
श्री मुरासोली मारन	387–396
श्री सी. गोपाल	396–400
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	400–407
श्री के. येरननायडू	407–408
श्री मधुकर सरपोतदार	408–413
श्री आरिफ मोहम्मद खां	414–418
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	418–420
श्री जी.एम. बनातवाला	420–422
श्री प्रमथेस मुखर्जी	422–424
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	424–432
कार्य मंत्रणा समिति	
पहला प्रतिवेदन	434

लोक सभा

शुक्रवार, 29 मई, 1998/8 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सर्वश्री रतनसिंह राजदा और पुरुषोत्तम काकोडकर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री रतनसिंह राजदा ने छठी और सातवीं लोक सभा में 1977-84 के दौरान महाराष्ट्र के मुम्बई दक्षिण संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राजदा पेशे से वकील थे और एक प्रसिद्ध राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अनेक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया। श्री राजदा एक योग्य सांसद थे और छठी लोक सभा में लोक लेखा समिति तथा सातवीं लोक सभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री राजदा ने विभिन्न देशों की यात्राएं की। और वह 1978 के दौरान ट्यूनिशिया में सम्पन्न हुए जनसंख्या एवं विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संगोष्ठी में भारत के प्रतिनिधि थे और उन्होंने 1969 में एडिनबर्ग में विश्व युवा महोत्सव में भाग लिया था।

श्री रतन सिंह राजदा का निधन 71 वर्ष की आयु में 10 अप्रैल, 1998 को महाराष्ट्र में मुम्बई दक्षिण में हुआ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर ने 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा में पूर्व गोवा, दमन एवं दीव के पणजी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री काकोडकर 1985-91 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री काकोडकर एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल गए। वह गोवा मुक्ति आन्दोलन से भी जुड़े हुए थे और उन्होंने 1946 में गोवा में राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया था। श्री काकोडकर को पुर्तगाली सरकार ने निर्वासित कर दिया था। और उन्हें अनेक वर्षों तक नजरबंद रखा। श्री काकोडकर एक योग्य सांसद थे और 1986-87 के दौरान राज्य सभा की याचिका समिति के सदस्य थे।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर का निधन 85 वर्ष की आयु में 2 मई, 1998 को दिल्ली में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अब सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक "नाबार्ड"

+

***41. श्री माधव राव पाटील :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों विशेष रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में यदि कोई चूक पायी गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों में हैं और राज्य-वार विशेष रूप से गुजरात राज्य में ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन दिया जाना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जबकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की गतिविधियों की निगरानी सरकार द्वारा सतत आधार पर की जाती है, उसके परिचालनों की गहन समीक्ष उसके निदेशक बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ वित्त, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नाबार्ड की गतिविधियों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा भी की जाती है। नाबार्ड की गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा, संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद में भी पेश की जाती है।

जहां तक नाबार्ड के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का संबंध है, उसके ऋण से जुड़े कार्यों के मामले में, निवेश ऋण और उत्पादन

ऋण के अन्तर्गत उपलब्धियों का विश्लेषण मात्रात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है, जबकि संस्थागत विकास और सवंर्धनात्मक कार्यों की तुलना में कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन गुणात्मक संदर्भ में किया जाता है। नाबार्ड के निवेश ऋण परिचालनों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न अनुबंध-I में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधिक ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दर्शाया गया है। ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ)-I और II के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या और संवितरित ऋण संलग्न अनुबंध-III में दिए गए हैं। जहां तक आरआईडीएफ-III का संबंध है, नाबार्ड ने 2500 करोड़ रुपए के कारपस के मुकाबले ग्रामीण आधारिक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 2584 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। परियोजनाओं की संख्या, मंजूर की गई राशि और इस्तेमाल की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-IV में दिया गया है।

नाबार्ड की एक सुसंगठित निगरानी व्यवस्था है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला उन्मुख निगरानी, तकनीकी निगरानी, योजना उन्मुख निगरानी, योजनाओं के कार्यान्वयन की मध्यावधिक समीक्षा और योजनाओं का कार्योत्तर मूल्यांकन शामिल है। उसने अपनी निगरानी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ, परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना, क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष परियोजना निगरानी कक्षों की स्थापना करना।

अनुबंध-I

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए निवेश ऋण के तहत नाबार्ड के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लक्ष्य और उपलब्धियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	85	85	100	114	210	156
2.	आन्ध्र प्रदेश	33621	33771	35395	35401	36185	40074
3.	अरुणाचल प्रदेश	382	301	838	876	294	509
4.	असम	4376	4446	6440	6553	7994	8133
5.	बिहार	8281	8281	13987	14079	14736	15967
6.	चंडीगढ़	16	12	4	4	24	0
7.	दादर एवं नागर हवेली	56	56	20	17	24	17
8.	गोवा	403	403	761	762	1040	668
9.	गुजरात	10001	18601	19842	19642	21635	23110
10.	हरियाणा	17090	17114	20584	20583	24484	25683
11.	हिमाचल प्रदेश	2443	2477	3504	3575	4453	5050
12.	जम्मू एवं कश्मीर	990	1000	936	943	1644	2036
13.	कर्नाटक	24421	24289	27772	27764	28526	29085
14.	केरल	12700	12695	19263	18377	20806	20439
15.	लक्षद्वीप	9	8	20	0	24	15
16.	मध्यप्रदेश	15724	15724	15122	15122	15541	15896
17.	महाराष्ट्र	34500	34501	36000	36003	35362	33260

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मणिपुर	420	428	284	742	424	258
19.	मेघालय	300	304	295	684	709	788
20.	मिजोरम	100	124	256	289	300	222
21.	नागालैंड	150	152	154	204	242	203
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	400	339	661	669	–	–
23.	उड़ीसा	8400	8510	11590	11611	13068	12825
24.	पांडिचेरी	309	320	142	150	154	185
25.	पंजाब	18900	18898	22427	22456	25041	28692
26.	राजस्थान	16799	16783	23666	23587	29613	27471
27.	सिक्किम	95	95	100	89	98	134
28.	तमिलनाडु	26597	26607	30250	29802	30484	31357
29.	त्रिपुरा	998	909	1414	1446	1515	1625
30.	उत्तर प्रदेश	47504	47499	48316	48352	50950	54237
31.	पश्चिम बंगाल	11600	11601	12800	12415	14420	14100
	जोड़	297670	306423	352893	352311	380000	392195

अनुबंध–II

वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किए गए अल्पावधि ऋण राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	दिए गए अल्पावधि पुनर्वित्त की राशि		
		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	97019	119691	125166
2.	असम	290	205	199
3.	बिहार	8271	12660	10563
4.	गुजरात	22070	26008	31322
5.	हरियाणा	52474	54768	60401
6.	हिमाचल प्रदेश	161	248	270
7.	जम्मू एवं कश्मीर	152	65	194
8.	कर्नाटक	37892	50414	60468
9.	केरल	24764	23604	22406
10.	मध्य प्रदेश	51989	58818	67782
11.	महाराष्ट्र	40829	9024	3435
12.	मणिपुर	621	609	614
13.	मेघालय	502	360	198
14.	नागालैंड	190	120	120
15.	उड़ीसा	20546	23856	29105
16.	पांडिचेरी	380	380	–
17.	पंजाब	25651	31162	36132
18.	राजस्थान	25259	29320	30960
19.	तमिलनाडु	60441	52130	43451
20.	त्रिपुरा	406	130	436
21.	उत्तर प्रदेश	63555	60018	63075
22.	पश्चिम बंगाल	14634	16631	17600
	जोड़	548096	570221	603897

अनुबंध–III

31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार (मूलभूत ग्रामीण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए) आरआईडीएफ–I और II के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को मंजूर परियोजनाओं और संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	मंजूर परियोजनाओं की संख्या		आरआईडीएफ–I		आरआईडीएफ–II	
		आरआईडीएफ–I	आरआईडीएफ–II	मंजूर राशि	संवितरित राशि	मंजूर राशि	संवितरित राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	68	415	20520	17296	33418	7316
2.	असम	–	44	–	–	6329	–
3.	गोवा	1	–	685	685	–	–
4.	गुजरात	44	144	14148	12256	12963	391
5.	हरियाणा	3	5	1828	1312	6106	372
6.	हिमाचल प्रदेश	77	66	1423	1418	4950	1660
7.	जम्मू एवं कश्मीर	12	1	622	604	806	57
8.	कर्नाटक	94	249	14393	11415	17300	391
9.	केरल	136	184	9972	7091	8943	280
10.	मध्य प्रदेश	163	70	19963	14773	20760	570
11.	महाराष्ट्र	105	108	17374	14787	23166	1390
12.	मणिपुर	63	–	175	131	–	–
13.	मेघालय	19	–	339	279	–	–
14.	मिजोरम	21	–	238	202	–	–
15.	नागालैंड	18	–	138	138	–	–
16.	उड़ीसा	2557	46	15268	13165	12515	57
17.	पंजाब	5	5	6050	6050	6250	30
18.	राजस्थान	38	252	11965	8316	14987	71
19.	तमिलनाडु	–	1589	–	–	27138	90
20.	उत्तर प्रदेश	34	1611	29235	25211	49165	11
21.	त्रिपुरा	36	–	182	32	–	–
22.	पश्चिम बंगाल	23	3459	11337	7529	16951	1
	जोड़	3517	9248	174855	142690	261747	81

अनुबंध–IV

दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ–II के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को मंजूर की गई परियोजनाओं और संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	आरआईडीएफ–III	
			मंजूर	संवितरित
1.	आन्ध्र प्रदेश	304	27510	1005
2.	असम	11	1607	–
3.	बिहार	424	915	–
4.	गुजरात	1226	16060	3199
5.	हरियाणा	45	6287	1775
6.	हिमाचल प्रदेश	29	5011	1159
7.	जम्मू एवं कश्मीर	164	3595	418
8.	कर्नाटक	496	17238	75
9.	केरल	314	9363	197
10.	मध्य प्रदेश	281	24870	2485
11.	महाराष्ट्र	722	25431	572
12.	मेघालय	21	824	–
13.	उड़ीसा	53	16291	2650
14.	पंजाब	53	8885	2060
15.	राजस्थान	266	16333	2216
16.	तमिलनाडु	615	20202	186
17.	उत्तर प्रदेश	9279	40169	–
18.	पश्चिम बंगाल	151	17785	1161
	जोड़	14454	258376	19158

***श्री माधवराव पाटील** : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुबन्ध–II, III और IV का उल्लेख करना चाहूंगा और यद्यपि नाबार्ड ने महाराष्ट्र राज्य के लिए काफी धनराशि स्वीकृत की है तथापि 10 प्रतिशत राशि भी संवितरित नहीं की गयी है। अन्य राज्यों के लिए उनके लक्ष्य से अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है। यदि आप अनुबंध–IV का अवलोकन करें तो देखेंगे कि महाराष्ट्र के लिए 25254 करोड़ 31 लाख रुपये नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत

* मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किए गए हैं किन्तु संवितरित राशि मात्र 5 करोड़ 72 लाख रुपये है। यदि आप अनुबन्ध-II की मद संख्या 11 को देखेंगे तो आर. डी.आई.एफ. के अन्तर्गत 231 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं जबकि मात्र 1 करोड़ 39 लाख रुपये संवितरित किये गये हैं। अनुबंध-II यह दर्शाता है कि 1995-96 में 408 करोड़, 1996-97 में 90 करोड़ और 1997-98 में मात्र 34 करोड़ रुपये का ही महाराष्ट्र के लिए आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है। मैं यह समझता हूँ कि नाबार्ड का महाराष्ट्र के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है। माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए तथा नाबार्ड के अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें देनी चाहिए। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि आबंटन के लक्ष्य से कम धनराशि महाराष्ट्र के लिए क्यों स्वीकृत की गई तथा इस अन्याय की समाप्ति कब की जाएगी।

श्री कावम्बूर एम. आर. जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि नाबार्ड द्वारा कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : वह एक माननीय सदस्य हैं न कि एक मंत्री। वह मंत्री बन सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री कावम्बूर एम. आर. जनार्दनन : हाँ, मैं अपनी गलती में सुधार करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड मात्र पुनर्वित्त का कार्य करता है और यह बैंकरों का बैंक है। आबंटन का कार्य महाराष्ट्र के व्यावसायिक बैंकों अथवा अन्य बैंकों द्वारा किया जाता है। अतः उन्हें मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नाबार्ड का व्यवहार पक्षपातपूर्ण नहीं है।

कुछ राज्य चूककर्त्ता हैं तथा इसलिए संवितरण का आंकड़ा गिरता जा रहा है। यहां, भी यह नाबार्ड का दोष नहीं है किन्तु यह आपके अपने राज्य का दोष है। अतः इस चूक के लिए नाबार्ड दोषी नहीं है। नाबार्ड द्वारा सौतेले व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री माधवराव पाटील : क्या यह मात्र महाराष्ट्र के संदर्भ में ही है।

श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन : नहीं यह महाराष्ट्र और उड़ीसा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री माधवराव पाटील : धन्यवाद महोदय मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसकी समीक्षा भी की जाती है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उस पैसे को अन्यथा व्यय किया है जिसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका पैसा दूसरे कार्यों में खर्च कर लिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? यदि है, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है?

[अनुवाद]

श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन : नाबार्ड द्वारा सम्बन्धित राज्य को आर.आई.डी.एफ. (ग्रामीण ढांचागत विकास निधि) दिया गया है। यह राशि नाबार्ड राज्यों के वित्तपोषण के लिए देता है। नाबार्ड यह सारी राशि राज्यों को देता है। अतः यह राज्यों को देखना होता है कि यह ठीक मद पर खर्च हो।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, शासन ने अपने उत्तर में बताया कि नाबार्ड के परिचालन की गहन समीक्षा उसके निदेशक बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह स्पष्ट है कि इसकी गहन समीक्षा केवल अधिकारी वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग कितनी गहन समीक्षा करता है, इसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्योंकि नाबार्ड का पैसा ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होता है, क्या आप नाबार्ड के संचालक मंडल में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

क्या आप का विचार नाबार्ड के निदेशक बोर्ड में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने का है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय कार्रवाई हेतु यह एक सुझाव है.....*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय मैंने सुना नहीं।

श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : नाबार्ड को धनराशि देने के लिए योजनाएं आरम्भ की जाती हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं जानता किन्तु आन्ध्र प्रदेश में सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर वह योजनाओं पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के आधार पर ही योजनाएं आरम्भ की जाएं।

श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड के तहत योजना गुणवत्ता के आधार पर आरम्भ की जाती है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : कृपया उन्हें उत्तर को दोहराने दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नाबार्ड या बहुत सी आपकी कृषि व ग्रामीण विकास योजनाओं पर आप पैसा राज्यों को भेजते हैं, उसमें ज्यादातर देखा गया है कि उस धन का दुरुपयोग राज्य सरकार करती हैं और हम माननीय सदस्यों की उपेक्षा वहां के अधिकारी ज्यादातर करते हैं। जैसे नाबार्ड की योजना है, सुनिश्चित रोजगार की योजना है, उसमें पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाता है, लेकिन वहां पर अधिकारी या तमाम लोकल जनप्रतिनिधि उसमें हस्तक्षेप करते हैं, जिससे हम लोगों का कोई महत्व नहीं रहता। क्या माननीय मंत्री जी माननीय ससंद सदस्यों की उसमें डायरैक्ट कमेटी बनाकर उनसे पूछकर उसके द्वारा कोई ऐसी योजना सुनिश्चित करवाएंगे कि हम लोगों की उसमें भागीदारी हो और हम लोगों से भी पूछा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : यदि कोई माननीय सदस्य मंत्रालय में कोई खास रिपोर्ट लाता है, तो निश्चितरूप से इस पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : मेरा यह पूछना है कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें माननीय संसद सदस्यों की डायरैक्ट भागीदारी हो और उनसे पूछकर काम किया जाये, जबकि उनकी उपेक्षा होती है, वहां पर जो भी अधिकारीगण होते हैं या लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, वे उसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं और हम लोगों का उसमें कोई महत्व नहीं रहता है।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम संसद सदस्यों को स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनके साथ निश्चित रूप से सम्बन्धित करने का आश्वासन इस सदन को देते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नाबार्ड को आरम्भ करने के पश्चात् वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्हें अधिक पैसा मिल रहा है तथा वे राज्य कौन-कौन से हैं जो पूर्ण रूप से पैसा लौटा रहे हैं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी से एक बात स्पष्ट करवाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते। कृपया बैठ जाइये। एक प्रक्रिया का पालन करना होता है।

श्री के. येरननायडू : मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा राज्य धन का सर्वाधिक उपयोग कर रहा है तथा इस धनराशि से ठीक प्रकार से काम कर रहा है तथा कौन सा राज्य इसे पूर्णतः लौटा रहा है।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि नाबार्ड मात्र एक पुनर्वित्तपोषक संस्थान है। जहां तक पुनर्वित्तपोषण का सम्बन्ध है आन्ध्र प्रदेश निसंदेह अच्छा कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आप इसे बता सकते हैं।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : आई.आर.डी.एफ. के अन्तर्गत दी गई धनराशि का अभी वापस करने का समय नहीं आया है। मैं जानकारी एकत्र कर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री थावर चन्द गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय अनेक्स्चर चार में 1997-98 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या दी है, मैं पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश द्वारा कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी गईं थी और उनमें से आज पर्यन्त कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी गई।

गुजरात में 1226, कर्नाटक में 496, महाराष्ट्र में 722 और उत्तर प्रदेश में 9279 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 281 हुई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से भेजी गई बहुत सारी योजनाएं अभी भी लम्बित हैं, वे कब तक स्वीकृत की जाएंगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : महोदय, लम्बित योजनाओं की संख्या का ध्यान रखना राज्यों का काम है।

फिर, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, आर.आई.डी.एफ.-I के अंतर्गत स्वीकृत की गई आर.आई.डी.एफ. परियोजनाओं की संख्या 163 थी और आई.आई.डी.एफ.-II के अंतर्गत इनकी संख्या 70 थी। इन योजनाओं को पूरा करना राज्य सरकार का काम है।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा सभा में दिये गये विवरण से दो बातें सामने आती हैं; पिछली यह कि गत तीन वर्षों में जहां सभी अन्य राज्यों में निवेश ऋण में 20 प्रतिशत से लेकर शत-प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है, वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह विवरण एक अजीब स्थिति को दर्शाता है कि वितरित ऋणों की रकम स्वीकृत रकम से दस प्रतिशत कम है। क्या कोई गलती है ? जितना स्वीकृत किया गया है तथा जितना वितरित किया गया है उसमें 90 प्रतिशत का अंतर है। यह अंतर कहां से आया ? इसका यह अर्थ हुआ कि या तो स्वीकृत धनराशि का आंकड़ा गलत है या वितरित की गयी राशि का आंकड़ा गलत है या फिर पूरा विवरण गलत है। *.....(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : आंकड़े गलत नहीं हैं। मैं फिर यही दोहराना चाहता हूँ कि हम राज्यों को धन प्रदान करते हैं और वितरित करना राज्यों का काम है। आर.आई.डी.एफ.-III के अंतर्गत स्वीकृतियां पिछले साल ही प्रदान की गयी थी और वितरण कार्य आरम्भ हो गया है। यदि आपके अनुसार वितरण में कमी आयी है, आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आप देख सकते हैं कि आपका राज्य कैसे धन खर्च कर रहा है। .....*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : यह गलत उत्तर है। अनुबन्ध-IV में दिये गये आंकड़े तमिलनाडु सहित प्रत्येक राज्य के लिए हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : क्या सरकार द्वारा ऋणों के वितरण करने संबंधी कोई दिशानिर्देश जारी किया गया है या किसी सिद्धांत को अपनाया गया है ? माननीय मंत्री जी कृपया अनुबन्ध-IV को देखें। उदाहरण के तौर पर केरल को ले लीजिए। केरल में केवल 197 लाख रुपये ही वितरित किये गये हैं जबकि स्वीकृत धनराशि करीब-करीब 10,000 लाख है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह राज्य बहुत दूह है और आप धनराशि वितरित नहीं कर रहे हैं।

एक और मुद्दा भी है। अल्प अत्यधिक ऋणों के मामले में तो ऐसा भेदभाव होता ही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई भेदभाव हुआ है। यदि हाँ, तो किस आधार पर हुआ है। क्या नाबार्ड द्वारा ऋणों के वितरण के संबंध में कोई सिद्धांत अपनाया जाता है ? आप बहुत बड़ी धनराशि को स्वीकृति देते हैं। लेकिन इसका वितरण न के बराबर होता है इसे सहन नहीं किया जा सकता है। मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : धनराशि के वितरण का उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है। दिये गए दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का वितरण केवल ग्रामीण विभाग के लिए किया जाता है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ.....*(व्यवधान)* यह राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दिया जाता है। यह निर्देश नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। यह देखना राज्य सरकारों का कार्य है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर कृपया आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : आप सांसद होने के नाते इस बात की निगरानी कर सकते हैं कि धन ठीक ढंग से खर्च किया जा रहा है या नहीं.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर कृपया आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर इतने सारे अनुपूरक प्रश्न पूछने के बाद भी आप आधे घंटे की चर्चा के लिए सुझाव दे रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : एक सांसद होने के नाते आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं और स्वयं पता लगा सकते हैं कि क्या ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि ठीक ढंग से खर्च की जा रही है या नहीं।.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, प्रश्न स्वीकृत की गई धनराशि से संबंधित है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइऐ।

.....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा प्रश्न धनराशि के वितरण से संबंधित है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : महोदय, हम किसी राज्य के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की जनसंख्या के अनुसार धनराशि स्वीकृत करते हैं.....*(व्यवधान)* आप संसद सदस्य होने के नाते अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस बात की निगरानी कर सकते हैं कि आपके राज्य में धनराशि ठीक ढंग से खर्च की जा रही या नहीं.....*(व्यवधान)*

अमरीकी कंपनी को बासमती चावल का पेटेंट अधिकार

+

***42. श्री मोतीलाल वोरा :**
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक अमरीकी कंपनी ''राईसटेक'' ने अवैध रूप से अपने नाम पर बासमती चावल का पेटेंट प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपरोक्त पेटेंट को रद्द करवाने के लिए विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) अन्य देशों द्वारा भारतीय उत्पादों का पेटेंट प्राप्त किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका के पेटेंट एवं ट्रेडमार्क आयुक्त ने 2.9.97 को राइस टेक, इंक आल्विन टेक्सास को ''बासमती लाइन्स एण्ड ग्रेन्स'' शीर्षक के तहत एक पेटेंट को मंजूरी दी थी। मैसर्स राइस टेक, इंक को दी गई पेटेंट की मंजूरी को चुनौती देने की तैयारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग में एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका के पेटेंट एंव ट्रेडमार्क आयुक्त द्वारा दी गई पेटेंट की मंजूरी का विरोध करने के लिए मूल सामग्री एवं वैज्ञानिक आंकड़े भी संकलित किए जा रहे हैं। पेटेंट का प्रतिसंहरण संयुक्त राज्य पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कानून के तहत करवाना होगा। इसलिए विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष पेटेंट को रद्द करने से संबंधित मामले को उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पेटेंटों की मंजूरी संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के तहत दी जाती है। जब भी कुछ ऐसे उत्पादों के पेटेंट किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है जो भारत के वाणिज्यिक हित के होते हैं और जो हमारी दृष्टि से पेटेंट करने के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं तो यह जायजा लेने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या पेटेंट की मंजूरी को चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं। जब पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली जाती है तो उस देश में पेटेंट के अंतिम प्रतिसंहरण और इसकी पुनर्जांच के लिए एक याचिका दायर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट एवं ट्रेड मार्क आयुक्त ने 2.9.97 को ''राईसटेक इंकारपोरेटेड, ऑलविन टेक्साज'' को जो ''बासमती लाइन्स एण्ड ग्रेन्स'' शीर्षक के अन्तर्गत पेटेंट की मंजूरी दी थी, उसके बारे में भारत सरकार से क्या कोई जानकारी ली गई थी? कृपया मंत्री जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देने दें।

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार से जानकारी नहीं ली गई तो बासमती लाइन्स ग्रेन्स ने बासमती लाइन्स के नाम से जो अमरीका में कोर्स राईस पैदा होता है, उसे बेचने का काम शुरू कर दिया—क्या इस बात की भी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है?

श्री सिकन्दर बख्त : इत्तला है लेकिन इत्तला 11.2.97 को मिली और 12.7.97 से हमने एक कमेटी इस मामले में बिठा दी है ताकि वह इसकी जांच करे कि हम दुबारा किस तरीके से री-एग्जामिनेशन के लिए यूनाईटेड स्टेट्स जा सकते हैं?

श्री मोतीलाल वोरा : मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि बी पार्ट में जो पेटेंट की मंजूरी दी गई, उसके बारे में एक अन्तर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया, क्या मंत्री महोदय यह बतलाएंगे कि किस तारीख को अन्तर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया तथा इस समिति ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने आपसे अर्ज किया कि 11.2.97 को हमें इसकी इत्तला मिली। उससे पहले हमारे पास इत्तला नहीं थी क्योंकि अमरीका में तरीका यह है कि ऐसे मामले को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है जब तक कि ऐलान न हो। ऐलान होने के बाद 12.2.97 को ही हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया, कमेटी का गठन कर दिया तथा वह सिलसिला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आखिरी फैसला हम यूनाईटेड स्टेट्स में जाकर अपने मसले को री-एग्जामिलनेशन के लिए रखें, वह तारीख अभी नहीं आई है। अभी फैसला नहीं हो सका है क्योंकि यह मामला बहुत कॉम्लीकेटेड है।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : अध्यक्ष महोदय, यह देश के लिए एक अहम बात है। प्रतिवर्ष 4.5 लाख टन चावल का निर्यात हो रहा है जिससे 1,200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। यह बहुत ही अजीब बात है कि उत्तर इतना अस्पष्ट है। इसमें बताया गया है कि ''जब पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो जाती है, तब कार्यवाही की जाती है''

स्थिति ऐसी है कि जो बासमती चावल हमारे देश में पैदा किया जाता है उसे पूरा विश्व स्वीकार करता है। यह विशेषतौर पर अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है। अमेरिका वालों ने चालाकी से 'बासमती' नाम का पेटेंट करवा लिया है। अमेरिका के टेक्साज और अन्य भागों में चावल उगाने और इसे बासमती के नाम पर बेचने की भारी संभावना है।

इसकी वजह से हमारे देश को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और हमारा निर्यात गिर रहा है। यह हमारे देश और सरकार के लिए न पूरी होने वाली हानि है। यह बात फरवरी 1997 में सरकार के ध्यान में लायी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : डॉ० सुब्बारामी रेड्डी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : प्रश्न पूछने से पहले, मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तृत विवरण नहीं दे सकते। आप केवल एक अनुपरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा प्रश्न यह है। सरकार ने उद्योग, वाणिज्य, जैव-प्रौद्योगिकी विभागों, विदेश और कृषि मंत्रालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन बहुत पहले हुआ था। मैं यह जानना चाहूंगा कि आज तक कोई कार्यवाही इस बारे में क्यों नहीं हुई है। मंत्री जी केवल यही बात कर रहे हैं कि प्रतिवेदन शीघ्र आ रहा है। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। यह तो सीधा-साधा मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बासमती चावल से संबंधित है। कृपया इस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न ही पूछिए।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मंत्री जी ने कहा है कि यह एक गोपनीय बात थी और अमेरिका से इस सूचना को प्राप्त करना सरल नहीं था आदि। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बहुत ही सरल बात है। अमेरिका की राईस टेक इंक को बासमती चावल का पेटेंट दिया गया था। भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि इस पेटेंट को रद्द करवायें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपको प्रक्रिया के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं यह उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर नहीं दे सकते। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मेरा प्रश्न यह है। सरकार उस समिति और इस सरकार के जरिए पेटेंट को रद्द करवाने के अपने प्रयासों में कब सफल होगी ? यह एक वचनबद्धता होनी चाहिए और इस वचनबद्धता में किसी किस्म की अस्पष्ठता नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस बात को स्पष्टता से कहना चाहिए कि वह यह कार्य कब करने जा रहे हैं। मैं उत्तर जानना चाहता हूँ।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं आपके द्वारा बताई गई इन सब बातों की पूर्ण जानकारी में जाना नहीं चाहता। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा। यदि किसी पर प्रभाव पड़ने वाला है तो यह अमेरिका का निर्यात है जिस पर प्रभाव पड़ेगा।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : यह दस प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे अर्ज करने दीजिए। जहां तक हमारे लोकल उत्पादन का ताल्लुक है, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। न उसके पैदावार में कोई रुकावट है और न उसके एक्सपोर्ट में कोई रुकावट है। सिवाय इसके कि जो हम अमरीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ सकती है। जो लोकल पेटैंटीज़ हैं, वे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस नही हैं। इसकी दो-तीन वजह हैं। इनमें एक वजह यह है कि इस नए किस्म की राइस की क्वांटिटी बहुत कम बनाई जा रही है। वैसे पेटैंट बासमती राइस के नाम से नहीं है, बासमती लाइन्स एण्ड ग्रीन्स नाम से है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन डिटेल्स काफी काम्पलिकेटेड है। जो नई किस्म डवेलप की है, वह पाकिस्तान के बासमती राइस से की है और क्रास-ब्रीड अपने ही यहां से किया है। इसके अलावा अरोमा का सवाल है। दूसरा सवाल चावल की लैंथ का है और तीसरा स्टार्च कन्टैंट का है। अभी इसका एक्सपैरीमेंट पूरे तौर पर मुकम्मिल नहीं हुआ है। प्रोडक्शन भरपूर नहीं हुआ है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट को फिलहाल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे यह कब करने जा रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : यदि स्थिति यह है तो आप अमेरिका के न्यायालयों में उन्हें चुनौती क्यों नहीं देते हो ?

श्री सिकन्दर बख्त : हम यह करने वाले हैं। समिति के सदस्य अभी वापस नहीं आये हैं। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनौती दी जाये।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मंत्री जी के जवाब से मालूम होता है कि उनका एटीचूड बहुत ही लापरवाही वाला है, जो इस सिलसिले में लिया जा रहा है। हमारा एक्सपोर्ट मुतास्सिर नहीं होगा। उनको तहकीकात पूरी नहीं हुई है। हम सोच रहे हैं। हम गौर कर रहे हैं। हम इन्फार्मेशन जमा कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या यह हकीकत नहीं है कि इस सिलसिले के अन्दर.. .....*(व्यवधान)*

महोदय, क्या यह हकीकत नहीं है कि हमारे आफीसर्स बदकिस्मती से अलर्ट नहीं रहे। एक नॉन गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन तक करनी पड़ी और जाना पड़ा कि इस हुकूमत को जगाएं.....*(व्यवधान)* किसी किस्म की कोई कार्यवाही करें.....*(व्यवधान)*

[**شری جی ایم بنات والا (پوننانی)**: جناب، منتری جی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹیچیوڈ بہت ہی لاپرواہی والا ہے، جو اس سلسلے میں لیا جارہا ہے۔ ہمارا ایکسپورٹ متاثر نہیں ہوگا۔ انکی تحقیقات پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں۔ ہم غور کررہے ہیں۔ ہم انفارمیشن جمع کررہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سلسلے کے اندر...(مداخلت)

جناب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے آفیسرز بدقسمتی سے الرٹ نہیں رہے۔ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کو سپریم کورٹ میں پٹیشن تک کرنی پڑی اور جانا پڑا کہ اس حکومت کو جگائیں۔ ...(مداخلت) کسی قسم کی کوئی کاروائی کریں۔ ...(مداخلت)]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने उर्दू में सप्लीमेंटरी पूछा, शायद आपके पल्ले न पड़ा हो इसलिए अंग्रेजी में कह दूं। .....*(व्यवधान)*

[شری جی ایم بنات والا (پونناني): میں نے اردو میں سپلیمنٹری پوچھا، شاید آپ کے پلے نہ پڑا ہو اسلئے انگریزی میں کہہ دوں۔...(مداخلت)]

[अनुवाद]

महोदय, मैं पहले ही अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है क्या यह सच नहीं है कि ये अधिकारी सतर्क नहीं थे और इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में क्या सरकार ने अब भी इस तथ्य पर ध्यान दिया है और क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि सरकार कब तक ..... तैयार होगी.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ी है। यह क्या मतलब है ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आठ महीने बीच चुके हैं और क्या सरकार अब इस सभा को यह आश्वासन देगी कि वह इस पेटेंट की पुनः जांच करने के लिए कब तक इन अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सकेगी।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब हम भी सोच रहे हैं, गौर भी कर रहे हैं और कार्यवाही भी चल रही है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करवा दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, मंत्री कौन है ? उनमें से बहुत से सदस्य उत्तर दे रहे हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : यह कहना कि बात पल्ले नहीं पड़ रही है, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर इसमें कुछ असंसदीय है, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए।

मंत्री महोदय, क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, हमें यह मालूम होना चाहिए कि संबंधित विभाग का मंत्री कौन है ?.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : इनका ख्याल था कि न हम सोच रहे हैं, न गौर कर रहे हैं तो मैंने यह अर्ज किया कि हम सोच भी रहे हैं और गौर भी कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात की मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमारे आफीसर्स सोते रहे हैं, वे बेडद एक्टिव रहे हैं। ज्यों ही इत्तिला आई, मैंने आपको यह बताया कि 11 फरवरी, 1997 को हमको इत्तिला मिली, हम 12 फरवरी से इस काम पर लगे हैं। मैं अभी किसी ऐसी हैसियल में नहीं हूँ कि किसी किस्म का स्पेसिफिक एश्यारेंस दे सकूं कि कब मुमकिन होगा, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है कि किस तरीके से जाकर हम इस मसले को देखें.....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज जो बासमती चावल के पेटेंट का सवाल उठा है, इससे पहले एक बार नीम का सवाल भी उठ चुका है और कल अलफांसो के लिए हो सकता है। मेरा इतना ही कहना है कि हमारे विशेष रूप से भारतीय प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या इस प्रकार से हम उस पेटेंट कानून का ज्योग्राफीकल इंडीकेशंस का हिस्सा बनाने की दृष्टि से कुछ सोच रहे हैं ताकि हमारे जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वे सुरक्षित रह सकें।

श्री सिकंदर बख्त : दूसरी चीजों को बासमती राइस से नहीं मिलाया जा सकता है। माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जियोग्राफीकल महत्व को सामने रखकर हल्दी के और नीम के सिलसिले में भी कहा गया.....*(व्यवधान)* मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनने की तकलीफ तो करें। .....*(व्यवधान)* इस मसले में किन चीजों का ताल्लुक है वह मैं आपको बता दूं।

[अनुवाद]

पेटेंट का संबंध कई किस्म के चावल और इन किस्मों के पौधों और बीजों से है।

[हिन्दी]

चावलों की मुख्तलिक किस्में हैं।

[अनुवाद]

और इन किस्मों के उत्पादन के तरीके से है। इस पेटेंट खोज का संबंध पकाने के बाद इन चावलों के गुणों और इनके स्टार्च संबंधी गुणों को बनाये रखने से है। विशेष रूप से इसका संबंध चावल से है। इस खोज के एक पहलू का संबंध चावल की नई किस्मों, जिनके पौधों अर्ध-खर्वीकरण (बोनापन) आकृति के पर्याप्त रूप से प्रकाश के प्रति असंवेदी, अधिक उपज देने वाले तथा बासमती चावलों के समान अथवा उससे भी अच्छी गुणवत्ता वाले चावल उत्पादन से है।

[हिन्दी]

बुनियादी तौर पर राइस के सिलसिले में बाकी तमाम चीजों का, जिनका ऑनरेबल साहिबा ने नाम लिया है, इन मानों में उनसे मुख्तलिफ हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले का संबंध पेटेंटों की परिभाषाओं से है। यदि आप 'गेट-II' को लें, जिसके अंतर्गत विश्व-व्यापार संगठन की स्थापना की गई है में भौगोलिक रूप से विनिर्दिष्ट-उत्पादों को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन में इस विवाद को उठाने का प्रयास किया है। मंत्रालय ने इस मामले को अमरीकी न्यायालयों में क्यों नहीं उठाया।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मुझे खेद है, इसका विश्व व्यापार संगठन से कोई संबंध नहीं है। यह प्रश्न संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालयों में उठाया जायेगा क्योंकि यह मामला एक अलग प्रकार का है। यह कोई व्यापार-संबंधी विवाद नहीं है। यह पेटेंट संबंधी विवाद है। इसे सुलझाने के लिए अमरीकी-न्यायालयों में उठाया जायेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : पेटेंट ट्रिप्स के अंतर्गत आते हैं .....*(व्यवधान)* मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सही प्रतीत नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चंदूमाजरा : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और यह डब्ल्यू.टी.ओ. का मामला है। इस पर आधे घंटे का डिस्कशन होना चाहिए। इस तरह तो इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर चले जाएंगे। यह बहुत ही चिंता का विषय है।

श्री बेनी प्रसाद सिंह : यह किसानों का मसला है। इससे हमारे राष्ट्र की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभावित होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। हमने 40 मिनट में केवल दो प्रश्नों पर चर्चा की है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूँ।

रुपये का मूल्य

+

***43. श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रुपए का मूल्य अमरीकी डालर के मुकाबले कितना प्रतिशत गिरा है;

(ख) रुपए के इस अचानक अवमूल्यन के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रुपए की स्थिति सुधारने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये उपाय डालर के मुकाबले रुपए को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करने में किस हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनियम दर से अभिहित अवमूल्यन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष/अवधि	अवधि की औसत विनिमय दर (रुपया/अमरीकी डालर)	पिछली अवधि की तुलना में रुपए का अवमूल्यन (प्रतिशत में)
1994-95	31.399	-
1995-96	33.447	6.12
1996-97	35.500	5.78
1997-98	37.165	4.48

(ख) भारत में रुपए की विनिमय दर बाजार निर्धारित होती है। पिछले वर्षों में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की अभिहित विनिमय दर में हुए उतार-चढ़ाव भारत में विदेशी मुद्रा बाजार की स्थितियों में हुई गतिविधि को प्रतिबिम्बित करते हैं जो बदले में भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों से उत्पन्न मुद्रा के अंतःप्रवाह और बर्हिप्रवाह में अन्तर्निहित प्रवृत्तियों तथा अल्पावधिक अव्यवहारिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। डालर की तुलना में रुपए का उतार-चढ़ाव कुछ सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर के उतार-चढ़ाव को भी प्रतिबिम्बित करता है।

(ग) से (ङ) विनियम दर की गतिविधियों का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) दोनों के द्वारा कड़ा अनुवीक्षण किया जाता है। भा.रि. बैंक जब भी जरूरत हो, विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है और रुपए पर पड़ने वाले सट्टेबाजी के दबावों का प्रभावशाली रूप से सामना करने व सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए उचित मौद्रिक उपाय करता है। प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए दीर्घावधिक उपायों में वृहत आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना, उत्पादन और उत्पादकता की तीव्र वृद्धि का अनुसरण करना, भुगतान संतुलन में गतिविधियों का नियमित रूप से अनुवीक्षण करना और उचित नीतिगत उपाय करना शामिल हैं ताकि चालू खाता घाटे के स्तर को वहनीय स्तरों के भीतर रखा जा सके और पूंजी प्रवाह की प्रबन्ध व्यवस्था देश की विदेशी वित्तीय सहायता की जरूरतों और विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डारों के निर्माण के समनुरूप की जा सके। इन उपायों ने सट्टेबाजी के दबावों की अवधियों के दौरान रुपए के विदेशी मूल्य में उचित स्थिरता को बनाए रखने और भारत की विदेशी स्पर्धात्मकता के अनुरक्षण और सुधार के समनुरूप विनिमय दर का स्तर बनाए रखने में सहायता की है।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, इसमें उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि समय-समय पर रुपए का अवमूल्यन होता रहा है, उन्होंने स्वयं एक जगह अपने विवरण में यही कहा है कि सट्टेबाजों के कारण ये उतार-चढ़ाव हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सट्टेबाजों के कारण अगर उतार-चढ़ाव होता है तो इसे रोकने के लिए आपके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अगस्त 1994 में रुपए को करैंट एकाउंट में परिवर्तनीय बनाया गया। जब रुपए को करैंट एकाउंट में, चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया तो बाजार में जिस तरह हर वस्तु बिकती है, उसी तरह भारत में रुपए का भी व्यापार शुरू हो गया। जिन के पास डालर है या दूसरी विदेशी मुद्रा है या जो अपनी मुद्रा लाते हैं, खरीदने वाले प्रतिदिन बाजार में इकट्ठे होते हैं और फिर सप्लाई व डिमांड के अनुसार रुपए की कीमत तय होती है। हरेक विदेशी मुद्रा की इसी तरह कीमत तय होती है, जिसमें डालर भी शामिल हैं। उसमें मुख्य कंसिडरेशन यह है कि जो देश की आर्थिक स्थिति है, वह अपने स्थान पर है ही लेकिन उसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन को स्पेक्टयूलेटर्स कहते हैं, वे भी मार्किट में आ जाते हैं और रुपए की खरीद-फरोख्त में हिस्सा बंटाते हैं। यह उत्तर हम लोगों ने दिया है। जहां तक इसको रोकने का सवाल है, मैं इतना कहूंगा कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार रुपए की मार्किट के ऊपर नजर रखे हुए है। समय-समय पर यदि आवश्यकता होती है तो आर.बी.आई. द्वारा उस बाजार में हस्तक्षेप भी किया जाता है क्योंकि सरकार की यह नीति है कि रुपए के बाजार में कोई एक्सेस्सिव वॉलेटिलिटी न हो और ऑडर्रली कंडिशन मार्किट में रहें, हम इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं। इसके तहत रुपए की कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार में होता है।

श्री हरि केवल प्रसाद : श्रीमान्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हाल ही में परमाणु परीक्षण हुए, जिनके द्वारा अमेरिका, जापान सहित विश्व के अनेक देशों ने भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते डालर के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा है और अब पाकिस्तान ने भी परीक्षण करके एक नई परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसी परिस्थिति में दोनों परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपने कौन सी तैयारी की है जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इतिहास को देखें, यह जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ है, यह अभी हाल की घटना है लेकिन 1991 से 1996 के बीच लगभग 40 प्रतिशत रुपए का अवमूल्यन हुआ था। उस समय किसी अणु बम का परीक्षण नहीं हुआ था। इससे पहले जो सरकार यहां थी, उसके समय लगभग 11 परसैंट का रुपए का अवमूल्यन हुआ था, उस समय भी किसी अणु बम का परीक्षण नहीं हुआ। यह सही है, जैसा मैंने कहा कि कोई घटना कहीं घटती है, उसक तात्कालिक प्रभाव पड़े या न पड़े, मन के ऊपर अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसके आधार पर कुछ खरीद-फरोख्त बढ़ जाती है। अभी जो कुछ हुआ और अमेरिका ने सैक्शन लगाया या दूसरे देशों ने कुछ किया, उससे एक भावना पैदा हुई। उसका कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ा लेकिन एक भावना पैदा हुई। उस भावना के तहत आप इसे देखें। मेरे पास प्रतिदिन के आंकड़े हैं।

11 मई को यह परीक्षण हुआ था। 12 मई को जब मार्केट खुला तो रुपये की कीमत जो 8 मई को थी, वही 12 मई को थी। 13 मई को भी वही रही। 14 मई को थोड़ा फर्क पड़ा और उसके बाद फर्क पड़ता चला जा रहा है। इसमें जिसको मार्केट में सेण्टीमेण्ट कहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, भावना का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु भावना तो भावना ही है, अक्सर भावना का संबंध यथार्थ स्थिति से नहीं होता है।

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री ने अभी-अभी उत्तर दिया है कि परमाणु उपकरण का परीक्षण करने के पश्चात् भारतीय रुपये में डालर की तुलना में अधिक गिरावट नहीं आई। लेकिन पिछले सप्ताहों में समाचार पत्रों में हमने जो पढ़ा है उससे यह प्रतीत होता है कि डालर की तुलना में भारतीय रुपये में तेजी से गिरावट आई है। ऐसा भावनात्मक कारणों से हो सकता है। यदि जापान, अमरीका और जर्मनी ऐसे प्रतिबंध लगाये तो सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री यशवन्त सिन्हा : यदि आप 19 मार्च, जिस दिन इस सरकार ने सत्ता संभाली थी और कल तक के रुपये के मूल्य पर नज़र डालें तो यह गिरावट 4.23 प्रतिशत तक ही रही है।

श्री मुरली देवरा : अन्यथा पिछले पूरे वर्ष में, 4.48 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। मंत्री महोदय आपने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 1997-98 में पूरे वर्ष के दौरान यह 4.48 रही थी। अब उल्टा पिछले दो सप्ताह की बात कर रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय सदस्य मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह अन्य लोगों की तुलना में बाजार में क्या हो रहा है, यह बेहतर जानते हैं। उन्हें यह बात जरूर मालूम होगी कि अक्सर दबाव बन जाता है.....*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार कौन-कौन से कदम उठाना चाहती है।

श्री यशवन्त सिन्हा : समय-समय पर दबाव डाला जाता रहा है और विगत समय में ऐसे कई मौके आये जब ऐसे दबाव बने और रुपये की कीमत डालर की तुलना में काफी कम हो गई थी। अक्सर यह आठ अथवा नौ प्रतिशत तक कम होती रही है। अतः मैं इसी संदर्भ में बता रहा था कि इन बीते कुछ ही दिनों में, यह लगभग चार प्रतिशत थी।

अब मैं, आपको सरकार की नीति स्पष्ट करता हूँ। सरकार की नीति यह है कि मुद्रा बाजार में स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार का अस्वाभाविक रूप से तेज परिवर्तन न हो। यदि माननीय सदस्य ने बाजार के रुख पर नज़र डाली हो, तो वह देखेंगे कि अक्सर जब सुबह बाजार खुलता है तो उसमें भगदड़ जैसा माहौल रहता है। इसमें काफी मार्जिन रहता है, परन्तु बाद में जैसे-जैसे दिन गुजरता है, इसमें कुछ सुधार आता है और दिन के समय मूल्य जिस ऊँचाई को छूता है, उससे नीचे आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार अपनी दशा में सुधार कर रहा है और सटोरियों के अनुकूल नहीं चल रहा है। यह एक बहुत अच्छी बात है।

महोदय, यहां तक कि आज भी इस सभा में आने से पहले मैंने स्थिति का जायज़ा लिया और सभा को यह समाचार सुनाते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 10.45 बजे बाजार बहुत स्थिर थे। अब मैं वह बात कहूंगा, जिसमें मेरी रुचि है। बाजार को व्यवस्थित रूप में रहना चाहिए। हम रुपये के मूल्य पर नियंत्रण नहीं रख सकते क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि इसे खरीदा और बेचा जा रहा है। लेकिन बाजार में सही परिस्थितियां बनी रहनी चाहिए। यही तो सरकार का सरोकार है और भारतीय रिजर्व बैंक इस स्थिति पर निकटता से निगरानी रखे हुए है।

कृषि ऋण संबंधी आर.वी. गुप्ता समिति

+

***44. श्री वी.वी. राघवन :**
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृषि ऋण संबंधी श्री आर.वी. गुप्ता पैनल ने देश में कृषि ऋण की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने और कृषि ऋण प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु दूरगामी परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस प्रतिवेदन की वर्तमान स्थित क्या है और इन सिफारिशों का कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) इस समिति की मुख्य सिफारिशों पर कृषक समुदाय/विशेषज्ञों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के संबंध में कब तक अंतिम रूप से अपनी राय बनाने और उचित निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निम्नलिखित विचारार्थ विषय के साथ दिसम्बर, 1997 में श्री आर.वी. गुप्ता (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर) की एक सदस्य वाली समिति गठित की थी :

(क) किसानों, कृषकों, वाणिज्यिक बैंकों के उधारकर्ताओं और बैंक स्टाफ के साथ क्षेत्र स्तरीय परस्पर संबंध के माध्यम से कृषि के लिए ऋण वितरण प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना और कृषि क्षेत्र को होने वाले ऋण संबंधी प्रतिबंधों का विश्लेषण करना।

(ख) कागजी कार्यवाही में कमी सहित कृषि ऋण वितरण प्रणाली एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण और सुधारों के लिए सुझाव देना।

(ग) अन्य पहलों जिन्हें कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण की सुविधा देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारम्भ किये जा सकते हैं, पर प्रस्ताव देना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 अप्रैल, 1998 को प्रस्तुत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित क्षेत्र कवर होते हैं :

(क) परिचालन पहलुओं के संबंध में सिफारिशें में निम्नलिखित क्षेत्र कवर होते हैं :

(क) परिचालन पहलुओं के संबंध में सिफारिशें कृषि ऋण से संबंधित हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों की आन्तरिक विवरणियों के युक्तिकरण, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसानों को संमिश्र नकदी ऋण सीमाओं का प्रारम्भ, बचत संघटकों सहित नए ऋण उत्पादों का प्रारम्भ, ऋणों का नकद संवितरण, ''अदेयता प्रमाण-पत्र'' प्रदान करना और 10,000 रुपए से अधिक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित मामलों पर बैंकों के विवेकाधिकार कवर होते है।

(ख) कृषि ऋणों के लिए स्टाम्प शुल्क को समाप्त करना, भूमि सब्सिडी से सम्बद्ध ऋण के बंधक से संबंधित मामले, किराएदार कृषकों को बैंक वित्त और ऋणों की वसूली में सहायता जैसे पहलुओं पर सिफारिशें।

(ग) आवेदन-पत्र फार्मों, कृषि ऋणों के लिए समझौतों और अन्य प्रसंविदा/अभिलेखों का सरलीकरण और कृषि और अन्य अग्रिमों की जांच के लिए बैंकों की आन्तरिक विवरणियों के युक्तिकरण पर सिफारिशें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मंजूरी की गई अधिकांश सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण आवेदन-पत्रों, समझौता/अभिलेख आदि संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, बैंकों की आन्तरिक विवरणियों का युक्तिकरण, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, कृषकों को संयुक्त नकद ऋण सीमाओं का प्रारम्भ, बचत संघटकों सहित नए ऋण उत्पादों का प्रारम्भ, ऋणों का नकद संवितरण, अदेयता प्रमाण-पत्र प्रदान करना, 10,000 रुपए से अधिक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकताओं से संबंधित मामलों पर बैंकों का विवेक आदि सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे समिति की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करें। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुरोध किया है कि वह कृषि ऋणों के लिए सरल आवेदन-पत्र फार्मों और अभिलेखों को तैयार करे और सभी बैंकों द्वारा मंजूरी के लिए शाखाओं द्वारा आन्तरिक विवरणियों का युक्तिकरण करें। कतिपय सिफारिशें जैसे कृषि ऋणों के लिए स्टाम्प शुल्क का समाप्त किया जाना, बैंक देय राशियों की वसूली के लिए राज्य सरकारों से सहायता, भूमि को बंधक रखने से संबंधित मामले, बैंक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण तैनाती, आर्थिक सहायता से सम्बद्ध ऋण आदि से संबंधित मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक ने विचारार्थ सरकार को भेजा है।

ग्रामीण ऋण वितरण प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए भी समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इनमें ये सम्मिलित हैं :

(क) वाणिज्यिक बैंकों को यह स्वतंत्रता देना कि वे सभी राशियों के ऋणों के लिए ब्याज की दर निर्धारित करें।

(ख) कृषि उधार के लिए लक्ष्य विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) की तैयारी के माध्यम से ऋण के प्रवाह पर आधारित हो।

(ग) सेवा ऋण दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण संशोधन।

(घ) आर्थिक सहायता से सम्बद्ध ऋण कार्यक्रमों की विद्यमान प्रणाली की संपूर्ण पुनरीक्षा।

श्री वी.वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता समिति रिपोर्ट लघु और सीमान्त किसानों के हितों के विरुद्ध है। उदाहरण के तौर पर, वाणिज्यिक बैंकों को सभी प्रकार के ऋणों और सभी राशियों पर ब्याज-दर निर्धारित करने की स्वंतत्रता गरीब लोगों को सजा देने और व्यावसायिक घरानों के हित-साधन के लिए है। बैंक निर्धन किसान वर्ग को इस धरती पर अवांछित लोगों जैसे समझते हैं। बैंकों के इस दृष्टिकोण से किसान निर्दयी साहूकारों के पास जाने और अंत में सामूहिक आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं।

इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक और अग्रणीय बैंकों की निगरानी में ही हर्षद मेहता और फर्जी संस्थायें हमारे बैंकों को और राजकोष को लूटते हैं और यहां तक कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों पर बैंकों का काफी कर्जा बकाया है। इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है और ऐसे मामलों में अभी तक कोई अभियोग नहीं चलाया गया है। परन्तु यदि किसी किसान पर 100 रुपये का ऋण भी बकाया हो तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। बैंकों का यह दृष्टिकोण बदला जाना चाहिये।

क्या सरकार इन सेवानिवृत्त अधिकारियों की रिपोर्टों पर न निर्भर करके सभी बैंकों की ऋण नीति से किसानों को होने वाली मुश्किलों पर पुनःविचार करेगी ?

श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति, गुप्ता समिति क्षेत्रीय अध्ययन करने गई, बैंकों में गई और रिपोर्ट तैयार करने से पहले उन्होंने छोटे किसानों से संपर्क स्थापित किया है। अतः छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए उस समिति का गठन किया गया था। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार छोटे और सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो जो उत्तर हमने दिया है, उसका 7 और 9 पृष्ठ देख सकते हैं, उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि समिति की मुख्य सिफारिश शाखा प्रबंधकों को और अधिक शक्ति प्रदान करना तथा शाखा-अधिकारियों तक छोटे किसानों की पहुंच को असान बनाना है ताकि उन्हें ऋण मिल सके। समिति ने ब्याज की

दर कम करने पर भी विचार किया था। यदि आप रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्याज की विनिमित दरें छोटे किसानों को ऋण प्रदान करने में अवरोधक हैं। अतः समिति का मुख्य उद्देश्य किसान वर्ग की आय बढ़ाना है।

मैं इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, इस पर अधिक ध्यान देना था, न कि भूमि विकास बैंक की पुरानी व्यवस्था पर, जो संपत्ति के मूल्य के आधार पर ऋण देता है। इस आधार पर किसानों की आय के स्रोत अवश्य बढ़ाये जाने चाहिए।

इसे सदस्यों को परिचालित किया गया है। यदि माननीय सदस्य अधिक जानने के इच्छुक हों, तो वे मेरे पास आ सकते हैं और मैं उन्हें समिति की रिपोर्ट, उसके द्वारा किये गये कार्य और सिफारिशें दिखा सकता हूँ। वास्तव में, समिति की सिफारिशें छोटे और सीमांत किसानें के हित में हैं। अतः हमें गुप्ता समिति की नियुक्ति के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इस एक-सदस्यीय समिति के प्रयासों की देश को सराहना करनी चाहिए। कुछ सिफारिशें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

श्री वी.वी. राघवन : महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि मुझे समुचित उत्तर नहीं मिला है। मैंने समाचार पत्रों में वह समाचार पढ़ा है। मैंने उन विद्वान लोगों के विचार भी पढ़े हैं जो वस्तुस्थिति जानते हैं। मेरा तर्क यह है कि इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश से इस सरकार का असली उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री वी.वी. राघवन : अभी तक मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार गुप्ता समिति अथवा नरसिंह समिति की रिपोर्ट पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्रा रूप से किसानों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सदस्य गुप्ता समिति नियुक्त की थी। वह सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गयी थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्त की गयी थी, जिसका मूल उद्देश्य किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करना था।

अब, गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिशों की जांच की है। उनमें से कुछ की सरकार द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। इनमें से कुछ की अन्य एजेन्सियों के साथ परामर्श द्वारा जांच की जानी आवश्यक है। वह जांच चल रही है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निःसंदेह इसमें कुछ भी नहीं है, इस सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा, जो किसान-विरोधी हो। हम किसानों के हितैषी हैं, और हम उनके हित में ही निर्णय लेंगे।

श्री सुरेन्द्रन चेंगारा : अध्यक्ष महोदय, छोटे किसानों को बैंको से ऋण लेने में हमेशा परेशानी होती है जबकि सहकारी-समितियों तक उनकी पहुंच बहुत आसान होती है। क्या सरकार नाबार्ड के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कृषीय कार्यों के लिये ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। बैंक प्राधिकारी अपनी बकाया राशि की वसूली के लिये छोटे किसानों के विरुद्ध कार्यवाही कर लेते हैं। बड़े किसान मेरा अभिप्राय अमीर किसानों से है, ऐसी वसूली की प्रक्रियाओं से किसी तरह बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं। क्या सरकार छोटे किसानों की मदद करने के लिये कोई उपाय करेगी।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : महोदय, मेरा प्रश्न किसानों के ऋण देने की व्यवस्था में परिवर्तन करना और ऋण राशि में वृद्धि करने के संबंध में गुप्ता कमेटी की सिफारिशों से संबंधित है। मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जैसा कि केबिनेट मंत्री ने पहले ही कहा है, 43 सिफारिशों में से 26 सिफारिशों पर चर्चा चल रही थी और कुछ सिफारिशों की जांच की जा रही है।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि गुप्ता समिति एक ऐसी समिति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्णतः छोटे किसानों के हित में ऋण व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन लाने के लिये नियुक्त किया था, ताकि वे आसानी से बैंकों में जा सकें और उनके लिये ऋण प्राप्त करने के आसान तरीके उपलब्ध हो सके। अतः यह पूर्णतः एक नया तरीका है। समिति की सिफारिशों में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। सरकार द्वारा कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कुछ सिफारिशें विचाराधीन हैं। अतः मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि छोटे किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों का भला करना है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, प्रश्न पूछने के लिये मेरे पास समय कहां है?.....*(व्यवधान)* मुझे केवल आधा मिनट मिला है। कृपया मुझे प्रश्न पूछने दें।

गुप्ता समिति ने आर्थिक-सहायता से सम्बद्ध ऋणों 'सब्सिडी लिंक्ड लोन' की सिफारिश की है। आर्थिक सहायता से सम्बद्ध ऋण से क्या तात्पर्य है। यदि कोई राजसहायता से सम्बद्ध ऋण है तो आप उसका निर्धारण कैसे करेंगे? किसानों को इससे कैसे लाभ पहुंचने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सीधा प्रश्न है। कृपया इसका सीधा उत्तर दीजिये।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय तैयारी करके नहीं आये हैं। मैं क्या कर सकता हूँ .....*(व्यवधान)* महोदय, केबिनेट मंत्री को उनके स्थान पर उत्तर देना चाहिये .....*(व्यवधान)* केवल आधा मिनट शेष है। मुझे मंत्री महोदय से जवाब मिलना चाहिये। महोदय समय समाप्त हो गया। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना जवाब इन्हें बाद में भेज दें।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं माननीय सदस्य को जवाब भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सदन में अभी माननीय सदस्यों ने बैंकों द्वारा जनता की हेरासमेंट और तकलीफों की जो बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई हैं, वे सब तकलीफें दूर हो जायेंगी यदि आप किसानों की बैंक लिमिट बांध दें। अगर मेरे पास 50 बीघे जमीन है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये है यदि आप सोच-विचार कर मेरी एक लाख रुपए बैंक लिमिट बांध दी जाए, तो मैं बिना किसी परेशानी के एक लाख रुपए तक कभी भी बैंक से ले सकता हूं। यदि ऐसा हो जाएगा, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या मंत्री महोदय, इस बारे में सोच रहे हैं।

12.00 बजे मध्याह्न

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे बजट का दो-तीन दिन और इंतजार कर लें। अगर उसके बाद भी वह सवाल रेलीवेंट है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नई निर्यात-आयात नीति

***45. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओपन जनरल लाइसेंस की सूची में स्थानान्तरित 340 मदों में से अधिकांश का उत्पादन लघु उद्योगों द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार नई निर्यात-आयात नीति लघु उद्योग क्षेत्र को अत्यधिक हानि पहुंचायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) ओ. जी.एल. के अंतर्गत लाई गई 340 मदों में से केवल 57 मदें ही लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए उन्हें आरक्षित किए जाने के कारण अथवा लघु उद्योग के उत्पादन का ठोस आधार रखने के कारण लघु क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा, इन 57 मदों में से 50 मदें हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस पर पहले से ही आयात योग्य हैं। वर्ष 1997-98 (नवम्बर, 97 तक) के दौरान इन 50 मदों का वास्तविक आयात लगभग 28 करोड़ रुपये का था। आयातों पर लगने वाले सीमा-शुल्क से लघु उद्योग क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त होती है।

हीरा उद्योग को ऋण

***46. श्री दादा बापूराव परांजपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा उद्योग और हीरा निर्यातकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो हीरा उद्योग और हीरा निर्यातकों को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में हीरा उद्योग और हीरा निर्यातकों द्वारा किसी कठिनाई का समाना किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने भी सूचित किया है कि इस समय हीरा उद्योग और हीरा निर्यातकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंकों को उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं मंजूर करने की पूर्ण परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण और शीघ्र पूरी की जाएं तथा निर्यात का कोई भी आर्डर निधियों के अभाव में प्रभावित न हो और निर्यात ऋण प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले यदि कोई हों, संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालक के ध्यान में लाए जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऋण सीमाएं मंजूर करने में विलम्ब/ऋण सीमाओं के इंकार से संबंधित निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके प्रधान/अंचल कार्यालयों में आवश्यक तंत्र होना चाहिए।

बंद पड़ी सूती और कपड़ा मिलें

***47. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक**
श्री ए. वेंकटेश नायक

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कितनी सूती और कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक कितनी मिलें बन्द हुईं;

(ग) इनके बन्द होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) इन मिलों के बन्द होने से विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने कामगार बेरोजगार हो गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कामगारों के पुनर्वास और इन मिलों में उत्पादन पुनः आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) 31.3.98 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कोई कपास/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद नहीं थी। तथापि, 170 मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाइयों, हड़ताल/श्रमिक समस्याओं तथा तालाबंदी आदि के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़ी थी जबकि 50 मिलें परिसमापन के अधीन बंद थीं। मिलों के बंद होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या 2,60,343 है। बंद पड़ी मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी गयी है :

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	बंद मिलें
आंध्र प्रदेश	17
असम	4
बिहार	2
गुजरात	66
हरियाणा	8
कर्नाटक	8
केरल	1
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	23
उड़ीसा	1
पंजाब	2
राजस्थान	9
तमिलनाडु	40
उत्तर प्रदेश	15
पश्चिम बंगाल	11
दिल्ली	3
मणिपुर	1
योग	220

वर्ष 1996-97 के दौरान 39 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बंद थी तथा 1997-98 के दौरान 22 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बंद थी।

(च) महाराष्ट्र में मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या 28,764 है।

(छ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा ऐसी मिलों के पुनरुद्धार के लिए उचित योजनाएं तैयार तथा मंजूर करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया है।

नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट

*48. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री के.जी. सुल्तानपुरी

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों के प्रभाव के बारे में कोई गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों संबंधी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गयी हैं। समिति की सिफारिशों में संस्थागत, पर्यवेक्षी, विधायी और बैंकिंग नीति संबंधी पहलू शामिल हैं। ये सिफारिशें पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, अनुपयोज्य आस्तियों, निदेशित ऋणों, विवेकपूर्ण मानदंडों, प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं, बैंकों की प्रणालियों और पद्धतियों, संरचनात्मक मुद्दों, ग्रामीण और लघु उद्योग ऋणों, विनियमन एवं पर्यवेक्षण, कानूनी और विधायी ढांचे से संबंधित हैं। ये सिफारिशें बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सतत उपायों में बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगी। विभिन्न प्रकार के मुद्दों, जिनके बारे में समिति ने सिफारिशें की हैं और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक में निर्णय के सतत स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों पर निर्णय के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं होगा।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

*49. **श्री नरेश पुगलीया**
श्री पंकज चौधरी

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मुद्दे पर बीमा कंपनियों के अधिकारियों में भारी असन्तोष है;

(घ) क्या सरकार द्वार ऐसे कदम उठाए जाने से बीमा कंपनियों और देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बीमा क्षेत्र में और सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) विद्यमान बीमा कानूनों के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों को देश में क्रमशः जीवन और साधारण बीमा कारोबार करने का एकमात्र विशेषाधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में सुधारों के बारे में विचार करते समय इस नीति की भी समीक्षा की जाएगी। इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय लेते समय अर्थव्यवस्था के हितों को आम रूप से और बीमा कम्पनियों तथा उनके कर्मचारियों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

ऋण जमा अनुपात में विसंगति

*50. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों में ऋण-जमा अनुपात में भारी विसंगति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 27 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण जमा अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गय है। बैंकों के बीच ऋण जमा अनुपात में अन्तर होने के मुख्य कारणों में बैंक शाखाओं के क्षेत्रीय/भौगोलिक विस्तार में अन्तर, ऋण खजाने की क्षमता में विद्यमान अन्तर और अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के प्रतिशत के रूप में बैंक की पूंजी में अन्तर शामिल हैं, जिसका बैंक के ऋण का विस्तार करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां, जिसमें किसी विशिष्ट राज्य में कार्यरत बैंकों के प्रतिनिधि और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, नियमित बैठकों में राज्य के ऋण जमा अनुपात सहित बैंक ऋण के सभी पहलुओं की समीक्षा करती है।

विवरण

मार्च, 1998 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात

क्र.सं.	बैंक का नाम	ऋण जमा अनुपात (%)
1.	भारतीय स्टेट बैंक	57.2
2.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	59.0
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	62.5
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	61.
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	64.2
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	62.0
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	63.2
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	60.4
9.	इलाहाबाद बैंक	46.9
10.	आन्ध्रा बैंक	48.5
11.	बैंक आफ बड़ौदा	56.6
12.	बैंक आफ इंडिया	56.1
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	46.3
14.	केनरा बैंक	50.9
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	45.8
16.	कारपोरेशन बैंक	45.3
17.	देना बैंक	58.2
18.	इंडियन बैंक	51.6
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	42.2
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	48.5
21.	पंजाब नेशनल बैंक	47.7
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	46.6
23.	सिंडिकेट बैंक	43.7
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	46.9
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	36.7
26.	यूको बैंक	43.9
27.	विजया बैंक	43.2

कोल इंडिया लि० की बकाया धनराशि

*51. **श्री मोडन रावले** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों तथा बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा उन्हें सप्लाई किए गए कोयले के कारण कोल इंडिया लि० की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड तथा बिजली कंपनी पर आज की तिथि के अनुसार, सहायक कंपनी-वार, बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों तथा बिजली कंपनियों पर इतनी बड़ी राशि के बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हाँ।

(ख) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) की राज्य विद्युत वार तथा सहायक कंपनी वार कुल देय बकाया राशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) विभिन्न उपभोक्ताओं, जिसमें विद्युत, इस्पात, सीमेंट तथा विभिन्न अन्य क्षेत्र शामिल हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देश की अर्थव्यवस्था में कोयले की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कोयले की आपूर्ति बड़े उपभोक्ताओं को, जैसे कि विद्युत, गृह, इस्पात संयंत्र आदि को बिना किसी अग्रिम भुगतान के बारे में आग्रह करते हुए, की जाती थी। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में कोयले की देय बकाया राशि की प्राप्ति नहीं हुई है। आपूर्ति कोयले आदि की गुणवत्ता संबंधी विवाद के कारण विद्युत क्षेत्र द्वारा भी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों से देय बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार/कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) को यह सलाह दी गई है कि वे विद्युत उपयोगिताओं को केवल अग्रिम भुगतान अथवा साख पत्र के एवज में कोयले की आपूर्ति करें। 1.1.97 से कैश और कैरी स्कीम को सख्ती से क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियां देय राशि को निपटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ दृढ़ता पूर्वक कार्रवाई कर रही है।

3. कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में ऊर्जा बिलों के एवज में समायोजन के माध्यम से भी देय राशि की वसूली की जा रही है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे शीघ्र देय बकाया राशि को निपटाए जाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को कहें अथवा उन्हें इसके लिए समर्थ करें।

4. कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच देय राशि के संबंध मे विवाद के निपटारे के लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है।

5. सरकार द्वारा हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत/रेलवे/कोयला/परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 31.12.1996 तक की देय बकाया राशि में केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से इस शर्त पर कमी की जाए कि संबद्ध राज्य हेतु विनियोजन को वार्षिक रूप से केन्द्रीय योजनागत सहायता के अधिकतम 15% तक सीमित रखा जाए, जिसमें देय-बकाया राशि का निपटारा करने में लगने वाले वर्षों को ध्यान में न रखा जाए।

1997-98 के दौरान संबद्ध राज्य सरकार के केंद्रीय योजना सहायता से लगभग 226.5 करोड़ रुपये की राशि की वूसली की गई तथा कोल इंडिया लिमिटेड को इसका भुगतान कर दिया गया।

विवरण

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड-वार तथा सहायक कंपनी-वार कुल देय राशि (विवादित और अविवादित दोनों ही)

(करोड़ रुपये में)

राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	इं.को.लि.	से.को.लि.	भा.को.को.लि.	ना.को.लि.	म.को.लि.	सा.ई.को.लि.	वे.को.लि.	ना.ई.को.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी.एस.ई.बी.	57.41	248.69	3.54	-	-	-	-	-	309.64
यू.पी.एस.ई.बी.	6.01	75.76	89.66	277.41	-	-	-	-	448.84
पी.एस.ई.बी.	6.91	101.96	111.59	-	-	-	-	-	220.46
टी.एन.ई.बी.	74.05	-	14.96	-	90.00	0.23	(-) 0.03	-	179.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एच.एस.ई.बी.	0.20	69.08	4.40	2.56	-	0.06		-	76.30
आर.एस.ई.बी.	-	0.00	8.32	2.27	-	29.04	-	-	39.63
एस.एस.ई.बी.	-	-	-	-	95.85	229.72	412.67	-	738.24
एम.पी.ई.बी.	-	-	-	-	-	132.46	121.61	-	254.07
जी.ई.बी.	-	-	1.12	15.75	8.72	365.07	5.70	-	387.36
डब्लू.बी.एस.ई.बी.	84.45	-	2.73	-	-	-	-	-	87.18
डब्लू.बी.पी.डी.सी.	88.93	-	31.12	-	45.07	-	-	-	165.12
ए.पी.ई.बी.	-	-	-	-	4.44	(-)0.12	(-)0.08	-	4.24
ए.एस.ई.बी.	0.86	-	-	-	-	-	-	0.58	1.44
के.पी.सी.एल.	-	-	-	-	(-)0.04	-	70.75	-	70.71
डी.पी.एल.	42.51	-	2.71	-	-	-	-	-	45.22
डी.वी.सी.	58.35	44.25	34.49	-	-	-	-	-	137.09
डी.ई.एस.यू.	-	33.18	11.28	2.29	-	-	-	-	46.75
बी.टी.पी.एस.	22.71	253.22	214.89	-	-	-	-	-	490.82
एन.टी.पी.एस.	20.97	39.75	2.56	98.50	(-) 2.60	29.19	3.60	-	191.97
सी.ई.एस.सी.	10.62	-	2.24	-	-	-	-	-	12.86
ए.ई.सी.	-	-	-	-	-	21.65	0.12	-	21.77
बी.एस.ई.एस.	-	-	-	-	(-) 0.48	0.52	-	-	0.04
कुल जोड़	475.83	855.37	535.61	398.90	250.12	798.82	614.35	0.58	3929.58

(-) आंकड़े विद्युत बोर्डों/विद्युत कंपनियों के संबंध में किए जाने वाले समायोजनों को निर्दिष्ट करते हैं।

निर्यात को बढ़ावा

*52. **श्री पृथ्वीराज वा० चव्हाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था विशेष रूप से घटते हुए निर्यात में सुधार लाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधारभूत ढांचे के वित्त पोषण पर, जो पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, हाल ही में घोषित नीति में उचित ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार ने निर्यात क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, को गति प्रदान करने के लिए अनेक नीतिगत पहल की हैं। नई एक्जिम नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार के क्षेत्र को अधिक उदार बना दिया गया है। मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ कर दिया गया है। क्रियाविधियों को और अधिक सरल कर दिया गया है और स्वचालिता शुरू की गई है; क्षेत्र विशेष संबंधी मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि विशेष रूप से कृषि एवं संबद्ध उत्पादों, आभूषणों, परिधानों और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अपर्याप्ताओं पर कार्रवाई की जा सके। लघु क्षेत्र के अनुरोध पर कुछेक क्षेत्रों के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान योजना के तहत प्रवेश सीमा को घटाकर एक करोड़ रुपये और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये कर दिया गया है। निर्यात ऋणों पर ब्याज दर घटा दी गई है ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाया जा सके।

(ग) और (घ) यह मानते हुए कि महत्वपूर्ण स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं निर्णायक होती हैं और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, वाणिज्य मंत्रालय विनिर्दिष्ट दबाव वाले स्थानों पर निर्णायक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन

औद्योगिक पार्क एक निर्णायक बुनियादी सुविधा संतुलन स्कीम जैसी योजनाएं लागू कर रहा है। भारत वित्त संबंधी मामलों समेत बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श जारी रखे हुए हैं।

औद्योगिक विकास में गिरावट

***53. श्री आर. साम्बासिवा राव :**
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-अप्रैल 1997 की तुलना में जनवरी-अप्रैल 1998 की अवधि में औद्योगिक विकास दर और उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गिरावट के क्या कारण हैं तथा इससे कौन से मुख्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं; और

(ग) औद्योगिक विकास दर तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हाँ।

जनवरी, फरवरी और मार्च, 1998 में समग्र औद्योगिक विकास दर क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में यह दर क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत और -0.7 प्रतिशत थी। यद्यपि फरवरी और मार्च में विकास दर कम थी फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में यह अपेक्षाकृत अधिक थी। अप्रैल, 1998 के लिए विकास दर जून, 1998 तक संकलित किये जाने की आशा है।

औद्योगिक विकास में मंदी विभिन्न वृहद कारकों के सम्मिलित प्रभावों के कारण प्रतीत होती है जिनमें निर्यात में धीमापन, कम निवेश तथा मांग में मंदी शामिल हैं। जिन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वे हैं - वाणिज्यिक वाहन, पूंजीगत माल, चीनी, इस्पात, अनुषंगी मोटर गाड़ी उद्योग, अखबारी कागज, सिलाई मशीन, बिजली के पंखे तथा चमड़ा पर फर उत्पाद।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अर्धवार्षिक पुनरीक्षण किए गए थे। फलस्वरूप कुछ पहल की गई है। बैंक दर 1 प्रतिशत कम कर दी गई है और आधारभूत क्षेत्रों विशेषकर विद्युत, खनन आदि क्षेत्रों में पूंजीनिवेश बढ़ाने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गई है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में मांग की आशा है। विकास की गति तेज करने संबंधी उपायों का पता लगाने के लिए उद्योग संघों के साथ बातचीत जारी रहेगी।

[हिन्दी]

कोयले की रायल्टी दर

***54. श्री रामानन्द सिंह :**
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की रायल्टी की दरें निर्धारित करने के लिए स्थापित प्रथा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कोयले की रायल्टी के वितरण में भेदभाव बरते जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयले की रायल्टी दरों की पुनरीक्षा करने हेतु गठित अध्ययन दल ने सरकार को सितम्बर, 1997 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ङ) यदि हाँ, तो अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार नयी दरों को अक्टूबर, 1997 तक अधिसूचित कर दिया जाना था;

(छ) यदि हाँ, तो संस्तुत दरों को निर्धारित समयावधि में अधिसूचित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ज) नई दरों के कब तक अधिसूचित किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1968 से कोयले पर रायल्टी की दर टन भार के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ख) और (ग) कोयले पर रायल्टी के अलावा, पहले कई राज्य सरकारों ने कोयले पर उपकर लगाया था। पश्चिम बंगाल के मामले को छोड़कर, जहां राज्य के उपकर अधिनियम संबंधी निर्णय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, लगाए जाने वाले ऐसे उपकरों से संबंधित अधिनियम को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। चूंकि पश्चिम बंगाल में उपकर, कोयले पर लगायी गयी रायल्टी की दर से अधिक है, अतः अगस्त, 1991 में शुरू की गई कोयले की रायल्टी की दर पश्चिम बंगाल में जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कोयले की रायल्टी को वर्तमान दर से बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) से (च) कोयला मंत्रालय द्वारा 28.1.1997 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया ताकि कोयला उत्पादक राज्यों और उपभोक्ताओं के बीच विचार-विमर्श किया जा सके और रायल्टी की दर में संशोधन करने पर विचार करने के लिए सरकार को सहयोग देने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। नई रायल्टी दरों को शुरू करने की किसी विशिष्ट तारीख के बारे में सुझाव देना इस अध्ययन दल के क्षेत्राधिकार में नहीं है। दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(छ) और (ज) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में किसी विशिष्ट अवधि के बाद खनिजों पर लगाई जाने वाली रायल्टी में स्वतः संशोधन किए जाने पर विचार

नहीं किया गया है। किन्तु, इसमें यह प्रावधान है कि किसी खनिज पर दी जाने वाली रायल्टी की दर को बढ़ाए जाने संबंधी संशोधन, तीन वर्षों के अंतराल की किसी भी अवधि के दौरान एक बार से अधिक न किया जाए। वस्तुतः 1981-91 के दशक में केन्द्र सरकार ने रायल्टी की दरों में कभी भी संशोधन नहीं किया।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को भंग करना

***55. श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एचआईपीबी) को भंग करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को अनुमति देने के लिए प्रत्येक मामले में विचार करने की नीति को वरीयता देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश पहले से ही विद्यमान हैं। इन दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तंत्र समयबद्ध, पारदर्शी भेदभाव-रहित और विवेकाधिकार-रहित हो, ताकि अधिक से अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति एक गत्यात्मक नीति है जिसका लक्ष्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तंत्र को उत्तरोत्तर उदार बनाना है।

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना वी.डी.आई.एस. के माध्यम से एकत्रित धनराशि

***56. श्री तथागत सत्पथी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना (वी.डी.आई.एस.) के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि को विभिन्न राज्यों को वितरित करने का सरकार का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के माध्यम से वसूल की गई कुल धनराशि लगभग 9583 करोड़ रुपये है।

(ख) ब्यौरे मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार-वार रखे गये हैं और आंकड़ों का उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है।

(ग) जी, हाँ, सरकार ने उक्त धनराशि को विभिन्न राज्यों में वितरित करने का निर्णय लिया है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान मार्च, 1998 में राज्य सरकारों को 7594 करोड़ रुपये का पहले ही भुगतान किया गया है। आयकर में राज्यों के हिस्से के संबंध में व्यष्टि राज्यों के हिस्से का वितरण 10वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर किया गया है। राज्यों को भुगतान की गई स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 की धनराशि में राज्यवार हिस्सा दर्शाने वाले विवरण का उल्लेख संलग्न विवरण-II के रूप में किया गया है।

विवरण-I

स्वैच्छक आय प्रकटन योजना, 1997 का परिणाम दर्शाने वाला चार्ट

क्रमांक	मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार	भुगतान किया गया कुल कर (कर+ब्याज) (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	अहमदाबाद	921.87 रुपये
2.	बंगलौर	581.67 रुपये
3.	भोपाल	302.36 रुपये
4.	कलकत्ता	714.70 रुपये
5.	चण्डीगढ़	609.74 रुपये
6.	चेन्नई	783.44 रुपये
7.	कोचीन	139.29 रुपये
8.	दिल्ली	1,218.26रुपये
9.	हैदराबाद	375.36 रुपये
10.	जयपुर	269.98 रुपये
11.	कानपुर	346.09 रुपये
12.	लखनऊ	219.00 रुपये
13.	मुम्बई	1,978.48रुपये
14.	पटना	256.14 रुपये
15.	पुणे	867.45 रुपये
	कुल	9,583.83रुपये

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना में राज्यवार हिस्से का वितरण दर्शाने वाला विवरण

राज्य	हिस्सा (करोड़ रुपये में)
1	2
आंध्र प्रदेश	642.83
अरुणाचल प्रदेश	12.91
असम	211.42
बिहार	976.66
गोवा	13.67
गुजरात	307.25
हरियाणा	94.01
हिमाचल प्रदेश	53.46
जम्मू और कश्मीर	83.31
कर्नाटक	405.44
केरल	294.27
मध्य प्रदेश	629.54
महाराष्ट्र	465.21
मणिपुर	21.41
मेघालय	21.49
मिजोरम	11.32
नागालैण्ड	13.75
उड़ीसा	341.35
पंजाब	110.95
राजस्थान	421.54
सिक्किम	9.57
तमिलनाडु	504.01
त्रिपुरा	28.71
उत्तर प्रदेश	1352.57
पश्चिम बंगाल	567.35
कुल	7594.00

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

***57. श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कुछ बैंको को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रभावी और अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन बैंको को स्थापित करने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और प्रायोजक बैंको द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित निगरानी करने और पुनरीक्षण पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, को आरआरबी के कार्यनिष्पादन पर तिमाही आधार पर समीक्षा करनी होती है। प्रायोजक बैंको और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी अर्द्धवार्षिक रूप से आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करनी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की समीक्षा नाबार्ड को वार्षिक आधार पर की जाती है और सरकार/आरबीआई को भेजी जाती है। सभी, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें भी संसद में पेश की जाती हैं।

(ग) से (ङ) अधिकतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हानियां प्रदर्शित करने वाले हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान जबकि 44 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने कुल 69.68 करोड़ रुपए का लाभ दिखलाया और 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को 879.36 करोड़ रुपए की हानि हुई। 31.03.1997 की स्थिति के अनुसार यदि सभी क्षेत्रीय बैंको को कुल संचित हानियां 3048 करोड़ रुपए थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हानियां प्रदर्शित कर रही हैं, अन्य बातों के साथ-साथ सीमित प्रसार, उच्च व्यापार लागतें, निम्न उत्पादकता, अपर्याप्त वसूलियां, ग्राहकों का चुनाव करने और प्रचालन क्षेत्र पर प्रतिबंध, शाखा नेटवर्क की तुलना में व्यापार की न्यूनता और स्थापना लागत की अधिकता इसके कारण हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए और उन्हें

अर्थक्षम बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

I. सभी क्षेत्रीय बैंको की शेयर-पूंजी प्रति बैंक एक करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है।

II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अलग-अलग मामलों के आधार पर पुनर्गठित करने के प्रयास के रूप में 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्रदान की गई है ताकि गत चार वर्षों (1994-98) की अवधि के तुलन-पत्र बनाए जा सकें। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 773.57 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

III बैंक की विशिष्ट विकास योजनाएं तैयार की गई है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने अपने प्रायोजक बैंको के साथ समझौता ज्ञापन तैयार किए हैं।

IV. 1995-96 से आय का पता लगाने और आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू किए गए हैं जबकि व्यवस्था मानदंड 1996-97 से लागू किए गए हैं।

V क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को हानि उठाने वाले बैंको का पता लगाकर उन्हें बेहतर व्यापारिक स्थानों/केन्द्रों में ले जाने या अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है इसके अलावा, सेवा क्षेत्र दायित्व वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी कुछ शर्तें पूरी करने पर अपने सेवा क्षेत्रों के बाहर नई शाखाएं खोलने की भी अनुमति दी गई है।

VI. वाणिज्यिक बैंको के समान सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न निधि का निवेश करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को लाभकारी अवसर प्रदान किए गए हैं।

VII. इससे पूर्व, क्षेत्रीय बैंको को अपने नए ऋणों के 60 प्रतिशत तक लक्ष्येत्तर लाभभोगियों को वित्त प्रदान करने की अनुमति थी। 1 अप्रैल, 1997 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को यह सुनिश्चित करना था कि वाणिज्यिक बैंको के समान प्राथमिकता क्षेत्र को उनके अग्रिम उनके बकाया अग्रिमों के 40 प्रतिशत के बराबर हों।

VIII. अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करने और डिस्काउंट डिमांड ड्राफ्ट एवं चेक जारी करने की अनुकत दी गई है।

IX. संगठनात्मक विकास पहल कार्यक्रम (ओडीआई) बनाया गया है और लागू किया गया है।

X. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की ब्याज दर संरचना 26.08.96 से पूर्ण रूप से विनियंत्रित कर दी गई है।

XI. प्रायोजक बैंको को अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको पर पूर्ण प्रबंधन और संगठनात्मक नियंत्रण रखने की और सही भूमिका निभाने का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

कर वसूली प्रक्रिया

***58. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर वसूली प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कोई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर संबंधी विवादों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) विवादित धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार कर-वसूली में सुधार करने और संभावित बचाव के रास्तों को बंद करने के लिए निरन्तर कार्रवाई करती रहती है। इस संबंध में कई प्रमुख वैधानिक/प्रशासनिक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। इनमें कर की बकाया रकम में कमी लाने के उपाय करना और प्रमुख कर सुधार, कर-ढांचों को युक्ति युक्त बनाना, प्रवर्त्तन और अपवचंन रोधी उपायों में वृद्धि करना और कर रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण सहित आधुनिकीकरण शामिल हैं।

(ग) विभिन्न अदालतों में लम्बित कर सम्बन्धी विवादों में अन्तर्ग्रस्त राशियां इस प्रकार हैं :

(i) प्रत्यक्ष कर : 28379.67 करोड़ रुपये (अनन्तिम)
(31.03.98 की स्थिति के अनुसार)

(ii) अप्रत्यक्ष कर : 2742.21 करोड़ रुपए
(31.03.97 की स्थिति के अनुसार)

(घ) कर सम्बन्धी विवादों में अन्तर्ग्रस्त राशियां वसूल करने के लिए नियमित आधार पर उपयुक्त प्रशासनिक और विधिक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

***59. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसालों के घटते हुए निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य के रूप में मसालों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मसालों के मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1995-96	804.43
1996-97	1230.72
1997-98	1352.15

(स्रोत : मसाला बोर्ड)

सामान्य नीति में सुधार करने के अलावा, मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं - काली मिर्च (ब्राइन में हरी मिर्च को छोड़कर), इलायची, केसर और मसाला तेल और ओलियोरेजिन के निर्यात पर से उपकर समाप्त करना ताकि विदेशी बाजारों में इनके मूल्यों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके; ''लोगो सवंर्धन'' जैसी ब्रांड संवर्धन योजनाएं लागू करना, उत्तम उत्पाद के प्रोसेसर/निर्यातक की मान्यता के रूप में ''मसाला घराने को प्रमाण-पत्र'' प्रदान करना; गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना; प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना; प्रक्रिया उन्नयन एवं उत्पाद का विकास करना।

मीडिया परियोजनाएं

***60. श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने कितनी मीडिया परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) क्या हाल ही में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने छह मीडिया परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह निर्णय किया गया था कि प्रसारण विधेयक के पारित होने तक किसी भी नई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जायेगी;

(ङ) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के संबंध में कड़ी आपत्ति जताई है; और

(छ) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) महोदय, मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करने, संगीत स्टूडियो स्थापित करने, इलैक्ट्रोनिक ऑन लाइनें, सेवायें, दृश्य और श्रव्य का उत्पादन तथा डबिंग, पत्रिका एवं पुस्तकें प्रकाशित करने, विज्ञापन तथा प्रचार सेवाओं के लिए 14 परियोजनाओं की 1.4.97 से 31.3.98 तक की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है।

(ख) और (ग) अप्रैल-मई, 1998 की अवधि के दौरान, बाह्य विज्ञापन तथा विज्ञापन क्षेत्र में परामर्शी तथा तत्संबंधी सेवायें प्रदान करने तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर इसके संबद्ध क्षेत्र के लिए एफआईपीबी ने एक प्रस्ताव की सिफारिश की है। एफआईपीबी की सिफारिश के आधार पर, मै० वर्टीगो इंडिया हाई एक्सेस सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई से 10.00 लाख रुपये की राशि 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिये प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन किया है। विदेशी सहयोगकर्ता मै० वर्टिगो एशिया लिमिटेड, हांगकांग है। यह अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि कंपनी अपनी परामर्शी तथा बाह्य विज्ञापन के क्षेत्र से संबंधित सेवाओं के संबंध में कोई आवधिक पत्रिकाएं या प्रकाशन नहीं निकालेगी।

(घ) प्रसारण क्रियाकलाप सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये किसी नए आवेदन पत्र पर नई प्रसारण नीति को अंतिम रूप देने तथा घोषित करने तक, एफआईपीबी द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श करने के पश्चात्, एफआईपीबी द्वारा 14 परियोजनाओं की सिफारिश की गई थी क्योंकि प्रस्तावों में प्रसारण नीति को जारी करने के लिये कोई प्रमुख मामला शामिल नहीं था।

[अनुवाद]

कपास उत्पादों को ऋण सहायता

413. श्री आर. साम्बासिवा राव :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में कीड़ा लगने के कारण फसल की व्यापक बर्बादी के कारण एक योजना तैयार की है जिसके द्वारा बैंक आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों को ऋण सहायता प्रदान करेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दल ने हैदराबाद में राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ दुखी किसानों को राहत पहुंचाने हेतु संभव उपायों पर वार्ता की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने किस हद तक किसानों की सहायता की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) जी, हाँ। भारत सरकार के अनुरोध पर एक ऐसे उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री जगदीश कपूर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेशक और साथ ही आन्ध्रा बैंक (राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल थे, राज्य सरकार तथा बैंकों से आन्ध्र प्रदेश में कीड़ों एवं सूखे से प्रभावित किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबन्ध में विचार विमर्श किया। कीड़ों, सूखे आदि से किसान अत्यधिक दुःखी थे और इन कारणों से प्रभावित किसानों की पुनः अदायगी क्षमता बहुत कम रह गई थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष मामले के रूप में आन्ध्र प्रदेश में ऋणकर्त्ता किसानों को सहायता पैकेज दिया गया था। परिकल्पित सहायता उपायों में निम्नलिखित शामिल थे :

(i) दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित किसानों से न तो मूल की न ही ब्याज की वसूली की जाएगी।

(ii) दो वर्ष की प्रारम्भिक ऋण स्थगन अवधि को छोड़कर 7 वर्ष की अवधि अर्थात् कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए ऋण का परिवर्तन/अवधि का पुनः निर्धारण।

(iii) प्रभावित किसानों को नए फसल ऋणों की मंजूरी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों ने कुल 432 करोड़ रुपये के ऋण (नए फसल ऋण तथा पुराने ऋणों का परिवर्तन/अवधि का पुनः निर्धारण) दिए है, जिसमें राज्य के 5 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

वैश्य बैंक

414. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
डॉ० विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का दिया गया उत्तर देखें और बताएं :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानने के लिए इस मामले की जाचं कर ली है कि क्या किसी निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का कोई उल्लघंन किया गया है जैसा कि माननीय संसद सदस्यों ने उल्लेख किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उल्लंघनों के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) लोक सभा के दिनांक 21.11.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के उत्तर में दी गई सूचना के अनुक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट 1997 से यह पता लगा था कि वैश्य बैंक की एक शाखा ने दिनांक 24.11.1995 को वैश्य बैंक कर्मचारी कल्याण न्यास को 12 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया था और यह उसके कर्मचारियों को संवितरित किया गया था ताकि वे बैंक के अधिकार निर्गम में निवेश कर सकें। उक्त अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज की दर 6 प्रतिशत की दर पर थी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों का उल्लघंन था। ऐसे ऋण गैर-प्राथमिकता वैयक्तिक ऋणों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा ऐसे ऋणों पर ब्याज दर बैंक की मूल उधार दर से कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले को बैंक के साथ उठाया था ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनियामक एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरण होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले की जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने सांविधिक चल निधि अनुपात एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने में चूक के कारण अर्थदंड वसूल किया है।

नकदी फसलों का बीमा किया जाना

415. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि नदकी फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब नेशनल बैंक के लिपिक द्वारा आत्महत्या

416. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के एक लिपिक ने जिसे धोखाधड़ी मामले के कारण निलम्बित कर दिया गया था अपनी पत्नी के साथ मार्च, 1998 में आत्महत्या कर ली थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में लिपिक द्वारा की गई धोखाधड़ी और इसमें शामिल अन्य बैंक कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गबन और धोखाधड़ी में शामिल बैंक अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस प्रकार के कितने मामले दर्ज किए हैं और इन मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने सूचित किया है कि श्री अनिल कुमार गुप्ता, जो शकूर बस्ती शाखा में लिपिक पद पर कार्यरत थे, ने दिनांक 12.3.1998 को अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। पंजाब नेशनल बैंक ने आगे सूचित किया है कि श्री गुप्ता को बैंक की रानीबाग शाखा में कथित रूप से अपनी पत्नी के नाम से खोले गए खातों के माध्यम से कपटपूर्ण लेनदेन में लिप्त होने के आरोप में दिनांक 9.3.1998 को निलम्बित किया गया था। जांच के आधार पर श्री गुप्ता के अलावा एक वरिष्ठ प्रबंधक, एक प्रबंधक, दो अधिकारी, दो लिपिक तथा एक विशेष सहायक निलम्बित किए गए थे।

पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली पुलिस के साथ मामला दर्ज किया है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस विषय पर अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की मांगें

417. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की बिक्री में आई गिरावट में सुधार करने हेतु छूट को पुनः चालू करने की मांग सहित विभिन्न मांगों पर विचार किया है जो कि लाखों श्रमिकों, विशेषकर गांवों में महिला श्रमिकों की आजीविका में सीधे तौर पर सुधार से संबंधित है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हाँ। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय-समय पर उठाई गई विभिन्न मांगों पर विचार करना तथा उन्हें निपटाना एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक छूट का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि 1996-97 के दौरान खादी तथा खादी संबंधी मदों पर पूर्ण वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से सामान्य छूट तथा त्यौहार के मौसम के दौरान 90 दिनों की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से विशेष छूट दी जा रही थी।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर खादी को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 15.8.1997 से 14.8.98 तक की अवधि के दौरान सूती, ऊनी तथा सिल्क खादी तथा पालीवस्त्रों पर सामान्य छूट को मिलाकर उसके स्थान पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की थी। पहले से अनुमत 15 प्रतिशत की विशेष छूट के अतिरिक्त 90 दिनों के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की घोषणा, 2.10.97 से 14.8.98 की अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। सरकार को तथा सरकार की सहायता युक्त संस्थानों को खादी तथा पॉलीवस्त्रों की बिक्री पर भी छूट पूर्व के समान दी गई थी।

1.3.1997 का स्थिति के अनुसार 125 करोड़ की बकाया छूट तथा भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में छूट के अतिरिक्त भार के मामले को निपटाने के लिए सरकार ने छूट के दावों को निपटाने के लिए 1997-98 के दौरान 84 करोड़ रुपये के सामान्य बजट प्रावधान के अतिरिक्त 136.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दसवां वित्त आयोग

418. श्री गिरिधर गमांग : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित दसवें वित्त आयोग के मुख्य उद्देश्य और विचारार्थ विषय क्या हैं और इस संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को ऐसी योजनाओं के लिए बनाये गए दिशा निर्देशों तथा अब तक दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्य की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आधार पर दसवें वित्त आयोग ने राज्यों के पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की है ताकि राज्यों में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों के समेकित निधि में वृद्धि हो सके। 1996-2000 के दौरान दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) स्थानीय निकायों के अनुदान के उचित उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रतिपादित किए गये हैं। राज्य सरकारों को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्वीकृत अनुदान का विस्तृत ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) 1996-97 के दौरान बिना किसी पूर्व शर्तों के अनुदान जारी कर दिये गए। 1997-98 की अवधि से अनुदान राज्य सरकारों द्वारा संशोधित दिशानिर्देश में दर्शायी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। तद्नुसार राज्य सरकारों को यह प्रमाणपत्र जारी करना पड़ता है कि छः माह पूर्व केन्द्र द्वारा

जारी अनुदान राशि को पूर्णतः स्थानीय निकायों को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को यह भी चाहिए कि स्थानीय निकायों को दी गयी धनराशि और मैचिंग अंशदान (यदि हो तो), का एक संयुक्त विवरण जारी करें जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अनुदान केवल चुने गए स्थानीय निकायों (जहां चुनाव जरूरी हैं), को ही प्रदान किया गया है।

विवरण-I

पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकायों के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा 1996-2000 के दौरान की गई सिफारिशें

(लाख रुपये में)

राज्य	प.रा.सं. (73वां संशोधन)				श.स्था.नि. (74वां संशोधन)			
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	8775	8775	8775	8775	1848	1848	1849	1849
अरुणाचल प्रदेश	113	113	113	112	3	3	3	3
असम	3334	3334	3334	3334	355	355	355	355
बिहार	12680	12680	12679	12680	1677	1677	1678	1677
गोवा	148	148	148	147	–	–	–	–
गुजरात	4800	4800	48000	4801	1687	1686	1686	1687
हरियाणा	2066	2066	2066	2066	415	415	414	414
हिमाचल प्रदेश	805	805	804	804	51	51	51	52
जम्मू और कश्मीर	940	940	940	939	302	302	302	303
कर्नाटक	5544	5544	5544	5545	1754	1755	1755	1755
केरल	4470	4470	4470	4471	636	636	636	635
मध्य प्रदेश	8717	8717	8717	8718	1544	1544	1543	1543
महाराष्ट्र	8675	8675	8675	8676	3324	3324	3323	3324
मणिपुर	233	233	233	232	56	56	56	55
मेघालय	216	216	217	216	37	37	37	36
मिजोरम	74	74	73	73	9	9	10	10
नागालैण्ड	116	116	116	117	14	14	14	14
उड़ीसा	5025	5025	5025	5024	478	478	478	477
पंजाब	2584	2584	2584	2583	765	765	765	765
राजस्थान	5305	5305	5306	5306	1080	1080	1079	1079
सिक्किम	48	48	47	47	14	14	15	15
तमिलनाडु	7183	7183	7184	7184	2888	2888	2888	2888
त्रिपुरा	348	348	349	349	26	26	25	26
उत्तर प्रदेश	18988	18988	18988	18988	3029	3029	3030	3030
पश्चिम बंगाल	8336	8336	8336	8337	3008	3008	3008	3008
कुल	109523	109523	109523	109524	25000	25000	25000	25000

विवरण-II

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान

(लाख रुपए में)

राज्य	1996-97		1997-98	
	पं०रा०सं०	श०स्था०नि०	पं०रा० सं०	श०स्था०नि०
आंध्र प्रदेश	8775	1848	6581.25	1448.00
अरुणाचल प्रदेश	113	3	28.25	0.75
असम	3334	355	833.50	88.75
बिहार	12680	1677	–	–
गोवा	148	–	37.00	–
गुजरात	4800	1687	1200.00	421.50
हरियाणा	2066	415	516.50	415.00
हिमाचल प्रदेश	805	51	805.00	51.00
जम्मू एवं कश्मीर	940	302	235.00	75.50
कर्नाटक	5544	1754	1386.00	438.75
केरल	4470	636	4470.00	159.00
मध्य प्रदेश	8717	1544	2179.25	386.00
महाराष्ट्र	8675	3324	8675.00	831.00
मणिपुर	233	56	58.25	14.00
मेघालय	216	37	54.00	9.25
मिजोरम	74	9	18.50	2.25
नागालैण्ड	116	14	29.00	3.50
उड़ीसा	5025	478	2512.50	239.00
पंजाब	2584	765	646.00	191.25
राजस्थान	5305	1080	3978.00	810.00
सिक्किम	48	14	12.00	3.50
तमिलनाडु	7183	2888	7183.00	2888.00
त्रिपुरा	348	26	348.00	26.00
उत्तर प्रदेश	18988	3029	14241.00	2271.75
पश्चिम बंगाल	8336	3008	2084.00	752.00
कुल	109523	25000	58111.00	11525.75

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पर्यवेक्षण प्रणाली

419. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी के तत्काल आदान-प्रदान हेतु बाजार आसूचना को सुदृढ़ बनाकर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु एक व्यापक कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संचालन की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित अभियान के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उन्होंने स्थल पर निरीक्षण और साथ ही स्थलेतर निगरानी के विभिन्न साधनों, जिनमें बाजार आसूचना के माध्यम से पर्यवेक्षण निविष्टियां प्राप्त करना शामिल है, के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण के लिए पहले ही व्यापक प्रणाली तैयार कर ली है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा पर्यवेक्षण प्रणाली, जो इस समय लागू है, के अनुसार उन सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हर वर्ष निरीक्षण किया जाएगा, जो उनके पास पंजीकृत हैं तथा/या जिनके पास 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की आस्ति है। 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक की परन्तु 50 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाएगा। अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निरीक्षण मुख्यतः स्थलेतर प्रतिवेदन प्रणाली के जरिए किया जाएगा। तथापि, जब भी शिकायतों के कारण आवश्यक होगा, स्थलेतर रिपोर्टों/बाजार आसूचना के जरिए असामान्यता का पता चलेगा, ऋण निर्धारण में तीव्र गिरावट होगी तो स्थल पर पूर्ण निरीक्षण या पोर्टफोलियो जांच भी की जा सकती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिनका इस प्रणाली से विनियमन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है, बिना किसी कठिनाई के सूचना देने एवं निगरानी प्रणाली को सुकर बनाने में समर्थ रही हैं।

उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

420. श्री सी.डी. गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं कि निगमित क्षेत्र को प्रदान की गई धनराशि के भारी भाग का उपयोग नहीं किया गया है और भारी उत्पादन लागत का मुख्य कारण पुरानी तकनीक है;

(ख) यदि हाँ, तो आधुनिकीकरण हेतु प्रदान की गई कुल धनराशि के बारे में सरकार का अनुमान क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें से कितनी राशि का अन्यत्र उपयोग किया गया अथवा उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं कि आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित धनराशि का पूरा उपयोग किया जाए ताकि उत्पादन लागत न बढ़े और रुग्ण हो रहे उद्योग बचाये जा सकें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा आयकर कटौती

421. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी राजनयिक मिशन अपने भारतीय कर्मचारियों के वेतन में से आयकर काट कर उसे आयकर अधिकारियों के पास जमा करा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आयकर की वसूली हेतु मूल्यांकन करने के लिए विदेशी मिशनों के भारतीय कर्मचारियों की सूची तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे कर्मचारियों का मूल्यांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा किया जाये, सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी नहीं, आयकर के रिकार्डों के अनुसार, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विदेशी राजनयिक मिशन अपने भारतीय कर्मचारियों के वेतन से आयकर की कटौती कर रहे हैं। किन्तु, ये कर्मचारी अपने नियोक्ता से मिलने वाले अपने वेतन पर आवश्यक करों का भुगतान करते रहे हैं।

(ख) कराधेय आय वाले भारतीय कर्मचारियों की निश्चित संख्या दर्शाने वाली कोई सूची आयकर विभाग द्वारा संकलित नहीं की गई है।

(ग) विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशी मिशनों को यह सलाह देते हुए एक टिप्पणी भेजने हेतु अनुरोध करने का प्रस्ताव है कि वे भारतीय कर्मचारियों को दिए गए वेतनों पर आयकर की कटौती कर लें।

वैश्य बैंक में चूककर्त्ता खाताधारी

422. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वैश्य बैंक लिमिटेड की कुल कितनी शाखाएं हैं और गत पांच वर्षों में शाखा-वार ऐसे खाताधारियों की संख्या कितनी है जो लिये गये ऋण की अदायगी न करने के दोषी हैं;

(ख) क्या बैंक की शाखाएं ग्राहकों को ऋण जारी करते समय उचित दस्तावेज नहीं ले रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस ऋण अदायगी न करने के संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस राशि को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) वैश्व बैंक लिमिटेड गैर-सरकारी क्षेत्र का बैंक है तथा सरकार से न तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों का ब्यौरा रखे और न ही वह ऐसा करती है। तथापि, जब गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य संचालन के संबंध में शिकायतें या आरोप सरकार की जानकारी में आते हैं, तब उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है, ताकि उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सके, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकिंग उद्योग का विनियामक है। इसके अतिरिक्त जब कभी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को अनियमितताओं या कमियों का पता लगता है, तब बैंकों को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। विनियामक अनुपालन की असफलता वाले मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करता है। ऐसे बैंकों द्वारा जारी आन्तरिक निर्देशों का अनुपालन न किए जाने वाले मामले ऐसे बैंकों के प्रबंधकों द्वारा उपयुक्त स्तरों पर भेजे जाने होते हैं।

कॉफी उत्पाद

423. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष कितनी कॉफी का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या कॉफी बोर्ड का विचार अपनी बिक्री सेवा का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन नए क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां वर्ष 1998-99 के दौरान कॉफी बोर्ड का अपनी शाखाएं स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत में कॉफी का कुल उत्पादन 2,28,000 मी. टन हुआ था। कॉफी बोर्ड कॉफी के उत्पादन से सीधे संबद्ध नहीं हैं। तथापि, बोर्ड अपने अनुसंधान एवं विस्तार प्रदर्शन फार्मों में प्रतिवर्ष लगभग 150 मी. टन कॉफी का उत्पादन करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दसवां वित्त आयोग

424. श्री गिरिधर गमांग : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत धनराशि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वित्त आयोग द्वारा तत्संबंधी संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास को मजबूत करने के लिए पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को ध्यान में न रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) दसवें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत धनराशि की सिफारिश नहीं की है क्योंकि वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत सहायता अनुदान सम्मिलित नहीं है।

तत्कालीन सोवियत संघ के साथ व्यापार

425. श्री के.पी. नायद्दु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विघटन से पहले भूतपूर्व सोवियत संघ और भारत के बीच वार्षिक व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के देशों के साथ कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ग) क्या इस व्यापार में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो वे मुख्य मदें क्या हैं जिनके व्यापार में कमी आयी; और

(ङ) भारत और इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत तथा पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बीच हुए वार्षिक व्यापार का मूल्य 7803 करोड़ रुपए का था।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत तथा सी.आई.एस. एवम् बाल्टिक देशों के बीच हुए व्यापार का मूल्य 5829 करोड़ रुपए का था।

(ग) और (घ) जी, हाँ। वर्ष 1996-97 के दौरान पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देशों के साथ व्यापार में कमी आयी थी। जिन मुख्य मदों के व्यापार में कमी आई है, उनमें शामिल है : चाय, कॉफी, काजू, सौंदर्य प्रसाधन तथा प्रसाधन, रसायन, लुगदी तथा अपशिष्ट कागज, कपास कच्चा तथा अपशिष्ट, विनिर्मित उर्वरक, लोहा तथा इस्पात इत्यादि।

(ङ) भारत-सी.आई.एस. व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं — संयुक्त आयोगों, कार्य दलों तथा संयुक्त व्यापार परिषदों की बैठकों के माध्यम से भारत तथा इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार की नियमित समीक्षा करना, प्रेषण बिक्री को बढ़ावा देना तथा भाण्डागारों को खोलना, उधार की अवधि को बढ़ाना, व्यापार योग्य वस्तुओं के क्षेत्र को व्यापक बनाना, भारतीय बैंकों की शाखाओं को खोलना, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान करना।

फ्लोट ग्लास उद्योग का पुनरुज्जीवन

426. डॉ० रामचन्द्र डोम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि घरेलू फ्लोट ग्लास उद्योग जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा 1000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का निवेश किया गया है पिछले तीन वर्षों से भारी घाटे में चल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्योग को पुनरुज्जीवित करने और सार्वजनिक धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) देश के फ्लोट ग्लास निर्माणकारी एककों से सूचना मिली है कि वे पिछले तीन वर्षों से हानि उठा रहे हैं।

फ्लोट ग्लास उद्योग एक लाइसेंसमुक्त उद्योग है। निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा व्यावसायिक पहलुओं के आधार पर लिये जाते हैं और उत्पादों के मूल्य बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार द्वारा उद्योग की विकास दर को तेज करने हेतु आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। सरकार द्वारा ऋण की उपलब्धता में सुधार करने, ब्याज दरें घटाने तथा देश में समग्र निवेश वातावरण में सुधार करने हेतु कदम उठाये गये हैं।

अल्पसंख्यकों को ऋण

427. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण/अग्रिम राशियों का ब्यौरा देते हुए नियमित रूप से विवरण प्रस्तुत करते हैं;

(ख) इस विषय में दोषी पाए गए बैंक कौन से हैं तथा यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विवरणों की जांच तथा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक को कितना प्रदत्त ऋण/अग्रिम का भुगतान किया गया है तथा वार्षिक लक्ष्य क्या थे; और

(ङ) उन बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने अल्पसंख्यकों को कम ऋण दिए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि बैंको से यह आशा की गई है कि वे मार्च और सितम्बर, के अंत की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास छमाही आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय की ऋण प्रवाह संबंधी आंकड़े दें। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक आमतौर पर नियमित रूप से आंकड़े देते हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों और विदेशी बैंको ने आंकड़े देने में चूक की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये बैंक हैं - धन लक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, नैनीताल बैंक, पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक, वैश्य बैंक, इन्डस इन्ड बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यू.टी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन बैंकों के साथ इस मामले को उठाया गया था और उन्हें अनुस्मारक देकर उनसे आंकड़े समय पर देने के लिए कहा गया था।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंको से प्राप्त आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन करने में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की मंजूरी के लिए अलग से कोई लक्ष्य नियत नहीं है, बैंको से अपेक्षा की जाती है कि वे इन समुदायों को निष्पक्ष और पर्याप्त वित्त प्रदान करें। वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए मार्च के

अंत की स्थिति के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है और जिला समन्वय समिति (डी.सी.सी.), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) आदि की बैठकों में अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण के प्रवाह की पुनरीक्षा की जाती है।

विवरण

देश में अल्पसंख्यकों को सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा मंजूर किया गया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

समुदाय	मार्च 94 के अंत की स्थिति		मार्च 95 के अंत की स्थिति		मार्च 96 के अंत की स्थिति	
	खाता संख्या	बकाया	खाता संख्या	बकाया	खाता संख्या	बकाया
ईसाई	10.96	953.16	12.32	1105.77	12.94	1299.70
मुस्लिम	35.94	2827.85	36.89	3129.45	39.05	3528.91
बौद्ध	1.48	90.07	1.45	98.91	1.43	109.57
सिख	10.69	2451.30	10.51	2577.68	10.97	2948.26
पारसी	0.04	29.23	0.03	34.98	0.04	29.79
कुल	59.11	6351.61	61.20	6946.79	64.43	7916.23

खातों की संख्या लाख में।
(बकाया राशि करोड़ रुपये में)

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

428. श्रीमती कमल रानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इस समय औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थानों पर औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विकास केन्द्र योजना, 1998 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 8 विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं जिनमें से (1) बचौली बुजर्ग (झांसी), (2) बन्धरा (शाहजहांपुर), (3) चौधरपुर (मुरादाबाद), (4) डिबियापुर (औरेया), (5) खुर्जा (बुलंदशहर), (6) मुंगरा-सथारिया (जौनपुर), (7) साहजनवा (गोरखपुर) स्थित सात विकास केन्द्रों को भारत सरकार ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है। शेष विकास केन्द को शिव-राजुपुर-पदमपुर, जिला-पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था। तथापि, राज्य सरकार विकास केन्द्र के स्थान पर परिवर्तन पर विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम क्रियान्वयन एजेन्सी है। शाहजनवा (गोरखपुर) स्थिति विकास केन्द्र को 10 करोड़ रुपये की पूरी केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गयी है। अन्य विकास केन्द्र क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

वित्तीय सेवा योजना

429. श्री अशोक प्रधान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए बनाई गई वित्तीय सेवा योजना कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में उद्यमियों को वित्तीय सहायता/सेवाएं उपलब्ध कराने का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सेवा योजनाओं की व्यवस्था करता है।

(ख) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता (मुख्य ऋण संस्थानों अर्थात् बैंक/राज्य वित्त निगमों और राज्य उद्योग विकास निगमों द्वारा लघु उद्योगों को पुनः वित्त प्रदान करना) की समुचित योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है :

1. नई परियोजनाओं की स्थापना करना।
2. मौजूदा एककों का विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, पुनः स्थापित करना।
3. लघु उद्योग एककों की विपणन क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

उद्यमियों को सहायता प्रदान करने संबंधी मानदंड का अभिप्राय इस बात को सुनिश्चित करना है कि निधियों के अभाव में किसी भी सार्थक प्रस्ताव के सिलसिले में ऋण देने से इंकार न किया जाए। प्रथम पीढ़ी के उद्योग तंत्रवादी, महिला उद्यमी और वे जो अति लघु क्षेत्रों में हैं, को प्रर्वतकों के अपेक्षाकृत कम अंशदान, अपेक्षाकृत कम ऋण इक्विटी अनुपात इत्यादि से अपने एककों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में सिडबी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में और देश की एककों को प्रदत्त स्वीकृतियों और संवितरणों का विवरण निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		अखिल भारत	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5
1995-96	450.93	434.14	6065.56	800.83
1996-97	445.41	319.75	6485.32	4584.69
1997-98	483.98*	332.43*	7484.16*	5240.70*

*आंकड़े अनन्तिम।

[अनुवाद]

रबड़ की कीमतें

430. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री सुरेश कुरूप :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रबड़ की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिये घरेलू बाजार से प्राकृतिक रबड़ की खरीद की थी;

(ख) यदि हाँ, तो प्राकृतिक रबड़ की अब तक कितनी मात्रा में खरीद की गई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम खरीद की गई रबड़ का निपटान करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या खरीद की गई इसी रबड़ को घरेलू बाजार में जारी किया जाएगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1997-98 के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस.टी.सी) ने 30.51 करोड़ रुपये की रकम से सरकारी खाते में घरेलू बाजार से 9596 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की । चालू वर्ष में सरकार ने 20,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ खरीदने के लिए एस.टी.सी. को अधिकार दिया है, ताकि कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का मूल्य

431. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन लागत निकालने के मार्गनिर्देश क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। सरकार ने प्राकृतिक रबड़ (एन.आर.) के लिए बेंच मार्क कीमत का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई की है।

(ख) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा ने प्राकृतिक रबड़ की बेंचमार्क कीमत में संशोधन करने के लिए प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन-लागत के संबंध में एक अध्ययन किया है।

(ग) संशोधित बेंच मार्क कीमत निकालने के लिए, लागत लेखा शाखा ने सीधी लागतों में वृद्धि जैसे कि रख-रखाव और अनुरक्षण, टैपिंग और एकत्र करने, प्रसंस्करण कुलाई इत्यादि और अन्य लागतों जैसे विकास लागत का परिशोधन, कतरन के लिए समायोजन, बागान कर, प्रबंधन व्यय, ब्याज और बोनस सहित कार्यशील पूंजी पर वसूली इत्यादि में वृद्धि को भी गणना में शामिल किया गया है।

असम में उच्च सदन (विधान परिषद) का सृजन

432. डॉ0 जयन्त रंगपी : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में उच्च सदन (विधान परिषद) के सृजन हेतु एक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विधेयक के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त विधेयक न लाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

रबड़ का समर्थन मूल्य

433. श्री ए.सी. जोस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1996 से रबड़ के दामों में विशेषकर केरल में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रबड़ के मूल्यों में और गिरावट को रोकने के लिए रबड़ की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रबड़ के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने और रबड़ के सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हाँ। उपभोक्ता उद्योगों द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खपत में कमी के कारण 1996 से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में कमी आई है।

(ग) रबड़ की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने तथा रबड़ के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार ने एस.टी.सी. द्वारा सरकारी खाते में 10,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद के लिए एक बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई शुरू की थी। सरकार ने सरकारी खाते में प्राकृतिक रबड़ की 20,000 मी. टन की और मात्रा खरीदने का निश्चय किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से ऋण

434. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षवार 1991 से 1997 के बीच सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से कुल कितना ऋण लिया गया तथा इस ऋण लेने का उद्देश्य क्या है;

(ख) इन ऋणों पर प्रत्येक वर्ष से कितना सर्विस चार्ज दिया गया है; और

(ग) 1997 के अन्त तक संचित ऋण राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण कृषि और ग्रामीण विकास, कोयला, विद्युत, तेल, उद्योग तथा वित्त, रेलवे, सड़कें, पत्तन, सिंचाई, सामाजिक और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से संबंधित होते हैं।

(ख) इन ऋणों पर अदा किए वर्षवार सेवा प्रभार (ब्याज) निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ में)
1990-91	1.07
1991-92	24.20
1992-93	167.73
1993-94	190.39
1994-95	412.43
1995-96	599.08
1996-97	718.76
1997-98	764.88

(ग) दि0 31.12.97 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कुल संचित ऋण राशि (बकाया ऋण) 1,03,022.78 करोड़ रुपए है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वर्षवार प्राप्त कुल ऋण

(आंकड़े दस लाख में)

संस्था	मुद्रा	कुल प्राप्त ऋण							
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. आईडीए	एसडीआर	606.329	911.290	907.700	504.400	800.700	643.600	726.500	674.900
2. आईबीआरडी	अमरीकी डालर	830.180	809.000	503.000	300.000	350.000	253.500	461.100	1165.000
3. आईएफएडी	एसडीआर	0.000	14.500	0.000	21.250	18.950	22.950	0.000	0.000
4. एडीबी	अमरीकी डालर	322.690	500.000	942.700	0.000	245.000	250.000	335.000	0.000
5. ओपीईसी	अमरीकी डालर	6.500	19.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000

लघु उद्योगों के लिए ऋण

435. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों से ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र निपटान के लिए लंबित पड़े हैं और उनका कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोल कंपनियों द्वारा ऋण

436. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला कंपनियों ने वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिनसे वित्तीय संसाधन जुटाये गये हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० ने ऋणों के लिए जुटाये गये वित्तीय संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भविष्य में उक्त राशि का समुचित/पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोल इंडिया लि० ने वित्तीय संसाधनों के उपयोग के लिए किसी योजना का विज्ञापन दिया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 में कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) ने भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई.) से ऋण लिया था। उसी वर्ष में, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (से.को.लि.), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो को.इं.लि. की सहायक कंपनियां हैं, द्वारा भी आई.सी.आई.सी.आई. से ऋण लिया गया था। वर्ष 1997-98 में, से.को.लि. ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यू.बी.आई.) से भी ऋण लिया था।

(ग) आई.सी.आई.सी.आई. तथा यू.बी.आई. से लिए गए सभी ऋण, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट किया गया है, पूरी तरह से उपयोग में लाए जा चुके हैं।

(घ) से (छ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

योजनाओं का दुरुपयोग

437. श्री नरेन्द्र बुडानिया
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "वेल्यू बेस्ड एडवान्स लाइसेंस" तथा "क्वांटिटी बेस्ड एडवान्स लाइसेंस" स्कीम का बडे पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं के दुरुपयोग से सरकार को कुल कितनी हानि होती है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या निषेधात्मक उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हाँ। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वी.बी.ए.एल.) और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (क्यू.बी.ए.एल.) के दुरुपयोग के मामलों का पता चला है। ये मामले, अन्य बातों के साथ-साथ, वी.बी.ए.एल. के तहत मॉडवेट का अनुचित लाभ उठाने, संगत सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं के तहत न आने वाले माल का आयात करने, निर्यात और आयात माल की कीमत की गलत घोषणा करने, घटिया अथवा बेकार सामग्री का निर्यात करने और योजना की शर्तों का उल्लघंन करके घरेलू बाजार हेतु आयातित माल भेजने से संबंधित हैं। अभी तक ऐसे 1152 मामलों में न्याय-निर्णयन कार्यवाही पूरी कर ली गई है जिसके फलस्वरूप 39.25 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की पुष्टि हुई और 14.25 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त, 1192 कारण बताओ नोटिस न्याय-निर्णयन हेतु लंबित हैं।

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं की खामियों को दूर करने और इनका दुरुपयोग रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यातकों द्वारा वी.बी.ए.एल. के तहत निर्यात उत्पाद के मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने, उक्त सूची में कुछ मदों और उन मदों, जो निर्यात उत्पाद के भार और मात्रा का 2 प्रतिशत तक है, को रखकर संवेदी सूची में संशोधन करना, वी.बी.ए.एल. और क्यू.बी.ए.एल. योजनाओं के तहत आयातित निविष्टियों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाना, निविष्टियों के सी.आई.एफ. मूल्य की उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के संदर्भ में संगणना हेतु सुस्पष्ट व्यवस्था करना शामिल है। निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के संबंध में मॉडवेट का लाभ उठाने की जांच की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। 31 मार्च, 1997 से वी.बी.ए.एल. योजना को समाप्त कर दिया गया है और तब से कोई नए वी.बी.ए.एल. लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

ट्रैक्टर उद्योग

438. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की मांग में कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप टैक्ट्रर का निर्माण करने वाली कंपनियों में ट्रैक्टरों का स्टाक जमा होता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्मित और बेचे गये ट्रैक्टरों की संख्या अलग-अलग कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्ष 1997-98 के दौरान, वर्ष 1996-97 की तुलना में ट्रैक्टरों के विपणन में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ट्रैक्टरों की कुल खरीद लगभग ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लगभग बराबर है। जैसा कि पिछले तीन वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

(संख्या लाखों में)

	1995-96	1996-97	1997-98
विनिर्माण	1.91	2.21	2.55
बिक्री	1.91	2.20	2.50

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

439. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का निजीकरण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र के कुछेक और उपक्रमों के निजीकरण का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी विवरण क्या है; और

(ङ) इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) वर्ष 1991-92 से सरकार ने कुछ चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी धारिता का केवल आंशिक विनिवेश किया है। अब तक किए गए विनिवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यम के शेयरों का विनिवेश सरकारी क्षेत्र की इकाई के पुनर्गठन का एक हिस्सा है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

31.3.98 की स्थिति के अनुसार उद्यम-वार विनिवेश और सरकार की वर्तमान शेयरधारिता

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कुल विनिवेश का प्रतिशत	सरकार की धारिता का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	एण्ड्यू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड	9.60	62.84 XX
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	39.19 X	60.81
3.	भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड	24.14	75.86
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	32.28	67.72
5.	भारत पैट्रोलियम कारपो. लिमिटेड	33.80	66.20
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लिमिटेड	25.54	74.46
7.	सीएमसी लिमिटेड	16.69	83.31
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	6.12	55.04 XX
9.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लिमिटेड	23.07	76.93
10.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया लिमिटेड	1.44	98.56
11.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	5.98	94.02
12.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड	1.70	97.38 XX
13.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	3.40	96.60
14.	एचएमटी लिमिटेड	8.44	91.56
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1.04	98.96
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.24	98.76
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	41.39 X	58.61

1	2	3	4
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लिमिटेड	48.94 X	51.06
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कम्पनी लिमिटेड	9.87	90.13
20.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	24.08	75.92
21.	इण्डियन ऑयल कारपो. लिमिटेड	8.74	91.44
22.	इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लिमिटेड	40.05 X	59.95
23.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.27	99.73
24.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	22.98	76.67 XX
25.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	10.03	89.97
26.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	1.00	99.00
27.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	16.92	53.80 XX
28.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	43.80 X	56.20
29.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड	0.67	99.33
30.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	12.85	87.15
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.35	97.65
32.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	1.62	96.36 XX
33.	नेवेली लिग्नाईट कारपो. लिमिटेड	6.01	93.99
34.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	3.86	96.14
35.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	7.50	92.50
36.	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	19.88	80.12
37.	राज्य व्यापार निगम	8.97	91.03
38.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	14.18 X	85.82
39.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	33.04 X	66.96

X सार्वजनिक निगम/जी.डी.आर. निगम द्वारा सरकार की शेयरधारिता को कम करना शामिल है।

XX शेष इक्विटी राज्य सरकार/अन्य सहयोगियों द्वारा धारित है।

कार्यपालकों (एक्जिक्यूटिव) को टेलीफोन सुविधाएं

440. श्री बेनी प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिए गठित पांचवें वेतन आयोग ने सभी कार्यपालकों (एक्जिक्यूटिव) अर्थात् रुपए 8000-13500 और उससे अधिक के वेतनमान वाले सभी अधिकारियों को टेलीफोन सुविधाएं देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिश पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) इस मामले में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश की जांच की गयी और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी व्यय में किफायत को ध्यान में रखते हुए 8000-13,500 रुपये और उससे अधिक वेतनमान के सभी अधिकारियों को इस सुविधा का विस्तार न किया जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था

441. प्रो० पी.जे. कुरियन :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-96 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गतिशीलता समाप्त हो गई है और अब उसमें मंदी का रुख आ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषकर खाद्य उत्पादन, सामाजिक और वास्तविक बुनियादी ढांचे और जल संसाधनों आदि के क्षेत्र में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निम्न प्रकार थी:

वर्ष	स.घ.उ. की वृद्धि दर
1991-92	0.8
1992-93	5.3
1993-94	6.2
1994-95	7.8
1995-96	7.2
1996-97	7.5

वर्ष 1997-98 में स.घ.उ. की वृद्धि में तीव्र गिरावट आई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 1997-98 में स.घ.उ. की वृद्धि पांच प्रतिशत होने की संभावना है।

(ख) और (ग) अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में सुधार प्रक्रिया को जारी रखने, उस का पुनःमूल्यांकन करने तथा उसे पुनःसक्रिय करने व अंतिम लक्ष्य के रूप में गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी हटाओ के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास प्रयासों को मानवीय रूप देने के सरकार के निश्चय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसे अवसंरचना विशेष कर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के तीव्र विकास तथा कृषि में अधिक निवेश से प्राप्त किया जाएगा।

चीनी मिलों को लाइसेंस

442. श्री राम पाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान, राज्यवार, कुल कितनी चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) चीनी मिलों को लाइसेंस जारी करने के लिए क्या मानदंड नियत किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के तहत विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए कुल 54 आशय पत्र (46 नये एककों को स्थापित करने के लिए तथा 8 पर्याप्त विस्तार कार्य करने के लिए) जारी किये गये थे। वर्ष 1997-98 के दौरान चीनी के विनिर्माण के लिए जारी किये गये आशय पत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्र सरकार इस मंत्रालय के प्रेस नोट संख्या 1 (1997 श्रृंखला) के तहत जारी लाइसेंस नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार चीनी कारखानों के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करती है। प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान चीनी के विनिर्माण के लिए जारी किए गये आशय-पत्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	नये एकक	पर्याप्त विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	01	0	01
2.	बिहार	04	01	05
3.	गुजरात	02	02	04
4.	हिमाचल प्रदेश	02	0	02
5.	जम्मू तथा कश्मीर	01	0	01
6.	कर्नाटक	11	0	11
7.	मध्य प्रदेश	09	0	09
8.	पंजाब	0	01	01
9.	तमिलनाडु	04	02	06
10.	उत्तर प्रदेश	12	02	14
	कुल	46	08	54

विवरण-II

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग

प्रेस नोट संख्या 1
(1997 श्रृंखला)

विषय : *चीनी कारखानों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश*

भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 8 नवम्बर, 1991 के प्रेस नोट संख्या 16 (1991) के तहत जारी नये चीनी कारखानों तथा विद्यमान चीनी कारखानों के विस्तार के लाइसेंस के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा की है। आर्थिक उदारीकरण सरल और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन जो पिछले वर्षों में चीनी उद्योग में हुए हैं, के कारण कारोबार परिदृष्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए विद्यमान दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है। उपुर्यक्त प्रेस नोट के प्रतिस्थापन में, सरकार ने अब निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश बनाये हैं :

(1) नये चीनी कारखानों के लिए 2500 टन गन्ना प्रतिदिन पिराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता हेतु लाइसेंस दिया जाना जारी रहेगा। ऐसी क्षमता पर अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(2) लाइसेंस देने में प्राथमिकता उन प्रस्तावों को दी जायेगी जिनमें अधिक क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धित उत्पादों और विद्युत का सह सृजन करने वाले एकीकृत काम्पलेक्सों का विकास अंतर्ग्रस्त है।

(3) आवेदन पर विचार करने के लिए राजस्व जिले को एकक के रूप में लिया जायेगा। यदि संचालन की किसी एकक के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, जबकि उनकी अन्य सब चीजें समान हैं, तो पहले प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) नये चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस इस शर्त पर दिये जायेंगे कि प्रस्तावित नये चीनी कारखाने तथा विद्यमान/पहले से ही लाइसेंस प्राप्त चीनी कारखाने के बीच दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(5) नये चीनी एककों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए मूल मानदण्ड गन्ने की उपलब्धता अथवा गन्ने के विकास हेतु संभाव्यता अथवा दोनों होना चाहिए।

(6) अन्य चीजें समान रहते हुए, ग्रोवर कोआपरेटिव सोसाइटिज के प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जायेगी। फिर भी, ऐसी किसी कोआपरेटिव को जारी औद्योगिक लाइसेंस किसी अन्य हस्ती को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते हैं।

(7) विद्यमान कारखानों के विस्तार के लिए सभी आवेदन स्वतः ही निपटाए जाएंगे।

(8) नये चीनी कारखाना की स्थापना के साथ-साथ विद्यमान एककों के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र 2500 रुपये की निर्धारित फीस के साथ फार्म आई.एल. में औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.), औद्योगिक नीति और सवंर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। लाइसेंस की मंजूरी हेतु प्राप्त आवेदन औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा खाद्य विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजे जायेंगे। यदि खाद्य विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ-शासित क्षेत्र से कोई टिप्पणी, उनसे पूछे गये टिप्पणी की तिथि के पश्चात एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तत्पश्चात् लाइसेंसिंग समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पर विचार करेगी तथा उचित सिफारिश करेगी।

(ख) ऊपर दिये गये प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश उद्यमियों की जानकारी में उनकी सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाये गये हैं।

ह0/- 10.1.97
(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फा. सं. 10 (20)/96-एल पी नई दिल्ली, जनवरी, 1997

उपर्युक्त प्रेस नोट के विषय वस्तु को अधिक प्रचार देने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो को अग्रेषित।

प्रेस सूचना अधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली।

फसल बीमा योजना

443. श्री अशोक अर्गल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा योजना में सभी किसानों चाहे उन्होंने ऋण लिया है अथवा नहीं, द्वारा अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोले जाने संबंधी कोई प्रावधान है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे खातों को खोले जाने से मना कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ग्राम पंचायतों को फसल बीमा योजना की एक इकाई के रूप में मान लिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या गत पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत-वार आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(च) यदि नहीं, तो किसानों को बीमा तथा लाभ किस आधार पर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नाबार्ड के ऋण

444. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 के दौरान केरल राज्य को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1997-98 के दौरान केरल राज्य को पुनर्वित्तयन करना समाप्त

नहीं किया है। हालांकि, 1996-97 के वर्ष के दौरान केरल राज्य सहकारी बैंक (के.एस.सी.बी.) और केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (के.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) को 1 मार्च, 1997 से 27 मार्च, 1997 तक की एक अल्पावधि के लिए पुनर्वित्तयन समाप्त किया था। नाबार्ड और राज्य सरकार/राजकीय सहकारी बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के एक करारनामे के अनुसार के.एस.सी.बी. और के.एस.सी.ए.आर.डी.बी. के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों को बदलने से पहले उन्हें नाबार्ड से परामर्श करना होता है। के.एस.सी.बी. और के.एस.सी.ए.आर.डी.बी. दोनों को सभी ऋणों का पुनर्वित्तयन करना रोक लिया गया था। क्योंकि राज्य सरकार ने इस शर्त को पूरा नहीं किया था। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा और उनके द्वारा दिए गए इस आश्वासन के साथ कि वे नाबार्ड के समझौता ज्ञापन के सभी करारनामों के अनुरूप कार्य करेंगे, 28 मार्च, 1997 से पुनर्वित्तयन सुविधाएं फिर से प्रारंभ कर दी गईं।

सामूहिक बीमा योजना

445. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार इस योजना के अंतर्गत अनुकंपा के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई और इससे कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस स्कीम का उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता/वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने, व्यक्ति के परिवार को बीमा कवच प्रदान करना है। यह स्कीम 1.4.1988 से कार्यान्वित है। इस स्कीम को वित्तपोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अलग से एक कोष की स्थापना की गई है। यह स्कीम जिला परिषद् के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से प्रशासित की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1.4.1988 के पश्चात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आर्थिक सहायता/वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने वाले 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी व्यक्तियों को इस स्कीम के अन्तर्गत कवच प्रदान किया जाता है। 1.1.1994 से पहले प्राकृतिक मृत्यु के मामले में देय राशि 3,000 रुपये थी और दुर्घटना से मृत्यु के मामले में यह राशि 6,000 रुपये थी और 1.1.1999 से यह बढ़ाकर क्रमशः 5,000 रुपये और 10,000 रुपये की गई है। लाभभोगी से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के साथ स्थापित कोष में से उपर्युक्तानुसार अदा किया जाता है। यह बीमा कवच पांच वर्ष की समाप्ति पर अथवा लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि दुर्घटना से हुई मृत्यु के दावों सहित (और उससे लाभान्वित व्यक्तियों) की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि
1995-96	11.251	5.12 करोड़ रुपए
1996-97	9.251	5.21 करोड़ रुपए
1997-98*	8,314	4.09 करोड़ रुपए

* आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि अन्तिम आंकड़े संकलन की प्रक्रिया में हैं।

राज्यवार सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अदा किए गए बेसिक बीमा कवच के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित व्यक्ति की संख्या			अदा किए गए मुआवजे की राशि (दुर्घटना मृत्यु दावे की राशि को छोड़ कर)		
		1.1.94 से पूर्व	1.1.94 से	जोड़	1.1.99 से पूर्व	1.1.99 से	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	15	46	61	45	230	275
2.	हिमाचल प्रदेश	3	7	10	9	35	44
3.	जम्मू और कश्मीर	7	13	20	21	65	86
4.	राजस्थान	87	390	477	261	1950	2211
5.	पंजाब	90	17	107	270	85	355
6.	चण्डीगढ़	9	30	39	27	150	177
7.	दिल्ली	0	11	11	0	55	55
8.	मध्य प्रदेश	464	1821	2285	1392	9105	10497
9.	उत्तर प्रदेश	184	1775	1959	552	8875	9427
10.	असम	9	55	64	27	275	302
11.	बिहार	107	212	319	321	1060	1381
12.	उड़ीसा	83	329	412	249	1645	1894
13.	पश्चिम बंगाल	133	369	502	399	1845	2244
14.	अरुणाचल प्रदेश	5	15	20	15	75	90
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0

1 2	3	4	5	6	7	8
16. मेघालय	0	0	0	0	0	0
17. मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18. नागालैंड	1	1	2	3	5	8
19. सिक्किम	0	0	0	0	0	0
20. त्रिपुरा	80	8	96	264	40	304
21. अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
22. केरल	59	552	611	177	2760	2937
23. तमिलनाडु	92	202	294	276	1010	1286
24. आंध्र प्रदेश	60	390	458	180	1950	2130
25. कर्नाटक	107	333	440	321	1665	1986
26. गोवा	1	0	1	3	0	3
27. गुजरात	618	908	1526	1854	4540	6394
28. महाराष्ट्र	355	1182	1537	1065	5910	6975
जोड़	2583	8666	11251	7755	43330	51085

अदा किए गए दावों की कुल राशि 5.12 करोड़ रुपए (दुर्घटना हुई मृत्यु के दावों की राशि सहित)

टिप्पणी : (1) 1.1.1994 से पूर्व के दावों के संबंध में अदा किया गया बेसिक बीमा 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति था और 1.1.1994 से आगे के दावों के लिए यह 5,000 रुपये था।

(2) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दुर्घटना से हुई मृत्यु के दावों की राशि राज्यवार उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अदा किए गए बेसिक बीमा कवच के राज्य वार ब्यौरे

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित व्यक्ति की संख्या			अदा किए गए मुआवजे की राशि (दुर्घटना मृत्यु दावे की राशि को छोड़ कर)		
		1.1.94 से पूर्व	1.1.94 से	जोड़	1.1.99 से पूर्व	1.1.99 से	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	4	69	73	12	343	357
2.	हिमाचल प्रदेश	1	6	7	3	30	33
3.	जम्मू और कश्मीर	5	11	16	15	55	70
4.	राजस्थान	34	426	460	102	2130	2232
5.	पंजाब	10	71	81	30	355	385
6.	चण्डीगढ़	7	28	35	21	140	161
7.	दिल्ली	0	15	15	0	74	74
8.	मध्य प्रदेश	125	2583	2708	375	12915	13290
9.	उत्तर प्रदेश	80	1414	1494	240	7070	7310
10.	असम	5	111	116	15	555	570
11.	बिहार	35	131	166	105	655	760
12.	उड़ीसा	34	352	386	102	1760	1862
13.	पश्चिम बंगाल	109	515	624	327	2575	2902
14.	अरुणाचल प्रदेश	7	8	15	21	40	61
15.	मणिपुर	0	1	1	0	5	5
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
20.	त्रिपुरा	4	14	18	12	70	82
21.	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
22.	केरल	38	535	573	114	2675	2789
23.	तमिलनाडु	35	219	254	105	1095	1200
24.	आंध्र प्रदेश	17	319	336	51	1595	1641
25.	कर्नाटक	36	361	397	108	1805	1913
26.	गोवा	0	5	5	0	25	25
27.	गुजरात	13	490	503	39	2450	2489
28.	महाराष्ट्र	106	842	948	318	4210	4528
	जोड़	705	8526	9231	2115	42630	44745

अदा किए गए दावों की कुल राशि 5.27 करोड़ रुपए (दुर्घटना हुई मृत्यु के दावों की राशि सहित)

टिप्पणी : (1) 1.1.1994 से पूर्व के दावों के संबंध में अदा किया गया बेसिक बीमा 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति था और 1.1.1994 से आगे के दावों के लिए यह 5,000 रुपये था।

(2) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दुर्घटना से हुई मृत्यु के दावों की राशि राज्यवार उपलब्ध नहीं है।

विवरण-III

वर्ष 1997-98 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अदा किए गए बेसिक बीमा कवच के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित व्यक्ति की संख्या			अदा किए गए मुआवजे की राशि (दुर्घटना मृत्यु दावे की राशि को छोड़ कर)		
		1.1.94 से पूर्व	1.1.94 से	जोड़	1.1.99 से पूर्व	1.1.99 से	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	2	36	38	6	180	186
2.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	10	10
3.	जम्मू और कश्मीर	1	4	5	3	20	23
4.	राजस्थान	14	450	464	42	2250	2292
5.	पंजाब	0	58	58	0	290	290
6.	चण्डीगढ़	1	40	41	3	200	203
7.	दिल्ली	0	5	5	0	25	25
8.	मध्य प्रदेश	60	2771	2839	204	13855	14059
9.	उत्तर प्रदेश	23	1004	1027	69	5020	5089
10.	असम	1	111	112	3	555	558
11.	बिहार	13	71	84	39	355	394
12.	उड़ीसा	19	328	347	57	1640	1697
13.	पश्चिम बंगाल	58	384	442	174	1920	2094
14.	अरुणाचल प्रदेश	0	7	7	0	35	35
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
20.	त्रिपुरा	0	15	15	0	75	75
21.	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
22.	केरल	9	537	546	27	2685	2712
23.	तमिलनाडु	17	242	259	51	1210	1261
24.	आंध्र प्रदेश	6	139	145	18	695	713
25.	कर्नाटक	7	384	391	21	1920	1941
26.	गोवा	0	2	2	0	10	10
27.	गुजरात	7	441	448	21	2205	2226
28.	महाराष्ट्र	71	966	1037	13	4830	5043
	जोड़	317	7997	8314	951	39985	40936

अदा किए गए दावों की कुल राशि 4.09 करोड़ रुपए (दुर्घटना हुई मृत्यु के दावों की राशि सहित)

टिप्पणी : (1) 1.1.1994 से पूर्व के दावों के संबंध में अदा किया गया बेसिक बीमा 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति था और 1.1.1994 से आगे के दावों के लिये यह 5,000 रुपये था।

(2) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दुर्घटना से हुई मृत्यु के दावों की राशि राज्यवार उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

446. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक योजना के अंतर्गत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सरकार द्वारा 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु एवं अति लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति में खादी तथा ग्रामीण उद्योगों और लघु एवं अति लघु उद्यमों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है ताकि वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। उस नीति के अनुसरण में एकीकृत और अवसरंचनात्मक विकास केन्द्रों की एक नई स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन तथा उनका विकास करना है जैसे आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में स्थानों, बिजली, पानी, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि का विकास। अब तक 40 केन्द्र मंजूर किए जा चुके हैं और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों की राज्यवार अवस्थितियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। खादी और ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण स्कीमें हाथ में ली गई थी, नामतः ग्रामीण रोजगार सामान्य कार्यक्रम, सीमांत धन योजना और कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट।

खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग ने जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 71 जिलों (विवरण-II) का पता लगाया है। इस आयोग ने, खादी तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करके इन ब्लॉकों के प्रत्येक ब्लॉक में 1000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु 125 आर.पी.डी. पिछड़े ब्लॉकों का भी पता लगाया है। (विवरण-III) खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग की सीमांत धन योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है और सभी खादी तथा ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट भी उपलब्ध हैं।

आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में ये कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और वहां रह रहे लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। लाभप्राप्त लोगों की राज्यवार संख्या विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

आई.आई.डी. केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	परियोजना स्थल का नाम (स्वीकृति की तारीख)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	गॉव नन्दीयाल जिला मण्डल, कुरूनुल (24.6.1994)
2.	आन्ध्र प्रदेश	गॉव गजुलारामरम जिला रंगरेड्डी, आंध्र प्रदेश (30.3.98)
3.	असम	गांव दलगांव, जिला दारंग (6.5.97)
4.	गुजरात	गांव मिंयानी, जिला जूनागढ़ (25.3.94)
5.	गुजरात	गॉव राधनपुरा, जिला बंसकुंठा, गुजरात (3.3.1998)
6.	हरियाणा	गांव खिरपुर, जिला सिरसा (25.3.94)
7.	हरियाणा	भिवानी, जिला भिवानी (6.5.97)
8.	हरियाणा	नरवाणा, जिला जिंद (6.5.1997)
9.	हिमाचल प्रदेश	गांव भामला, तहसील जिला मण्डी (11.12.95)
10.	हिमाचल प्रदेश	गांव ग्वालथाई, जिला विलासपुर (6.5.97)
11.	जम्मू तथा कश्मीर	गांव बट्टल बैलेन, जिला उधमपुर (24.6.94)
12.	कर्नाटक	गांव कनबारर्गी, जिला बेलगम (25.3.94)
13.	कर्नाटक	गॉव अलियाबाद, जिला बिजापुर (20.6.96)
14.	कर्नाटक	गॉव मालूर, जिला कोलार (6.5.97)
15.	केरल	गॉव खाजाकोट्टम, जिला त्रिवेन्दरम (24.6.94)
16.	केरल	गॉव अरनकोली एण्ड कथीरर जिला कन्नूर (6.5.97)
17.	महाराष्ट्र	गॉव घटोडी पुसाद, ताल्लुक, जिला योवतमाल (24.9.94)
18.	मध्य प्रदेश	गॉव नाडल टोला जिला सतना (11.12.95)
19.	मध्य प्रदेश	गॉव बन्दोल जिला सियोनी (6.5.97)
20.	मणिपुर	गॉव मौरिस जिला चन्देल, (6.5.97)
21.	उड़ीसा	गॉव मुकंद प्रशासद, जिला खुर्दा (20.6.1996)
22.	उड़ीसा	पातम महल, जिला रायगढ़ा उड़ीसा (3.3.1998)
23.	उड़ीसा	प्रदीप, कजुंगा, तहसील जगजीतसिंह, पुर जिला (30.3.1998)
24.	पंजाब	गांव धनचला, जिला जांस ब्लाक टाण्डा, जिला, होशियारपुर, (23.11.1994)
25.	राजस्थान	गॉव सगरिया, जिला जौदपुर (25.3.94)
26.	राजस्थान	गॉव गोगेलाऊ तहसील, जिला नागौर (8.3.97)

1	2	3
27.	राजस्थान	मनिवाई, जिला टोंक (30.3.98)
28.	तमिलनाडु	गॉव उरंगमपेट, जिला, मदुराई (23.11.1994)
29.	तमिलनाडु	गॉव काट्टमपलायम, जिला कोयम्बटूर, (20.6.96)
30.	तमिलनाडु	गॉव थिरूमुदिवक्का चेंगई नगर, जिला (18.3.1997)
31.	तमिलनाडु	गॉव कटॅटूर एवादी ब्लाक चेंगई एमजीआर जिला (18.3.1997)
32.	उत्तर प्रदेश	कसना तहसील, जिला सिकन्दराबाद, बजल बुलंदशहर (24.3.1995)
33.	उत्तर प्रदेश	गॉव उन्नाव हिला, उन्नाव (20.6.1996)
34.	उत्तर प्रदेश	गॉव कोटवेन, जिला मथुरा (20.6.96)
35.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य, औद्योगिक विकास क्षेत्र (18.3.97)
36.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिले में नैनी (30.3.98)
37.	उत्तर प्रदेश	दशसरा खुर्जा, जिला बुलंदशहर (3.3.98)
38.	उत्तर प्रदेश	गॉव बबराला जिला बदाऊ (30.3.98)
39.	दमन तथा दीव	रिंगवाडे गॉव दमन दीव संघ शासित क्षेत्र (24.3.95)
40.	दादर तथा नागर हवेली	गॉव वेल्लीजीयम दादर तथा नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र (24.3.95)

विवरण–II

जिला विशेष कार्यक्रम हेतु पहचान किए गए जिले

I. आन्ध्र प्रदेश
   1. कुरनूल
   2. आदिलाबाद
   3. मेहबूब नगर
   4. प्रकासम
   5. करीमनगर
   6. ईस्ट गोदावरी
   7. श्रीकाकुलम

II. अरुणाचल प्रदेश
   8. चगलंग

III. असम
   9. मरीगॉव
   10. लखीमपुर

IV. बिहार
   11. सहरसा
   12. गोड्डा
   13. मधुबनी
   14. गया

V. गुजरात
   15. बनासकांठा
   16. पंचमहल
   17. कच्छ

VI. हिमाचल प्रदेश
   18. चम्बा
   19. कुल्लू एंव मण्डी

VII. हरियाणा
   20. रेवाड़ी, अम्बाला

VIII. जम्मू एवं कश्मीर
   21. अनंत नाग
   22. जम्मू

IX. कर्नाटक
   23. कोलर
   24. रायचुर
   25. धारवाड
   26. चित्रदुर्ग

X. केरल
   27. एल्लेप्पी
   28. रेथनमथीट्टा
   29. त्रिचूर
   30. कोजीकोडे-वन्नड

XI. मध्य प्रदेश
   31. सरगुजा

32. भिन्ड
33. गुना
34. रायपुर
35. झाबुआ-धार
36. बेतूल

XII. महाराष्ट्र

37. चन्द्रपुर
38. यवतमाल
39. राजगढ़-रत्नागिरी
40. बीड
41. नादेड़

XII मणिपुर

42. इम्फाल

XIV. मेघालय

43. ईस्ट गारो हिल्स
वेस्ट गारो हिल्स
साउथ गारो हिल्स

XV. मिजोरम

44. लुंगलावी एवं रिजवाल

XVI नागालैण्ड

45. दीमापुर एवं कोहिमा

XVII. उड़ीसा

46. कालाहांडी
47. फूलबनी-कोरापुट
48. धेनकानाल-केन्द्रपाड़ा

XVIII. पंजाब

49. होशियारपुर

XIX राजस्थान

50. दौसा
51. टोक
52. उदयपुर
53. जयपुर

XX. त्रिपुरा

54. त्रिपुरा (पश्चिम)

XXI. तमिलनाडु

55. रामनाथपुरम्
56. तिरुनेलबेली
57. धर्मापुरी
58. नार्थ अर्काट
59. साउथ अर्काट

XXII. उत्तर प्रदेश

60. मऊ और बलिया
61. अल्मोड़ा और पिथौरागढ़
62. चमोली और उत्तर काशी
63. मथुरा
64. शाहजहांपुर
65. झांसी
66. जौनपुर

XXIII पश्चिम बंगाल

67. वीरभूम
68. नार्थ 24 परगना एवं
साउथ 24 परगना
69. मालदा
70. नाडिया

XXIV. सिक्किम

71. सिक्किम

विवरण-III

125 प्रखण्ड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पहचान किए गए प्रखण्डों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला	प्रखण्ड
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		
		1. चित्तूर	1. मदनपट्टी
		2. प्रकाशम	2. कनीगिरी
		3. महबूब नगर	3. अचमपेट
		4. अनंतपुर	4. मदकासिरी

1	2	3	4
		5. रंगारेड्डी	5. इब्राहिमपटनम
		6. वारंगल	6. महबूबाबाद
		7. कुडापेह	7. पुलीवेन्डला
विशाखापट्टनम		8. श्रीकाकुलम	8. काडीकुलम
(अे.का.)		9. पश्चिम गोदावारी	9. पोलबरम
		10. विशाखापट्नम	10. पेडरू
2. असम		1. कामरूप	1. रंगिया
		2. डिब्रूगढ़	2. कोकोपठार
		3. दारंग	3. अदलगिरी
		4. गोलपाड़ा	4. मटिया
		5. लखीमपुर	5. बिहपुरिया
3. अरुणाचल प्र0		1. लोअर सुवनसारी	1. किमिनलेईमुख
4. बिहार (पटना)		1. दुमका	1. आमा
		2. रोहतास	2. चनारी
		3. साहबगंज	3. बोरियो
		4. जमुई	4. लक्ष्मीपुर
		5. सिभार	5. सिभार
		6. पश्चिम चम्पारण	6. गौन्डा
राची (अे.का.)		7. रांची	7. बेरो
		8. पश्चिम सिंहभूम	8. चाइबासा
		9. पालामऊ	9. चांदन
		10. गुमला	10. रायडीह
		11. लोहरदगा	11. सेनहा
5. गुजरात		1. वलसाढ़	1. धरमपुर
		2. सूरत	2. पलसाना
		3. राजकोट	3. जसदान
		4. साबरकंठा	4. मेगराज
		5. भावनगर	5. साबर कुंडला
		6. सुरेन्द्र नगर	6. देसावा
6. हरियाणा		1. हिसार	1. आदमपुर
		2. महिन्द्रगढ़	2. नागल चौधरी
		3. अम्बाला	3. नारायणगढ़

1	2	3	4
7. हिमाचल प्रदेश		1. शिमला	1. रामपुर
		2. कांगड़ा	2. परागपुर
8. ज0 और क0		1. ऊदमपुर	1 रेगासी
9. कर्नाटक		1. गुलबर्गा	1. अलंद
		2. बेलगाम	2. अथनी
		3. मैसूर	3. यलंदर
		4. चित्रदुर्ग	4. होलाकेरी
		5. बिदर	5. बालबल्वान
		6. राचुर	6. कुस्तागी
10. केरल		1. त्रिवेन्द्रम	1. पक्कडबाला
		2. महापुरम	2. बेलान्द
		3. त्रिचूर	3. चन्दूर
			4. पझानूर
11. महाराष्ट्र		1. खोलापुर	1. मंगल बाड़ा
		2. बीड़	2. केज
		3. मासिक	3. मालेगांव
		4. पुणे	4. जुन्नर
वर्धा (अे.का.)		5. भण्डारा	5. सालेकासा
		6. नागपुर	6. रामटेक
		7. यवतमाल	7. कालम्ब
		8. अमरावती	8. चिखलधारा
		9. वर्धा	9. सेलू
12. मध्य प्रदेश		1. रायपुर	1. मणिपुर
		2. होशंगाबाद	2. हरदा
		3. मुरैना	3. विजयपुर
		4. देवास	4. बागली
		5. बिलासपुर	5. पाली
		6. बालाघाट	6. कोटा
		7. रतलाम	7. बशहर
		8. छिंदवाड़ा	8. रतलाम
		9. सिद्धी	9. चौराई
		10. रायगढ़	10. कुलमी

1	2	3	4
		11. बस्तर	11. पारगड़ा
		12. खारेगांव	12. जगदलपुर
		13. दुर्ग	13. पानसेमन
		14. गुना	14. बालडू
			15. चचोड़ा
13.	मिजोरम	1. मिजोरम	1. मिजोरम
14.	नागालैण्ड	1. कोहिमा	1. मेजीफेमा
15.	राजस्थान	1. बाड़मेर	1. बातोतरा
	बीकानेर	2. बीकानेर	2. कोलायत
	(क्षे.का.)	3. चुरू	3. बीकानेर
	जयपुर	4. डूंगरपुर	4. तारानगर
	(रा.का.)	5. जैसलमेर	5. शिमलावाडा
		6. सीकर	6. साम
		7. बांसवाड़ा	7. नीम का थाना
			8. भाटोत
16.	तमिलनाडु	1. कामराजार	1. नारुकुडी
	मदुराई	2. चिदबरनगर	2. विलांगपुरम
	(क्षे.का.)	3. पी.एम.थेवर	3. सिगावपुनेरी
		4. धरमपुर	4. बारगढ़
	मद्रास	5. नार्थ अर्काट	5. जावडू हिल्स
	(रा.का.)	(अंबेडकर)	
17.	उत्तर प्रदेश		
	हलद्वानी	1. नैनीताल	1. गदरपुर
	(क्षे.का.)	2. अल्मोड़ा	2. तालुका
		3. पिथोरागढ़	3. पाती
		4. झांसी	4. मुरानीपुर
	लखनऊ	5. हमीरपुर	5. मुखान
	(रा.क्षे.)	6. ललितपुर	6. विरधा
		7. खेरी	7. बीजू
		8. बल्हा	8. बल्हा
	देहरादून	9. चमोली	9. उखिमठ
	(क्षे.का.)		
	वाराणसी	10. मिर्जापुर	10. छावी
	(क्षे. का.)		

1	2	3	4
	मेरठ	11. गाजियाबाद	11. राजापुर
	(क्षे. का.)		
18.	पंजाब	1. संगरूर	1. लेहर गागा (एनआरपीडीएस)
19.	उड़ीसा	1. संभलपुर	1. पैकमल
		2. बालासार	2. नीलगिरी
		3. मयूरभंज	3. बादशाही
		4. कोरापुट	4. लक्ष्मीपुर
		5. क्योंझर	5. घाटम
		6. बौध	6. कन्तमल
		7. सुन्दरगढ़	7. साबडेगा
		8. गुजापती	8. गुर्मा
		9. बोलनगिरी	9. पाटनगढ़
20.	त्रिपुरा	1. पश्चिम त्रिपुरा	1. मोहनपुर
21.	पश्चिम बंगाल	1. बांकुरा	1. रानीबंध
		2. मिदनापुर	2. झारग्राम
		3. पुरूलिया	3. रघुनाथपुर
		4. मुर्शिदाबाद	4. सागरदिधो
		5. बर्दवान	5. औसग्रम-1
		6. मालदा	6. हबीबपुर
		7. उत्तर दिनाजपुर	7. करंदीपी
		8. 24 परगना	8. केनिंग
		9. जलपाईगुड़ी	9. अलीपुरदार
22.	मेघालय	1. पश्चिम गारोहिल्स	1. सेल सेलया
23.	लक्षद्वीप	1. लक्षद्वीप	1. लक्षद्वीप
24.	गोवा	1. उत्तर जिला	1. उत्तर जिला
25.	मणिपुर	1. चूराचन्दपुर	1. थांगलांग
		2. उखरुल	2. कामजोंग
26.	अंडमान एवं निकोबार	1. अंडमान एवं निकोबार	1. अंडमान एवं निकोबार

विवरण-IV

राज्यवार लाभान्वित लोगों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	1.13
4.	बिहार	3.50
5.	गोवा	0.05
6.	गुजरात	1.07
7.	हरियाणा	0.95
8.	हिमाचल प्रदेश	0.93
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0.85
10.	कर्नाटक	1.98
11.	केरल	2.12
12.	मध्य प्रदेश	1.25
13.	महाराष्ट्र	4.76
14.	मणिपुर	0.43
15.	मेघालय	0.13
16.	मिजोरम	0.11
17.	नागालैण्ड	0.16
18.	उड़ीसा	2.05
19.	पंजाब	1.85
20.	राजस्थान	4.06
21.	सिक्किम	0.04
22.	तमिलनाडु	11.38
23.	त्रिपुरा	0.26
24.	उत्तर प्रदेश	11.61
25.	पश्चिम बंगाल	3.61
	योग	57.89
1	2	3	4
---	---	---	---
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह		–
2.	चंडीगढ़		0.03
3.	दादर तथा नगर हेवली		–
4.	दमन तथा दीव		–
5.	दिल्ली		0.21
6.	लक्षद्वीप		–
7.	पांडिचेरी		0.04
	योग		0.28
	कुल योग		58.17

* 500 से कम।

खादी के कार्य निष्पादन का सारांश - 1996-97

(रोजगार लाख में)

क्र.सं.	राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	रोजगार
1	2	3
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	0.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	*
3.	असम	0.20
4.	बिहार	2.20
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	0.54
7.	हरियाणा	0.52
8.	हिमाचल प्रदेश	0.16
9.	जम्मू और कश्मीर	0.25
10.	कर्नाटक	0.43
11.	केरल	0.14
12.	मध्य प्रदेश	0.27
13.	महाराष्ट्र	0.18
14.	मणिपुर	

1	2	3
15.	मेघालय	+
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैण्ड	+
18.	उड़ीसा	0.02
19.	पंजाब	0.93
20.	राजस्थान	1.26
21.	सिक्किम	+
22.	तमिलनाडु	0.87
23.	त्रिपुरा	+
24.	उत्तर प्रदेश	5.59
25.	पश्चिम बंगाल	0.96
	योग	14.76
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
2.	चंडीगढ़	–
3.	दादरा और नगर हवेली	–
4.	दमन और दीव	–
5.	दिल्ली	0.02
6.	लक्षद्वीप	–
7.	पांडिचेरी	0.01
	योग	0.03
	कुल योग	14.79

* 500 से कम।

ग्राम उद्योगों के कार्य-निष्पादन का सारांश

(रोजगार लाख में)

क्र.सं.	राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	रोजगार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	+
3.	असम	0.93
4.	बिहार	1.21
5.	गोवा	0.05
6.	गुजरात	0.50
7.	हरियाणा	0.93
8.	हिमाचल प्रदेश	0.77
9.	जम्मू और कश्मीर	0.60
10.	कर्नाटक	1.55
11.	केरल	1.40
12.	मध्य प्रदेश	0.98
13.	महाराष्ट्र	4.50
14.	मणिपुर	0.43
15.	मेघालय	0.13
16.	मिजोरम	0.11
17.	नागालैंड	0.16
18.	उड़ीसा	2.03
19.	पंजाब	0.92
20.	राजस्थान	2.80
21.	सिक्किम	0.04
22.	तमिलनाडु	10.51
23.	त्रिपुरा	0.26
24.	उत्तर प्रदेश	5.92
25.	पश्चिम बंगाल	2.95
	योग	43.13
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	+
2.	चंडीगढ़	0.03
3.	दादरा और नगर हवेली	–
4.	दमन और दीव	–
5.	दिल्ली	0.09
6.	लक्षद्वीप	
7.	पांडिचेरी	0.03
	योग	0.25
	कुल योग	43.38

* 500 से कम।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की रिक्तियां

447. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में बोर्ड स्तर की रिक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ये पद मार्गनिर्देशों के अनुरूप सामान्य सीमा से अधिक समय से खाली पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर चयन के लिए बोर्ड के कार्यनिष्पादन की गहराई से समीक्षा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 31.3.1998 तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 31 तथा कार्यकारी निदेशकों के 71 पद रिक्त थे।

(ख) सरकार की नीति इन पदों को यथासमय भर लेने की है। किसी पद को रिक्त रखने की अवधि की कोई विनिर्दिष्ट सीमा नहीं है।

(ग) आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

448. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा ऋण-सेवा अनुपात का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रति विदेशी ऋण का अनुपात और चालू प्राप्तियों के प्रति विदेशी ऋण-सेवा का अनुपात (गणना नकद भुगतान तरीके का प्रयोग करके) निम्नानुसार हैं :

वर्ष	स0 घ0 उ0 के प्रति विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण-सेवा अनुपात प्रतिशत
1	2	3
1992-93	39.8	27.5
1993-94	35.8	25.4
1994-95	32.3	25.6
1995-96	28.2	24.8
1996-97	25.9	22.6

सुन्दर वन, पश्चिम बंगाल-पर्यटन स्थल

449. श्री समीक लाहिड़ी : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुन्दर वन (पश्चिम बंगाल) को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने और इसके लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) सुन्दरबन पहले ही एक पर्यटक स्थल है, जहां अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जो हैं - क्रूस जलयानों की खरीद, एक पर्यटक लॉज, एक लांच और पियाली में टैन्ट और प्रेजरगंज में एक पर्यटक लॉज।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश का वस्त्र निर्यात लक्ष्य

450. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग के लिए सन् 2000 ई0 तक 2100 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ने इस उद्देश्य से एक कार्ययोजना तैयार कर ली है परन्तु बुनियादी सुविधाओं का अभाव उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्यवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि, वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अनेक कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती कर पर पूंजीगत सामानों के आयात को सक्षम बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे सामानों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कश्मीर में उद्योग स्थापित करना

451. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में वहां कितने और किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाएंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयला भण्डार

452. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में हुई बैठक में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला भंडार में पाई गई कमी की जांच करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अप्रैल, 1998 तक कोयले के वार्षिक उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास किये गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो कोयला उत्पादन ज्यादा बताये जाने के संबंध में कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) दिनांक 22.8.91 को आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की 118वीं बैठक में, बोर्ड ने ''को.इं.लि. की सभी खानों के कोयला स्टाक के अनुरक्षण, नियंत्रण तथा सत्यापन की समान व्यवस्था हेतु संहिता'' के अंगीकरण को अनुमोदित कर दिया जिसमें पृथक रूप से भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों से सही उत्पादन की सूचना हेतु दिशा निर्देश, उत्पादन, स्टाक आदि के उचित रिकार्ड/रजिस्टर के प्रतिदिन के अनुरक्षण का समाधान तथा इन रिकार्डों के अनुरक्षण के दायित्व का निर्धारण शामिल है।

(ग) को.इं.लि. के इन्वेन्टरी दलों द्वारा कोयला स्टाकों के वास्तविक सत्यापन के पश्चात् वार्षिक कोयला उत्पादन को अंतिम रूप दिया जाता है। यह कार्रवाई पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के तत्काल बाद प्रत्येक वर्ष आरंभ की जाती है।

(घ) कोयला स्टाक में कमी तथा अधिक उत्पादन सूचित किए जाने के मामलों की संख्या, जिनमें भा.को.को.लि. तथा से.को.लि. में कोयला स्टाक में कमी की जांच किए जाने हेतु 2 सरकारी समितियों के गठन की सूचना पर विचार किए जाने के बाद अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, नीचे दी गई है :

की गई कार्रवाई	भा.को.को.लि. मामले	से.को.लि. मामले
सेवा से हटाया जाना	5	-
पदावनति	18	-
निचले ग्रेड में भेजा जाना	11	2
छोटे पैमाने पर दण्ड तथा प्रशासनिक कार्रवाई	30	6
जोड़	64	8

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची

453. श्री रूपचन्द पाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा तैयार की गयी कार्यसूची के प्रति अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे पुनर्परिभाषित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) 18-20 मई, 1998 में जिनेवा में डब्ल्यू टी.ओ. के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री के भाषण के माध्यम से भारत ने डब्ल्यू टी.ओ. के कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। भारत ने संरक्षणवाद तथा एकपक्षीय कार्रवाइयों के बहिष्कार का अनुरोध किया तथा डब्ल्यू टी.ओ. करारों के प्रावधानों के पूर्ण तथा प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। विशेषकर जो विकासशील देशों से उत्पादों को बाजार पहुंच में सुधार से संबंधित हैं। भारत ने यह भी मांग रखी है कि विकासशील देशों को विशेष तथा विशिष्ट व्यवहार प्रदान करने वाले डब्ल्यू.टी.ओ. प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए ताकि विकासशील देशों को इन प्रावधानों को पूरा लाभ मिल सके। भारत की चिंता का डब्ल्यू. टी.ओ. के सदस्यों द्वारा भी समर्थन किया गया जैसा कि सम्मेलन के अंत में जारी मंत्री-स्तरीय घोषणापत्र में प्रदर्शित है।

दसवां वित्त आयोग

454. डॉ० वल्लभ भाई कथीरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय करों के लिये एक ''सिंगल डिवीजिनल

पूल'' बनाने संबंधी प्रस्ताव पर कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसमें राज्यों का हिस्सा 29 प्रतिशत हो;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस विषय में सरकार का क्या निर्णय है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) 17 जुलाई, 1997 को आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद् की तीसरी बैठक में दी गई सर्वसम्मति के आधार पर सरकार ने लगभग सभी केन्द्रीय करों के लिए जिनमें राज्यों का 29 प्रतिशत हिस्सा है, एक एकल विभाज्य पूल का सृजन करने हेतु दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को उनमें मामूली संशोधन करते हुए स्वीकार कर लिया है।

अपेक्षित संविधान संशोधन विधेयक को चालू बजट सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है।

विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सुझाये गये क्षेत्र

455. श्री विजय कृष्ण डाण्डिक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेड्रिड स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व पर्यटन संगठन का विचार भारत के लिये इस वर्ष एक सम्पूर्ण पर्यटन विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संगठन द्वारा प्रस्तुत एक विशिष्ट प्रस्ताव के उत्तर में क्षेत्रीय नियोजन हेतु छः बड़े क्षेत्रों का चयन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित क्षेत्रों और संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) विश्व पर्यटन संगठन ने गोवा और सिंधुदुर्ग क्षेत्र, राजस्थान डेजर्ट ट्राइंगल, केरल में बेकल समुद्र-तट, चेन्नई और पांडिचेरी के साथ जुड़ा हुआ मामल्लापुरम समुद्र-तट क्षेत्र, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में पुरी समुद्र-तट क्षेत्र, में पर्यटन के एकीकृत और नियंत्रित विकास की योजना तैयार करने के लिए एक अध्ययन परियोजना शुरू करने हेतु प्रोग्राम सपोर्ट डाकूमेंट (दस्तावेज सहायता कार्यक्रम) चलाया है। आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग ने वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (यू. एन.डी.पी.) को दस्तावेज भेज दिए थे। तथापि, संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (यू.एन.डी.पी.) ने वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।

निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों के साथ कोयला आपूर्ति हेतु समझौता

456. श्री कमल नाथ : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अथवा इसकी अनुषंगी कंपनियों ने निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों के साथ किसी कोयला आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर के समय कोई काउंटर गारन्टी प्राप्त की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया अथवा इसकी सहायक कंपनियों के द्वारा निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादकों के साथ अब तक कोई कोयला आपूर्ति करार नहीं किया गया है। किन्तु ऐसे करारों को किए जाने के लिए कई आई.पी.पी. के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

एंटी डंपिंग बिल

457. श्री दिलीप संघाणी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटी डंपिंग विधेयक के बनने में हो रही देरी के कारण देश में अखबारी कागज उद्योग को अभूतपूर्व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में जांच संबंधी कार्रवाइयों तथा पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित मामलों के लिए पहले से ही प्रावधान है। यू.एस.ए., कनाड़ा तथा रूस से अखबारी कागज के आयातों के मामले में उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जांच की गई है। अन्तिम निष्कर्ष दिनांक 19.3.98 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के रूप में पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

नाबार्ड की शाखाएं

458. श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्री माधवराव पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 से 1997-98 के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की खोली जाने वाली शाखाओं की राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं, राज्य-वार किन-किन स्थानों पर खोली गईं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान - ''नाबार्ड'' की कुछ और शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि मुम्बई में स्थित उसके मुख्यालय के अलावा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में उसके 26 क्षेत्रीय कार्यालय/उप-कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-कार्यालयों के अलावा नाबार्ड का कोई शाखा कार्यालय नहीं है। तथापि, आरम्भिक स्तर पर ऋण योजना और योजना निर्माण के क्षेत्रों में बैंकों को वित्तपोषित करने के लिए विशेषज्ञ मार्गनिर्देश देने के विशिष्ट उद्देश्य और साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्त विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने वर्ष 1989 में एक व्यक्ति वाले ऐसे जिला कार्यालय खोलकर नवीन उपाय किया था, जिनका कार्यभार जिला विकास प्रबन्धकों (डी.डी.एम.) को दिया गया था। नाबार्ड ने यह उल्लेख कर दिया है कि डी.डी.एम. संस्था एक कार्यालय नहीं है और इसमें सहायक कर्मचारी नहीं हैं। नाबार्ड ने यह भी बताया है कि अब तक जिलों में 234 डी.डी.एम. नियुक्त किए जा चुके हैं।

वर्ष 1995-96 तक और साथ ही वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में खोले गए जिला कार्यालयों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

डी.डी.एम. कार्यालयों की संख्या	पूरा भारत	महाराष्ट्र
वर्ष 1995-96 तक खोले गए	216	19
वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए	18	2
वर्ष 1997-98 के दौरान खोले गए	-	-
योग	234	21

नाबार्ड ने वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों में 25 नए डी.डी.एम. कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। दिनांक 23.5.1998 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के कार्यालयों (डी.डी.एम. कार्यालय सहित) के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

23.05.1998 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के कार्यालयों (जिला विकास प्रबंधकों के कार्यालय सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	जिला विकास प्रबंधकों के अंतर्गत जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	17
2.	असम	गुवाहाटी	11
3.	बिहार	पटना	14
4.	गुजरात	अहमदाबाद	9
5.	गोवा	पणजी	2
6.	हरियाणा	चंडीगढ़	13
7.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	6
8.	जम्मू एंव कश्मीर	जम्मू	2
9.	कर्नाटक	बंगलौर	15
10.	केरल	तिरूवनंतपुरम	13
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	19
12.	महाराष्ट्र	पुणे	19
13.	मेघालय	शिलांग	2
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	11
15.	पंजाब	चंडीगढ़	7
16.	राजस्थान	जयपुर	17
17.	तमिलनाडु	चेन्नई	16
18.	त्रिपुरा	अगरतला	1
19.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	31
20.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	8
21.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	1
	कुल		234

घटिया किस्म का कोयला

459. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की घटिया किस्म तथा कम मात्रा में आपूर्ति के विषय में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जो घटिया तथा कम मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए दोषी पाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) जी, हाँ। कोयला कंपनियों को गुणवत्ता तथा आकार पर उपभोक्ताओं, विशेष रूप से विद्युत गृहों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम किए जाने हेतु, फीडर ब्रेकर की स्थापना कोयले के लदान के समय पर पत्थर को अलग किया जाना, बेहतर पर्यवेक्षण तथा बेहतर लदान हेतु लदान स्थल पर अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को उत्साहित करने जैसे कदम कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। भार संबंधी शिकायतों को कम करने हेतु लदान स्थलों पर इलैक्ट्रानिक वे-ब्रिज भी स्थापित किए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कोयला प्रेषणों/आपूर्ति में गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी शिकायतों के कारण 18 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तथा मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी. एम.) तथा महाप्रबंधक (जी.एम.) सहित आठ अधिकारियों पर तत्काल निलम्बित करके प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई।

एक हजार रुपये के नोट जारी करना

460. श्री चंदूलाल अजमीरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनः एक हजार रुपये के नोट जारी करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस इस संबंध में अन्तिम निर्णय तब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) एक हजार रुपये के नोट जारी करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में प्रर्यटन को प्रोत्साहन

461. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से सुन्दर पर्वतीय स्थल हैं जिनमें देशी और विदेशी पर्यटकों की बहुत रुचि है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन पर्वतीय स्थानों के विकास और संरक्षण हेतु कुछ विशेष प्रयास किए हैं ताकि विदेशी पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ कुछ पर्यटन संबंधी परियोजनाएं भेजी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, हाँ।

(ख) हिमाचल प्रदेश, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और स्कीइंग जैसे साहसिक खेल पर्यटन के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। भारत सरकार, पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को ट्रेकिंग उपकरण, जल क्रीड़ा उपकरण, टेन्ट्स आदि की खरीद के लिए समय-समय पर धनराशि उपलब्ध कराता रहा है। हिमालय (क्षेत्र) में पर्यटन का संवर्धन करते समय नाजुक पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष पर्यटन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, इसके बाद ही राज्य/संघ राज्य सरकारें वित्तीय सहायता के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजती हैं।

वर्ष 1997-98 में हिमाचल प्रदेश के लिए 119.00 लाख रुपए के पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

सोने का आयात

462. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बैंकों को सोना आयात करने और उसे घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के बाद बैंकों से कितना सोना आयात किया गया और घरेलू बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने 21 अक्टूबर, 1997 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों को सोना आयात करने और प्रति 10 ग्राम 220 रुपए की दर से शुल्क अदा करने पर उसे घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी है। उक्त बैंकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. इलाहाबाद बैंक, 2. बैंक ऑफ इंडिया 3. केनरा बैंक, 4. इंडियन ओवरसीज बैंक, 5. ए.बी.एन.-आमरो बैंक, 6. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, 7. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 9. कारपोरेशन बैंक, 10. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और 11. बैंक ऑफ बड़ोदा।

(ग) 31 मार्च, 98 तक बैंको ने घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 182095.8 कि.ग्रा. सोने का आयात किया। इसके कारण घरेलू बाजार में सोने के मूल्य में काफी कमी आई है और सोने के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच अंतर कम हो गया है।

[अनुवाद]

पर्यटकों के लिए गोवा में जल क्रीड़ा

463. श्री रवि सीता राम नायक : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों के लिए गोवा में जल-क्रीड़ा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) जी, हाँ। पर्यटन विभाग ने गोवा में पणजी स्थित करान्जलेम में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थापित किया है जो जल क्रीड़ा क्रियाकलापों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान ने 1600 प्रशिक्षुओं के लिए 100 पाठ्यक्रमों का आयोजन कर लिया है। बीच रिसार्टों पर निजी संचालक भी पर्यटकों के लिए जल क्रीड़ा संबंधी अनेक क्रियाकलाप भी सृजित/उपलब्ध करा रहे हैं।

तस्करी की गई वस्तुओं का जब्त किया जाना

464. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा राज्यवार कितनी तस्करी की गई वस्तुएं तथा विदेशी मुद्रा जब्त की गई;

(ख) वस्तुओं की तस्करी तथा विदेशी मुद्रा संबंधी प्रत्येक मामले में कितनी गिरफ्तारियां की गईं;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान कुछ सीमा शुल्क/एयरलाइनों के अधिकारी भी इन तस्करी के मामलों में शामिल पाए गए;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी पाए गए सीमा शुल्क/एयरलाइनों के अधिकारियों तथा तस्करों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(च) देश में भविष्य में तस्करी की गई वस्तुओं तथा विदेशी मुद्रा के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (च) सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी;

[हिन्दी]

मुम्बई में पर्यटक केन्द्र

465. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई शहर में इस समय कितने पर्यटक केन्द्र हैं;

(ख) क्या अनेक पर्यटक केन्द्र घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पर्यटक केन्द्र द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) मुम्बई शहर में मुख्य पर्यटक स्थल, गेटवे ऑफ इंडिया, राजाबाई टावर, गिरगांव, चौपाटी, हैंगिंग गार्डन्स, मणिभवन, तारापोरवाला एक्वेरियम, प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम, जुहु समुद्रतट, फिल्म सिटी, संजयगांधी राष्ट्रीय पार्क, एस्सेल वर्ल्ड हैं।

(ख) अधिकतर पर्यटक प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र में हैं। मुम्बई शहर में राज्य सरकार ने किसी पर्यटक केन्द्र का विकास नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मूंगफली का निर्यात

466. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मूंगफली के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्यात से मूंगफली तेल के स्वदेशी उत्पादकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने स्वदेशी मूंगफली तेल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण डेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई एच. पी.एस. मूंगफली की कुल मात्रा एवं उसका मूल्य निम्नानुसार है:

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : करोड़ रुपये में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1995-96	118908	230.69
1996-97	143448	313.35
1997-98 (अप्रैल-फरवरी, 1998)	205185	510.00

स्रोत : डीजीसीआईएस

एच.पी.एस. मूंगफली का निर्यात घरेलू उत्पादन के 3 प्रतिशत से कम बैठता है। इस तरह की मूंगफली मात्रा के निर्यातों से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं

467. श्री बच्ची सिंह रावत "बचवा" : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में कोई योजना बनाई गई है और क्या पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कितने पर्यटक केन्द्र स्थापित किये गये हैं और वहां कितने पर्यटकों ने दौरा किया है;

(ग) क्या निकट भविष्य में पर्यटकों को पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों में सुविधा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जानी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित होटलों के मामले में, और जो 1.4.1997 और 31.3.2002 के बीच प्रचालन प्रारम्भ करेंगे, में 50 प्रतिशत की उच्च कर रियायत प्रदान करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की :

1. ऋषिकेष में स्वागत केन्द्र
2. हवाई क्रीड़ा जोरली ग्रांट
3. रिवर राफ्टिंग उपकरण
4. औली के लिए स्की उपकरण
5. जल क्रीडा उपकरण, नानक सागर
6. कुमायूं उत्सव
7. गढ़वाल उत्सव

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार से है:

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी	कुल
1995	1,39,83,000	41,000	1,40,24,000
1996	1,65,44,356	45,220	1,56,89,576
1997	1,62,70,130	47,028	1,63,17,158

(ग) और (घ) पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का उपयोग सामान्यतया गर्मियों में होता है। पर्यटन विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक परिसरों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, कैफेटेरिया, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी की अदायगी

468. श्री लरंग साय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर सरगुजा जिले में विभिन्न कोयला खानों में प्रतिदिन कितना कोयला निकाले जाने का अनुमान है;

(ख) राज्य को दैनिक आधार पर कितनी रायल्टी की अदायगी की जाती है;

(ग) क्या राज्य में रायल्टी की अदायगी के मामले में कुछ अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) को.इं.लि. ने सूचित किया कि सरगुजा जिला मध्य प्रदेश राज्य में है न कि बिहार में। किन्तु, वर्ष 1997-98 के दौरान, मध्य प्रदेश में सरगुजा जिले की खानों में तथा बिहार की खानों में प्रतिदिन खनित कोयले की अनुमानित मात्रा नीचे दी गई है :

(000 टन में)

बिहार की खानों में	245.36
सरगुजा जिले की खानों में	30.35

(ख) को.इं.लि. के अनुसार, राज्य सरकारों को कोयले के प्रेषण हेतु रायल्टी का भुगतान प्रतिदिन के आधार पर न करके मासिक आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. की सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों को अदा की गई रायल्टी का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
पश्चिम बंगाल	7.82	10.87	12.64
बिहार	658.33	682.77	665.24
उड़ीसा	180.79	185.33	237.42
महाराष्ट्र	217.90	200.29	204.79
मध्य प्रदेश	666.77	684.14	663.63
उत्तर प्रदेश	113.50	121.41	102.35
असम	21.59	9.92	6.13
जोड़	1866.70	1894.73	1892.2

(ग) से (ङ) कोयला उत्पादक राज्यों को कोयला कंपनियों द्वारा अदा की जा रही रायल्टी के मामले में बरती जा रही किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना कोयला मंत्रालय की दृष्टि से नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा

469. डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने-कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया; और

(ख) किन-किन वस्तुओं से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान डालर और रुपए के रूप में किए गए निर्यात और आयात का मूल्य निम्नानुसार है :

(यू.एस. मिलियन डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1996-97	33106	38548
1997-98	33980	40779

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1996-97	117525	136844
1997-98	126286	151554

(ख) डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी 97-98 के दौरान सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुएं हैं : वस्त्र, रत्न और आभूषण, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी एवं कृषि तथा सम्बन्ध उत्पाद जो कि निर्यात व्यापार से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा का 76.8 प्रतिशत बनता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण

470. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एन.टी.पी.सी., स्पेक्ट्रम टेक्नोलोजीज और जया फूड इन्डस्ट्रीज द्वारा काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना शुरू करने हेतु परियोजना कंपनी को 100 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण ऋण जारी किया है;

(ख) क्या सरकार ने एन.टी.पी.सी. और स्पेक्ट्रम टेक्नोलोजीज (एन.आर.आई.) की लिखित वचनबद्धता पर कंपनी द्वारा लिए जाने वाले विदेशी ऋणों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने सभी ऋण शर्तों के पूरा किये बिना सार्वजनिक निधि को जोखिम में डाल कर केवल 45 प्रतिशत इक्विटी पर ऋण जारी किया है;

(घ) क्या जया फूड इण्डस्ट्रीज ने मूल प्रवर्तकों, एन.टी.पी.सी. और स्पेक्ट्रम टेक्नोलोजीज (अमेरिका स्थित अप्रवासी भारतीय) को विदेशी साम्य पूंजी जुटाने के कार्य से अलग कर दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या आई.डी.बी.आई. और भारतीय स्टेट बैंक ने पहले ही अनिवार्य शर्तों की उपेक्षा

करके जया फूड इंडस्ट्रीज के लिए प्रवर्तक समझौते का उल्लंघन कर विद्युत क्षेत्र में भावी निवेश को खतरे में डालने का कार्य आसान कर दिया है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिलों की आयकर संबंधी समस्याएं

471. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों ने अपनी आयकर समस्याओं के संबंध में नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के माध्यम से केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चीनी उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इस विषय पर विशेष रूप से की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र स्थित कतिपय सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपने सदस्य उत्पादकों को इसके निमित्त निर्धारित मानक कीमत के अतिरिक्त भुगतान की गई अतिरिक्त गन्ना कीमत पर की जाने वाली कर संबंधी कार्रवाई के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर-निर्धारण अधिकारियों ने आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी अतिरिक्त धनराशि की कटौती के दावे को अस्वीकृत कर दिया है तथा प्रथम अपील न्यायाधिकरण द्वारा उक्त कार्रवाई को उचित ठहराया गया है। अब यह मामला द्वितीय अपील न्यायाधिकरण अर्थात् आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पुणे खंडपीठ के समक्ष लम्बित है।

(ग) और (घ) अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा राजस्व विभाग सांविधिक अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों जब कभी वे प्राप्त होते हैं को मानने के लिए बाध्य है, इसके अलावा इस विभाग ने अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

वैशाली-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र

472. श्री सीता राम यादव :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने/बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस राज्य में उन पर्यटन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत बुद्ध से संबंधित सभी स्थान आते हैं;

(ग) क्या पटना के संग्रहालय में रखा गया महात्मा बुद्ध का पवित्र अस्थिकलश वैशाली में पाया गया है जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र माना जाता है क्योंकि यह विश्व का पहला लिच्छवी गणतंत्र रहा है, तथा महात्मा बुद्ध की कार्यस्थली और उनका जन्म स्थान भी यहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या वैशाली को और सीताजी के जन्म स्थान को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (च) पर्यटन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और यह मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर पर्यटन संरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।

बिहार के बौद्ध परिपथ में आने वाले स्थानों में पटना, बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली सम्मिलित हैं। आठवीं योजना और 1997-98 के दौरान बिहार में बौद्ध परिपथ में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं, बोधगया में पर्यटक स्वागत केन्द्र, गया में यात्रिका, वैशाली महोत्सव, राजगीर उत्सव, वैशाली में पर्यटक परिसर और राजगीर में मन्दिर परिसर का विकास है।

सरकार ने, बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध पर्यटन परिपथों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए, दिसम्बर, 1988 में जापान में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (आईसीएफ) के साथ ऋण करार किया। बिहार के बौद्ध परिपथों में बोधगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली सहित पर्यटन संरचना के विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष की वित्तीय सहायता 249.14 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड

473. श्री अजीत जोगी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के पूर्व इसके कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) राष्ट्रीयकरण के एक दशक के पश्चात् कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयले की विभिन्न श्रेणियों का प्रति टन मूल्य क्या था और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वर्तमान मूल्य क्या है;

(घ) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले की उत्पादन क्षमता और कार्य कुशलता में कितनी वृद्धि हुई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) दिनांक 1.5.1973 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अकोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने की तारीख, उक्त के एक दशक के बाद, अर्थात् 1.4.1983 को तथा 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1.5.1973 की स्थिति के अनुसार	1.4.1983 की स्थिति के अनुसार	1.4.1998 की स्थिति के अनुसार
5,21,167	6,46,318	6,11,689

(ग) राष्ट्रीयकरण से पूर्व विभिन्न ग्रेडों के कोयलों की कीमतों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

अ-कोककर कोयला (30.1.1973) की स्थिति के अनुसार

(रुपये प्रति टन)

ग्रेड	स्टीम	स्लैक
I	34.26	33.23
II	31.59	30.54
III ए	30.04	29.06
III बी	28.89	27.89

कोककर कोयला (19.10.1971) की स्थिति के अनुसार

(रुपये प्रति टन)

स्पेशल इस्पात ग्रेड	45.00
इस्पात ग्रेड I	42.09
इस्पात ग्रेड II	39.87
वाशरी ग्रेड I	38.48
वाशरी ग्रेड II ए	37.35
वाशरी ग्रेड II बी	36.23
वाशरी ग्रेड III ए	35.73
वाशरी ग्रेड III बी	35.23
वाशरी ग्रेड - IV ए	34.23
वाशरी ग्रेड - IV बी	33.23
वाशरी ग्रेड - V ए	31.73
वाशरी ग्रेड - V बी	30.23

विभिन्न ग्रेडों के कोयले की वर्तमान कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) राष्ट्रीयकरण के बाद अकोककर कोयले की मूल कीमत में 16 बार और कोककर कोयले की कीमत में 17 बार संशोधन किया गया है।

(ङ) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन 1974-75 के 78.99 मिलियन टन की तुलना में 1997-98 में उत्पादन 260.68 मि.टन (अनंतिम) हुआ है, जोकि 330 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। प्रतिपाली उत्पादन में भी 333 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

विवरण

कोयले का वर्तमान ग्रेड-वार आर.ओ.एम. निम्न है :

(रुपये प्रति टन में)

कोयले का ग्रेड	इकोलि,सेकोलि और साईकोलि	वेकोलि	भाकोकोलि
1	2	3	4
कोककर कोयला			
इस्पात ग्रेड-I	-	-	1541
इस्पात ग्रेड II	-	-	1287
वाशरी ग्रेड I	1024	1024	1115

1	2	3	4
वाशरी ग्रेड II	848	848	924
वाशरी ग्रेड III	627	765	683
वाशरी ग्रेड IV	584	628	635
अर्द्ध-कोककर I	1024	1024	1075
अर्द्ध-कोककर II	848	848	890

अ-कोककर कोयला	इंकोलि (राजमहल)	इंकोलि (एस.पी. माइन्स मुश्मा और सालनपुर)	मकोलि	भाकोलि सेकोलि माइकोलि नाकोलि	वेकोलि
ए	-	907	828	864	936
बी	-	815	743	776	880
सी	-	670	611	638	819
डी	-	524	504	524	754
ई	559	416	400	416	627
एफ	475	332	319	332	523
जी	380	237	227	237	394

[अनुवाद]

कोयला खानों के ढह जाने से मृत्यु

474. श्री के. येरननायडू : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान आज तक धनबाद में कोयला खानें ढह जाने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) खानों के ढहने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान धनबाद जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत खानों में कोयला खानों के ढह जाने के फलस्वरूप, जो कि मुख्य रूप से छत और दीवालों के ढह जाने के कारण हैं, हुई दुर्घटना में मरने वालों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

कंपनी	96-97	97-98	98-99 (25 मई, 98 तक)
भा.को.को.लि.	10	11	2
ई.को.लि.	0	1	0
जोड़	10	12	2

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोयला कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) पत्थर के मास रेटिंग के आधार पर तैयार किए गए सपोर्ट संयंत्रों का क्रियान्वयन।

(ii) लकड़ी के सपोर्ट के बदले में इस्पात सपोर्ट रूफ बोल्टिंग तथा सपोर्ट की स्टिचिंग प्रणाली।

(iii) कामगारों तथा पर्यवेक्षकों के साथ-साथ अधिकारियों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देना।

(iv) खानों में सीमेंट को सेट करने वाले कैप्सूलों, जोकि बोल्टिंग/स्टिचिंग में प्रयुक्त होते हैं, का खान में निर्माण किया जाता है, उन्हें केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित फार्मूले के अनुसार मानकीकरण किया जाना।

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान रूफ/साइड फाल से पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि का ब्यौरा निम्न है :

कंपनी	1996-97	1997-98	1998-99 (मई, 1998 तक)
भा.को.को.लि.	1,472,760	1,505,867	प्रक्रियाधीन
इं.को.लि.	0	149,670	
जोड़	1,472,760	1,655,537	

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पर्यटन

475. श्री सत्यपाल जैन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कौन से कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि चंडीगढ़ का विश्व प्रसिद्ध राक गार्डन पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो चंडीगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार, पर्यटन विभाग राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर धन उपलब्ध रहने की स्थिति में पर्यटन अवसरंचना के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराता है।

गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग ने मनोरंजन मेला, प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण, रोज फैस्टीवल, सुखना झील के लिए नाव तथा चंडीगढ़ में बाग उत्सव के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पैकेज

476. श्री मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार (झारखंड को छोड़कर) के क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस आर्थिक पैकेज के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है, और केन्द्रीय सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

हालांकि उत्तरी बिहार के लिए वनांचल/झारखण्ड के गठन के बाद विशेष प्रतिपूरक पैकेज के रूप में 50,000 करोड़ रुपये तात्कालिक सहायता और दस वर्ष तक प्रतिवर्ष एक हजार (1,000) करोड़ रुपये दिये जाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।

जब किसी राज्य को दो भागों में बांटा जाता है तो केन्द्रीय सहायता और गैर योजना अनुदान का उत्तराधिकारी राज्यों के बीच में बंटवारा क्रमशः योजना आयोग और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। बंटवारे के समय वर्तमान परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित और साम्यायुक्त वितरण हेतु उचित तरीका अपनाया जाता है।

लाइसेंस जारी करना

477. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की तहसील मेघानगर, एक जनजातीय क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1990 से मार्च, 1998 के दौरान उनके एकक स्थापित करने के लिए कितने उद्योगों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) कितने उद्योग अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिए गए हैं; और

(घ) इन उद्योगों के स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ''उद्योग रहित जिलों'' में आधारभूत सुविधाओं के विकास की केंद्रीय सहायता योजना के तहत मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में एक विकास केंद्र स्थापित किया गया था और इसे अक्टूबर, 1995 में पूरा किया गया था। झाबुआ जिले को वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या - का. आ. 714 (अ) के अनुरूप औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है।

(ख) से (घ) उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में, उद्यमी अपने उद्योगों के स्थान चुनने हेतु स्वतंत्र हैं। औद्योगिक निवेशों से संबंधित सूचनाएं तहसील-वार नहीं रखा जाती हैं। तथापि, 1990 से मार्च 1998 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस और दो आशय-पत्र जारी किये गये हैं तथा चौदह औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर किये गये हैं।

कोयला खानों का निजीकरण

478. श्री अमर पाल सिंह : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र में व्याप्त कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कोयला खनन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र को कब तक सौंप दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) इस प्रश्न के भाग (क) के संबंध में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

479. श्री नूपेन गोस्वामी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता सभी उपक्रमों द्वारा लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के ऐसे 69 उपक्रम हैं, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमान अपना रहे हैं और जो कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं और जिन पर सरकार के निर्णय लागू होते हैं। इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में नए वेतनमानों और अन्य लाभों के क्रियान्वयन के लिए सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के वास्तविक क्रियान्वयन की निगरानी सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय और सम्बन्धित सरकारी उद्यम के प्रबन्धन द्वारा की जाती है।

प्रमुख क्षेत्रों को लाइसेंस मुक्त करना

480. श्री के.एस. राव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन, कोयला और खनन क्षेत्रों को लाइसेंस मुक्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों को लाइसेंस से मुक्त करने से क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और तेल शोधन, कोयला और लिग्नाइट उद्योगों में ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने इन क्षेत्रों को लाइसेंस मुक्त करने के बारे में न तो अभी तक कोई अन्तिम निर्णय लिया है और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा तैयार की है।

सरकारी होटलों का कार्यकरण

481. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी होटलों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये होटल लाभ में चल रहे हैं;

(ग) इन होटलों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन होटलों में कर्मचारियों के स्वरूप (पैटर्न) के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन होटलों में अपव्यय रोकने के लिए कोई कदम उठाया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के उन्नयन के सतत उपाय किए गए हैं। निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक आयोजना में इसके (निगम के) विभिन्न होटलों के नवीकरण/उन्नयन कार्य के लिए 28.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 (अनन्तिम आंकड़े) के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के 26 होटलों के कुल कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण संलग्न है।

(घ) होटलों में कर्मचारीवृन्द की आवश्यकता और उन्हें कार्य पर लगाने की व्यवस्था की पुनरीक्षा की जाती है तथा कार्य हेतु कर्मचारियों की आवश्यकताओं का निर्णय संचलन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(ङ) अपव्यय (फिजूलखर्ची) पर नियंत्रण पाने के लिए मामले की पुनरीक्षा की गई है तथा इकाइयों (होटलों) के प्रमुख को कह दिया गया है कि वे (i) यह सुनिश्चित करें कि खाद्य एंव पेय विभाग में विशेषतः कोई खामी न हो, (ii) स्वास्थ्य क्लब के कार्य निष्पादन की निगरानी करें (iii) सभी होटलों की रेस्तराओं को लाभ अर्जक केन्द्र समझें।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के वित्तीय कार्य-निष्पादन दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं.	इकाई का नाम	1997-98 कारोबार	(अनन्तिम) शुद्ध लाभ/हानि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	आगरा अशोक, आगरा	147.30	-74.22
2.	एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	1258.61	53.86
3.	अशोक, बंगलौर	1610.31	209.36
4.	अशोक, नई दिल्ली	5246.02	1124.32
5.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	752.00	-23.80
6.	औरंगाबाद अशोक	69.77	-56.07
7.	बोधगया अशोक	81.78	8.30
8.	हासन अशोक	132.00	6.00
9.	जयपुर अशोक	183.64	-64.91
10.	जम्मू अशोक	74.32	-27.49
11.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	1069.33	86.08
12.	कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	185.48	-23.51
13.	कनिष्का होटल, नई दिल्ली	2117.14	472.04
14.	खुजराहो अशोक	38.31	-44.44
15.	कोवलम अशोक बीच रिज़ार्ट	1025.40	122.26
16.	ललित महल पैलेस होटल	512.55	179.56
17.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल	365.58	121.51
18.	लोधी होटल, नई दिल्ली	751.41	109.68
19.	मदुरै अशोक	130.82	-11.46
20.	मनाली अशोक	31.34	-30.17
21.	पाटलीपुत्र अशोक, पटना	197.55	11.19
22.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	930.48	397.33
23.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	240.60	-121.21
24.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	1434.58	151.38
25.	टेम्पल बे अशोक बीच रिज़ार्ट	167.45	14.63
26.	वाराणसी अशोक	169.77	-87.05
	कुल	18923.54	2503.17

राजनैतिक दलों को आयकर से छूट

482. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनैतिक दल आयकर से छूट पाने के पात्र नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राजनैतिक दलों की संख्या क्या है जिन्होंने आयकर का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार का ऐसे दलों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13-क के अन्तर्गत राजनैतिक दलों का गृह सम्पत्ति और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय अथवा स्वैच्छिक अंशदानों के रूप में प्राप्त हुई आय को आयकर से छूट दी गई है, बशर्ते कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया हो। परन्तु वे राजनैतिक दल जो चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आबंटन), (आदेश), 1968 के पैरा-3 के अन्तर्गत भारतीय चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं अथवा जिन्हें उपरोक्त पैरा के उप-पैरा-2 के परन्तुक के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है अथवा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13-क के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे दल ऐसी छूट के हकदार नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अघोषित धन का पता लगाने के लिए उठाए गए कदम

483. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अघोषित धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है और वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान अब तक कितने अघोषित धन को जब्त किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के धन की मात्रा का मूल्यांकन किया है और यह पता लगाया है कि इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) सरकार अघोषित धन को बाहर निकालने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी, राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करती रही है। कराधान की दरों को उत्तरोत्तर रूप से तर्कसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 में अघोषित धन को बाहर निकालने के निमित्त अनेक प्रावधान निहित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44कक और 44कख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों का अनिवार्य रख-रखाव और लेखों की लेखा परीक्षा धारा 40क (3), 269 धध और 269न के अन्तर्गत नगद लेनदेनों पर प्रतिबंध अध्याय XXग के अन्तर्गत संपत्तियों की पूर्वक्रयाधिकार खरीद से संबंधित और कर चूककर्ताओं को दण्डित करने और अभियोजन के लिए प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों और तलाशियो आदि से संबंधित प्रावधान भी निहित हैं। अघोषित आय पर 60 प्रतिशत कर लगाने के साथ ही तलाशी के मामलों में कर निर्धारण के लिए एक नई प्रक्रिया आरम्भ की गई है। समुचित मामलों में इन प्रावधानों की सहायता ली जाती है।

(ख) इन उपायों के कारण ही सफलता के दायरे का अनुमान लगाना कठिन होगा। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान जब्त की गई अघोषित धन की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल जब्ती (लाख रुपये में)
1996-97	40563.42
1997-98	30684.69

(ग) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा वर्ष 1983-84 में किए गए अध्ययन में 31584 करोड़ रुपये से 36786 करोड़ रुपये के बीच अघोषित धन होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

'मुद्रा' नोट छपाई प्रेसों का विस्तार

484. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः देवास और नासिक में स्थित मुद्रा नोटों की छपाई प्रेसों और टकसालों के विस्तार के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो छपाई प्रेसों और टकसालों, जिनका विस्तार किया जाना है, के नाम क्या हैं;

(ग) इनकी विस्तार योजना कब से विचाराधीन है; और

(घ) विस्तार कार्य कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) बैंक नोट प्रेस, देवास, करेंसी नोट प्रेस, नासिक; मुम्बई; कलकत्ता और हैदराबाद स्थित भारत सरकार टकसालों का इस समय इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हालांकि टकसालों की आधुनिकीकरण परियोजना 1980-90 में शुरू हुई थी; प्रेसों का आधुनिकीकरण 1996-97 में आरम्भ हुआ। दोनों आधुनिकीकरण कार्यक्रम इस वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

485. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान न किए जाने के संबंध में बिहार से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ऐसी शिकायतों के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण जारी न होने/ऋणों को प्राप्त करने में कठिनाइयों के संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार से 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने प्राप्त शिकायतों को पटना स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया था, ताकि संबंधित बैंक/शाखा में उनकी छानबीन/जांच की जा सके तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

हथकरघा उद्योग का विकास

486. श्री जयसिंह जी चौहान :
श्री हरिन पाठक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग के विकास संबंध कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गुजरात में हथरघा उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त उद्योग के विकास हेतु सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (च) भारत सरकार द्वारा देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्य योजनायें जिस में प्रोजेक्ट पैकेज योजना, कार्यशाला सह आवास योजना, कल्याण पैकेज योजना, हथकरघा प्रदर्शनियों का आयोजन एवं निर्यात विकास योजना आदि शामिल हैं। वर्ष 1997-98 में विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1997-98 के दौरान भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार को विभिन्न हथकरघा विकास योजनाओं के अंतर्गत 104.71 लाख रुपये जारी किए गये हैं। राज्य सरकारों को विभिन्न हथकरघा विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर राशि जारी की जाती है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1544.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	107.27
3.	असम	1287.75
4.	बिहार	82.83
5.	दिल्ली	123.24
6.	गुजरात	104.71
7.	हरियाणा	41.73
8.	हिमाचल प्रदेश	120.99
9.	जम्मू व कश्मीर	374.92
10.	कर्नाटक	1002.82
11.	केरल	858.32
12.	मध्य प्रदेश	626.11
13.	महाराष्ट्र	263.41
14.	मणिपुर	
15.	मेघालय	
16.	मिजोरम	20.00
17.	नागालैंड	1242.44
18.	उड़ीसा	537.45
19.	पांडिचेरी	1.76
20.	पंजाब	35.22
21.	राजस्थान	217.01
22.	तमिलनाडु	2942.79
23.	त्रिपुरा	63.42
24.	उत्तर प्रदेश	746.75
25.	पश्चिम बंगाल	680.87
26.	सिक्किम	18.80

[अनुवाद]

वित्तीय/औद्योगिक संस्थानों में आर्थिक संकट

487. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में बेयरिंग बैंक के दिवालिया होने के कारण बड़ी संख्या में देश के वित्तीय और औद्योगिक संस्थानों में आर्थिक संकट आ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैंक के दिवालिये से प्रभावित संस्थानों के नाम क्या हैं; और उक्त संस्थाओं में से प्रत्येक संस्थान को कितना अनुमानित घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व में होने वाली ऐसी घटनाओं से देश के आर्थिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को नगण्य करने के लिये कोई एहतियाती उपाय किये हैं अथवा करने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात संवर्धन

488. श्री मदेश कुमार कनोडिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष निर्यात संवर्धन हेतु पन्द्रह उत्पादों का चयन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन उत्पादों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकर द्वारा इन उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण डेगड़े) : (क) और (ख) सरकार सभी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए नियमित उपाय करती आ रही है। किन्तु इंजीनियरी वस्तुएं, कृषि और सम्बन्ध उत्पाद, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, पोशाक, रत्न और आभूषण, इलैक्ट्रानिक्स, खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, परियोजना निर्यात इत्यादि जैसे कुछ ध्रस्ट क्षेत्र हैं जहां सरकार अतिरिक्त गति प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

(ग) इन उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को आम तौर पर सुदृढ़ करना और ध्रस्ट क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाना शामिल है। नई एक्जिम नीति में इन ध्रस्ट क्षेत्रों की सहायता करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

489. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रवासी भारतीयों द्वारा आज तक विदेशी मुद्रा में और भारतीय मुद्रा में कितनी धनराशि क्षेत्रवार निवेश की गयी;

(ख) क्या अप्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने में कोई रुचि नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अप्रवासी भारतीयों के द्वारा किये जाने वाले वास्तविक निवेश और निवेश लक्ष्यों के अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की शुरूआत से दिसम्बर, 1997 तक सरकार ने लगभग 6710.62 करोड़ रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीय निवेश अनुमानित किया है। इन प्रस्तावों में होटल तथा पर्यटन संबंधी उद्योग, अचल संपदा, खनन, विद्युत, वस्त्र, वित्तीय सेवायें हस्पताल तथा उन्नत नैदानिक केन्द्र आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) सरकार अनिवासी भारतीय निवेश संबंधी नीति को प्रतियोगात्मक बनाने तथा अनिवासी भारतीयों को पर्याप्त प्रोत्साहन तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये इसकी निरंतर समीक्षा करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनिवासी भारतीय निवेश में तीव्रता लाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में, पूर्ण देश प्रत्यावर्तन लाभों सहित शत-प्रतिशत अनिवासी भारतीय इक्विटी की अनुमति दी गई है। अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिये कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में निर्यातोन्मुख एकक

490. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में बड़े, मध्यम तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण डेगड़े) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें से एक इकाई को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिंदी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए "नाबार्ड" द्वारा की गई धनराशि

491. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि दी गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मांडला जिले की मातियारी परियोजना को भी "नाबार्ड" योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो मातियारी परियोजना को कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) इस राशि को जिन अन्य परियोजनाओं पर खर्च किया जाना था उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि	
		स्वीकृत	संवितरण
1995-96	143	61.00	4698
1996-97	64	107.73	24.49
1997-98	98	127.25	-

इसके अलावा नाबार्ड ने सूचित किया है कि मतियारी परियोजना के लिए भी 21.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है तथा दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार मंजूरी की तुलना में 5.33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

[अनुवाद]

विश्वव्यापी उदारीकरण

492. श्री सुव्रत मुखर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व उदारीकरण के पश्चात् भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कम्पनियों पर विश्वव्यापी उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस देश के लोगों को विश्वव्यापी उदारीकरण का क्या लाभ हुआ है;

(घ) क्या विश्व उदारीकरण से अनेक श्रमिकों/कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला गया है और क्या वे सड़क पर आ गये हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उन लोगों को पुनः बसाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/की जा रही है; और

(च) विश्व उदारीकरण पर सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि

493. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सुधार के 7 वर्षों की अवधि (1980-81 से 1990-91 और 1991-92 से 1997-98 तक) से पहले और बाद में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर का क्या औसत है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पादन का वर्षवार क्षेत्रीय अंश क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) 1980-81 से 1990-91 और 1991-92 से 1997-98 के दौरान आर्थिक सुधारों से पहले तथा बाद में, वर्षों के लिए वार्षिक वृद्धि दरों पर आधारित औसत सकल घरेलू उत्पादन क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत है।

(ख) 1980-81 से 1997-98 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पादन का वर्ष-वार क्षेत्रीय हिस्सा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्रीय हिस्सा (प्रतिशत)

वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	बिजली, गैस और जलापूर्ति	निर्माण	व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट	यातायात भंडारण और संचार	वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	38.1	1.5	17.7	1.7	5.0	12.0	4.7	8.8	10.5
1981-82	38.0	1.6	18.0	1.7	5.0	12.1	4.6	8.7	10.2
1982-83	36.4	1.8	18.6	1.8	4.6	12.4	4.7	9.0	10.7
1983-84	37.3	1.7	18.9	1.8	4.5	12.0	4.6	8.9	10.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1984-85	35.9	1.7	19.4	1.9	4.5	12.1	4.9	9.1	10.5
1985-96	34.6	1.7	19.4	2.0	4.6	12.5	5.1	9.4	10.7
1986-87	32.6	1.8	19.9	2.1	4.6	12.8	5.2	9.7	11.2
1987-88	31.4	1.8	20.4	2.2	4.6	12.8	5.4	9.9	11.5
1988-89	33.0	1.9	20.1	2.2	4.4	12.4	5.2	9.8	11.0
1989-90	31.4	1.9	21.0	2.2	4.4	12.5	5.3	10.1	11.2
1990-91	30.9	2.0	21.1	2.3	4.6	12.5	5.3	10.2	11.1
1991-92	30.0	2.0	20.2	2.5	4.7	12.5	5.5	11.2	11.4
1992-93	30.2	2.0	20.0	2.5	4.6	12.7	5.5	11.1	11.4
1993-94	29.5	1.9	20.4	2.5	4.4	12.9	5.5	11.8	11.1
1994-95	28.8	1.8	21.2	2.6	4.3	13.4	5.5	11.7	10.7
1995-96	26.0	1.9	22.5	2.6	4.4	14.5	5.5	12.0	10.6
1996-97	26.1	1.7	22.5	2.5	4.3	14.6	5.6	12.1	10.4
1997-98	24.4	1.8	22.7	2.5	4.3	0.0	20.4	12.7	11.3

त्व. - त्वरित अनुमान, ए - अग्रिम अनुमान, X - व्यापार, होटल, यातायात और संचार से संबंधित

निर्यात में वृद्धि

494. श्री सुधीर गिरि : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 1997 के दौरान विश्व निर्यात की मात्रा में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वर्ष 1997-98 में निर्यात में निराशाजनक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को एशियाई वित्तीय संकट के प्रभाव की अनिश्चितता की जानकारी है, क्योंकि भारतीय निर्यात का 31.5 प्रतिशत और आयात का 24.1 प्रतिशत एशियाई क्षेत्र पर निर्भर करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) डी.जी.सी. आई एंड एस. के अनिन्तम आंकड़ों के अनुसार 1997-98 के दौरान निर्यात में डॉलर के रूप में 2.64 प्रतिशत की और रुपये के रूप में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1997 के दौरान विश्व व्यापार में मूल्य के रूप में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुयी हालांकि मात्रा के रूप में उक्त वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत की थी।

(ख) और (ग) दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय संकट से उन मदों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता आंशिक रूप से प्रभावित हुयी है और उसके प्रभावित होने की संभावना है जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के लिए सामान्य निर्यात हित की मदें हैं। इन मदों में कृषि-उत्पाद, वस्त्र, लोहा और इस्पात, रत्न एवं आभूषण, प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोटिव पुर्जे, रसायन, मशीन और परिवहन उपस्कर सम्मिलित हैं।

मुद्रास्फीति दर

495. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, विशेषकर मई, 1998 के महीने में मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया गया है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई माह में 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत होकर एक प्रतिशतांक बढ़ी है जो मुख्यतः सब्जियों, विशेषतः आलू और प्याज, फलों, चाय और कुछ हद तक खाद्य तेलों में असमान्यतः उच्च मौसमी वृद्धि के कारण है। नवम्बर, दिसम्बर, 1997 में देर तक वर्षा के कारण सब्जियों और फलों के उत्पादन में गिरावट आई। चीनी, तिलहन, दालें और मोटे अनाज का उत्पादन पिछले खरीफ मौसम की तुलना में खरीफ 1997 में कम रहा। इसलिए प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में कुछ मुद्रास्फीतिय प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) सरकार विशेषतः आवश्यक वस्तुओं यथा चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल तथा दालों के संबंध में मूल्य स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित मुख्य मूल स्थिरीकरण प्रणाली है। सरकार आपूर्ति में अचानक आई कमियों को रोकने के लिए स्टाकों की गतिविधि के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यह सार्वजनिक स्टाकों का निर्माण करती है और जहां भी स्टाक न्यूनतम बफर स्टाक मानदण्डों से कम हो जाएं या उनके कम होने की संभावना हो, तो आयात करती है।

निजी व्यापार घरेलू उपलब्धता की पूर्ति के लिए दालें, खाद्य तेलों, चीनी तथा टुकड़ा चावल का भी आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

शिलांग में होटल संस्थान की स्थापना

496. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेघालय की सरकार से शिलांग में होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित संस्थान, होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालाजी में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग ने पहले ही, एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करके और सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके, कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का पुनर्गठन

497. डॉ० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के पुनर्गठन, विनिवेश और हानि कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सरकार द्वारा अपनाए गए शासन हेतु राष्ट्रीय एजेंडा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनर्गठन, पुनर्वास और विनिवेश पर जोर दिया गया है। पुनर्गठन के लिए विशेष उपाय प्रत्येक इकाई में भिन्न-भिन्न होंगे और ये उपाय प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सभी सम्भव विकल्पों को ध्यान में रखने के पश्चात् किए जाएंगे। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का सम्बन्ध है, इसे विनिवेश आयोग की सिफारिशों और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ढलाई उद्योग

498. श्री राजबीर सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ढलाई उद्योग अप्रचलित तकनीक, कुशल कर्मचारियों की कमी, विद्युत की कमी और कच्चे माल की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं से ग्रसित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत में ढलाई उद्योग प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत हुआ है तथा यह नवीनतम तथा परम्परागत प्रौद्योगिकी दोनों ही का प्रयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में ढलाई उद्योगों के सिलसिले में कुशल श्रम शक्ति या कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा तथा एस. आई.टी.ए.आर.सी. पम्प संस्थान, कोयम्बटूर जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान कुशल श्रमशक्ति के विकास में लगे हुए हैं। जहां तक फाउन्ड्रियों में बिजली की कमी का संबंध है, सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से एक विद्युत नीति तैयार कर रही है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी

499. श्री पी. शंकरन :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी हुई है और इसका इष्टतम उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1998-99 के दौरान संभावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में विदेशी निवेश बढ़ाने और उसके उचित उपयोग के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995, 1996, 1997 तथा वर्ष 1998 (मार्च तक) के लिये अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल राशि इस प्रकार है :

वर्ष	प्रस्ताव अनुमोदित	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि (करोड़ में)
1995	1355	32071.72
1996	1559	36146.81
1997	1665	54891.35
1998 (31 मार्च तक)	298	8187.61

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, इक्विटी की प्रतिशतता, विनिर्माण/क्रियाकलाप की मदें औद्योगिक सहायता सचिवालय की पत्रिका में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं जिसे संसद पुस्तकालय सहित विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने 50 प्रतिशत, 51 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक स्वतः अनुमोदन के लिये पात्र और उद्योगों को शामिल करके उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची को पहले ही बढ़ा दिया है।

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

- विदेशी निवेश नीति की निरंतर समीक्षा करने का सरकार का प्रयास है ताकि इसे अधिक प्रतियोगात्मक तथा निवेशानुकूल बनाया जा सके।

"फेरा" उल्लंघन

500. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने शहरी कार्य और रोजगार मंत्री द्वारा "फेरा" उल्लंघन से संबंधित मामले का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) प्रेस में कुछेक रिपोर्टें प्रकाशित होने के परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय ने शहरी कार्य और रोजगार मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के तथाकथित उल्लंघनों से संबंधित मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए इसे अपने हाथ में ले लिया है।

[हिन्दी]

महबूब ठाही कालाबुरगी मिल्स

501. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महबूब ठाही कालाबुरगी मिल्स, गुलबर्गा (कर्नाटक) कब से बंद है तथा इसके परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी प्रभावित हुये हैं;

(ख) क्या सरकार कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है; और

(ग) उक्त मिल को चलाने के लिए सरकार की क्या योजना है चूंकि यह मिल हैदराबाद तथा कर्नाटक क्षेत्र के पिछड़े इलाके में स्थित एकमात्र मिल है और सभी अड़चनों को दूर करने के पश्चात् उक्त मिल को दोबारा कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एम. एस. के मिल्स, गुलबर्गा बंद नहीं है। इस समय मिल में केवल अवसान कार्य ही चल रहा है। इस मिल में कार्यरत 907 कामगारों और कर्मचारियों को बिना कार्य के मजदूरियां दी जा रही हैं।

(ग) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बनने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प का विकास

502. श्री के.पी. नायडू : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चुनिन्दा क्षेत्रों में हथकरघा के संवर्धन और विकास हेतु चालू कार्यक्रमों तथा बनायी गयी योजनाओं की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1997-98 के दौरान पारम्परिक कारीगरों और शिल्पियों की दक्षता के उन्नयन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा प्रदान की गई है;

(घ) संस्थागत सहायता के माध्यम से कारीगरों और शिल्पियों की दक्षता के उन्नयन हेतु आरम्भ की गई/प्रस्तावित नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के पारम्परिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी हाँ, फिर भी सम्पूर्ण देश के आधार पर समीक्षा की जाती है। जिन कार्यक्रमों और स्कीमों की समीक्षा की गई, उनमें प्रशिक्षण, सर्वेक्षण एवं अध्ययन, विपणन विकास कार्यक्रम, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, नये एम्पोरियम खोलना और मौजूदा एम्पोरियमों का नवीकरण/विस्तार वर्क-शेड-कम-हाउसिंग, समूह बीमा, सामान्य सुविधा केन्द्र, स्वास्थ्य पैकेज और सदस्य शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) हस्तशिल्प क्षेत्र में निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान, परम्परागत कारीगरों सहित अन्य कारीगरों के कौशल संवर्धन हेतु प्रदत्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संस्थागत-सहायता के माध्यम से कारीगरों के कौशल संवर्धन हेतु क्रियान्वित/प्रस्तावित नई स्कीमों के विवरण में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना, आधुनिक औजारों व उपकरणों की आपूर्ति और सदस्य शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

(ङ) देश के परम्परागत हस्तशिल्पों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना, नये एम्पोरियम खोलना और मौजूदा एम्पोरियमों का नवीकरण/विस्तार और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रदत्त धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.34
2.	असम	27.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.06
4.	बिहार	12.48
5.	गुजरात	7.70
6.	गोवा	2.26
7.	हरियाणा	3.61
8.	हिमाचल प्रदेश	1.20
9.	जम्मू व कश्मीर	3.13
10.	कर्नाटक	23.68
11.	मध्य प्रदेश	17.73
12.	महाराष्ट्र	13.21
13.	मणिपुर	11.71
14.	मेघालय	0.30
15.	मिजोरम	-
16.	नागालैंड	8.18
17.	उड़ीसा	15.15
18.	पंजाब	3.30
19.	केरल	12.18
20.	राजस्थान	1.03
21.	सिक्किम	9.68
22.	तमिलनाडु	12.69
23.	त्रिपुरा	24.76
24.	उत्तर प्रदेश	78.81
25.	पश्चिम बंगाल	17.18
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.27
27.	चण्डीगढ़	-
28.	दादर नागर हवेली	-
29.	दिल्ली	5.21
30.	दमन एवं दीव	-
31.	पाण्डेचरी	0.77
32.	लक्षद्वीप	-

फ्लोट ग्लास की डम्पिंग

503. डॉ० रामचन्द्र डोम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाजार में इन्डोनेशियाई कम्पनियों द्वारा निर्मित फ्लोट ग्लास बहुत बड़ी संख्या में उस कीमत पर उपलब्ध हैं जो कि उनकी उत्पादन लागत से बहुत कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो घरेलू उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पाटनरोधी कानूनों के अन्तर्गत, पाटनरोधी शुल्क तभी लगाए जा सकते हैं जब डम्पिंग व क्षति होने का तथा इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंधों का प्रमाण हो। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी मामले की शुरूआत तथा अपेक्षित जांच करने पर विचार तभी करता है जब उसे प्रभावित उद्योग से आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को 27.5.98 को ही एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें इंडोनेशिया से फ्लोट ग्लास का पाटन किए जाने का आरोप लगाया गया है।

केरल में काजू बोर्ड

504. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में काजू बोर्ड स्थापित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हाँ। केरल सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन में कहा गया है कि व्यापक वाणिज्य संभावना वाली फसल के वैज्ञानिक संवर्द्धन के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना अनिवार्य होगा। यह कहा गया है कि इससे काजू उद्योग में लगे श्रमिकों को पूर्ण रोजगार मुहैया कराने में बेहतर प्रबंध व्यवस्था लागू करने में, उन्नत आर एंड डी और बजंर भूमि पर खेती का विस्तार करने में मदद मिलेगी। जिसके फलस्वरूप लगभग 1.3 लाख श्रमिकों को पूर्ण रोजगार मिलने से उत्पादन में वृद्धि होगी।

रबड़ की कीमतें

505. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में अत्यधिक गिरावट को रोकने के लिए किसानों से खरीदी गई प्राकृतिक रबड़ की कुछ मात्रा को खुले बाजार में अथवा उद्योगपतियों को दिया गया है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रबड़ के इस प्रकार दिये जाने से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में और गिरावट आई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों की सहायता करने हेतु प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, नहीं। एस.टी.सी. ने खरीदे गए रबड़ का निर्यात करने और/या केवल अग्रिम लाइसेंस धारकों को उसकी बिक्री करने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल ही में एस.टी.सी. को एस.टी.सी. द्वारा पहले से खरीदे गए 9596 टन रबड़ के अतिरिक्त सरकारी खातें में और 20000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद के लिए प्राधिकृत किया है ताकि प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट को रोका जा सके।

असम में औद्योगिक विकास केन्द्र

506. डॉ0 जयन्त रंगपी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा असम सरकार को राज्य में तीन औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक इन तीन केन्द्रों में केन्द्र-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इन तीनों विकास केन्द्रों का केन्द्र-वार अब तक कितना वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ग) असम राज्य को आबंटित तीन विकास केन्द्रों में से दो अर्थात चारीदौर (सोनितपुर जिला) तथा भतिया (जिला गोलपाड़ा) का अनुमोदन पहले किया जा चुका है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति में प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए 15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 31 मार्च, 1998 तक अनुमोदित विकास केन्द्रों के संबंध में प्रगति निम्न प्रकार है :

विकास केन्द्र का नाम	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपये में)	राज्य रिलीज	कुल व्यय
चारीदौर	50.00	05.00	17.00
भतिया	50.00	शून्य	15.00

रबड़ पर आयात शुल्क

507. श्री ए.सी. जोस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा रबड़ के आयात को नियंत्रित करने हेतु कौन-कौन से अन्य उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) इस प्रश्न में मांगी गई सूचना केन्द्रीय बजट से संबंधित है, जिसके दिनांक 1.6.98 को संसद में पेश किये जाने की संभावना है।

(ग) रबड़ के आयात को पहले से ही एक्जिम नीति की निशेधात्मक सूची के अन्तर्गत रखा गया है और इसकी अनुमति केवल अग्रिम लाइसेंस/विशेष आयात लाइसेंस पर ही दी जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

508. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में किये गये वार्षिक निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : पिछले छः वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	प्राप्त किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (मिलियन अमरीकी डालर में)
1991-92	135
1992-93	313
1993-94	586
1994-95	1314
1995-96	1929
1996-97	2587

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन

509. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लघंन के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में कुछ रियायतों की घोषणा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे उल्लंघन के मामलों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है तथा कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं तथा सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1995	5633
1996	5486
1997	5579

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रेच्युटी की सीमा

510. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि को 1 अप्रैल, 1995 से एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है और क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की 1 अप्रैल, 1995 से पहले ग्रेच्युटी की सीमा वही थी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रेच्युटी की सीमा के सम्बन्ध में समानता न बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1 अप्रैल, 1995 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर बढ़ी हुई ग्रेच्युटी मिले, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) उपदान की सीमा सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए उपदान के

प्रभावी होने की तारीख 1.4.1995 है तथा सरकारी उद्यमों के लिए यह तारीख 24.9.1997 है, अर्थात वह तारीख है जिस दिन उपदान भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के लिए उपदान की सीमा बढ़ाए जाने से सम्बन्धित अध्यादेश जारी किया गया था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

[अनुवाद]

जलचर फार्म

511. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने देश में जलचर फार्मों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और इन जलचर फार्मों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है; और

(ग) देश में जलचर उत्पादन कार्य में कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कार्यरत रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

(1) *श्रिंम फार्मों में वायरल बीमारियों के अध्ययन के निष्कर्ष*

नवम्बर, 1994 में श्रिंप फार्मों में वायरल बीमारियों के प्रकोप के बाद एम्पीडा ने आंध्र प्रदेश में चुनिंदा मत्स्य पालन फार्मों में वायरल बीमारियों से प्रभावित श्रिंप फार्मों का एक अध्ययन किया। इसके आधार पर एम्पीडा ने श्रिंप के किसानों को एक पूरे मौसम में फसल-अवकाश रखने की सलाह दी और इसके साथ-साथ मत्स्य फार्मों की मृदा में इस वायरस को नष्ट करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में भी सलाह दी।

(2) *तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जैड.) के भीतर श्रिंप मत्स्य पालन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए मैक्रो-स्तरीय सर्वेक्षण संबंधी निष्कर्ष*

एम्पीडा के क्षेत्रीय केन्द्रों ने 1997 में सभी समुद्रीय राज्यों को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त मैक्रो-स्तरीय सर्वेक्षण किया। उपर्युक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार 1,35,500 हैक्टेयर का कुल क्षेत्र मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है जिसमें से 87,000 हैक्टयेर क्षेत्र गैर-परम्परागत मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तटीय क्षेत्र में आने वाले मत्स्य पालन फार्मों का लगभग 4000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा संकरी खाड़ी पर (क्रीक) पर आधारित मत्स्य पालन फार्म का 16,000 हैक्टेयर क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर आता है।

(3) *समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा प्रायोजित नेशनल एनवायरनमैंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर द्वारा पर्यावरण संबंधी श्रिंप कल्चर क्रियाकलाप के सम्भावित प्रभाव संबंधी अध्ययन के निष्कर्ष*

इस अध्ययन के अंतर्गत तमिलनाडु में तुतीकोरिन, सिरकाली तथा किल्लाई, आंध्र प्रदेश में नैलोर, काकीनाडा, तथा विशाखापतनम और महाराष्ट में पालघर में स्थित फार्मों से नमूने एकत्र किए गए। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार एक्वाकल्चर फार्म निःसरणों में कोई भी भारी धातु के सकेन्द्रण नहीं पाए गए तथा श्रिंप फार्मिंग के कारण किसी भी प्रकार की लवणीयता की समस्याएं नहीं पाई गईं। इस अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि श्रिंप फार्मिंग क्रियाकलाप के निःसरण से घरेलू अथवा औद्योगिक निःसरणों की तुलना में प्रदूषण अथवा नुकसान बहुत कम होता है तथा श्रिंप फार्मिंग के निकटस्थ पेय जल के कुओं को कोई खतरा नहीं होता है

(4) *समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित मंगलौर फिशरीज कालेज द्वारा श्रिंप वायरल डिजीज मैनेजमेंट संबंधी अध्ययन के निष्कर्ष*

यह अध्ययन कर्नाटक राज्य के कुंडापुर में 15 श्रिंप फार्मों तथा कुम्टा में 20 श्रिंप फार्मों में किए गए। अध्ययन के अंतरिम निष्कर्ष के अनुसार सफेद धब्बे (व्हाइट स्पाट) की बीमारी का प्रकोप उन क्षेत्रों में आमतौर पर होता है जहां यह फार्म अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यदि किसी तालाब में श्रिंप की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक में यह सफेद धब्बे स्पष्ट दिखाई देते हैं तो यह श्रिंपों की कुल मृत्युदर की अधिक होने का संकेत है और ऐसे तालाब की मछलियों की फसल तत्काल चुन ली जानी चाहिए। निःसंदेह सिद्ध हो गया है कि मदर श्रिंपों से उनके सीडलिंग में वायरस का सीधा संचरण होता है और इसलिए श्रिंपों की सीडिलिंग को एक्वाकल्चर फार्मों में रखने से पहले वायरस की बीमारी के लिए परखना पड़ता है।

(ग) भारत में दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक्वाकल्चर में शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन का संवर्धन

512. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों को सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राजनदंगांव में स्थित प्राचीन ब्रह्मदेव मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 9 (नौ) परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए भेजे हैं। ये परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं तथा 119.30 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है।

(ग) किसी स्थान पर पर्यटन सम्बन्धी संभावनाओं के आकलन के लिए मुख्यतः राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु योजनाबद्ध दिशा-निर्देश के अनुसार विचार करता है।

परशुराम धाम, देवरिया, उत्तर प्रदेश का विकास

513. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्रीमती कमल रानी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थान, विशेषकर देवरिया में परशुराम धाम और बौद्ध तीर्थ स्थान सहित पर्यटन स्थलों का विकास/जीर्णोद्धार केन्द्रीय सरकार की सहायता से किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी प्रगति हुई है और स्थानवार, वर्षवार इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय सहायता से विकसित किए जाने वाले पर्यटन स्थलों/तीर्थ स्थानों और इस संबंध में राज्य को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थानों के त्वरित विकास और जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में पर्यटक के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया/उपलब्ध कराता रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत एवं निर्गमित धनराशि इस प्रकार है :

(रुपए लाख में)

वर्ष	स्वीकृत (राशि)	निर्गमित (राशि)
1995-96	31.10	25.55
1996-97	237.78	91.45
1997-98	221.10	76.13

जिन महत्वपूर्ण स्थलों के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, वे हैं - सोनौली, कपिलवस्तु, मथुरा, हरिद्वार और वृन्दावन। देवरिया स्थित परशुराम धाम के लिए कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, जापान के ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फण्ड से 105.96 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता से सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रीवस्ती स्थित बौद्ध केन्द्रों पर अवसंरचना विकास के कार्य को शुरू किया गया है।

(ग) राज्य सरकार के साथ परामर्श और उनसे प्राप्त विशिष्ट योजना प्रस्तावों के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार प्राथमिकता वाले परियोजनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1998-99 के लिए परियोजनाएं विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं।

(घ) विशेष पर्यटक स्थलों का विकास (कार्य) एक सतत् प्रक्रिया है और ये (कार्य) मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने भी तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है।

[अनुवाद]

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

514. **श्री वी.वी. राघवन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टों में संबंधित बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण मंजूर किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक बाध्य नहीं होंगे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्वनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों में नीति के अनुपालन का पैरा शामिल है जिसमें आदेशात्मक मानदण्डों की तुलना में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर आर.बी.आई. के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा टिप्पणी की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आर.बी.आई. ने आगे यह सूचित किया है कि भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार उन्हें नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने होंगे :

भारतीय वाणिज्यिक बैंक (सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के)

प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 40%
कुल कृषि अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 18%
कमजोर वर्गों का अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 10%

भारत में काम कर रहे विदेशी बैंक

प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 32%
लघु उद्योग क्षेत्र के अग्रिम	निवल बैंक ऋण का 10%
निर्यात ऋण	निवल बैंक ऋण का 12%

आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क

515. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण सहित देश में इस्पात विनिर्माताओं ने यह शिकायत की है कि दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की से आयात किये जाने वाले सस्ते ''हाट रोल्ड कायल'' ने उनके बाजार शेयरों को स्थानीय रूप से और निर्यात बाजार को भी प्रभावित किया है और उन्होंने यह मांग की है कि इन देशों से किए जाने वाले आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हाँ। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका तथा टर्की से एच.आर. कॉयल के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिट प्राधिकारी को एक याचिका प्राप्त हुई थी।

(ख) चूंकि याचिका के दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्त्ताओं को पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा गया। बाद में इस मामले को बंद कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्त्ता उद्योग से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

खनिज आधारित उद्योग

516. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए बनाई गई पायलट प्रोजेक्ट योजना की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना उद्योग मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कताई मिलों की स्थापना

517. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्री माधवराव पाटिल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में लगभग 40 कताई मिलें स्थापित की जानी थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में प्रस्तावित कताई मिलें स्थापित कर दी गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान शेष राज्यों में ऐसी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वर्तमान स्वरूप क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी कताई मिलों, विशेषकर उपजकर्ताओं और हथकरघा बुनकर मिलों में शेयर पूंजी का अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण संबंधी सहायता प्रदान करता है। एन.सी.डी.सी. की सहायता के पैटर्न को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सहायता का पैटर्न

विकसित राज्य	इथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलें			(परियोजना लागत का प्रतिशत) उपजकर्ता सहकारी कताई मिलें		
	नई मिलें	विस्तार	आधुनिकीकरण	नई मिलें	विस्तार	आधुनिकीकरण
इक्विटी						
(1) शेयर पूंजी के रूप में सदस्य का अंशदान						
(2) राज्य सरकार की शेयर पूंजी	5.00	5.00	–	10.00	10.00	5.00
(क) निजी संसाधन	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
(ख) एनसीडीसी की ऋण सहायता सहित	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
उपयोग (II)	45.00	35.00	20.00	40.00	30.00	15.00
ऋण						
(3) सावधि ऋण	50	60	80	50	60	80
	100	100	100	100	100	100
सहकारी रूप से अविकसित राज्य						
इक्विटी						
(1) शेयर पूंजी के रूप में सदस्यों का अंशदान						
(2) राज्य सरकार की शेयर पूंजी	5.00	5.00	–	7.50	7.50	5.00
(क) निजी संसाधन	11.25	8.75	10.00	12.50	9.75	7.50
(ख) एनसीडीसी की ऋण सहायता सहित	33.75	26.25	10.00	30.00	22.75	7.50
उपयोग (II)	45.00	35.00	20.00	42.50	32.50	15.00
ऋण						
(3) सावधि ऋण	50	60	80	50	60	80
योग	100	100	100	100	100	100

इस्पात उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

518. श्री नरेश पुगलीया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी स्रोतों से इस्पात उद्योग को की जाने वाली कोकिंग कोयले की आपूर्ति इस्पात उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात उद्योग की कोयले की माडवार कुल कितनी मांग है;

(ग) क्या इस्पात उद्योगों को घटिया कोयले की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में इस्पात उद्योगों को अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विजीप राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस्पात क्षेत्र हेतु 1998-99 के लिए अखिल भारतीय

कोककर कोयले की मांग को 37.70 मि. टन का अनुमान लगाया गया है जो कि 3.14 मि. टन प्रतिमाह के हिसाब से है। इसके एवज में अप्रैल, 1998 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से इस्पात संयंत्र को वास्तविक कच्चे कोककर कोयले की आपूर्ति केवल 1.361 मि. टन की गई थी।

(ग) इस्पात संयंत्र को आपूर्तित कोयले में राख की प्रतिशतता को एक सहमत स्तर पर रखा जाता है लेकिन इसमें कुछ चूक रह जाती है।

(घ) देश में अच्छे कोककर कोयले के भंडार में कमी के कारण वाशरी को किए जा रहे कोककर कोयले की विशिष्ट मात्रा में आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे धुले कोयले का उत्पादन लगभग निम्न कोटि का हो रहा है। केडला (से.को.लि.) तथा मधुबंद (भा.को.को.लि.) में दो वाशरियों को चालू किए जाने के अलावा, जिससे वर्तमान में उपलब्ध कोककर कोयले से अपेक्षित गुणवत्ता वाले धुले कोयले का उत्पादन किया जा सकता है, सरकार द्वारा कोककर कोयले पर आयात शुल्क में भी कमी की गई है ताकि देशी कोयले के साथ मिश्रण हेतु इस्पात क्षेत्र अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोककर कोयले की अपेक्षित मात्रा में आयात कर सके।

बेरोजगार युवाओं को ऋण

519. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने अपने उद्योग/व्यापार को शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था;

(ख) इन बैंकों ने कितनी धनराशि के ऋण आबंटित किए और वांटे तथा कितने युवकों को ऋण प्रदान किए गए;

(ग) कितने आवेदन लंबित हैं और इनके लिए देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष बचे हुए आवेदनों को कितने संभावित समय में पूरा किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में ब्यौरे देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए लंबित आवेदनपत्रों की कुल संख्या क्रमशः 987, 2982 तथा 4786 है। आवेदनपत्रों के लंबित रहने के कारण सामान्यतः (i) कार्यक्रम वर्ष की समाप्ति के लिए आवेदनपत्रों को एकत्र करना (ii) अपूर्ण आवेदनपत्र (iii) बैंक द्वारा बुलाने पर ऋणकर्ताओं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलना आदि हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कार्यान्वयन करने वाले सभी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी कर दिए गये हैं कि 25,000/- रुपए तक के सभी पात्र ऋण आवेदनपत्रों को पन्द्रह दिन के अन्दर तथा 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदनपत्रों को 8 से 9 हफ्तों के अन्दर निपटा दिया जाए।

विवरण

कार्यक्रम वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कर्नाटक में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों, मंजूर तथा संवितरित ऋणों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

कार्यक्रम वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित ऋणों की संख्या	संवितरित राशि
1995-96	18668	10010	5550.29	87194	4692.04
1996-97	18923	9861	5476.10	7727	4288.85
1997-98 (अनन्तिम)	17350	9178	5310.66	4488	2560.52

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति

520. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1997 से आज तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और पिछले दो वर्षों के माहवार तुलनात्मक आंकड़े, क्या रहे;

(ख) क्या विगत में दर्ज की गई मुद्रास्फीति की दर कम होते हुए भी, सामान्य व्यक्ति के लिए अधिकांश वस्तुओं के मूल्य अब भी बहुत अधिक हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विरोधाभासी स्थिति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) अप्रैल, 1997 से

आज तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर की प्रवृत्ति नीचे सूची में दी गई है :

	1997-98		1996-97		1995-96	
	उ.मू.सू. सूचकांक (1982=100)	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	उ.मू.सू. सूचकांक (1982=100)	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	उ.मू.सू. सूचकांक (1982=100)	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)
अप्रैल	354	9.3	324	9.8	295	9.7
मई	352	7.3	328	9.3	300	10.3
जून	355	6.6	333	8.8	306	10.5
जुलाई	358	5.6	339	8.0	313	11.4
अगस्त	359	4.7	343	8.9	315	10.9
सितम्बर	361	4.9	344	8.5	317	10.1
अक्टूबर	365	5.5	346	8.5	319	10.4
नवम्बर	366	4.9	349	8.7	321	10.3
दिसम्बर	372	6.3	350	10.4	317	9.7
जनवरी	384	9.7	350	11.1	315	9.0
फरवरी	382	9.1	350	10.8	316	8.6
मार्च	380	8.3	351	10.0	319	8.9

(ख) और (ग) कुछ वस्तुओं मुख्यतः फलों और सब्जियों के मूल्यों में मौसमी बढ़ोत्तरी हुई जबकि 1997-98 में अधिकांशतः मुद्रास्फीति दर कम रही। 1998-99 के पहले 6 सप्ताहों के दौरान 30 आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से अधिकांश वृद्धि आलू (325.8 प्रतिशत), प्याज (32.9 प्रतिशत) और चाय (26.4 प्रतिशत) के मूल्यों में बहुत तीव्र वृद्धि के कारण हुई।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे सूची में दी गई है :

आवश्यक वस्तुओं में वार्षिक मुद्रास्फीति दर
(2.5.98 की स्थिति के अनुसार)

	वस्तुएं	वजन (प्रतिशत)	मूल्य वृद्धि (प्रतिशत)
उच्च मूल्य वृद्धि	आलू	0.47	325.8
(10 प्रतिशत	प्याज	0.16	32.9
से अधिक)	चाय	0.56	26.6
	रेप और सरसों का तेल	0.27	16.5
	मिर्च (सूखी)	0.32	16.1
	अरहर	0.27	15.3
	गुड़	1.75	14.7
1	2	3	4
	मछली	0.51	12.7
	नमक	0.04	10.7
मूल्य वृद्धि	दूध	1.96	8.3
(5-10 प्रतिशत)	मसूर	0.05	8.2
	मूंगफली का तेल	0.56	7.3
गिरते मूल्य	नारियल का तेल	0.17	16.8
(5 प्रतिशत से	बाजरा	0.18	12.6
अधिक)	ज्वार	0.42	12.3
	चना	0.41	11.3
	उड़द	0.15	7.9

वस्त्र निर्यात के लक्ष्य

521. श्री पृथ्वीराज डा० चव्हाण :
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा" :
प्रो० पी. जे. कुरियन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात जो 1997-98 में 4.6 प्रतिशत बढ़ा था, वह 13.36 मिलियन डालर के लक्ष्य से घटकर 7.3 प्रतिशत रह गया;

(ख) यदि हाँ, तो लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग को निर्यात से वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई सौर निर्यात से होने वाली आय में कमी के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र मत्रालय के पास डालर में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1997-98 के दौरान वस्त्र के निर्यात में समग्र वृद्धि लगभग 4.61 थी तथा निष्पादन में 7.3 प्रतिशत की कमी आई।

लक्ष्य प्राप्त करने में कमी व्यापारिक मंदी तथा प्रमुख आयातक देशों, खासकर यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ देशों में छिटपुट क्रियाकलापों में गिरावट आरै कतिपय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट के कारण प्रतिकूल बाजार दशाओं के कारण हुई।

(ग) और (घ) वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार अनेक कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती दर पर पूंजीगत सामानों के आयात को सक्षम बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे सामानों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

(ङ) वस्त्रों का निर्यात (हस्तशिल्प, पटसन तथा कयर सहित) 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान निम्नानुसार रहा था :

	मूल्य (अमरीकी मिलियन डालर में)
1994-95	9,980.15
1995-96	10,685.07
1996-97	11,839.13

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग का सत्र

522. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एशिया और प्रशान्त के लिए हुये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के 54वें वार्षिक सत्र में चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) 16 से 22 अप्रैल, 1998 के दौरान बैंकाक में आयोजित एशिया और प्रशान्त के आर्थिक और सामाजिक आयोग के 54वें वार्षिक सत्र में 'इक्कीसवीं सदी में एशिया और प्रशान्तः सामाजिक विकास की संभावनाएं' के मूल विषय पर चर्चा की गई। दक्षिण-पूर्व का वित्तीय संकट, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग; 2000 और उससे आगे का सक्रिय समर्थक व्यापार कार्यक्रम; पर्यावरण और बनाए रखे जाने वाले विकास पर क्षेत्रीय सहयोग, परिवहन, पर्यटन, अवस्थापना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना इत्यादि पर चर्चा की गई।

(ख) आयोग ने निम्नांकित के संबंध में भारत के सुझावों का समर्थन किया :

(i) डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत भावी व्यापार वार्ताओं के लिए सक्रियता समर्थक सकारात्मक विषय-सूची;

(ii) ट्रांस-एशियन रेलवे के दक्षिण कारिडोर के रास्ते को भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र से जोड़ने के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार;

(iii) नई दिल्ली में 1999 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग के बारे में दूसरे मंत्री-स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी।

भारत निम्नांकित 5 प्रस्तावों का भी सह-प्रायोजक था जिन्हें कि उपर्युक्त सत्र के दौरान स्वीकार किया गया :

(1) इक्कीसवीं सदी में विकलांग लोगों के लिए क्षेत्रीय सहायता को सुदृढ़ बनाना।

(2) इस्कैप क्षेत्र के जनसंख्या और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और कार्रवाईयों को लागू करने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों को जुटाना।

(3) ज्यादा वृद्ध लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष : सभी उम्र के लोगों के लिए समाज के प्रति।

(4) इस्कैप क्षेत्र में सामाजिक विकास की कार्रवाई के लिए कार्यसूची को तेजी से लागू करने के बारे में मनीला घोषणा।

(5) सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका को सुदृढ़ करना।

कोयला खानों की खोज

523. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कुछ नई कोयला खानों की खोज की गई;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कंपनी-वार, खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोयला खानों से प्राप्त कोयले की विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छेन्दिपदा कोयला खान भी उक्त खानों में से एक है; और

(ङ) यदि हाँ, तो छेन्दिपदा कोयला खानों में कोयले का कुल आरक्षित क्षेत्र कितना है तथा इन कोयला खानों में किस श्रेणी का कोयला भंडार पाया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जा रहे अंन्वेषण के परिणामस्वरूप भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा कोयला के भंडारों को विनिर्दिष्ट किया जाता है। 1.1.97 और 1.1.98 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा भारत में कोयले के भंडार का अनुमान क्रमशः 204,652.69 मि. टन तथ 206,239.50 मि. टन लगाया गया है। इनका राज्य-वार वितरण नीचे दर्शाया गया है :

राज्य	संबद्ध कोयला कंपनिया	भंडार मिलियन टन में	
		1.1.97 को	1.1.98 को
आं.प्रदेश	सिं.को.कं.लि.	13057.23	13127.23
अरुणाचल प्रदेश	ना इ को	90.23	90.23
असम	ना इ को	320.21	320.21
विहार	से.को.लि., भा.को.को.लि., इ.को.लि.	67819.36	67996.71
म.प्रदेश	वे.को.लि., सा.इ.को.लि., ना.को.लि.	41451.21	42116.35
महाराष्ट्र	वे.को.लि.	6738.79	6778.65
मेघालय	ना.इ.को.	459.43	459.43
नागालैंड	ना.इ.को.	19.94	19.94
उड़ीसा	भ.को.लि.	47889.83	48376.46
उ.प्रदेश	ना.को.लि.	1061.80	1061.80
प. बंगाल	इ.को.लि.	25774.66	25892.49
	जोड़	204652.69	206239.50

अन्वेषण के परिणाम पर आधारित कोयले की मांग और कोयले के ग्रेड, भंडार के स्थल, भू-गर्भीय परिस्थितियों और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

(ग) 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार, जी.एस.आई. के अनुमानों के आधार पर विभिन्न ग्रेडों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(मि.टन में)

अकोककर कोयला		
	ग्रेड ए	2087.95
	ग्रेड बी	6979.55
	ग्रेड सी	16526.95
	ग्रेड डी	23111.06
	ग्रेड ई.एफ. और जी.	86337.48
	अनुमानित	401277.06
	(वे ग्रेड जिन्हें निर्धारित किया जाना है)	
	जोड़	175220.05
	कोकिंग कोयला	30122.40
	टरटियरी कोयला	887.02
	कुल जोड़	206239.50

(घ) और (ङ) जी, नहीं। महानदी कोलफील्ड्स लि० (म.को.लि.) के अंतर्गत छेन्दिपादा एक चालू परियोजना है। छेन्दिपादा के कुल खनन योग्य कोयला भंडार 2.56 मि. टन है और कोयले का ग्रेड ई और एफ (अकोककर) है।

कपड़ा मिलों की संख्या

524. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी मिलें रुग्ण हो गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का सभी रुग्ण मिलों को संबंधित राज्य सरकारों को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई पेशकश को स्वीकार करने की इच्छुक राज्य सरकारों को क्या-क्या राहत और प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकारी क्षेत्र में 124 वस्त्र मिलें हैं। इन मिलों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न कम्पनियों के मामले रुग्णता

के कारण बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं न कि उनके अधीन मिलों के। बी.आई.एफ.आर. ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 9 सहायक निगमों में से 8 को रुग्ण घोषित कर दिया है जिनके अधीन 104 मिलें हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन तथा उसकी दो सहायक कम्पनियों अर्थात् एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और कानपुर टैक्सटाइल्स लिमिटेड जिनके अधीन पांच मिलें हैं, को भी बी.आई.एफ.आर. ने रुग्ण घोषित कर दिया है।

(ग) और (घ) एन.टी.सी. और बीआईसी की सहायक कम्पनियों की रुग्ण वस्त्र मिलों को सामान्य लागत अथवा निःशुल्क अधिग्रहण करने की एक पेशकर संबंधित राज्य सरकारों को की गई थी बशर्ते कि राज्य सरकारें अर्थक्षम मिलों को चलाने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने के दायित्व को स्वीकार करने के प्रति इच्छुक हो। यह भी पेशकश की गई थी कि केन्द्रीय सरकार, एन.टी.सी. (धारक कंपनी)/भारत सरकार इन मिलों को दिए गए ऋण तथा उन पर लगने वाले ब्याज के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार करने वाले कामगारों को अदा की गई वी.आर.एस. की राशि को बट्टे खाते डाल देगी/छोड़ देगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कामगारों को देय सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्वों का निर्वाह करने की भी इच्छुक होगी।

विवरण

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एन.टी.सी. और बी.आई.सी. मिलों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	पंजाब	5
2.	राजस्थान	4
3.	मध्य प्रदेश	7
4.	उत्तर प्रदेश	15
5.	महाराष्ट्र	35
6.	गुजरात	11
7.	आंध्र प्रदेश	6
8.	कर्नाटक	4
9.	केरल	5
10.	पांडिचेरी	3
11.	तमिलनाडु	13
12.	असम	1
13.	उड़ीसा	1
14.	बिहार	2
15.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	124

[हिन्दी]

व्यापार घाटा

525. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान देश के व्यापार घाटे में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान कितना व्यापार घाटा हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) व्यापार घाटे का आकलन निर्यातों पर आयात आधिक्य से किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन और निर्यातों में वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के आयात में वृद्धि के कारण आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

(ग) उपलब्ध डी.जी.सी. एंड एस. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान व्यापार घाटा रुपयों में क्रमशः 16325 करोड़ रुपये और 20103 करोड़ रुपये का तथा डालर के रूप में क्रमशः 4881 मिलियन अमरीकी डालर और 5663 मिलियन अमरीकी डालर रहा।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

526. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (एफ.ई.एम.ए.) लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्टरपोल ने सरकार से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.) न लाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे हवाला संचालकों का पता लगाने में कठिनाई होगी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य एजेन्सियों ने भी इस संबंध में अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफ.ई.आर.ए.) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.) लाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से देश में निवेश अवरुद्ध हो रहा है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को निरस्त करने और इसके स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस नए अधिनियम का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की 1993 में पुनरीक्षा की गई थी और यह महसूस किया गया था कि अधिनियम, 1973 के अनेक प्रतिबंधित उपबंधों को, वर्तमान सुधारों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए एकीकरण की तर्ज पर सुधारने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल ने भी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में पर्याप्त परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। बदले हुए वातावरण को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

(च) और (छ) विदेशी निवेश के प्रवाह में मन्दी नहीं आई है, बल्कि यह वर्ष 1994-95 में 5.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 5.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

[हिन्दी]

रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन देना

527. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान होने के बावजूद भारत का रेशम निर्यात प्रदर्शन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बहुत निराशाजनक है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा रेशम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी नहीं। ऐसा अनुमान है कि देश में उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत भाग का निर्यात किया जाता है तथा बाकी घरेलू खपत के लिए होता है। अन्य उत्पादक देशों की तुलना में रेशम के लिए भारत की घरेलू मांग अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त घरेलू बाजार में मौजूदा औसत इकाई मूल्य सामान्यतः मौजूदा औसत इकाई निर्यात मूल्य से अधिक है। भारत से रेशम का निर्यात, जो कि वर्ष 1993-94 में 786.22 करोड़ रुपए का था, वर्ष 1997-98 में बढ़कर 904.42 करोड़ रुपए हो गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनः चालू करना

528. श्री पंकज चौधरी :
श्री ए.सी. जोस :
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इन बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू करने में कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन्हें कब तक पुनः चालू किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कोई भी मिल बंद पड़ी हुई नहीं है। मुख्यतः कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कुछेक मिलों में क्रियाकलाप या तो आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से बंद हैं।

(ग) से (ङ) एन.टी.सी. (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, जिसकी उत्तर प्रदेश में 11 मिलें स्थित हैं, का मामला वी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है जिसने उसे रुग्ण घोषित कर दिया है। एन.टी.सी. द्वारा किये गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन पर सरकार एन.टी.सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों द्वारा उठायी जा रही हानि

529. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत कुछ कोयला खानें जैसे कि सैंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आदि घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी रुग्ण और घाटे में जाने वाली कोयला खानों का ब्यौरा दें;

(ग) क्या सरकार इन कोयला खानों को बंद करना चाहती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कोयला खानों द्वारा उठाई गई हानि को रोकने और उनको पुनरुजीवित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी. हाँ।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान निम्नलिखित 381 खानों में घाटा हुआ :

क्र सं.	कंपनी	घाटा उठाने वाली खानों की संख्या
1.	ई.को.लि.	109
2.	भा.को.को.लि.	61
3.	से.को.लि.	51
4.	वे.को.लि.	36
5.	सा.ई.को.लि.	27
6.	म.को.लि.	29
7.	ना.ई.को./को.इं.लि.	06
8.	सि.को.कं.लि.	62
	जोड़	381

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान भू-गर्भीय परिस्थितियों, सुरक्षा कारणों और अपर्याप्त खान के भंडारों के कारण 6 खानों (ई.को.लि. में चार खानों और वे.को.लि. में दो खानों) में उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया है।

घाटे वाली खानों के पुनरुद्धार के लिए कोयला कंपनियों ने कई कदम उठाए हैं जैसे :

(i) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए श्रमशक्ति का पुनः नियोजन करना।

(ii) उत्पादन में वृद्धि के लिए अल्पावधिक योजनाएं।

(iii) हस्तचालित लदान के स्थान पर एस.डी.एल. तथा एल.एच.डी. का प्रयोग।

(iv) उपकरणों का उपयुक्त उपयोग।

(v) बेहतर रख-रखाव, पर्याप्त कलपुर्जों की उपलब्धता और संचालकों तथा रख-रखाव कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना।

(vi) लागत नियंत्रण उपायों को कड़ाई से लागू करना।

(vii) प्रेषणों के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना।

(viii) वी.आर.एस. के माध्यम से अधिशेष श्रमशक्ति में कमी करना।

[अनुवाद]

अलाभकारी परिसम्पत्तियां

530. श्री रूपचन्द पाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई.बी.ए. के अध्यक्ष श्री ए.टी. एन्नारी सेल्वम की अध्यक्षता में अलाभकारी परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्वनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति ने अनुपयोज्य आस्तियों के कारणों और ऋणों की वसूली में कमी के कारकों की जांच की है और बैंकों की देय राशियों की प्रभावी वसूली तथा अनुपयोज्य आस्तियों में कमी के लिए उठाए जाने वाले उपाय सुझाए हैं।

(ग) ऋणों की वसूली में सुधार करने तथा अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बैंक प्रबंधनों को प्रोत्साहित करता रहा है। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पहले ही ऋण नीति और ऋण वसूली नीति के बारे में कागजात तैयार करने के लिए कहा है जो उनके निदेशक मंडल द्वारा जांच किया गया हो। प्रत्येक बैंक ने महाप्रबंधक के प्रभाराधीन अपने मुख्यालयों में वसूली कक्ष की स्थापना की है। वसूलियों के लिए शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वसूली की स्थिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मासिक आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा नियमित आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। एन्नारी सेल्वम समिति की सिफारिशें अनुपयोज्य आस्तियों के नियंत्रण और कमी के निरंतर प्रयासों में योगदान देती हैं।

कोयला उत्पादन

531. श्री कमलनाथ :
श्री अजीत जोगी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न कोयला खानों में कंपनी-वार कुल कितने कोयले का उत्पान हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने कोयले का निर्यात किया गया तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और किन-किन देशों को कोयला निर्यात किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टिस्को, इस्को तथा डी.वी.सी. की गृहीत कोलियरियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) की सहायक कंपनियों की खानों से उत्पादित कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

कंपनी-वार/ सहायक कंपनी-वार	1995-96	1996-97	1997-98 (अन.)
ई.को.लि.	27.81	29.65	27.44
भा.को.को.लि.	27.81	27.14	30.92
से.को.लि.	30.76	32.18	33.20
ना.को.लि.	35.20	37.01	37.12
वे.को.लि.	29.01	31.23	32.51
सा.ई.को.लि.	53.17	55.30	56.63
म.को.लि.	32.70	37.36	40.17
ना.ई.को.	0.82	0.75	0.69
को.इं.लि.	237.28	250.62	260.68
सिं.को.कं.लि.	26.77	28.73	28.94
गृहीत कोलियरियां (टिस्को, इस्को और डी.वी.सी.)	6.08	6.28	6.31
जोड़	270.13	285.63	295.93

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा केवल बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान को कोयले का निर्यात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए कोयले की गुणवत्ता तथा निर्यात आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात की मात्रा (000 टन में)	निर्यात की आय
1995-96	92.0	14.88 करोड़ रु० (14.4 लाख अमरीकी डालर सहित)
1996-97	125.5	22.60 करोड़ रु० (17.4 लाख अमरीकी डालर सहित)
1997-98	55.8	12.04 करोड़ रु० (3.39 लाख अमरीकी डालर सहित)

नेपाल और भूटान को कोयले का निर्यात भारतीय रुपये में किया जाता है।

लघु उद्योग इकाइयों की मदों का अनारक्षण

532. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में इसके लिए आरक्षित मदों का अनारक्षण किए जाने से असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को लघु उद्योग संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा तथा उचित वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु नागर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों में रुग्णता की समस्याओं से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर लघु उद्योग बोर्ड की 30 अगस्त, 1997 को हुई बैठक में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया जिसमें अनारक्षण का मुद्दा भी शामिल था। बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में राज्य सरकारों तथा अनेक लघु उद्योग संघों से कतिपय निर्धारित मदों के अनारक्षण पर अपनी-अपनी राय व्यक्त करने को कहा गया था। यद्यपि कुछ लघु उद्योग संघों के द्वारा साधारणतया अनारक्षण का विरोध किया गया, उन्हीं में से कुछ ने अनारक्षण की सिफारिश का समर्थन भी किया।

(ग) आरक्षण सलाहकार समिति की सलाह पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद तथा लघु उद्योग क्षेत्र के समग्र हितों को ध्यान में रखकर, चरणबद्ध रूप में ही अनारक्षण करने का निर्णय किया है।

(घ) सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा तथा विकास के लिए नागर समिति के नाम से किसी समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार उक्त क्षेत्र के हित के लिए विशेष रूप से बनायी गयी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। इनमें लघु उद्योग क्षेत्र में अनन्य रूप से विनिर्माण के लिए मदों के आरक्षण संबंधी नीतिगत उपाय, सरकारी खरीद में लघु उद्योगों के उत्पादों के मूल्य एंव खरीद को वरीयता देना, उत्पादन शुल्क रियायत के रूप में राजकोषीय छूट; आधारभूत विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण और उद्यमीयता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कीमें शामिल हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और तत्संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए नायक समिति का गठन किया था। समिति ने, अन्य पहलुओं के साथ-साथ, लघु उद्योग क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता के पहलुओं पर विचार किया और रुग्णता के लिए विभिन्न आंतरिक तथा बाह्य कारकों का पता लगाया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, पुनर्वास के लिए ब्याज की घटी दर, रुग्ण घोषित एककों की तुरंत जीव्यता अध्ययन/उपचार कार्यक्रम, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों एवं मुख्य कार्यालय में रुग्ण औद्योगिक एककों के मामलों को निपटाने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करने और तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञ कार्मिकों की व्यवस्था करने के बारे में परामर्श दिया है। रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियां राज्य सरकारों के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में मौजूद हैं।

मुक्त बंदरगाह

533. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में कुछ मुक्त बंदरगाह स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हाँ, तो चुने गए शहरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा दें;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) मुक्त बन्दरगाह कब तक स्थापित किए जायेंगे; और

(ङ) यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता किस प्रकार करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण डेगड़े) : (क) से (ङ) भारत में एक मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता तथा संभाव्यता की जांच करने के लिए श्री रौनक सिंह, उद्योगपति की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार समिति ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की जांच की गई है और सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से एक कार्यान्वयन मॉडल तैयार करने को कहा है जिसमें कानूनों तथा नियमों में होने वाले संभावित परिवर्तनों, प्रशासनिक ढांचे तथा विभिन्न वित्तीय उपायों का ब्यौरा दिया जाए ताकि सरकार नीतिगत निर्णय ले सके।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों हेतु खरीदी गई वस्तुएं

534. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों के लिए एच.ई.सी. से कौन-कौन सी वस्तुएं खरीदी गई हैं और इनका वस्तुवार मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एच.ई.सी. द्वारा निर्मित वस्तुओं की एच.ई.सी. की बजाए निजी क्षेत्र से सीधे ही खरीद की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा मेसर्स एच.ई.सी. से खरीदे गए उपकरण निम्न हैं :

वर्ष	उपकरण	संख्या	कुल कीमत (लाख रुपये में)
कोल इंडिया लिमिटेड			
1995-96	अन्य उपकरणों	-	25554.45
1996-97	5 एम 3 रोप शावेल	17	4505.00
	250 एमएम ड्रिल	3	370.50
	अन्य	-	6965.25
1997-98	5 एम 3 रोप शावेल	13	3445.00
	अन्य	-	2308.55
सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड			
1995-96	सेंटर लांय, एल.सी. 190 ली/4 एम	-	31.09
1996-97	अन्य	-	66.45
1997-98	5 क्यू.मी.रोप शावेल	2	530.00
	अन्य	-	21.76

(ख) और (ग) उपयुक्त उपकरणों, जैसा कि शावेल, ड्रिल आदि, के संबंध, वे उपकरण जिनका कार्य-निष्पादन रिकार्ड संतोषजनक है, उन्हें एच.ई.सी. से उपलब्ध करवाया जा रहा है। शावेल और ड्रिल के प्रमुख कलपुर्जों, जिनकी आपूर्ति एच.ई.सी. द्वारा की जाती है। उपकरणों/मदों को उपलब्ध करने की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों को विज्ञापित किया जाता है तथा उनकी पेशकश किए जाने की तकनीकी स्वीकार्यता, प्रतियोगी कीमतें तथा पहले आपूर्ति की गई उसी प्रकार के उपकरण के कार्य-निष्पादन के आधार पर स्रोतो/संभरकों का चयन किया जाता है।

[अनुवाद]

निर्यात में वृद्धि

535. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामलों सहित निर्यात में वृद्धि करने हेतु एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान निर्यात में कितनी कमी आई है और इस नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई निर्यात नीति में किन-किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कौन-कौन से मामले आते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) मंत्रालय ने निर्यात वृद्धि में गति लाने के लिए मध्यम अवधि की रणनीति बनाई है।

(ख) और (ग) डी.जी.सी. आई एंड एस. के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार निर्यात मूल्य 1996-97 के 33106 मिलियन यू.एस. डालर से बढ़कर 1997-98 में 33980 मिलियन यू.एस. डालर हो गया। नई रणनीति में सन् 2002 तक 90-100 मिलियन यू.एस. डालर के निर्यात स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करने और विश्व निर्यात में 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और दिशागत पहलुओं को शामिल किया जाता है। इस रणनीति में भारत के निर्यात लाभ में सुधार करने के लिए बाजार-पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाएं इत्यादि जैसे डब्ल्यू.टी.ओ. मुद्दों की ओर ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय रणनीति में क्षेत्र-विशेषकर मुद्दों पर चर्चा की जाती है और इन क्षेत्रों में व्यापार में सुधार करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। दिशागत रणनीति में अफ्रीका, लैटिन अमरीका और सी.आई.एस. देशों के उभरते हुए बाजारों में विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादों का निर्यात

536. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा प्रस्ताव किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की लक्ष्य दर 6.8 प्रतिशत थी। उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1997-98 के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। वर्ष 1996-97 के औद्योगिक उत्पादन की लक्ष्य दर प्राप्त की जा चुकी हैं क्योंकि वर्ष 1996-97 के दौरान वास्तविक औद्योगिक वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1997-98 के दौरान सकल औद्योगिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए यू.एस.डालर के रूप में क्रमशः 20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की लक्ष्य वृद्धि का अनुमान किया गया था। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान निश्चित किए गए निर्यात लक्ष्यों को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका। डी.जी.सी. आई एंड एस. के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 1996-97 और 1997-98 के दौरान डॉलर के रूप में प्राप्त वृद्धि दर क्रमशः 4.01 प्रतिशत और 2.64 प्रतिशत तथा रुपये के रूप में 10.39 प्रतिशत और 7.45 प्रतिशत थी।

(घ) निर्यात निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दशाओं, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं तथा नीतिगत ढांचे द्वारा प्रभावित होता है। सरकार द्वारा निर्यात के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने तथा व्यापार और उद्योग के साथ विचार-विमर्श के जरिए लगातार निर्यात संवर्द्धन उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों में डी.ई.पी.बी. दरों में सुधार, करीब 300 नई निर्यात मदों के लिए डी.ई.पी.बी. दरों की घोषणा, निर्यात वृद्धि के लिए मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करना, फोकस एल.ए.सी. योजना की शुरूआत और प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

राज्यों से प्राप्त राजस्व

537. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के विभिन्न जिलों तथा देश के अन्य राज्यों से आयकर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लघु बचत जैसे विभिन्न स्त्रोतों और ऐसे अन्य विभिन्न स्त्रोतों से 1995 से 1998 तक और अब तक वर्षवार कोई राजस्व अर्जित किया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितनी कर राशि की वसूली की गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों को कितनी धनराशि लौटायी गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) इन प्रयोजनों के लिए जिला-वार आँकड़े नहीं रखे जाते। गुजरात के साथ-साथ अन्य राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा आयकर (निगमित कर सहित), उत्पाद शुल्क और सीमा

शुल्क और लघु बचत उगाही से एकत्र किया गया कुल राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ों रुपयों में)

वर्ष	आयकर (निगमित कर सहित)		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सीमा शुल्क		लघु बचत उगाही	
	गुजरात	अन्य राज्य	गुजरात संघ शासित क्षेत्रों सहित	अन्य राज्य	गुजरात संघ शासित क्षेत्रों सहित	अन्य राज्य	गुजरात	अन्य राज्य
1995-96	1953.48	30120.52	5052.60	35512.78	4763.26	30738.47	1060.58	8676.75
1996-97	1915.33	34885.67	6011.48	38906.14	6671.69	36218.27	982.47	11362.83
1997-98 (अनंतिम)	1846.92	35138.08	7142.60	40639.07	6211.56	3430.53	1825.75	17730.58

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के साथ-साथ अन्य राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से और निबल लघु बचत उगाही के कारण दीर्घावधि ऋणों के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार से है :

वर्ष	केन्द्रीय करों का हिस्सा		निवल लघु बचतों के कारण ऋण	
	गुजरात	अन्य राज्य	गुजरात	अन्य राज्य
1995-96	1139.56	28126.65	838.56	7333.08
1996-97	1359.54	33747.90	760.33	8246.60
1997-98	1704.25	41857.96	1226.24	12313.89

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

538. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान स्तर पर लाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी समय-समय पर अपने वेतनमानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों के समान लाने की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के अंतर्गत, सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पिछली बार ऐसा निर्धारण दिनांक 22.2.1991 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन.आई.टी.) के पंचाट के अनुसरण में किया गया था जिसकी स्थापना एक रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की गई थी। भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियनों/अधिकारी संघों के बीच क्रमशः फरवरी 1995 और जून 1995 को हुए छठे द्विपक्षीय समझौते के तहत वाणिज्यिक बैंकों में वेतन पुनरीक्षण किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने भी इसी प्रकार के वेतन पुनरीक्षण की मांग की है। तथापि, अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारी संचयी घाटा हुआ है। कर्मचारियों, ग्राहकों तथा संस्थाओं के हितों का समाधान करने के लिए एक पैकेज तैयार करने हेतु सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया जो इस मुद्दे पर सरकार से सिफारिश कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त रिपोर्ट पर की गई जांच को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

डम्पिंग कानून

539. श्री संदीपान थोरात : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डम्पिंग" कानूनों को और पारदर्शी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अभी हाल ही में किए गए परिवर्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिवर्तनों के क्या प्रभाव पड़े हैं; और

(घ) डम्पिंग के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) सूचना के आदान-प्रदान, प्रकटन, मौखिक सुनवाई इत्यादि के संबंध में भारत में पाटन-रोधी कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जांच संबंधी कार्रवाइयां पारदर्शी होती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं विस्तृत होती हैं तथा उनमें जांच के सभी पहलुओं का उल्लेख होता है। अतः इस संबंध में कोई परिवर्तन करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऐसे मामलों, जिनमें प्रारम्भिक/अन्तिम निष्कर्ष घोषित किए जा चुकें हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) ऐसे मामले, जिनमें निश्चित (अंतिम) पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा की गई है

क्र. सं.	उत्पाद	देश/देशों	अनुसंशित शुल्क की रेंज (रु0 प्रति इकाई)
1	2	3	4
1.	पी.वी.सी. रेंजिन*	ब्राजील	2036/मी.टन
		मैक्सिको	1619/मी.टन
		कोरिया जनवादी गणराज्य	1253/मी.टन
		यू.एस.ए.	504/मी.टन
2.	बिलफोनोस-ए**	जापान	7477/मी.टन
3.	पोटाशियम परमैगनेट	चीन.पी.आर.	5992/मी.टन
4.	आइसोब्यूटाइश बेनजीन$	चीनपीआर	10634/मी.टन
5.	3,4,5 ट्राइमीथोवसी बेनेवालडाइट (टीएमबीए)	चीनपीआर	237/कि.ग्रा.
6.	थोयोफाइलीन कैफीन	चीनपीआर	108/कि.ग्रा.
			101/कि.ग्रा.
7.	एक्रीलोनीट्रिले बूटाडाइन रबड़ (एनडीआर)	जापान	19036/एम.टी.
8.	बिसफीनोल-क	ब्राजील	10263/एम.टी.
		रूस	12559/एम.टी.
9.	सोडियम पैरोसाइनाइड	चीनपीआर	16358/एम.टी. से 20287/एम.टी.
10.	डैड बर्न्ट मैगनेसाइड (डीबीएम)	चीनपीआर	1333/एम.टी. से 1925/एम.टी.
11.	लो कार्बन फेरा क्रोम (एससीएफसी)	रूस कजाकिस्तान	10900 से 18600/एम.टी.
12.	8-हाइड्रोक्सीक्यूनोलीन	चीनपीआर	183 कि.ग्रा. से 286 कि.ग्रा.
13.	बिसफीनोल-क	यू.एस.ए.	10,000 एम.टी.
14.	एक्रीलोनीट्रिले ब्रटाडाइन रबड़ (एनबीआर)	जर्मनी, कोरिया आर.पी.	33255/एम.टी. 8316/एम.टी.
15.	एक्रीलिक फाइबर	यू.एस.ए. थाइलैंड कोरिया आर.पी.	6.30 से 42.93 प्रति कि.ग्रा.
16.	वेटालिस्ट	डेनमार्क	21.24-192.01 प्रति लि.
17.	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड	***	5517=130997/एम.टी.
18.	न्यूजप्रिंट	यूएसए कनाडा रूस	संदर्भ मूल्य 22958-26096/एम.टी.
19.	पी.टी.ए.	थाइलैंड, कोरिया आर.पी. इंडोनेशिया	1130-3375/एम.टी.
20.	विटामिन-सी	चीन पी.आर., जापान	27.59.96 प्रति कि.ग्रा.

* अनुसंशित शुल्क 23.12.97 की समीक्षा के बाद जारी नहीं रखी जानी है।

** समीक्षा के पश्चात् 8434 मी.टन तक की वृद्धि।

समीक्षा के पश्चात् 12465 मी.टन तक की वृद्धि।

*** यू.एस.ए., चीन, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस।

ख. ऐसे मामले, जिनमें अन्तिम शुल्क की अनुशंसा की गयी है तथा जांच चल रही है

उत्पाद	देश/देशों	अनुशंसा की तिथि	अनुसंशित शुल्क की मात्रा
1. मैगनेशियम	चीनपीआर	06.02.98	27509 एम.टी.
2. मेटासरजिसल	चीनपीआर	20.03.98	1800 एम.टी.
3. पोलिस्ट्रीन	कोरिया आर पी जापान, ताइवान		
	मलेशिया	12.05.98	शून्य से 11388 एम.टी.

महानदी कोयला क्षेत्र की जांच

540. श्री अजीत जोगी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महानदी कोयला क्षेत्र द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त कोयला क्षेत्र के क्रियाकलापों को और आगे बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (म.को. लि.) द्वारा अर्जित किए गए कुल राजस्व को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

1996-97	1995-96	1994-95
1014.46	1081.94	810.12

(ख) जी, हाँ।

(ग) वर्ष 1996-97 में म.को.लि. में कोयले का वास्तविक उत्पादन 37.366 मि. टन था। वर्ष 1997-98 तथा 2001-02 जो कि नौवीं योजना का अंतिम वर्ष है, में कंपनी के कोयला उत्पादन के अस्थायी लक्ष्य क्रमशः 39.50 मी.ट. तथा 47.20 मी.ट. है। वर्तमान में म.को.लि. 20.10 मि.ट. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली 5 परियोजनाएं चला रही हैं, जिनका पूंजीगत परिव्यय 865.02 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 20.35 मि.ट. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली म.को.लि. की 6 कोयला परियोजनाओं हेतु अग्रिम कार्रवाई योजना स्वीकृत कर दी गई है।

एन्टी डम्पिंग कानून

541. श्री मोहन सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल और सूती कपड़े के आयात-निर्यात पर यूरोप तथा अमेरिका में एन्टी डम्पिंग कानून सख्ती से लागू किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त देशों को प्रतिवर्ष कितना बासमती चावल तथा सूती कपड़ा निर्यात किया गया है; और

(ग) इस कानून से भारतीय निर्यात के किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है और सरकार द्वारा भारतीय निर्यात को बचाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) यूरोपीय आयोग द्वारा भारत से हुए अविरंजित सूती कपड़े के निर्यात के खिलाप पाटन रोधी जांच प्रारम्भ की गई थी और उसने 4.9 प्रतिशत से लेकर 16.9 प्रतिशत तक के अनन्तिम शुल्क की संस्तुति की है। बासमती चावल के निर्यात के विरुद्ध कोई पाटनरोधी मामला प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ख) यूरोपीय आयोग को सफेद सूती कपड़े का निर्यात :

वर्ष	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996	46.50	696.28
1997	44.38	699.09

(ग) यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उससे भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने इस मामले को ब्रसेल्स स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से यूरोपीय आयोग के अधिकारियों के समक्ष उठाया है, जब कि सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) द्वारा सूती वस्त्र निर्यातकों की ओर से इस मामले का बचाव किया जा रहा है।

भराई उत्पाद शुल्क

542. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कोयला कंपनियों को कोयला निकालने के लिए राज्य सरकार को 3.50 रुपए प्रति टन की दर से भराई उत्पाद शुल्क अदा करना होता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त राशि कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कोयला नियंत्रक, कलकत्ता के पास जमा की जाती है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उक्त राशि राज्यों को उचित रूप से प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्यों को उक्त राशि प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत भारत में कोलियरियों से प्रेषित तथा निर्मित सभी कोक तथा खनित और प्रेषित सभी कोयले पर कोयला कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क प्रभारित तथा एकत्र किया जाता है तथा कोयला नियंत्रक के पास जमा करवाया जाता है। वर्तमान दर कोककर कोयले हेतु 4.25 रुपये प्रति टन तथा अकोककर कोयले हेतु 3.50 प्रति टन है। कोयले के खनन हेतु राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) कोयला खनन (संरक्षण एंव विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, प्रभारित एवं एकत्रित उत्पाद शुल्क का वितरण केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खानों के मालिकों, एजेंटों अथवा प्रबंधकों या किसी अन्य व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों से वितरित किया जाएगा :

क. कोयले का संरक्षण तथा कोयला खानों का विकास;

ख. रेत भराई से संबंधित सामग्री देना तथा रेत-भराई संबंधी क्रियाकलापों हेतु अन्य सहायता;

ग. कोयले के संरक्षण अथवा कोयला खानों में सुरक्षा हेतु रेत-भराई तथा अन्य क्रियाकलापों का क्रियान्वयन;

घ. कोयले की उपयोगिता तथा संरक्षण से संबंधित अनुसंधान कार्य का क्रियान्वयन; और

ङ. कोयले की उपयोगिता अथवा परिवहन वितरण अथवा कोयला खानों के विकास अथवा कोयले के संरक्षण से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन।

(घ) और (ङ) उपरोक्त ''ग'' को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कर राहत

543. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु कर राहत प्रदान करने का है जो अपने उद्योग निजी उत्पादन के सहारे चला रहे है;

(ख) क्या निजी विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) इस संबंध में सरकार का उत्तर वार्षिक बजट प्रस्तावों में निहित होगा।

(ख) और (ग) उपर्युकत को ध्यान में रखते हुए, भाग (ख) और (ग) के उत्तर के संबंध में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की खपत

544. श्री अशोक प्रधान : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों में केन्द्रवार कोयले की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन विद्युत केन्द्रों को केन्द्रवार प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों में कोयले की आपूर्ति की अनुमानतः कितनी कमी पाई गई; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के उक्त विद्युत केन्द्रों को कोयले की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1997-98 के दौरान उ.प्र.रा.वि.बो. के विद्युत गृहों में की गई कोयले की खपत इस प्रकार है :

(000 टन में)

	विद्युत गृह का नाम	1997-98 के दौरान वार्षिक खपत
1.	अनपाड़ा	7954
2.	हरदुआगंज बी + सी	646
3.	ओबरा	3481
4.	पनकी	729
5.	परीचा	556
6.	टांडा	889
	जोड़	14255

(ख) पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष के दौरान उ.प्र.रा.वि.बो. के विद्युत गृहों को आपूर्तित कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :

(000 टन में)

विद्युत गृह	आपूर्तित कोयला		
	1997-98 (अनंतिम)	1996-97	1995-96
हरदुआगंज	917	772	917
पनकी	823	576	633
ओबरा	4084	3428	4063
अनपाड़ा	8039	8201	7770
टांडा	1282	1058	989
परीचा	718	574	331
जोड़	15863	14609	14703

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98, 1996-97 तथा 1995-96 के दौरान उ.प्र.रा.वि.बोर्ड के संयोजनों की तुलना में आपूर्ति क्रमशः 96 प्रतिशत, 107 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत थी। कम आपूर्ति भुगतान की तुलना में नियमित आपूर्ति तथा हरदुआगंज, टाडा तथा पनकी विद्युत गृहों के संबंध में उ.प्र.रा.वि. बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

विद्युत क्षेत्र को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति का प्रबोधन नियमित रूप से अंतर-मंत्रालीय दल द्वारा किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

एन.ई.एच.एच.डी.सी. को वित्तीय आवंटन

545. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एन.ई.एच.डी.सी.) को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और नौवीं योजना के दौरान, कितना आवंटन किये जाने का विचार है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.ई.एच.डी.सी. द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को 240.00 लाख रुपये की राशि (प्रति वर्ष 80.00 लाख रुपये) आवंटित की गई। नवीं योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त निगम को 570.00 लाख रुपये की राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एंव हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (पूर्व हस्त.हथ.वि.निगम लिमिटेड) की उपलब्धियों में देश के विभिन्न भागों में 109 प्रदर्शनियों का आयोजन करना, भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले, राष्ट्र हथकरघा एक्सपो, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा पूर्वोत्तर शिल्प मेले आदि सहित विभिन्न मेलों/त्यौहारों में भाग लेना शामिल है और इसके अतिरिक्त चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, गुवाहाटी एवं शिलांग स्थिति निगम के पांच एम्पोरियमों ने अपना सामान्य विपणन कार्य किया।

रबड़ का मूल्य

546. प्रो० पी.जे. कुरियन :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान, माहवार, प्राकृतिक रबड़ का मूल्य क्या रहा है; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले किसान, जो बड़ी दुविधा में हैं, की सहायता के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक रबड़ के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य व्यापार निगम ने केन्द्र सरकार के निर्देशों पर वर्ष 1997-98 के दौरान घरेलू बाजार से 9596 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य संबंधी स्थिति में आगे और सुधार लाने के लिए, सरकार ने हाल ही में राज्य व्यापार निगम को बाजार से 20,000 मी. टन अतिरिक्त प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने का निर्देश दिया है। प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के संबंध में एक अध्ययन भी किया गया है ताकि प्राकृतिक रबड़ के बैंचमार्क मूल्य को संशोधित किया जा सके।

विवरण

रबड़ का मूल्य

(रुपये क्विंटल)

महीना	भारत (आरएसएस-4)	अन्तर्राष्ट्रीय (आरएसएस-3)
1	2	3
(1995)		
जनवरी	4273	4987
फरवरी	4673	5388
मार्च	5195	5565
अप्रैल	5441	5640
मई	6047	5275
जून	8171	4759
जुलाई	5231	4164
अगस्त	4295	4005
सितम्बर	4197	4370
अक्टूबर	4694	4798
नवम्बर	4925	5498
दिसम्बर	5598	5503
(1996)		
जनवरी	5587	5327
फरवरी	5249	5488
मार्च	5007	5162
अप्रैल	5005	4790
मई	5252	4929
जून	5385	4911
जुलाई	5121	4537
अगस्त	5033	4409
सितम्बर	5060	4440

1	2	3
अक्टूबर	5121	4236
नवम्बर	4897	4467
दिसम्बर	4732	4406
(1997)		
जनवरी	4700	4327
फरवरी	4286	4305
मार्च	4199	4343
अप्रैल	3979	4085
मई	4483	3920
जून	4224	3933
जुलाई	3937	3314
अगस्त	4298	3256
सितम्बर	3992	3127
अक्टूबर	3495	3091
नवम्बर	3389	3026
दिसम्बर	2970	2637
(1998)		
जनवरी	2890	2426
फरवरी	2700	2963
मार्च	2700	2867
अप्रैल	2663	2988

वित्तीय सुधारों की निगरानी हेतु नियामक प्राधिकरण

547. श्री के.एस राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु स्वायत्त नये विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण को सौंपे जाने वाले कृत्यों का ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता और कारण क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्धनन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खादी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना

548. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर खादी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोहों को मनाने हेतु भारत सरकार ने 14 अगस्त, 1998 तक की अवधि के लिए खादी की बिक्री पर विशेष छूट की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 26.1.98 को नयी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी के साथ भाग लिया जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण हेतु गांवों में क्रियान्वित किये जा रहे कार्यकलापों को दिखाया गया था।

(2) भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भरतीय उच्चायोग द्वारा अक्रा, घाना में संयुक्त रूप से भारतीय हस्तशिल्प तथा मशीनरी की एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी।

समुद्री उत्पादों के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

549. श्री रंजीव बिस्वाल :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय संघ द्वारा भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर किस तारीख से प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ इस विषय पर बातचीत की है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण उत्पन्न संकटों का समाधान किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) यूरोपीय आयोग ने 1 अगस्त, 1997 के अपने निर्णय के द्वारा यूरोपीय संघ के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के एक दल द्वारा यह देखी गई मत्स्य पालन संस्थानों में अवस्थापना तथा स्वच्छता के बारे में कुछेक कमियों से संबंधित निष्कर्षों के आधार पर भारतीय मछली और मछली के उत्पादों के आयात पर रोक लगाई थी। उनके 1 अगस्त, 1997 के निर्णय में, यूरोपीय आयोग ने यह भी कहा है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों की सफलता की पर्याप्त गारंटिया उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) से (च) भारत सरकार ने मछली उत्पाद प्रसंस्करण एककों के निरीक्षण तथा निगरानी के लिए निर्यात संबंधी क्रियाविधियों तथा प्रणालियों में सुधार किया है। सीआईएफटी (केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान) एम्पीडा (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) तथा ई.आई.ए. (निर्यात निरीक्षण अभिकरण) से लिए गए तकनीकी कर्मियों के सहयोग से मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों के निरीक्षण की दुतरफा प्रणाली शुरू की है।

इसके फलस्वरूप यूरोपीय संघ ने अपने 23 दिसंबर, 1997 के अपने निर्णय के द्वारा ऐसे मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण एककों से, जो मानदंडों को पूरा करते हैं, मछली तथा मछली के उत्पादों के आयात पर आयात सम्बन्धी रोक को हटाने का निर्णय लिया। निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेशक यूरोपीय संघ को मछली तथा मछली के उत्पादों को निर्यात करने के लिए अब तक दो फ्रीजर पोतों सहित कुल 30 मछली उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दे चुके हैं तथा उसे ब्रुस्सेलस स्थित यूरोपीय संघ के भारत के दूतावास के कार्यालय के माध्यम से यूरोपीय आयोग को सूचित कर दिया गया है। निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेशक द्वारा उपर्युक्त स्वीकृतियों में से यूरोपीय आयोग ने अब तक उन 23 मछली उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों की एक सूची को अपने दिनांक 7.4.98 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया है जो यूरोपीय संघ के सदस्य-देशों को मछली तथा मछली के उत्पादों का निर्यात करने के लिए पात्र हैं। जैसाकि निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेशक द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, शेष मछली उत्पाद प्रसंस्करण यूनिटों के भी यथासमय यूरोपीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने की संभावना हैं।

नये आयकर दाता

550. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 के फलस्वरूप नये आयकरदाताओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उनसे कितना वार्षिक आयकर एकत्र होने की आशा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 की एक प्रमुख विशेषता इसकी गोपनीयता थी। इस योजना के अन्तर्गत, आयकर आयुक्त, जिनके समक्ष घोषणा की गई थी, के अलावा किसी भी व्यक्ति को ऐसी घोषणा की जानकारी नहीं होनी थी। इसलिए, भविष्य में ऐसे घोषणाकर्त्ताओं द्वारा भरी जाने वाली आय विवरणियों के साथ घोषणाओं को सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, घोषणाकर्त्ताओं से प्रत्याशित वार्षिक आयकर की वसूलियों के बारे में संकेत देना भी संभव नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

551. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह कहा है कि ''इंडिया नीड्स स्ट्रोंगर रिफार्म्स टू ग्रो फर्दर'';

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मई, 1998 के ''द वर्ल्ड इकोनोमिक आउट लुक'' नामक दस्तावेज में यह महसूस किया गया है कि भारत को स्थाई और तीव्र विकास के पथ पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, विदेशी व्यापार और निवेश को उदार बनाने हेतु, अवसंरचनात्मक गत्यावरोधों को दूर करने हेतु, घरेलू उत्पाद बाजार को विनियंत्रित करने और वित्तीय तथा उद्यम क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु सुदृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने सुधार प्रक्रिया को व्यापक और ठोस बनाने की अपनी बचनवद्धता को स्वीकार किया है कि अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की 7 से 8 प्रतिशत तक वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

प्रिंटिंग प्रेस/टकसाल

552. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी प्रिंटिंग प्रेस और टकसालें हैं और उनकी क्षमता कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थिति हैं;

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन प्रेसों और टकसालों में कितने-कितने मूल्य के कितने नोट और सिक्के छापे/ढाले गये;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने-कितने मूल्यों के करेंसी नोट/सिक्के छापने/ढालने के लिये किन-किन टकसालों और प्रिंटिंग प्रेसों को आर्डर दिये गये थे और किन-किन दरों पर ये करेंसी नोट और सिक्के छापे/ढाले गये थे;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को विदेशों में छापे/ढाले करेंसी नोट और सिक्के प्राप्त हुये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1998 तक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों से कितने करेंसी नोट और सिक्के प्राप्त हुये हैं और उन देशों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सूचना निम्नानुसार है :

क्र. सं.	मुद्रणालय/टकसाल का नाम उसकी अवस्थिति सहित	वार्षिक क्षमता (मिलियन अदद्)
1.	बैंक नोट प्रेस, देवास	1875
2.	करेंसी नोट प्रेस, नासिक	4000
3.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	750
4.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	750
5.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	400
6.	भारत सरकार टकसाल, नौएडा	1000 (एक पारी में)
7.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक)	ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन हैं। वर्ष 1999 के अन्त तक पूर्ण रूप से प्रचलन में आने के बाद इनमें से प्रत्येक की क्षमता 4950 मिलियन अदद् होगी।
8.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड सालबोनी (पश्चिम बंगाल)	

(ख) सूचना निम्नानुसार है :

नोट	1995-96	1996-97 (मिलियन अदद्)	1997-98
5 रुपये	177	–	–
10 रुपये	2743	2929	3000
20 रुपये	61	109	189
50 रुपये	1125	823	877
100 रुपये	1359	1190	1375
500 रुपये	104	59	–
	5569	5110	5441

सिक्के	1995-96	1996-97 (मिलियन अदद्)	1997-98
05 पैसे	26	4	–
10 पैसे	23	41	50.36
20 पैसे	24	20	6.25
25 पैसे	240	142	135.56
50 पैसे	146	267	394.17
1 रुपया	198	528	527.35
2 रुपया	454	279	254.55
5 रुपया	337	280	309.73
	1448	1561	1677.97

(ग) नोट : भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार आदेश दिये:

	100 रुपये मूल्य वर्ग	500 रुपये मूल्य वर्ग	प्रति एक हजार अदद् की अमेरिका डालर लागत (मिलियन अदद्)
1	2	3	4
(क) मैसर्स जीसैक एंड डैवरियंट, जर्मनी।	–	785	29.89
(ख) फ्रांसियन चार्ल्स ओबर्थर फिदुसियर, फ्रांस	–	480	29.89
(ग) ब्रिटिश-अमेरिकन बैंक नोट कम्पनी, कनाडा।	–	335	29.89
(घ) थॉमस डी लॉ रूई सिंगापुर।	1092	–	23.73
(ङ) डैबडन सिक्यूरिटी प्रिंटिंग, यू.के.	273	–	23.73
(च) अमेरिकन बैंक नोट कं. यू.एस.ए.	635	–	23.73
	जोड़	2000	1600

सिक्के - सरकार ने निम्नानुसार आयात किया :

(मिलियन अदद)

टकसाल का नाम	आदेशित मात्रा	प्रति एक हजार अदद की अमेरिकी डालर में लागत
(क) कासा डी मोनेडा, मैक्सिको	1 रुपये 700	14.88
(ख) ह्यूनदई कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया	2 रुपये 300	35.23
जोड़	1000	

(घ) और (ङ) 11.4.98 की स्थिति के अनुसार विदेशों से प्राप्त आयातित नोटो/सिक्कों के ब्यौरे निम्नानुसार थे :

नोट	मात्रा (मिलियन अदद)	देशों के नाम
100 रुपये	1092	सिंगापुर
	190	यू.के.
	200	यू.एस.ए.
500 रुपये	326.5	जर्मनी
	186.4	फ्रांस
	160.0	कनाडा
सिक्के		
1 रुपया	537.60	मैक्सिको
2 रुपये	300.00	दक्षिण कोरिया

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग केन्द्र

553. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक खोले गये खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त आयोग का कुल पूंजी परिव्यय कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना राजस्व घाटा हुआ है और इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 31 मार्च, 1997 तक खोले गये व्यापारिक केन्द्रों तथा उत्पादन कम व्यापारिक केन्द्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार इन केन्द्रों में अंतर्ग्रस्त कुल पूंजी निवेश निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

खादी	ग्रामोद्योग	कुल
95.96	7.93	103.89*

*इस राशि में सांवधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजी शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95 से 1996-97 तक, केवीआईसी के व्यापारिक संचालन में खादी तथा ग्रामोद्योग दोनों पर 12.58 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	लाभ	हानि	शुद्ध(-)/(+)
1994-95	8682120	10302132	(-) 1620012
1995-96	11971776	11928681	(+) 43095
1996-97	16222042	13387239	(+) 2834803
कुल	36875938	35618052	(+) 1257886

हानि से बचने के लिए, केवीआईसी ने केन्द्रों के स्थापना व्यय को कम करने के लिए तथा व्यय पर कुल मिलाकर पर्याप्त लाभ कमाने के उद्देश्य से बिक्री कार्य में वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किये हैं तथा लगातार प्रयास कर रहा है।

विवरण

के.वी.आई.सी. के व्यापारिक केन्द्रों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

क्र.सं.	आन्ध्र प्रदेश	श्रेणी
1	2	3
1.	मुशलिन सिलीवर गोदाम, हैदराबाद	टी
2.	खादी ग्रामोद्योग भवन, विशाखापट्नम	टी
3.	खादी ग्रामोद्योग भवन, चिकाड़ापल्ली, हैदराबाद	टी
4.	ट्रेडिंगओपरेशन, कोकानाड़ा	टी
5.	पोलीवस्त्र सिलीवर गोदाम, हैदराबाद	टी
6.	पोलीवस्त्र ट्रेडिंग करनूल	पी.टी.
अरूणाचल प्रदेश		
7.	खादी ग्रामोद्योग भवन, इटा नगर, बिहार	टी
8.	सी.एस.पी., सहरसा	पीटी

1	2	3
9.	सी.एस.पी. हाजीपुर	पीटी
10.	खादी ग्रामोद्योग भवन, पटना	टी
11.	मुशलिन सिलोवर गोदाम, पटना	टी
12.	कोक्न प्रेचेज, पटना तथा रांची	टी
	गोवा	
13.	खादी ग्रामोद्योग भवन, गोवा	टी
	गुजरात	
14.	खादी ग्रामोद्योग भवन, अहमदाबाद	टी
15.	खादी ग्रामोद्योग भवन, राधानपुर	टी
16.	अम्बर सारानजाम भण्डार, अहमदाबाद	पीटी
17.	के.वी.आई.सी. राज्य कार्यालय, अहमदाबाद एकक पायलट अगरबत्ती	पीटी
	हरियाणा	
18.	यू.एन.डी.पी. चमड़ा परियोजना, अम्बाला	पीटी
19.	भारतीय कुटीर चर्मोद्योग, करनाल	पीटी
	जम्मू और कश्मीर	
20.	ट्रेडिंग ओप्रेशन, आप्रेशन श्री नगर	टी
	कर्नाटक	
21.	खादी ग्रामोद्योग भवन, बंगलौर	टी
22.	सी.एस.वी. चित्रादुर्गा	पीटी
23.	केन्द्रीय ग्रामीण पीट्री उद्योग, खानापुर	पीटी
	केरल	
24.	सी.एस.पी. कुट्टुर, त्रिचुर	पीटी
25.	एन.एम.सी. स्पेयर पार्टस कुट्टुर, त्रिचूर	टी
26.	खादी ग्रामोद्योग भवन, इरनाकुलम	टी
27.	आर.टी.सी. कानिमंगला, त्रिचूर	टी
	मध्य प्रदेश	
28.	कोक्न प्रचेज, भोपाल	टी
29.	खादी ग्रामोद्योग भवन, भोपाल	टी
30.	ग्रामशिल्प, भोपाल	टी
31.	खादी ट्रेडिंग, जगदालपुर	पीटी
32.	सी.एस.पी. शिडोर	पीटी
33.	निदेशक के.वी.आई.सी. राज्य कार्यालय, भोपाल, बहुकार्रवाई योजना	पीटी
	महाराष्ट्र	
34.	काटन सपलाइज निदेशालय (आर.एम.) मुम्बई	टी
35.	ए.टी. सप्लाई, महाराष्ट्रा	टी
36.	इस्ट्रूमेंटेशन निदेशालय, मुंबई	टी
37.	खादी ग्रामोद्योग भवन, मुम्बई	टी
38.	वूल निदेशालय, मुंबई	टी
39.	पौटरी निदेशक, केवीआईसी, मुंबई	टी
40.	एचएमपीआई, निदेशक, केवीवाईसी. मुम्बई	टी
41.	निदेशक, पामगुड़ इंडस्ट्री. मुंबई	टी
42.	निदेशक, कॉटेज मैच, केवीआईसी, मुंबई	टी
43.	निदेशक, एनईओ, एंड सोप, केवीआईसी, मुंबई	टी
44.	निदेशक, मक्खी पालन, केवीआईसी, मुंबई	टी
45.	निदेशक, केवीसीआरआई, ट्रेडिंग, वर्धा	टी
46.	निदेशक, फाइबर इंडस्ट्रीज, मुंबई	टी
47.	टीक्यूसीएस, धानू	पीटी
48.	सीएनडी कार्यशाला, धानू	पीटी
49.	चमड़ा निदेशालय, केवीआईसी, मुंबई	टी
50.	एनसीईएस निदेशालय, केवीआईसी, मुंबई	टी
	मणिपुर	
51.	खादी ग्रामोद्योग भवन, इंफाल	टी
52.	खादी उत्पादन केन्द्र इंफाल	पीटी
	मिजोरम	
53.	ट्रेडिंग आपरेशन, ऐजावल	पीटी
54.	ग्राम शिल्प, ऐजावल	टी
	मेघालय	
55.	खादी ग्रामोद्योग भवन, शिलांग	टी

1	2	3
नागालैंड		
56.	खादी ट्रेडिंग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा	टी
उड़ीसा		
57.	एनएमसी एस्सेपर पार्ट, भुवनेश्वर	टी
58.	खादी ग्रामोद्योग भवन, भुवनेश्वर	टी
59.	सीएसपी चौदूवार	पीटी
60.	सेंट्रल वस्त्रगार, भुवनेश्वर	टी
61.	निदेशक, केवीआईसी, भुवनेश्वर चर्मशिला एकक	टी
पंजाब		
62.	निदेशक, केवीआईसी, राज्य कार्यालय चंडीगढ़ एकक मधुमक्खी पालन उद्योग	टी
राजस्थान		
63.	खादी ग्रामोद्योग भवन, बाड़मेर	टी
तमिलनाडु		
64.	मधु विपणन डिपो, त्रिपुनिथोरई	टी
त्रिपुरा		
65.	विपणन एकक	टी
उत्तर प्रदेश		
66.	सीएसपी रायबरेली	पीटी
67.	हरद्वारी कंबल, मेरठ	टी
68.	ट्रेडिंग कार्पोरेशन, पिथौरागढ़	पीटी
69.	सीएससी, एटा	पीटी
70.	खादी ग्रामोद्योग भवन, लखनऊ	टी
71.	एचबीए यूनिट	पीटी
72.	मार्केटिंग यूनिट	टी
73.	मधुमक्खी पालन उद्योग, ऋषिकेष देहरादून	टी
74.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी यूनिट, कताई तथा बुनाई, काशीपुर	टी
75.	भारतीय कुटीर चर्म उद्योग आगरा	पीटी
76.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, केवीआईसी, मेरठ यूनिट, चर्मशिल्पा	टी
77.	निदेशक, केवीआईसी राज्य कार्यालय, लखनऊ यूनिट चर्मशिल्पा	टी
पश्चिम बंगाल		
78.	खादी ग्रामोद्योग भवन, केवीआईसी कलकत्ता	टी
79.	खादी ग्रामोद्योग भवन, वर्धमान	टी
80.	मुसलिन सिल्वर गोदाम कलकत्ता माल्दा	टी
81.	निदेशक केवीआईसी राज्य कार्यालय कलकत्ता (6) पॉलीवस्त्र यूनिट (सिक्स पेल)	पीटी
82.	ग्राम शिल्पा दार्जिलिंग	टी
दिल्ली		
83.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	टी
84.	चर्म शिल्प, नई दिल्ली	टी
85.	निदेशक टीसीडीसी नई दिल्ली विलेज ऑयल	टी
86.	निदेशक टीसीडीसी नई दिल्ली पीसीपीआई	टी
87.	निदेशक टीसीडीसी नई दिल्ली सोप	टी
दादर नागर हवेली		
88.	खादी ट्रेडिंग सिलवासा	टी

रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

554. श्री जय सिंह चौहान :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) बन्द पड़े उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन उद्योगों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीकृत आंकड़े रखती

है जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। 31.3.1996 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 243 उद्यम थे जिनमें से दो उपक्रम, नामशः इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) तथा एन.टी.सी. (गुजरात) लिमिटेड गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।

(ख) से (च) वर्तमानतः किसी राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम बन्द नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जिनमें रुग्ण औद्योगिक सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं, द्वारा उठाए गए घाटे का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1995-96 के खण्ड-I के विवरण संख्या 7ख में दिया गया है, जिसे 5.5.1997 को संसद के दोनों सदनों में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। रुग्ण औद्योगिक सरकारी उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सौंप दिया गया है, ताकि उनके नवीकरण/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनायी जा सकें। 31.3.1998 तक बी.आई.एफ.आर. को 62 सरकारी उपक्रम सौंपे गए थे, जिनमें से दो उपक्रमों का नवीकरण किया जा चुका है और अन्य 19 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के मामले में बी.आई.एफ.आर. ने नवीकरण योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

आयकर अधिकारियों के यहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

555. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयकर अधिकारियों के यहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छापे मारे थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त की गई संदिग्ध परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) आयकर निदेशालय (सतर्कता) और मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली के पास दिनांक 1.4.1997 से 26.5.1998 के बीच की अवधि के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर विभाग दिल्ली, के दो अधिकारियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) दिल्ली प्रभार के एक आयकर अधिकारी के निवास परिसरों पर दिनांक 26.6.97 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 12.7.97 को धरपकड़ के लिए जाल बिछाने के उपरान्त एक आयकर निरीक्षक द्वारा 1000/- रुपये की रिश्वत स्वीकार करने निमित उसे हिरासत में ले लिया गया था।

आयकर अधिकारी के निवास/कार्यालय परिसरों से जब्त किये गए दस्तावेजों/परिसम्पत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1.	नकदी	33,38,300/- रुपये
2.	डीडीए फ्लैट्स 12/29ए, कालकाजी	10,00,000/- रुपये
3.	फ्लैट्स संख्या 59, साउथ पार्क अपार्टमेंट	30,00,000/- रुपये
4.	मियादी जमा रसीदें	6,08,153/- रुपये
5.	राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आई.वी.पी. एंड वी.के.पी.)	2,59,000/- रुपये
6.	बैंक निवेश	97,000/- रुपये
7.	शेयरों में निवेश	83,000/- रुपये
8.	घरेलू सामान का मूल्य	2,76,553/- रुपये

(आर.सी. 52/97 दिल्ली में दिनांक 27.6.97 के टिप्पणी ज्ञापन के अनुसार)

वर्ष, 1996 की एक डायरी :

उपरोक्त के अलावा, इलाहाबाद बैंक, नेहरू प्लेस में स्थित लॉकर से 13,50,000/- रुपये, इलाहाबाद बैंक, सी.आर. पार्क में स्थित लॉकर से 2.60,000/- रुपये की वसूली तथा विकास पत्रों आदि में 1,83,000/- रुपये का निवेश किया गया था।

इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक, मन्दाकिनी एन्कलेव में स्थित लॉकरों से 2,49,9000/- रुपये की वसूली। आयकर निरीक्षक के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई तलाशी नहीं ली गई थी और इसलिए किसी परिसंपत्तियों/दस्तावेजों की जब्ती नहीं की गई थी।

आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक को क्रमशः दिनांक 16.7.97 और 4.8.97 के आदेश के तहत निलंबित किया गया था।

आवास ऋण

556. श्री मदेश कनोडिया :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए जाने वाले भवन निर्माण ऋण प्राप्त करने संबंधी पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) इन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जा रही ब्याज-दर का संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वे वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण मंजूर नहीं करती हैं और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार भवन निमाण ऋण मंजूरी की प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि मध्यम एवं कमजोर वर्गों को लाभ प्राप्त हो सके?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त सामान

557. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये सामान का गलत आकलन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिकारियों के संबंधियों के सामानों का आकलन कम और अन्य व्यक्तियों के सामानों का आकलन अधिक किया जाता है;

(ख) इस प्रकार की कुप्रथा से बचने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं और क्या इस प्रकार के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदाचार से बचने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समाहर्तालय-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें सीमाशुल्क के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों के संबंधियों से बरामद माल का कम आकलन करके तथा दूसरे व्यक्तियों से बरामद माल का अपेक्षाकृत अधिक आंकलन करके बरामद माल का गलत आंकलन किया गया हो। अतः ऐसे मामलों के लिए नियम बनाने की जरूरत नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान समाहरणालय-वार इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एशिया की आर्थिक समस्या

558. श्री सुव्रत मुखर्जी :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा अवमूल्यन और वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के कारण एशिया में हुई आर्थिक समस्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इन समस्याओं के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से निर्यात करने पर समस्याएं उत्पन्न होंगी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नयी विचाराधारा को जन्म देती हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जुलाई, 1997 में दक्षिण पूर्व एशिया में उभरा आर्थिक और वित्तीय संकट, एशिया में कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी फैल गया तथा उसके पश्च-प्रभाव सम्पूर्ण भूमण्डलीय वित्तीय व्यवस्था पर अनुभव किए गए हैं। सम्भावित अस्थिर चालू खाता घाटों और विनिमय दर व्यवस्था, कमजोर वित्तीय क्षेत्र तथा अल्पावधि ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता वाले देश प्रारम्भ में इस संकट के प्रति संवेदनशील रहे। इससे इन अर्थव्यवस्थाओं की सुदृढ़ता में विदेशी निवेशकों के आत्म-विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग) दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय संकट कुछ सीमा तक उन वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के समान हित की हैं जैसे कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्र, लोह और इस्पात, आटोमोटिव हिस्से पुर्जे, रसायन, मशीनरी और परिवहन उपस्कर।

(घ) और (ङ) संकट के परिणामों ने वृहत आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बना दिया है जो चालू खाता घाटों और विनिमय दरों के स्थित स्तर, अल्पावधि विदेशी ऋणों पर सीमित निर्भरता सहित वित्तीय क्षेत्र के पर्याप्त पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करती हैं। भारत में विवेकपूर्ण वित्तीय क्षेत्र मानदण्ड और पर्यवेक्षण पहले से ही नियत हैं तथा आर्थिक आधारभूत सिद्धांत उचितरूप से सुदृढ़ हैं।

नशीली दवाओं का सेवन

559. श्री सुधीर गिरि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नशा नियंत्रण अधिकारियों ने भारतीयों

द्वारा नशीली दवाएं लेने के बढ़ते हुये रुझान के बारे में भारत को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत में नशीली दवाओं के उपभोग के सही स्तर का पता लगाने के लिये कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मंत्रियों द्वारा चल और अचल संपत्तियों की घोषणा

560. डॉ० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय मंत्री ने अपनी संपत्तियों, बैंक बैलेंस और जवाहरात के ब्यौरे का प्रचार माध्यमों द्वारा एकतरफा घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी सरकार के सभी मंत्रियों से ऐसी घोषणाएं करवाने की नीति है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

रुग्ण कपड़ा मिलें

561. श्री राजवीर सिंह :
श्री के.पी. नायडू :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस राज्य में रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिये कोई एकमुश्त कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कपड़ा मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें पुनः चालू करने की आवश्यकता है और इन मिलों में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(च) क्या स्वदेशी और निर्यात व्यापार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार उत्पादन की विशिष्ट मदें निर्धारित करने के लिए इन कपड़ा मिलों का वर्गीकरण करने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है। स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे, शामिल किए गए कामगारों की संख्या आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.4.98 तक की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत मिलों के राज्य-वार ब्यौरे, स्वीकृत पुनर्वासन योजनाएं तथा उनमें शामिल कामगारों की संख्या आदि

क्र. सं.	राज्य	बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत मिलों की संख्या	शामिल कागारों की संख्या	स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं की संख्या	उन मिलों की संख्या जो रुग्ण घोषित नहीं हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25	10418	4	1
2.	असम	3	1369	–	–
3.	बिहार	3	1083	1	1

1	2	3	4	5	6
4.	चंडीगढ़	1	497	1	1
5.	दादर और नगर हवेली	3	189	–	–
6.	गुजरात	69	82254	20	3
7.	हरियाणा	18	7072	2	–
8.	केरल	5	3274	5	1
9.	कर्नाटक	16	24319	7	2
10.	मध्य प्रदेश	16	28256	4	–
11.	महाराष्ट्र	65	75417	27	4
12.	एन.सी.टी. दिल्ली	2	6820	–	–
13.	उड़ीसा	5	12017	2	–
14.	पंजाब	8	1800	2	–
15.	राजस्थान	18	7974	4	1
16.	तमिलनाडु	52	37225	18	5
17.	उत्तर प्रदेश	36	77864	7	3
18.	पश्चिमी बंगाल	12	29207	–	–
	कुल	357	407055	104	22

मेघालय-बंगलादेश सीमा पर भूमि-सीमा शुल्क चौकी

562. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय-बंगलादेश सीमा पर परम्परागत वस्तुओं यथा कोयले इत्यादि की निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए भूमि सीमा शुल्क चौकी स्थापित करने हेतु कुछ अभ्यावेदन केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव निपटाने में अनावश्यक देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-तिब्बत सीमा पर स्थानीय लोगों/व्यापारियों के लिए, निर्धारित दिन पर बाजारों में वस्तु विनिमय के आधार पर वस्तु विनिमय चौकी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत द्वारा एक भू-सीमाशुल्क स्टेशन खोले जाने के लिए बंगलादेश में सीमा के दूसरी ओर अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत की, जो बंगलादेश के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। बंगलादेश के प्रत्युत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। भारत-बंगलादेश सीमा पर वस्तु विनिमय व्यापार चौकियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

काली मिर्च की कीमतों में गिरावट

563. श्री पी. शंकरन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार की नई निर्यात नीति से घरेलू बाजार में काली मिर्च की कीमतों में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो काली मिर्च उत्पादकों के लाभ के लिये काली मिर्च की कीमतों में वृद्धि के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

564. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायताप्राप्त कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) ये परियोजनाएं अपनी समय सीमा से कितनी पीछे चल रही हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में 25 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर अभी तक कुल 3204.69 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। जबकि इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्य में कमियां रही हैं, फिर भी समग्र रूप से आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है।

(घ) केन्द्र सरकार ने विदेशी सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि राज्य में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 प्रतिशत विदेशी सहायता जारी करना, वित्तीय वर्ष के शुरू में अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करना, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग करना, आर्थिक कार्य विभाग में एक परियोजना प्रबंध एकक की स्थापना करना, तथा इसके साथ ही राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। आर्थिक कार्य विभाग और चयनित राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों में विदेशी पोर्टफोलियो के प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विदेशी सहायता मनीटरिंग सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में आंध्र प्रदेश नौ चुने हुए राज्यों में से एक है।

राज्य स्तर पर, मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित रूप से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जा रही है। राज्य के वित्त विभाग में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के लिए एक परियोजना प्रबन्ध एकक भी स्थापित किया गया है।

वैश्य बैंक

565. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** "वैश्य बैंक लिमिटेड" के बारे में 21.11.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सूचना कब तक एकत्र कर लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि शामिल सभी तीनों बैंक कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया था और तदनन्तर, इन निलंबनों को रद्द कर दिया गया था। इसमें शामिल दो अधिकारियों को बाद में तबादला कर दिया गया था और लगातार अनुपस्थित रहने के लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सेवा से उन्हें बर्खास्त कर/हटा दिया गया था। तीसरे कर्मचारी, जो कि एक लिपिक है, के विरुद्ध कार्रवाई को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आस्थगित रखा गया था। महानगर दंडाधिकारी ने दिनांक 16.7.1997 के अपने आदेश के तहत पुलिस द्वारा दायर आपराधिक मामले में सभी दोषियों को मुक्त कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्य बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में चेक बैंका के जारी किए जाने और जाली चेक पास किए जाने से संबंधित धोखाधड़ियों के मामले की विस्तृत जानकारी दी है। ये ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं। वैशय बैंक में निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा चैक बुक और ड्राफ्ट जारी करने/सेफ कस्टडी/भुगतान में सावधानी बरतने में असफलता के कारण धोखाधड़ियां हुईं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वैश्य बैंक लिमिटेड की दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं में चैक बुक जारी करने और जाली चैकों को पास करने में हुई धोखाधड़ियों का ब्यौरा

क्र. सं.	शाखा का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि	शामिल कर्मचारियों की संख्या	आरोपपत्र जारी करने की ता०	कृत विभागीय कार्रवाई	पुलिस केस का ब्यौरा यदि कोई हो
1.	कनाट प्लेस	रु० 1 लाख	3 कर्मचारी	16.1.1995	प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से एक वेतन वृद्धि रोक दी गई।	पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया
2.	करोल बाग	रु० 4.40 लाख	2 कर्मचारी	16.10.1996	प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से एक वेतन वृद्धि रोक दी गई।	पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं।
3.	करोल बाग	रु० 2,90,500	एक लिपिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। चेक बुक जारी करने तथा जाली चेक पास करने संबंधी चूकों के लिए 5 अधिकारी शामिल थे। पर्यवेक्षी चूकों के लिए दो अधिकारियों को शामिल किया गया।	लिपिक को दिनांक 5.11.1996 को और अन्यों को 26.10.1996 को	लिपिक को निलंबित कर दिया गया था और बाद में उसे पुनःनियुक्त कर दिया गया था। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। 6 अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दंड दिया गया है। और एक अधिकारी को चेतावनी पत्र दिया गया है।	पुलिस जांच चल रही है।
4.	चांदनी चौक	रु० 80,000	एक अधिकारी	5.3.1997	एक को वेतन वृद्धि रोके जाने का दंड दिया गया है।	पुलिस जांच चल रही है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना

566. श्री माणिकराव होळल्या गावीत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में केन्द्रीय अथवा केन्द्रीयकृत प्रायोजित क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें कितना निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोई केन्द्रीय औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों राज्यों में मौजूदा केन्द्रीय एककों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किया गया संचित निवेश इस प्रकार है :

सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल निवेश

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कर्नाटक	महाराष्ट्र
1993-94	4247.93	40662.78
1994-95	4956.75	46438.25
1995-96	5950.57	50483.46

बैंक घोटाला

567. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 8 अगस्त, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जानकारी कब तक जुटा लिये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्पूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ राजस्थान लि., इंदौर (न्यू पलासिया) शाखा द्वारा 2 फर्मों से दिनांक 16 और 17 अप्रैल 1996 को कुल 2.41 करोड़ रुपए का निभाव हुंडियां खरीदी गई थीं। हालांकि 120.29 लाख रुपए मूल्य की हुंडियों की वसूली कर ली गई थीं, परन्तु शेष 120.28 लाख रुपए की हुंडियां बिना भुगतान के लौटा दी गई थीं और दिनांक 30 जून, 1997 तक की स्थिति के अनुसार बकाया थी। बैंक ने उपर्युक्त को दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियां (घाटे वाली आस्तियों के रूप में) माना और इसके लिए पूरा प्रावधान किया। इन्दौर (न्यू पलासिया) के मुख्य प्रबंधक को दिनांक 26.3.97 को आरोप-पत्र जारी किया गया था और उन शाखा से उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

सरकार ने कोई जांच नहीं की है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित गैर-सरकारी बैंकों के क्रियाकलापों को विनियमित करने एवं उनके पर्यवेक्षण के लिए सक्षम प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 47क के अंतर्गत बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड को दिनांक 30 अक्टूबर, 1996 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें यह जानना चाहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी, 1997 को बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना 1 मार्च, 1997 को चुका दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36कक(2) के तहत दिनांक 21.3.1997 को बैंकों के दो निदेशकों को बैंकों के बोर्ड से उनको हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। कारण बताओं नोटिस जारी करने के कारणों में से एक कारण के रूप में उपर्युक्त अनियमितता को भी कारण बताओ नोटिस में उद्धृत किया गया था। दोनों निदेशकों द्वारा अपने उत्तरों में किए गए निवेदनों पर विचार करने के बाद तथा जून, 1997 में व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 36कक(1) के तहत प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 अक्टूबर, 1997 को आदेश जारी किए कि आदेश की तारीख से उन्हें बैंक बोर्ड से हटा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, बैंक को दिनांक 7 नवम्बर 1997 को यह निवेश भी जारी किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में सह-योजन/चुनाव या अन्यथा निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

उड़ीसा में कोयला परियोजनाएं

568. श्री गिरिधर गमांग : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में शुरू की गई/शुरू की जाने वाली प्रस्तावित कोयला परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ख) कोयला मंत्रालय ने इस राज्य के विशाल कोयला संसाधनों का उपयोग करने के संबंध में संबंधित अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित किया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) उड़ीसा राज्य में प्रचालित महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (म.को. लि.) की चालू परियोजनाओं तथा भविष्य की परियोजनाओं को नीचे निर्दिष्ट किया गया है :

परियोजना/खान का नाम	खान की किस्म	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)
चालू परियोजनाएं		
1. भरतपुर विस्तार चालू परियोजनाएं	ओ.का.	1.50
2. बसुंधरा (ईस्ट)	ओ.का.	0.60
3. छेन्दिपादा (ईस्ट)	ओ.का.	0.35
4. कलिंगा	ओ.का.	8.00
5. लखनपुर	ओ.का.	5.00
6. लिंगराज	ओ.का.	5.00
भविष्य की परियोजनाएं		
1. लखनपुर विस्तार	ओ.का.	5.00
2. बसुंधरा (वेस्ट)	ओ.का.	2.40
3. भुवनेश्वरी	ओ.का.	10.00
4. हिंगुला-1	ओ.का.	4.00
5. कनियाड	ओ.का.	3.50
6. कुलडा	ओ.का.	10.00
7. बेलपहाड़ विस्तार	ओ.का.	1.50
8. लजकुडा विस्तार	ओ.का.	1.00
9. लिंगराज विस्तार	ओ.का.	5.00
10. गरजनबलाल	ओ.का.	8.00
11. सियारमल	ओ.का.	4.00

(ख) विभिन्न उद्योगों जैसे, विद्युत, सीमेंट, इस्पात तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा प्रक्षिप्त कोयले की मांग के आधार पर, पंचवर्षीय योजना के आरंभ में उत्पादन कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, उन पर योजना अयोग द्वारा चर्चा की जाती है तथा सहमति व्यक्त की जाती है। बदले में, योजना अयोग प्रक्षिप्त कोयला मांग को निश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों तथा अन्य कोयला के उपभोग करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों जैसे विद्युत, इस्पात आदि के साथ विचार-विमर्श करता है।

[अनुवाद]

अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकताएं

569. श्री के. पी. नायडू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में अवसंरचना हेतु क्षेत्र-वार कुल कितने निवेश की आवश्यकता है;

(ग) क्या अवसंरचनात्मक क्षेत्र हेतु संसाधन जुटाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1994 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के व्यवसायीकरण पर विशेषज्ञ दल ने जून, 1996 में सरकार को प्रस्तुत की गई ''दि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट'' में अवसंरचनात्मक निवेश आवश्यकताओं के बारे में एक अनुमान लगाया है। यह मानते हुए कि घरेलू बचत विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में वृद्धि होगी, विशेष दल ने परिकलित किया कि अवसंरचना में कुल निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर वर्ष 2000-01 तक 7 प्रतिशत और 2005-06 तक 8 प्रतिशत तक हो जाना काफी व्यवहार्य है। स्पष्ट अर्थ में यह आशंयित है कि वार्षिक निवेश स्तर मौजूदा 600 बिलियन रुपये से बढ़कर 2000-01 तक लगभग 1100 बिलियन रुपये और 2005-06 तक लगभग 1800 बिलियन रुपये हो जाएगा। इसका आशय 1996-97 से 2000-01 तक की अवधि के दौरान लगभग 4000 रुपये से 4500 बिलियन रुपए की कुल अवसंरचनात्मक निवेश की आवश्यकताएं हैं जो कि 2001-02 से 2005-06 की अवधि में बढ़कर लगभग 7500 बिलियन रुपये हो जाएंगी।

विशेषज्ञ दल ने अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए विपरीत अनुमान भी तैयार किए हैं जो निम्नलिखित हैं :

क्षेत्र	1996-97 से 2001-01	2001-02 से 2005-06	जोड़ (बिलियन रुपये)
1	2	3	4
विद्युत	1834	2849	4995*
दूर संचार	740	1175	1915
सड़क	320	630	950
पत्तन	100	150	250
शहरी अवसंरचना	800-940	अनुमानित नहीं	800-940

*इसमें 1996-97 से 2005-06 के दौरान वनस्पति नवीकरण और सह उत्पादन हेतु 312 बिलियन रुपये के अतिरिक्त निवेश का प्रावधान शामिल है।

(ग) और (घ) इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट में अवसंरचना में बृहद निवेशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है तथा सार्वजनिक निवेश की अनुपूर्ति के लिए निजी भागीदारी का आह्वान किया है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम में अवसंरचना को अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उचित विनियामक तंत्रों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ चुनिंदा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और सेवाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निधियों के अधिक प्रवाह को सुकर बनाने के उद्देश्य से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) से संबंधित प्रक्रियाओं को काफी उदार बना दिया गया है।

रबड़ का आयात

570. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान रबड़ का आयात विशेष आयात लाइसेंस तथा अग्रिम लाइसेंस द्वारा किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वस्तुवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो घरेलू उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसान प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) विशेष आयात लाइसेंस पर रबड़ का कोई आयात नहीं हुआ। परन्तु, अग्रिम लाइसेंस निर्यात दायित्व पर कुछ आयात हुए हैं।

स्रोतः डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. (कलकत्ता)

(ख) मद	1996-97		1997-98 (फरवरी, 98 तक)	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रु० में)
प्राकृतिक रबड़	18057	-9829.96	25977	11489.15

(ग) और (घ) जी, हाँ। वर्ष 1997-98 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानिक उत्पादन और उसकी खपत क्रमशः 5.84 लाख मी. टन और 5.74 लाख मी. टन है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। तथापि, रबड़ के आयात को पहले से ही एक्जिम नीति की निषेधात्मक सूची में रखा गया है और इसकी अनुमति केवल अग्रिम लाइसेंस/विशेष आयात लाइसेंस निर्यात दायित्व पर ही दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए निर्यात लक्ष्य

571. श्री ए.सी. जोस : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए वस्त्र निर्यात का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का लकड़ी के हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रमुख लाभार्थियों के नाम क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्यात लक्ष्य मद-वार तय नहीं किए जाते हैं। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के लिए वस्त्र सहित हस्तशिल्प का निर्यात लक्ष्य 7776.00 करोड़ रुपये तय किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। सरकार ने देश में काष्ठ हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहले से ही आरम्भ कर दिया है। प्रमुखता इस कार्यक्रम के लाभभोगी त्रिवेन्द्रम (केरल) तथा जोधपुर (राजस्थान) तथा इसके आस-पास रहने वाले काष्ठ हस्तशिल्प कारीगार, निर्माता व निर्यातक होंगे।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक एककों का योगदान

572. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों में देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों का योगदान बढ़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्य-वार और वर्ष-वार इसका प्रतिशतांक क्या रहा;

(ग) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र में किये गये कुल निवेश में से इस्पात, विद्युत, पेट्रो रिफायनरी और उर्वरक उद्योगों में किये गये निवेश के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है;

(घ) क्या लघु उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निवेश के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लघु उद्योग को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान का आंकलन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से उपलब्ध समग्र घरेलू उत्पाद के मूल्यों के आधार पर केवल अखिल भारतीय स्तर पर ही किया जाता है। देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत के आस-पास रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के योगदान के ठीक-ठीक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

1994-95	40.52%
1995-96	40.64%
1996-97	40.25%

(ग) 1996 और 1997 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में किये गये कुल निवेश में इस्पात, विद्युत, पेट्रो-रिफाइनरी और उर्वरक उद्योग के निवेश प्रस्तावों की प्रतिशतता में वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) इस कार्यालय को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी क्षेत्र द्वारा किये गये निवेश के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को कठिनाइयां पैदा होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। किंतु, लघु क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों के संबंध में लघु एककों की ओर से इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रवेश की यदा-कदा शिकायतें मिलती हैं। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व के मामलों के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित किसी भी मझौले/बड़े एकक को लघु क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित मदों के विनिर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसे उपक्रम जो आरक्षण की तिथि से पहले से ही इन मदों का विनिर्माण करते रहे हैं, एक कारोबार जारी रखने संबंधी लाइसेंस (सीओबी) प्राप्त करने के बाद इन मदों का विनिर्माण जारी रख सकते हैं। तथापि, इन एककों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती।

(च) केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा लघु क्षेत्र के मजबूतीकरण हेतु उठाये गये कदमों में शामिल हैं। (1) उद्यमिता विकास (2) निरीक्षण, मार्गदर्शन, कार्यशाला, परीक्षण, टूल रूम और

उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास सुविधाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता (3) मूल्य और खरीद वरीयता तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम व राज्य लघु उद्योग विकास निगमों के माध्यम से विपणन सहायता (4) राज्य सरकारों द्वारा विकसित औद्योगिक भू-खंडों, शेडों आदि के माध्यम से आधारभूत सुविधा सहायता (5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लघु उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण।

बी.एच.ई.एल. की अनुषंगी इकाइयां

573. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में स्थापित बी.एच.ई.एल. की अनुषंगी इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बी.एच.ई.एल. द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एच.ई.एल. इन इकाइयों को समय से भुगतान नहीं कर रहा है जिससे ये इकाइयां बंद हो रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भुगतान के मामले में कुछ अनियमितता बरती जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की कोई अनुषंगी इकाई नहीं है। तथापि, 48 सहायक इकाइयां हैं।

(ख) भेल, भोपाल सहायक इकाइयों से विभिन्न प्रकार के आधारभूत ढांचों, स्विचगियर, पैनल्स इत्यादि सहित मोटर शाफ्ट, मोटर स्टेटर के बनाए गए ढांचों जैसे पार्ट/उपकरणों/जोड़ने वाले कलपुर्जों की खरीद करता है। आदेशों की वर्षवार कीमत नीचे दी गई है:

वर्ष	कीमत
1995-96	19.97 करोड़ रुपये
1996-97	22.75 करोड़ रुपये
1997-98	17.82 करोड़ रुपये

उपरोक्त कीमत में भेल की निःशुल्क जारी की गई सामग्री शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) इन इकाइयों के सभी भुगतान क्रय संबंधी ठेके की शर्तों के अनुसार ही किये जा रहे हैं और जैसा कि भेल से सूचना प्राप्त हुई है, के अनुसार इस कारण से कोई अनुषंगी इकाई बंद नहीं हुई है।

(ङ) और (च) भेल के भंडार में माल की प्राप्ति और स्वीकृति पर ठेके की शर्तों के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। हमें भुगतान करने संबंधी किसी अनियमितता की जानकारी नहीं है।

चीनी मिलें

574. **श्री हरि केवल प्रसाद** :
श्री आदित्यनाथ :
श्री मोहन सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन उपक्रमों द्वारा संचालित की जा रही चीनी मिलों की स्थल-वार, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से बंद पड़ी रुग्ण एवं कार्यरत मिलों की स्थल-वार और राज्य-वार संख्या अलग-अलग क्या है;

(ग) क्या इन बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थल-वार विशेष रूप से आनन्द सुगर मिल, पूर्वी उत्तर प्रदेश संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी रुग्ण बंद पड़ी मिलों द्वारा मजदूरों एवं किसानों को बकाया-राशि का भुगतान किया जाना बाकी है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) गणेश शुगर मिल्स, आंनद नगर, जिला महाराज गंज (उत्तर प्रदेश) स्वदेशी माईनिंग फंड मैनु. कम्पनी लिमिटेड की निजी मिल है जो कि एन.टी.सी. के अधीन है।

(ख) फरवरी, 1994 से गणेश शुगर मिल्स में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। गणेश शुगर मिल्स की स्वामी स्वदेशी माईनिंग एंड मैनु० कम्पनी लिमिटेड को ए.ए.आई.एफ.आर. ने बंद करने का आदेश दे दिया है और मिल को बंद करने के लिए यह मामला उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लम्बित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) गणेश शुगर मिल्स को कामगारों को बनाए रखने के भत्ते तथा भविष्य निधि में देय बकाया राशि के रूप में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। लेकिन किसानों को कोई राशि देय नहीं है। निधियों के उपलब्ध होते ही इन बकाया राशियों का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त शीर्ष पद

575. श्री वी.वी. राघवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के लगभग 100 पद इस समय रिक्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पद कब से रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन रिक्त पदों को भरने में और विलम्ब न कर तुरन्त भरने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 29 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 66 पद रिक्त थे। इन पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों के पदों पर भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा चयन तथा सतर्कता निकासी सहित अनेक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियुक्ति शामिल हैं। कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रम के प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण पदों को आस्थगित रखा जाता है। कई बार चयनित व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों से तत्काल पदभार गृहण नहीं करते। ऐसी स्थिति में नियुक्ति में विलम्ब से बचने के लिए नियुक्ति के अनेक चरणों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है तथा नियुक्तियों का नियमित आधार पर परिवीक्षण किया जाता है।

विवरण

30.4.98 की स्थिति के अनुसार मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	प्रबंध निदेशक, उड़ीसा ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	21.12.96
2.	अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	01.08.97
3.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे फाईनेंस कारपो० लि०	01.09.95
4.	प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	03.06.97
5.	प्रबंध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड	01.03.98
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इण्डिया लि० (सहायक)	01.08.97
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो०	01.10.97
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी.एम.सी. लि०	01.08.97
9.	प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम	01.03.98
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम	16.05.97
11.	प्रबंध निदेशक, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०	02.09.92
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	10.10.97
13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम	01.10.97
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु० कारपो० ऑफ इंडिया	24.11.97
15.	प्रबंध निदेशक, स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०	01.06.97
16.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि०	01.02.98
17.	प्रबंध निदेशक, मणिपुर ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स	01.10.97
18.	प्रबंध निदेशक, यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स	01.03.98
19.	प्रबंध निदेशक (एसी), हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	01.03.98
20.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल हाइड्रो-इलेक्टिक पावर कारपो०	01.10.97
21.	अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	15.10.96
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम	13.05.97
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम	06.10.97
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑयल इंडिया लि०	01.02.98
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	06.10.97
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	06.03.98
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि०	05.03.98
28.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	01.04.98
29.	प्रबंध निदेशक (बीसी), हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	05.03.98

1	2	3
30.	निदेशक (विपणन एवं ऑप), ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	नया पद
31.	निदेशक (वित्त), इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवल. कारपो०	01.04.94
32.	निदेशक (वित्त), गोवा शिपयार्ड लि०	01.09.96
33.	निदेशक (तकनीकी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	01.05.97
34.	निदेशक (विपणन), नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	01.04.97
35.	निदेशक (वित्त), जूट कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	13.02.97
36.	निदेशक (उत्पाद), इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	13.11.97
37.	निदेशक (गैस क्रेकर), इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो० लि०	18.06.96
38.	निदेशक (आर एण्ड डी), इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो० लि०	01.04.94
39.	निदेशक (वित्त), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	27.11.96
40.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०	01.11.95
41.	निदेशक (विपणन), पारादीप फास्फेट्स लि०	नया पद
42.	निदेशक (विपणन), नेशनल फर्टिलाईजर्स लि०	नया पद
43.	निदेशक (वित्त), (एमसीएल), कोल इंडिया लि०	नया पद
44.	निदेशक (इंजी.), अस्पताल परामर्शी सेवाएं निगम लि०	26.09.96
45.	निदेशक (तकनीकी), भारत यंत्र निगम लि०	01.05.96
46.	निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग निगम लि०	15.09.95
47.	निदेशक (कार्मिक), भारत भारी उद्योग निगम लि०	01.03.97
48.	निदेशक (वित्त), माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो०	13.12.95
49.	निदेशक (कार्मिक), सीमेंट कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	01.11.96
50.	निदेशक (उत्पाद), टायर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	01.02.97
51.	निदेशक (वित्त), ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	22.07.97
52.	निदेशक (वित्त), स्कूटर्स इण्डिया लि०	पद पुनः बनाया गया
53.	निदेशक (ऑप), हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	01.11.96
54.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु० कं० लि०	04.02.98
55.	निदेशक (वित्त), भारतीय पुनर्नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी	नया पद
56.	निदेशक (वित्त), महानगर टेलीफोन निगम लि०	पद पुनः बनाया गया
57.	निदेशक (तकनीकी), महानगर टेलिफोन निगम लि०	पद पुनः बनाया गया
58.	निदेशक (आर एण्ड डी), इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	01.03.98
59.	निदेशक (कार्मिक), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	01.01.97
60.	निदेशक (एचआरडी), भारत अर्थ मूवर्स लि०	03.09.96
61.	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लि०	28.10.97
62.	निदेशक (वाणिज्य), नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०	12.01.96
63.	निदेशक (कार्मिक), पावर ग्रिड कारपो० लि०	-
64.	निदेशक (सिविल), नाथपा झाकड़ी पावर कारपो०	31.12.97
65.	निदेशक (वित्त), भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	12.10.98
66.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान कॉपर लि०	01.03.98
67.	निदेशक (आर एण्ड डी), इण्डियन ऑयल कारपो० लि०	01.02.93
68.	निदेशक (परियोजना), गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि०	01.04.96
69.	निदेशक (वाणिज्य), इंजीनियर्स लि०	10.10.97
70.	निदेशक (कार्मिक), इण्डियन ऑयल कारपो० लि०	01.02.98
71.	निदेशक (कार्मिक), भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	01.03.98
72.	निदेशक (कार्मिक), इंजीनियर्स इण्डिया लि०	01.03.98
73.	निदेशक (वित्त), ऑयल इण्डिया लि०	31.10.97
74.	निदेशक (वित्त), ओएनजीसी विदेश लि०	नया पद
75.	निदेशक (उत्पाद), बोंगाईगांव रिफाईनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स	—
76.	निदेशक (तकनीकी), कोंकण रेलवे कारपो० लि०	31.12.96
77.	निदेशक (उत्पाद), कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि०	19.11.97
78.	निदेशक (उत्पाद), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	24.12.97
79.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	17.01.98
80.	निदेशक (तकनीकी), ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०	01.06.95
81.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	11.03.98
82.	निदेशक (विपणन), फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि०	नया पद
83.	निदेशक (विपणन), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	नया पद
84.	निदेशक (विपणन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	07.02.96
85.	निदेशक (तकनीकी), स्कूटर्स इण्डिया लि०	नया पद
86.	निदेशक (विकास), विदेश संचार निगम लि०	पद का उन्नयन
87.	निदेशक (वित्त), विदेश संचार निगम लि०	पद का उन्नयन

1	2	3
88.	निदेशक (नेटवर्क), विदेश संचार निगम लि०	पद का उन्नयन
89.	निदेशक (डी एण्ड डी), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०	पद पुनः बनाया गया
90.	निदेशक (ओएस), मझगांव डॉक लि०	11.12.97
91.	निदेशक (विपणन), भारतीय राज्य व्यापार निगम	28.01.98
92.	निदेशक (कार्मिक), भारत एल्युमिनियम कं० लि०	01.04.98
93.	निदेशक (ऑप), स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि०	02.02.98
94.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल जूट मैन्यू० कारपो० लि०	01.02.97
95.	निदेशक (वित्त), ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०	01.12.97

'भेल' के क्रयादेशों में कमी

576. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलशोधक कारखानों और उर्वरक उद्योगों ने परियोजनाओं संबंधी आयातों पर लगे शुल्क उत्पाद शुल्क शुरू करने और आयात शुल्क में अत्यधिक कमी के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसके परिणामस्वरूप क्रयादेशों में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जैसा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आकलन किया है, क्रय आदेशों के प्रवाह में कमी आना, एक मुख्य कारण रहा है।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आकलन किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान शुल्क में भारी कमी होने के कारणों के फलस्वरूप, क्रय आदेशों के लगभग 600 करोड़ रुपये के व्यापार को गंवाना पड़ा है।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

फल और सब्जियों का निर्यात

577. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्री माधवराव पाटील :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर महाराष्ट्र में फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए फलों तथा सब्जियों के उत्पादकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न राज्यों से फलों और सब्जियों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछेक कदम निम्नानुसार हैं :

(i) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं उगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र-विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा उष्णकटिबन्धीय शीतोष्ण और शुष्क-क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी-प्लेटफार्म पक्कवन/क्योरिंग चैम्बरों और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ-ऋणों का प्रावधान;

(iii) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की संस्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना;

(iv) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(v) विदेशी बाजारों में उत्पाद विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना;

(vi) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(vii) क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में, सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(viii) ताजे फलों और सब्जियों जैसी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान का पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना।

कोल इंडिया लिमिटेड की नई परियोजनाएं

578. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु ली गई नई परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है तथा इसके विकास विशेषतः महाराष्ट्र तथा बिहार में, इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में धीमा प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) 1998-99/नौवीं परियोजना के दौरान गैर-सरकारी निवेशकों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के नियतन के लिए चुनी गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) नई परियोजनाओं का कोयला उत्पादक राज्यों, विशेषकर बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) नई कोयला परियोजनाओं का इन जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आय स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण और वास्तविक आर्थिक प्रभाव डालने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलीप राय) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 21 परियोजनाएं आरंभ की गई जिनमें से 6 परियोजनाएं बिहार में, सात परियोजनाएं महाराष्ट्र में, सात परियोजनाएं मध्य प्रदेश में और एक परियोजना उड़ीसा में है। बिहार में आरंभ की गई 6 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं, एक परियोजना चालू है, एक परियोजना नियत अवधि से है और दो परियोजनाओं में विलंब हुआ है। महाराष्ट्र में आरंभ की गई सात परियोजनाओं में से एक परियोजना को पूरा कर लिया है, पांच परियोजनाएं नियत अवधि से हैं और एक परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है।

(ख) बिहार में नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई धीमी प्रगति का मुख्य कारण वनभूमि के अधिग्रहण में हुए विलंब और क्षतिपूरक वनरोपण के लिए राजस्व भूमि की उपलब्धता, परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनः स्थापन/पुनर्वास के मामलों में आई कठिनाइयां हैं।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 57 कोयला खनन ब्लाकों (72 उप ब्लाकों सहित) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा 11 कोयला खनन ब्लाकों को गृहीत खनन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) सभी 28 कोयला खनन ब्लाकों को गृहीत खनन के लिए आवंटित किया गया है। इनमें से चार ब्लाकों को बिहार राज्य में आबंटित किया गया है। बिहार सहित विभिन्न राज्यों में गृहीत खनन के लिए आवंटित कोयला खनन ब्लाकों को क्रियान्वित किए जाने पर बढ़ते व्यापार संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़कें, रेल और विद्युत की आपूर्ति संबंधी सुविधा से स्थानीय निवासी भी लाभान्वित होंगे। रायल्टी और उपकर के माध्यम से राज्य सरकारों को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसे राज्य के लोगों के उत्थान के लिए व्यय किया जाएगा। किन्तु प्रत्येक राज्य को कितना लाभ होगा इसका निर्धारण करना कठिन है। नौवीं योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में गृहीत खनन से 13 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का प्रक्षिप्त अनुमान लगाया है।

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार

579. श्री नरेश कुमार चुन्नालाल पुगलीया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बौद्धिक सम्पदा अधिकार तथा पेटेंट प्रणाली के मामले में किसी कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा पेटेंट प्रणाली संबंधी मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सरकार को बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा पेटेंट प्रणाली के मामले में आयी कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार उक्त प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु बौद्धिक संपदा प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु समय-समय पर कदम उठाती रही है।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा सहकारी बैंकों का पुनः वित्त-पोषण करना

580. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाबार्ड" द्वारा 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान कर्नाटक में सहकारी-बैंकों को उपलब्ध कराई गई पुनः वित्त-पोषण की धनराशि कितनी थी तथा ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नाबार्ड ने राज्य में कुछ ऐसे सहकारी बैंको का पुनः वित्त-पोषण किया है जो कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पुनः वित्त-पोषण हेतु पात्र नहीं थे; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) निवेश ऋण के तहत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कर्नाटक में सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई पुनर्वित्त की राशि नीचे दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	राशि	
	1996-97	1997-98
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबीएस) की ओर से कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्ष बैंक	20.51	31.81
कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	115.14	129.03

इसके अलावा, जैसा कि नाबार्ड ने सूचित किया है, उसने विभिन्न योजनाओं के तहत कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्ष बैंक को उत्पादन ऋण अर्थात् अल्पावधि ऋण सीमाएं दी हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपए में)

सीमा	डीसीसीबी की संख्या		स्वीकृत सीमा		उपयोग में लाई गई सीमा	
	96-97	97-98	96-97	97-98	96-97	97-98
मौसमी कृषि कार्य	18	15	312.70	375.92	280.60	310.00
बुनकर	4	6	3.45	5.80	2.86	3.69

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि उसने उपर्युक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में किसी भी ऐसे सहकारी बैंक को पुनर्वित्त नहीं दिया है, जो पुनर्वित्त के पात्र नहीं थे।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलें

581. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन सभी मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु बिना कोई अतिरिक्त भार डाले सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपने का कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजे थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) रुग्ण वस्त्र मिलों को सामान्य लागत अथवा निःशुल्क अधिग्रहण करने की एक पेशकश संबंधित राज्य सरकारों को की गई थी बशर्ते कि राज्य सरकारें अर्थक्षम मिलों को चलाने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने के दायित्व को स्वीकार करने के प्रति इच्छुक हो। यह भी पेशकश की गई थी कि केन्द्रीय सरकार, एन.टी.सी. (धारक कंपनी)/भारत सरकार इन मिलों को दिए गए ऋण तथा उन पर लगने वाले ब्याज के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार करने वाले कामगारों को अदा की गई वी.आर.एस. की राशि को बट्टे खाते डाल देगी/छोड़ देगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कामगारों को देय सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व का निर्वाह करने के प्रति भी इच्छुक होगी। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र की सरकारों ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया है। अन्य राज्य सरकारों से भी जिनको कि ऐसी पेशकश की गई थी, कोई ठोस प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मारुति उद्योग

582. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और जापान की प्रमुख मोटर कंपनी, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बीच मारुति उद्योग लिमिटेड के संबंध में लंबे अर्से से चले आ रहे विवाद को सौहार्द पूर्ण तरीके से हल करने के लिए हाल ही में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जापान की मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर श्री आर.एस.एस.एल.एन. भास्करुडु की नियुक्ति का विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मंडल (इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स) के तहत अंतर्राष्ट्रीय आरबिट्रेशन न्यायालय में अर्जी दायर की है। कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय आरबिट्रेशन न्यायालय के समक्ष लंबित है। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक बातचीत होती रही है, तथापि, इसके अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अर्जित भूमि

583. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) द्वारा कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) एम.सी.एल. द्वारा भूमि अर्जित किए जाने के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ग) प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अपनी पूर्ववर्ती कंपनियों से प्राप्त भूमि सहित कुल 20,041.316 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है। कुल सरकार द्वारा केवल 6,455.918 हैक्टेयर का ही भौतिक रूप से कब्जा दिया गया है।

(ख) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि के अधिग्रहण किए जाने के कारण अब तक 384 परिवारों को विस्थापित किया गया है।

(ग) प्रभावित परिवारों को 52,92,41,838.00 रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा पुनर्वास के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में पुनर्वास के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

स्वःरोजगार, पुनर्वास के लिए सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन, ग्रामवासियों को पुनर्वास के स्थान पर ले जाने में सहयोग करना। इन पुनर्वास स्थानों में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :- सड़कें, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, विद्यालय के भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, पीने के पानी की व्यवस्था, मनोरंजन केन्द्र, तालाब, टैंक, क्रीडा स्थल, पशु चिकित्सा केन्द्र वृक्षारोपण, शापिंग केन्द्र आदि।

जापानी सहायता में कटौती

584. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा अगले तीन वर्षों में विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता में कटौती करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता में इस कटौती का प्रभाव भारत पर भी पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो भीतर के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) जापान द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जापान सरकार ने 1998-97 के जापानी सरकारी विकास सहायता बजट में 10 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) भारत को दी जाने वाली जापानी सरकारी विकास सहायता की घोषणा भारत विकास मंच की बैठक में प्रति वर्ष की जाती है। इस कटौती का प्रभाव उस समय ही ज्ञात हो पाएगा। हाल ही में जापान ने भारत में नई परियोजनाओं के लिए ऋणों और अनुदानों को भी अनुपलभ्य बनाए जाने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को आयकर में दी गई छूट की समाप्ति

585. श्री पंकज चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को आयकर में दी गई छूट को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसी वैकल्पिक योजना को तैयार करने का है, जिससे निर्यातकों को आयकर का वही लाभ प्राप्त होगा जिसे वे पहले प्राप्त कर रहे थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) इस संबंध में सरकार का उत्तर वार्षिक बजट प्रस्तावों में निहित होगा।

(ख) से (ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तरों के संबंध में प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों के प्रति लंबित आयकर

586. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां हैं जिनका मई, 1998 तक तीन वर्षों का आयकर बकाया है;

(ख) लघु औद्योगिक इकाइयों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए विद्यमान नियम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बंद पड़ी लघु औद्योगिक इकाइयों से आयकर की बकाया राशि को वसूल करते समय कोई छूट देती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बंद अथवा घाटे में चल रही ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयों से बकाया आयकर वसूल करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) जहां तक लघु उद्योग इकाईयों का संबंध है, आयकर विभाग द्वारा अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है तथा इस वर्ष के कर-निर्धारितियों के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई विशेष कार्रवाई निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, आयकर मांगों की बकाया धनराशि की वसूली के नियम लघु उद्योग इकाईयों सहित सभी वर्गों के कर-निर्धारितियों के लिए एक समान हैं। इसलिए, इसके फलस्वरूप उक्त प्रश्न में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी औद्योगिक कार्यकलापों में लगे हुए सभी कर निर्धारितियों के बारे में पिछले 3 वर्षों की सभी बकाया प्रविष्टियों का सत्यापन करना अपेक्षित होगा। मांगी गई सूचना को एकत्र करने के लिए किए गए प्रयासों और उसमें लगा समय इच्छित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे। किसी विशिष्ट मामले में यदि ब्याज, दण्ड आदि की माफी के लिए कर निर्धारिती द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसे गुण-दोष के आधार पर निपटा दिया जाता है।

[अनुवाद]

नई कोयला परियोजनाएं

587. श्री कमल नाथ : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा स्वीकृति के लिए लंबित नई कोयला परियोजनाओं की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1998, 1999 तथा वर्ष 2000 में नई कोयला खानें खोलने के बारे में लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की कोयला परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1995-96 से 1997-98 तक कोल इंडिया लिमिटेड हेतु सरकार द्वारा कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। किन्तु, इन तीन वर्षों के दौरान, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं. को.कं.लि.) हेतु निम्नलिखित दो कोयला परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी :

क्र. सं	परियोजना का नाम/ स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड रु. में)
1.	गौतम खानी, ओ.का.प. कोठागुडम, आंध्र प्रदेश	2.00	4[illegible].93
2.	रवीन्द्र खानी, न्यू टैंक भू.ग., श्रीरामपुर, आंध्र प्रदेश	1.22	242.94

सरकार की स्वीकृति हेतु को.इं.लि. की निम्नलिखित परियोजनाएं विचार किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं :

क्र. सं	नाम/स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	पूंजी लागत (करोड़ रुपये)
1.	झारखंड ओ.का., से.को.लि. वेस्ट बोकारो कोलफील्ड	1.08	110.89
2.	उरधान ओ.का., वे.को.लि. पेंच कन्हान सी.एफ.	0.70	114.14
3.	बीना खान-II ओ.का., ना.को.लि. सिंगरौली सी.एफ.	1.80	325.42
4.	टोपा ओ.का., से.को.लि. वेस्ट बोकारो सी.एफ.	1.20	119.14
5.	डिंगुला ओ.का., म.को.लि. तलचर सी.एफ.	4.00	201.27

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना के अनुसार, को.इं.लि. तथा सिं.को.क.लि. के संबंध में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 हेतु नई परियोजनाओं में कोयला मंत्रालय का योगदान इस प्रकार है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

कंपनी	लक्ष्य 1997-98	लक्ष्य 1998-99
1	2	3
ई.को.लि.	–	–
भा.को.को.लि.	–	1.15

1	2	3
से.को.लि.	0.90	1.00
ना.को.लि.	–	–
वे.को.लि.	–	0.04
सा.ई.को.लि.	–	–
म.को.लि.	0.50	0.50
ना.ई.को.	–	–
को.इं.लि. (जोड़)	1.40	2.69
सिं.को.क.लि.	–	–

वर्ष 1999-2000 हेतु कोयला खानों के अंशदान के लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

सोने की तस्करी

588. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री टी. गोविन्दन :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित उदार नीति के बाद भी सोने की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार के ध्यान में सोने की तस्करी के कितनी मामले आए हैं और 1997-98 के दौरान आज तक देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर तस्करी/पकड़े गए तस्करी के सोने की मात्रा और इसका मूल्य कितना है;

(घ) क्या इन मामलों में कुछ अधिकारियों के लिप्त होने का पता चला है;

(ङ) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि स्वर्ण आयात नीति को उदार बनाने के पश्चात् सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए शून्य।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान, आज तक देश के विभिन्न विमान पत्तनों पर किए गए तस्करी के सोने के अभिग्रहणों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान, आज तक, विभिन्न विमान पत्तनों पर सोने की तस्करी में प्रथम दृष्टया शामिल पाए गए विभिन्न अभिकरणों के कतिपय अधिकारियों के मामलों तथा उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) हाल के वर्षों में सोने के आयात के संबंध में उदारीकरण नीति के अतिरिक्त, जिसकी वजह से सोने की तस्करी में कमी हुई है, क्षेत्रीय कार्यालयों को सोने की तस्करी रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है। वे संवेदनशील क्षेत्रों/स्थानों में तथा उनके आस-पास चौकसी/गश्त करते हैं। पहचान किए गए संदिग्ध यात्रियों/कार्गो के संबंध में गुप्त सूचना एकत्र करना/जानकारी देना तथा उसे लक्षित करना, सोने के संभावित संगोपन/गलत घोषणा करने/घोषणा नहीं करने आदि का पता लगाने/जांच पड़ताल करने के लिए विमानों तथा जहाजों आदि की तलाशी लेने के कार्य भी नियमित रूप से किये जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान (15.5.98 तक) विभिन्न विमान पत्तनों पर पकड़े गए सोने को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	पकड़े गए सोने की मात्रा (कि.ग्रा.में)	पकड़े गए सोने का मूल्य (लाख रु. में)
1997-98	1648	841.901	3820.71
1998-99 (15.5.98 तक)	175	30.787	112.54

नोट : दिए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के दौरान, आज तक, विभिन्न विमान पत्तनों पर सोने की तस्करी में शामिल पाए गए अधिकारियों से संबंधित मामलों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

1. वर्ष 1997-98 के दौरान, एक मामले में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के एक अधीक्षक को बंगलौर हवाई अड्डे पर 270 सोने के बिस्कुट तथा 4 वीडियो कैमरे की तस्करी में शामिल पाया गया था, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अधीक्षक तथा इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों को कोफेपोसा के अधीन गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। उक्त अधिकारी के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जा रहा है। उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।

2. वर्ष 1997-98 के दौरान 136.42 लाख रुपये मूल्य के 24.745 कि.ग्रा. सोने के अभिग्रहण के एक मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैदराबाद स्थित कार्यालय के दो सहायक प्रबंधकों

को तस्करी में शामिल पाया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकद्मा चलाया जा रहा है। तस्करी से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध आरंभ की गई न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों में उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे।

वर्ष 1998-99 के दौरान अभी तक किसी अधिकारी को इस तरह की घटना में शामिल नहीं पाया गया है।

केन्द्रीय राजस्व में से राज्यों का हिस्सा

589. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय राजस्व में अपने हिस्से में वृद्धि के बावजूद नाखुश हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपनी तरफ से केन्द्र सरकार ने नियमित समयान्तराल पर वित्त आयोग गठित किया है जिसके द्वारा राजस्व वितरण पहलुओं की समीक्षा की गयी है और कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है ताकि राज्यों की बदल रही प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं की मांगें पूरी की जा सकें;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने वित्त आयोग की सभी सिफारिशें पूरी तरह लागू की हैं; और यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) वर्तमान वित्त आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इसकी कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(ङ) राजस्व वितरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नाराज होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ङ) बजट 1997-98 की तुलना में संशोधित अनुमान 1997-98 में केन्द्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से में वृद्धि के बावजूद कतिपय राज्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

(ख) से (घ) वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 380 के अंतर्गत गठित किए जाते हैं। अब तक दस वित्त आयोग गठित किए गए हैं तथा केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के अन्तरण की वैकल्पिक योजना की दसवें वित्त आयोग की एक प्रमुख अनुशंसा को छोड़कर राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्थाओं से संबंधित सभी वित्त आयोगों की अनुशंसाओं को पूरी तरह कार्यान्वित कर लिया गया है। यह अनुशंसा अंतःराज्यीय परिषद् और सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

अपेक्षित संविधान संशोधन विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है।

रूस को ऋण का पुनः भुगतान

590. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर.) से प्रापत रूबल ऋण के रूप में इस समय रूस को रूपया अदायगी देय का कितना बकाया है;

(ख) ऋण को चुकाने के लिए ऋण पुनः अदायगी समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों और आयातकों द्वारा रूस के ऋण पुनः भुगतान प्रबन्धों के दुरुपयोग के कोई उदाहरण सरकार के नोटिस में आये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कितना नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार रूस को देय भारत का बकाया रुपया ऋण लगभग 23269.82 करोड़ रुपए था।

(ख) पूर्व सोवियत संघ द्वारा भारत को दिए गए राज्य ऋण जनवरी, 1993 में भारत और रूसी संघ के बीच किए गए करार के अनुसार वापस अदा किए जा रहे हैं। करार के अन्तर्गत, 1.4.92 की स्थिति के अनुसार, रूबल मूल्य वर्गित ऋण को 1978 के अन्तर-सरकारी प्रोतोकोल के अनुसार 1.1.90 को विनिमय दर (1 रूबल = 19.9169 रु0) का प्रयोग करके रुपयों में परिवर्तित कर दिया गया था। यह संगत करारों की अनुसूची और शर्तों के अनुसार प्रतिदेय है। 1.4.92 की स्थिति के अनुसार मूल ऋण को भी 1978 के प्रोतोकोल द्वारा 1.4.92 की स्थिति के अनुसार यथा निर्धारित विनियम दर (31.7514 रुपए) का प्रयोग करके रूपयों में परिवर्तित कर दिया गया था और दो दरों पर परिवर्तित रूबल ऋण के रूपया मूल्य के बीच अंतर को 45 वर्षों में वार्षिक किस्तों में अदायगी के लिए पुनः निर्धारित किया गया। पुनः निर्धारित हिस्से पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है। रुपया ऋण की वापसी अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास रूसी विदेशी आर्थिक सम्बन्ध बैंक (वी. एफ.ई.आर.) के केन्द्रीय खाते में की जाती है तथा बकाया राशि का प्रयोग केवल भारत से रूस को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए किया जाता है।

(ग) से (ङ) दुरुपयोग के कुछ मामले जानकारी में आए हैं। इन मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेन्सों (वी.बी.ए.एल.) और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेन्सों (क्यू.बी.ए.एल.) का दुरुपयोग, वी.बी.ए.एल. के अन्तर्गत मोडवाट का गलत उपयोग, वस्तुओं का आयात जो संगत सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में शामिल नहीं है, घटिया अथवा रद्दी सामग्री के निर्यात के मूल्य की गलत घोषणा शामिल है। रूस के लिए आशयित निर्यात परेषणों के किसी तीसरे देश के गन्तव्यों को विपथन के आरोप भी जानकारी में आए हैं।

सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने और ऐसे दुरूपयोग को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मोडवाट आदि के उपयोग के लिए जाँच

की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना शामिल है। वी.बी.ए.एल. स्कीम को नई निर्यात-आयात नीति में 1 अप्रैल, 1997 से समाप्त कर दिया गया है।

रूसी संघीय सरकार ने स्विच ट्रेड के कारण होने वाली राजस्व की हानि को रोकने के लिए ''आयात के लिए पासबुक स्कीम'' नामक नई स्कीम भी शुरू की है और इस उपाय से रूस के लिए आशयित निर्यात परेषणों के विपथन पर रोक लगने की संभावना है।

किए गए विभिन्न उपायों के कारण, रूसी ऋण अदायगी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग में कमी आई है।

इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुई क्षति भी परिणामस्वरूप कम हो गई है।

ऋण नीति

591. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के लिए वर्तमान ऋण नीति को घोषित करते समय नकद भंडार अनुपात (सी.आर.आर.) को कम कर पाने की असफलता पर व्यापक निराशा की ओर ध्यान दिया था;

(ख) क्या ऐसा कर पाने की असफलता का कठिन परिसमापन अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है-तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस पर पुनः विचार करने का विचार है तथा क्या उचित कटौती घोषित की जाने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण दर में एक प्रतिशत की कमी करने से जमा दर में कोई कमी नहीं आएगी तथा इससे बचत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) से संबंधित नीति का निर्धारण अर्थव्यवस्था की स्थूल आर्थिक और मौद्रिक नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। बैंक चल निधि की कठिन स्थिति का अनुभव नहीं कर रहे हैं।

(ग) और (घ) चल निधि की परिस्थितियों और वित्तीय बाजार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) में परिवर्तन करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है, न कि सरकार का।

(ङ) बैंकों को अपनी मूल उधार दर (पी.एल.आर.) निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और प्रत्येक बैंक द्वारा इसका निर्धारण अपनी निधियों की लागत, लेन-देन की लागतों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है।

वित्तीय संस्थानों को अनुदान

592. श्री रति लाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ वित्तीय संस्थानों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है और आग्रह किया है कि उन्हें सरकारी इकाइयों और विभिन्न प्रकार की लघु मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण, सहायता और अनुदान दिया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक संस्थान के मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिनांक 1.1.1995 से आज तक राज्य को कुल कितने रूपए के ऋण तथा अनुदान दिए गए और प्रत्येक संस्थान को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लुगदी और कागज संयंत्र

593. श्री बची सिंह रावत ''बचदा'' :
श्री पी. शंकरन :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लुगदी और कागज संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वजह से हजारों कामगार बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (घ) कागज उद्योग ने पिछले दशकों में अधिष्ठापित क्षमता एवं उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2005-2006 में कागज की अनुमानित मांग लगभग 54.80 लाख टन है जो 2000-2001 से 2005 - 2006 तक की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत की विकास दर के आधार पर है। वर्ष 1995-96 में कागज उद्योग की विकास दर 7.9 प्रतिशत थी जिससे वर्ष 1996-97 में मंदी आयी जब कागज उद्योग की विकास दर घट कर 3.1 प्रतिशत हो गयी। 1997-98 में कागज उद्योग की विकास दर 4.89 प्रतिशत बतायी गयी थी जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली अधिक है। भारत में कागज व गत्ता उद्योग के आयात का हिस्सा उनके कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम है तथा स्वदेशी कागज उद्योग घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

(ङ) भारत में कागज मिलों की जीव्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक राजकोषीय रूप रेखा प्रदान की थी जिसके तहत 5 प्रतिशत की मूल शुल्क पर लुग्दी एवं रद्दी कागज के आयात की अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, काष्ठ खंडों काष्ठ चिपों का आयात ''शून्य'' शुल्क पर करने की अनुमति दी जाती है। 75 प्रतिशत या इससे अधिक अपरंपरागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाली मिलों पर रियायती उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है।

हिन्द महासागर के देशों में पर्यटन को बढ़ावा

594. श्री रामपाल सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के देशों के बीच पारस्परिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब तक लागू हो जाएगा ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

595. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए त्रैमासिक विवरणिका के अनुसार उनका कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ख) निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुमान के संदर्भ में सामान्यतः कार्यनिष्पादन का रुझान किस प्रकार का है;

(ग) 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की त्रैमासिक विववरणिका भरने की नई प्रणाली आरम्भ करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) देश में विवरणिका न भरने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को वित्तीय अनुशासन में लाने की दृष्टि से प्रणाली का अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों की संख्या के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं :

उन कंपनियों की संख्या, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन किया है :

(i) 25 लाख से अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि (एन.ओ. एफ.) - 1225

(ii) 25 लाख से कम की निवल स्वाधिकृत निधि (एन.ओ. एफ.) - 3887

कुल - 5112

चल आस्तियों (अर्थात् अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश) के रख-रखाव के संबंध में तिमाही विवरणिका के वर्तमान फार्मेट में हाल में संशोधन किया गया है। और संशोधित फार्मेट में प्रथम विवरणिका मार्च, 1998 से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवरणिकाओं की संवीक्षा लंबित है, अतः गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के कार्यनिष्पादन में नयी प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उन्होंने कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं जिन्हें एन.बी.एफ.सी. द्वारा प्राप्त किया जाना है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उनके द्वारा जारी किए गए विद्यमान निदेशों के अंतर्गत, केवल वे ही गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जो सार्वजनिक जमाओं को धारण/स्वीकार करती हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्दिष्ट फार्मेट में तिमाही विवरणिका बैंक को प्रस्तुत करें जिसमें चल आस्ति दर्शाया गया हो जिसका (सार्वजनिक जमाराशि बकाया के राशि के 15 प्रतिशत) और वास्तविक रूप में धारित चल आस्तियों की राशि पर रख-रखाव किया जाना है। तिमाही विवरणिका, एन.बी.एफ.सी. द्वारा चल आस्ति के रख-रखाव की निगरानी करने के लिए निर्धारित की गई है। तिमाही विवरणिका प्रस्तुत करने के संबंध में एन.बी.एफ. सी. द्वारा अनुपालना सामान्य रूप से संतोषजनक है।

(घ) जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास एन.बी.एफ.सी. पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उत्तर न देने वाली एन.बी.एफ.सी. की संख्या का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झख के उपबंधों के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह शक्ति दी गई है कि वह उन एन.बी.एफ.सी. को जो चल आस्ति का रख-रखाव करने में असफल होती है, यह आदेश दे कि वे चल आस्तियों के रख-रखाव में कमी की राशि के संबंध में बैंक दर से अधिक 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करें। चल आस्ति के रख-रखाव के संबंध में अनुशासन को सुनिश्चित करने का विचार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता एन.बी.एफ.सी. से दाण्डिक ब्याज वसूलना है।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला डिपो

596. श्री अजीत जोगी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के केन्द्रीकृत कोयला डिपुओं की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा इन डिपुओं को स्थापित करने में कितना व्यय हुआ है;

(ख) इन डिपुओं को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) इन डिपुओं में से प्रत्येक की वार्षिक ढुलाई क्षमता कितनी है;

(घ) क्या ये डिपो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(च) इन डिपुओं द्वारा भेजे गए कोयले पर प्रति टन कितना उतराई प्रभार वसूल किया जाता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के स्थल-वार केन्द्रीकृत कोयला डिपो तथा इन डिपों की स्थापना में हुए व्यय का ब्यौरा निम्न है :

डम्प का नाम	स्थल	व्यय की लागत (लाख रु० में)
कटरास डिपो	कटरास क्षेत्र	122.89
रामकृष्ण डिपो	सी.वी.क्षेत्र	46.42
डब्ल्यू.मुडीडीह डिपो	कटरास क्षेत्र	8.80
ई. वेससुरिया डिपो	कुसुंदा क्षेत्र	197.64
अलकडीह डिपो	बस्ताकोला क्षेत्र	159.55

(ख) भा.को.को.लि. में केन्द्रीकृत कोयला डिपो की स्थापना का उद्देश्य यह माना गया है कि सड़क बिक्री उपभोक्ता को किए जा रहे सभी सड़क प्रेषण डिपो से होगा जो कि कोलियरी से सामरिक रूप से नजदीक है तथा सड़क बिक्री उपभोक्ताओं को कोलियरी के समीप जाने से प्रतिबंधित करता है।

(ग) प्रत्येक डिपो की परिवहन/प्रेषण की क्षमता निम्न है :

डम्प का नाम	ट्रांसपोर्ट/प्रेषण/क्षमता प्रतिवर्ष
कटरास डिपो	3,84,000 टन
रामकृष्ण डिपो	1,38,600 टन
डब्लू. मूडीडीह डिपो	1,86,500 टन
ई. वेससुरिया डिपो	7,20,000 टन
अलकडीह डिपो	9,12,000 टन

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि दो कोयला डिपो नामतः ई. वेससुरिया और अलकडीह डिपो कार्य नहीं कर रहे हैं केवल कटरा, रामकृष्ण और डब्ल्यू. मूनीडीह डिपो कार्यरत हैं लेकिन वे भी स्थापित क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन डिपों के माध्यम से किए गए प्रेषणों का ब्यौरा निम्न है :

(टन में)

डिपो	1997-98	1996-97	1995-96
कटरास	6614	26388	170407
रामकृष्णन	195059	183197	127934
डब्ल्यू. मूडीडीह	156807	187800	270105

(च) इन डिपो द्वारा कोई उतराई शुल्क नहीं लिया जाता किन्तु भा.को.को.लि. डम्प/सेवा-शुल्क प्रभारित कर रहा है। इन्हें समय-समय से संशोधित किया जता है। वर्तमान में डम्प/सेवा-शुल्क 80 रुपया प्रति टन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ/घाटा

597. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को कितना लाभ/घाटा हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा घाटे पर चल रहे बैंकों को लाभप्रद तथा कार्यकुशल बनाने के लिए उठाए गए कदमों और तैयार किए गए समयबद्ध कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को हुए लाभ/हानि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों को हानियां न हों, निम्नलिखित उपाय किए हैं/करते रहे हैं :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च कार्यपालकों के साथ विभिन्न पैरामीटरों के मुकाबले में और कार्यनिष्पादन के लिए पहले की गई प्रतिबद्धताओं की तुलना में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न कार्य निष्पादन पैरामीटरों के संबंध में वार्षिक विचार-विमर्श करता है। बैंक कारोबार और कार्यनिष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने, लाभप्रदता में सुधार करने, अनिष्पादित अग्रिमों (एन.पी.ए.) की वसूली तथा आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था तथा स्टाफ की उत्पादकता में वृद्धि करने की प्रतिबद्धता भी करते है।

(ii) विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरूआत किए जाने से बैंकों ने अपनी ऋण वसूली नीति विकसित की है और एन.पी.ए. की शीघ्र वसूली के लिए ऋण वसूली कक्षों की स्थापना की है।

(iii) बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नए एन.पी.ए. को कम करने के लिए अपने ऋण मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत बनायें।

(iv) देयराशियों की वसूली में बैंकों की सहायता करने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

(v) हानि उठाने वाले बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे कम्प्यूटरीकरण/स्वचलीकरण को छोड़कर नया पूंजीगत व्यय और शाखा का विस्तार तथा कर्मचारियों की नई भर्ती न करें तथा अपने संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर सभी परिचालन खर्च में कमी करें।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ और हानि की स्थिति

बैंक	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	-76.36	5.62	64.30
आन्ध्रा बैंक	-43.57	11.07	35.70
बैंक ऑफ बड़ौदा	175.54	204.27	276.53
बैंक ऑफ इंडिया	50.36	276.48	360.02
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-40.80	12.60	47.26
केनरा बैंक	204.10	252.52	147.40
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-84.24	-73.53	150.83
कार्पोरेशन बैंक	72.55	104.75	125.13
देना बैंक	30.02	51.69	72.91
इण्डियन बैंक	14.26	-1336.40	-389.09
इंडियन ओवरसीज बैंक	10.39	3.20	104.51
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	110.00	172.75	180.25
पंजाब एंड सिन्ध बैंक	-7.42	-132.18	20.00
पंजाब नेशनल बैंक	85.79	-95.92	238.00
सिंडिकेट बैंक	-91.79	20.17	66.96
यूको बैंक	-83.81	-236.66	-176.23
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	106.48	80.49	215.68
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-197.23	-234.46	-113.64
विजया बैंक	31.70	-250.95	18.96

आंकड़े करोड़ रुपये में

(-) हानियां दर्शाते हैं।

कृषि विकास वित्त कंपनियां

598. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त कंपनियों की स्थापना करने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास असम में कृषि विकास वित्त कंपनी की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आयात-निर्यात नीति

599. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से हाल ही में घोषित नई आयात-निर्यात नीति में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। केरल सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि अखबारों में इस आशय की खबरें थी कि विधान सभा ने इस संबंध में एक संकल्प पारित कर दिया है।

(ख) अखबारों में छपी खबरों के अनुसार केरल विधान सभा ने हाल ही में घोषित की गयी एक्जिम नीति को इस आधार पर वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि नकदी फसलों, विशेषकर रबड़ को ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाने से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) अखबारों में छपी इन खबरों के आधार पर वाणिज्य मंत्री ने केरल के मुख्य मंत्री को यह स्पष्ट करते हुए एक पत्र लिखा था कि ओ.जी.एल. के अंतर्गत रखे गए 340 मदों की सूची को संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है तथा यह कि इन मदों के आयातों को मुक्त करने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर कोई आयात होने की संभावना नहीं है। आगे यह भी स्पष्ट किया गया था कि सूची में प्राकृतिक रबड़ से संबंधित कोई मद शामिल नहीं है।

पांचवां वेतन आयोग

600. **श्री वी.एम. सुधीरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वेतन आयोग की असंतुलित रिपोर्ट के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में व्याप्त व्यापक असंतोष से अवगत है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ संगठनों और संघों ने पांचवें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों के विरुद्ध सरकार से अभिवेदन किया है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर स्टाफ पक्ष के साथ विचार विमर्श करके ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है और इसे दिनांक 30.09.1997 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 569 (ई) के द्वारा लागू कर दिया है। सरकार ने विशेष विसंगतियों को दूर करने के लिए विसंगति कमेटियां भी गठित की हैं।

लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष

601. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए किसी प्रौद्योगिकी विकास कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो लघु उद्योगों की स्थापना, विस्तार और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए इस कोष से ऋण और अन्य सहायता के रूप में कितनी राशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उन राज्यों का विवरण क्या है जहां लघु उद्योगों ने अब तक इस कोष से ऋण लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) जी, हाँ। लघु उद्योग के लिए सिडबी द्वारा 1995-96 के दौरान एक प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष की स्थापना की गई है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ सिडबी ने अपने संसाधनों द्वारा 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। लघु उद्योग को दी जाने वाली ऋण की राशि, परियोजना लागत और अन्य पैरामीटरों पर निर्भर करती है तथा उसका निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। सिडबी इस योजना के अंतर्गत और साथ ही पुनः वित्त-पोषण करके प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से सीधी सहायता प्रदान करता है।

(ग) निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं :

(1) लघु उद्योग एकक कम-से-कम तीन वर्षों की अवधि से प्रचालन में होना चाहिए और परियोजना का परिणाम आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के रूप में होना चाहिए।

(2) एकक को संस्थानों अथवा बैंकों का दोषी नहीं होना चाहिए।

(घ) 31.3.1998 तक के अनुसार उन राज्यों का ब्यौरा जहां उक्त कोष से लघु उद्योगों ने ऋण लिया है :

राज्य/संघशासित प्रदेश	स्वीकृत राशि* (करोड़ रुपये)	वितरित राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2.49	1.38
दिल्ली	15.36	8.36
गुजरात	8.29	5.26

1	2	3
हरियाणा	6.08	1.52
केरल	4.01	1.51
कर्नाटक	3.26	2.31
महाराष्ट्र	14.00	5.30
मध्य प्रदेश	1.27	1.27
उड़ीसा	0.80	0.0
पांडिचेरी	0.30	0.12
पंजाब	3.63	1.91
राजस्थान	2.59	0.0
तमिलनाडु	24.11	12.49
उत्तर प्रदेश	1.82	1.16
वेस्ट बंगाल	0.64	0.96
गोवा	0.42	0.0
योग	89.07	35.15

*आंकड़े अनंतिम।

आयात प्रतिबंधों के लिए पैनल

602. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री चंदू लाल अजमीरा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को भारत के आयात प्रतिबंधों की समीक्षा हेतु एक पैनल बनाने का पुनः आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका द्वारा अक्टूबर में किए गए पिछले अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इसे किस आधार पर अस्वीकृत किया गया; और

(ङ) विवाद निपटाने वाले निकाय द्वारा दूसरे अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में विवादों के निपटान को अधिशासित करने वाले नियमों तथा प्रक्रियाओं संबंधी समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसरण में 15 जुलाई, 1997 को संयुक्त राज्य ने भारत द्वारा कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भारत के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था। तथापि उक्त विचार-विमर्शों से विवाद का निपटान नहीं हो सका। 3 अक्टूबर, 1997 को संयुक्त राज्य ने 16 अक्टूबर, 1997 को होने वाली अपनी बैठक में विवाद निपटान निकाय (डी.एस.बी) द्वारा एक पैनल स्थापित करने का अनुरोध किया था। इस बैठक में, डी.एस.बी. ने यह नोट किया था कि उक्त विचार-विमर्श एक ऐसे निर्णायक स्तर पर थे जिसके परिणामस्वरूप एक पारस्परिक रूप से सहमति युक्त एवं संतोषजनक हल निकाला जा सकता था तथा यह कि इसीलिए पैनल स्थापित करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं हो सकता। तथापि, संयुक्त राज्य ने 6 नवम्बर, 1997 का भारत द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. का उल्लंघन किए जाने के उसके आरोपों की जांच करने के लिए एक पैनल के बारे में एक बार पुनः अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर डी.एस.बी. की 18 नवम्बर, 1997 को हुई बैठक में विचार किया गया था तथा चूंकि यह डी.एस.बी. की लगातार दूसरी बैठक थी जिसमें संयुक्त राज्य ने डी.एस.यू. के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पैनल स्थापित करने का अनुरोध किया था। इसलिए इस बैठक में पैनल की स्वतः ही स्थापना हो गई थी।

कोयला विनियमनों को युक्तिसंगत बनाना

603. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला विनियमनों को युक्तिसंगत बनाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चुनिंदा विदेशी फर्मों की सूची तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला खनन प्रचालन पर विशेष रूप से लागू विनियमन कोयला खान विनियमन, 1957 है। कोयला खान विनियमन, 1957 में संशोधन किए जाने अथवा उसे युक्तिसंगत बनाने का कोयला मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की शाखाओं की संख्या

604. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कितनी शाखाएं खोली गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कौन-कौन सी संस्थाओं से खरीदारी की है और खरीदी गई वस्तुओं के नाम और उनका मूल्य क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बिहार में कितनी शाखाएं खोले जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन.टी.सी. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोई भी नई शाखा (फुटकर बिक्री केन्द्र) नहीं खोली है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.टी.सी. ने जिन संस्थानों से अधिकांशतः अपनी खरीदारियाँ की हैं उनके नाम संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं। अक्सर खरीदी जाने वाली मदों के नाम तथा उनकी इकाई लागत संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एन.टी.सी. का बिहार में कोई नया शोरूम खरीदने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

उन संस्थानों के नाम जहां से एन.टी.सी. ने विगत तीन वर्षों के दौरान अपनी अधिकतम खरीदारी की है

1. अखिल भारतीय हथकरघा विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली
2. हिमाचल इम्पोरियम
3. "बुनकर" (हरियाणा राज्य सरकार इम्पोरियम)
4. केएचडीसी (कर्नाटक हथकरघा विकास निगम)
5. न्यूएगर्टन वूलन मिल्स (दोनों वस्त्र मंत्रालय के अधीन)
6. कानपुर वूलन मिल्स
7. श्री मार्कण्डेय यंत्र औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड
8. प्रभात विद्युतकरघा मालिक उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड
9. कापको समिति, करूर
10. बलरामपुरम विपणन सहकारी समिति, बलरामपुरम
11. अरविंद सहकारी विद्युतकरघा उद्योग समिति लिमिटेड
12. मधुसूदन विद्युतकरघा सहकारी समिति लिमिटेड
13. भवानी विद्युतकरघा सहकारी समिति लिमिटेड, सूरत
14. फुलकारी (पंजाब राज्य सरकार इम्पोरियम)
15. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार हथकरघा निगम
16. उत्तर प्रदेश हथकरघा (राज्य सरकार इम्पोरियम)
17. मृगनयरी (मध्य प्रदेश राज्य सरकार इम्पोरियम)
18. महाराष्ट्र राज्य सरकार इम्पोरियम
19. महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
20. मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
21. उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, कानपुर
22. हरियाणा राज्य हथरकघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
23. जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा फैब्रिक्स विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली
24. मराठवाड़ा वस्त्र निगम
25. पूर्व बंगाल राज्य हथकरघा एवं विद्युतकरघा विकास निगम लिमिटेड
26. श्री बालाजी सहकारी विद्युतकरघा उद्योग समिति
27. महाजन कताई मिलें, पंजाब

विवरण-II

प्रायः खरीदी जाने वाली मदों के नाम तथा उनकी इकाई लागत

क्र.सं	मद का नाम	मूल्य (रुपये प्रति मीटर)
1	2	3
1.	बेल्जियम कारपेट कॉटन	100.00
2.	पोनचौली	102.00
3.	पॉलियेस्टर जैकुआर्ड	93.00
4.	प्लेन सी दओदरॉए	88.00
5.	यार्न डाइड प्लेन व डोबी डिजाइन फैंसी शर्टिंग	30.00
6.	यार्न डाइड प्लेन फैंसी सूटिंग	120.00
7.	साड़ियाँ	175.00
8.	लुंगियाँ	40.00
9.	डबल धोतियाँ	70.00
10.	डोबी डिजाइन तथा वूवन सुपिरियर एसोंटिड टॉवल	24.00
11.	दो x दो/ दो x एक	38.00
12.	फर्निशिंग मैटिरियल	40.00
13.	वूलन ब्लेजर	157.00

1	2	3
14.	वूलन सर्ज	132.00
15.	वूलन वर्सटिड	140.00
16.	दासूटी 89 से.मी.	34.50
17.	जर्सी	147.00 प्रति
18.	जुर्राब	27.00 प्रति
19.	बलैंकेट	190.00 प्रति
20.	टॉवल	50.00 प्रति
21.	दरी	124.00 प्रति
22.	खेस	131.00 प्रति
23.	बैड शीट	103.00 प्रति
24.	पौली शर्टिंग	26.00 से 34
25.	वूलन सर्ज	142 से 360
26.	वूलन ब्लेजर	78 से 165
27.	बलैंडिड शर्टिंग (पौली)	30 से 34
28.	अंगोला शर्टिंग (पौली)	87 से 192
29.	पौली सूटिंग	63.50 से 120
30.	टॉवल्स	49 से 110 प्रति पीस
31.	वूलन जर्सी	172 से 226
32.	फैंसी बलैंकेट	179 से 186
33.	वॉल पेपर	67.00
34.	शीटिंग क्लॉथ	32 से 35
35.	बैड कवरर्स	101 से 275
36.	साड़ी (सिंथेटिक)	110 से 250
37.	साड़ी (हथकरघा कॉटन)	57 से 228

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

605. डॉ० जयन्त रंगपी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में भारत पर कितना विदेशी ऋण है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे विदेशी ऋणों पर कितना ब्याज दिया गया;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर अथवा अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि एकत्र की; और

(घ) सरकार विदेशी ऋण के जाल से बचने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सितम्बर-अन्त, 1997 में भारत पर विदेशी ऋण की धनराशि 92.88 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1994-95 से 1996-97 तक के तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋण पर ब्याज (गणना नकद भुगतान आधार का प्रयोग करके) के रूप में अदा की गई धनराशि निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	ब्याज (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1994-95	4043
1995-96	4293
1996-97 (अ.)	4397

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्रित धनराशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

	1995-96	1996-97	1997-98 (अ.)
प्रत्यक्ष कर			
निगम कर	16487.13	18566.69	19835.37
आय कर	15587.17	18233.99	17149.78
ब्याज कर	1170.05	1712.39	1181.65
अप्रत्यक्ष कर			
सीमा शुल्क	35502	42890	40242
उत्पाद शुल्क*	40565	44917	47782
सेवा कर	862	1036	1455

अ : अनंतिम

* : राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित न किए गए उपकरों को छोड़कर

(घ) देश की विदेशी ऋण प्रस्तता स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ऋण-सेवा अनुपात (गणना नकद भुगतान आधार का प्रयोग करके) 1990-91 में 35.3 प्रति से गिरकर 1996-97 में 22.6 प्रतिशत हो गया है। ऋण-सकल घरेलु उत्पाद अनुपात भी 1991-92 में 41.0 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर 1996-97 में 25.9 प्रतिशत हो गया है। ऐसा सरकार द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबन्ध व्यवस्था नीति के माध्यम से संभव हुआ है। इसलिए, देश विदेशी ऋण जाल की किसी स्थिति का सामना नहीं कर रहा है।

ट्रांसपोर्टरों पर सेवा शुल्क

606. श्री जय सिंह जी चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रांसपोर्टरों पर 5 प्रतिशत सेवाशुल्क की वसूली के मुद्दे का निपटारा करने के लिए ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक के क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए.आई.एम.टी.सी.) के प्रतिनिधियों का एक बैठक में यह चर्चा करने के लिए बुलाया गया था कि माल परिवहन सेवाओं पर 5 प्रतिशत सेवा कर किस तरह से लगाया जाए। ए.आई.एम.टी.सी. के प्रतिनिधियों ने इस बात को दुहराया कि ट्रक चालक कंपनियों पर इस सेवा कर की वसूली की जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए।

भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजनाएं

607. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने सातवीं और आठवीं योजना के दौरान राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि आईडीबीआई सहित वित्तीय संस्थाओं ने सातवीं और आठवीं योजनावधियों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त योजनावधियों के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

8वीं योजनावधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित राज्य-वार सहायता

क्र.सं.	राज्य	मंजूरियां						संवितरण					
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	जोड़	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1492.5	1963.0	2954.7	3939.1	3145.5	1384.6	1205.7	1183.5	1873.1	24347.6	2494.9	9104.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.1	0.4	4.0	4.5	9.9	19.9	1.6	1.0	3.2	2.6	1.3	9.7
3.	असम	100.0	86.1	143.2	643.9	105.7	1079.2	96.0	94.8	99.2	127.0	250.0	667.0
4.	बिहार	571.0	295.5	149.2	462.9	570.5	2049.1	442.2	222.1	244.2	255.7	249.8	1414.0
5.	गोवा	117.4	314.8	247.2	250.4	298.9	1228.7	95.1	153.9	209.6	114.0	116.1	688.7
6.	गुजरात	4048.9	68390	10027.9	9443.1	8844.5	39203.4	2832.2	2828.4	4319.2	4778.8	6298.7	21057.3
7.	हरियाणा	840.1	762.6	1090.2	1626.4	1396.2	5715.5	461.5	522.1	614.9	1050.9	1101.7	3780.1
8.	हिमाचल प्रदेश	255.8	98.9	861.4	873.4	270.8	2360.3	344.8	232.9	492.6	280.6	358.9	1608.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14.9	6.0	10.8	40.1	22.8	91.4	32.2	9.9	12.0	32.0	18.0	104.1
10.	कर्नाटक	1735.7	2135.7	4168.3	5893.3	4931.5	18867.5	1038.8	1634.7	1899.9	2721.3	3041.5	10336.2
11.	केरल	474.7	494.5	501.9	851.2	792.2	3118.0	329.9	410.7	359.4	490.1	797.2	2387.3
12.	मध्य प्रदेश	1319.9	1631.4	2083.6	3102.3	1690.5	9827.7	901.0	1256.5	1399.3	1825.4	1709.9	7092.1
13	महाराष्ट्र	7686.3	5750.9	12816.5	13103.2	9115.3	51472.2	4842.4	5918.1	7645.8	7763.3	8798.2	34967.8
	मणिपुर	1.5	1.1	0.2	2.3	62.1	67.2	2.1	1.3	0.4	4.5	2.1	10.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मेघालय	1.9	4.1	5.7	2.5	10.9	25.1	2.1	3.4	4.5	1.9	6.2	18.1
16.	मिजोरम	2.6	2.1	1.8	2.6	2.3	11.4	1.4	1.5	1.6	1.9	2.2	8.6
17.	नागालैण्ड	2.5	0.4	1.9	4.2	11.4	20.4	4.4	1.6	1.7	6.4	9.8	24.0
18.	उड़ीसा	406.3	377.7	1047.7	582.5	1609.2	4023.4	333.0	516.7	328.9	304.2	453.1	1935.9
19.	पंजाब	669.0	744.6	1189.6	1183.8	1018.4	4805.4	442.0	550.6	774.5	834.3	713.5	3314.9
20.	राजस्थान	1125.3	1294.4	1943.7	2389.9	2536.7	9290.0	1075.6	1079.8	1453.3	1801.2	1518.8	6959.2
21.	सिक्किम	0.6	2.9	1.6	7.0	10.4	22.5	1.7	2.9	1.3	11.6	4.1	21.6
22.	तमिलनाडु	2096.8	2716.8	5604.6	6755.7	5044.4	22218.3	1494.3	1816.9	27447.8	3501.6	3548.4	13139.0
23.	त्रिपुरा	3.4	0.8	3.2	4.7	5.9	18.0	1.8	0.7	1.5	8.7	5.3	18.0
24.	उत्तर प्रदेश	1642.5	2774.9	3010.5	4878.9	4212.3	16519.1	1169.6	1208.5	2219.3	3148.4	3402.2	11145.0
25.	पश्चिम बंगाल	1161.4	1252.8	1943.8	2666.2	2157.2	9181.4	659.1	977.5	800.9	1114.7	1278.2	4830.3
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	963.6	1496.8	2434.4	1483.1	2384.5	8762.4	667.4	6864.	1319.0	1576.1	1294.9	5573.8
27.	संघ शासित क्षेत्र												
	(क) अंडमान एवं निकोबार	133.1	156.8	830.3	884.1	616.9	2621.2	102.1	115.3	262.9	378.1	454.4	1312.8
	(ख) दमन एवं दीव	1.4	2.3	9.4	14.8	7.1	34.9	0.8	2.3	12.3	2.4	12.0	29.8
	(ग) दादर एवं नागर हवेली	18.5	22.9	25.0	77.5	47.3	261.2	9.3	35.6	51.6	59.3	50.6	206.4
	(घ) चंडीगढ़	35.6	90.4	531.4	312.8	423.5	1393.7	24.8	25.8	134.3	232.2	273.9	691.0
	(ङ) लक्षद्वीप	12.3	10.0	31.3	52.4	60.7	166.7	9.2	7.8	30.0	16.0	47.6	100.6
	(च) पांडिचेरी	65.3	32.3	163.2	426.6	78.3	764.7	58.0	13.8	44.7	68.3	70.3	285.0
28.	बहु राज्य/ गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र	5091.7	5549.9	5014.7	2711.5	3319.4	21687.2	3746.4	3965.5	3247.7	2920.5	3041.2	16921.3
	जोड़	31960.5	39809.1*	58095.6	63793.3	54199.3	247857.8#	22228.1'	25427.2	32396.7	37403.9	41000.6	158456.5

% आंकड़े जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट से संबंधित है।

मलेशिया और सऊदी अरब के आईसीआईसीआई द्वारा मंजूर 53.9 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

' मलेशिया और सऊदी अरब को आईसीआईसीआई द्वारा मंजूर 63.3 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

* मलेशिया को आईसीआईसीआई द्वारा संवितरित 1.7 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

विवरण–II

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित राज्यवार सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1985-86		1986-87		1987-98		1988-89		1989-90		जोड़	
		एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी	एस	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	381.7	386.9	844.5	413.9	843.9	532.9	1185.1	884.9	1003.8	725.7	4259.0	2943.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.0	1.9	2.2	1.5	1.5	1.0	0.8	0.6	1.7	1.2	8.2	6.2
3.	असम	24.8	48.1	54.7	48.0	58.2	39.9	62.6	47.8	213.9	64.2	414.2	248.9
4.	बिहार	133.1	78.4	195.6	137.0	362.6	207.0	201.7	179.8	377.6	224.5	1270.6	826.7
5.	गोवा	34.2	25.4	53.1	27.2	67.8	39.4	95.5	48.7	127.0	84.4	377.6	225.1
6.	गुजरात	715.3	560.1	932.9	745.6	1006.9	798.5	1745.5	1148.1	1548.2	1003.3	5948.8	4255.6
7.	हरियाणा	125.6	101.4	176.3	137.0	225.1	126.2	243.7	200.5	524.8	301.6	1295.5	866.7
8.	हिमाचल प्रदेश	66.1	64.5	66.1	58.9	86.0	56.9	111.6	84.6	159.3	100.5	489.1	365.4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	37.3	33.1	82.8	46.1	81.2	68.2	62.8	64.6	63.7	55.7	327.8	207.5
10.	कर्नाटक	466.3	410.5	397.0	352.0	498.8	340.7	590.2	481.2	615.2	498.2	2567.5	2082.6
11.	केरल	128.5	102.9	173.2	124.1	156.2	132.5	246.6	178.9	265.2	220.3	969.7	758.7
12.	मध्य प्रदेश	357.5	310.3	449.7	267.2	534.1	361.9	860.8	531.5	649.5	460.6	2851.6	1931.5
13.	महाराष्ट्र	1087.2	758.9	1153.2	861.6	1373.0	1062.1	2020.9	1537.6	3272.5	1840.7	8906.8	6060.9
14.	मणिपुर	3.3	2.2	8.5	4.7	10.8	6.1	11.2	4.2	11.0	9.6	44.8	26.8
15.	मेघालय	9.9	9.7	17.4	8.8	9.4	6.7	14.2	12.1	10.0	12.0	60.9	49.3
16.	मिजोरम	4.8	4.0	5.6	3.5	5.9	5.8	6.1	6.4	4.6	4.7	27.0	24.4
17.	नागालैंड	3.9	3.9	1.6	3.5	5.2	4.8	7.2	5.8	3.6	4.3	21.5	22.3
18.	उड़ीसा	130.6	162.9	167.1	170.5	187.3	166.6	429.5	254.9	396.4	196.5	1310.9	951.4
19.	पंजाब	179.6	109.1	306.7	164.8	263.5	263.8	552.4	312.7	377.3	401.6	1679.5	1252.0
20.	राजस्थान	273.8	176.4	332.3	248.2	331.4	256.3	789.9	254.3	622.8	327.7	2350.2	1262.9
21.	सिक्किम	5.9	3.0	5.8	5.5	3.2	6.1	0.2	2.4	7.4	3.4	22.5	20.4
22.	तमिलनाडु	734.1	460.1	486.6	485.0	888.2	640.2	1157.5	767.2	1251.9	925.2	4518.3	3277.7
23.	त्रिपुरा	1.6	1.3	4.0	1.5	2.2	3.3	6.1	3.7	9.9	3.6	23.8	13.4
24.	उत्तर प्रदेश	789.0	469.2	1000.5	633.8	956.9	904.6	1490.3	956.7	1164.9	813.2	5410.6	3777.5
25.	पश्चिम बंगाल	507.3	227.3	380.0	309.9	338.7	295.0	495.3	479.5	598.6	485.0	2319.9	1796.7
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली					169.3	119.5	255.3	173.8	169.0	133.3	593.6	426.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	संघ राज्य क्षेत्र												
	(क) अंडमान एवं निकोबार	196.7	146.0	227.3	143.1	46.0	49.3	131.0	72.0	96.8	61.3	697.8	471.7
	(ख) दमन एवं दीव					1.2	0.4	1.4	0.7	0.2	0.2	2.8	1.3
	(ग) दादरा एवं नागर हवेली					0.1	0.1	5.2	0.1	4.4	3.2	9.7	3.4
	(घ) चंडीगढ़					15.5	11.8	35.3	29.5	35.7	21.0	86.5	62.3
	(ङ) लक्षद्वीप					3.3	3.1	7.9	7.3	19.3	12.9	30.5	23.3
	(च) पांडिचेरी					25.9	33.9	81.0	34.2	37.2	24.0	144.1	92.1
	जोड़	6409.1	4657.5	7524.7	5403.8	8513.3	6494.3	12774.0	8694.5	13546.6	8962.3	48767.7	34212.4

एस - मंजूरियां डी - संवितरण

रबड़ का आयात

608. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ आयात करने का है; और

(ख) देश में चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ की उद्योग-वार कुल कितनी आवश्यकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 603,000 मी० टन रबड़ की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। उद्योग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह दो महीने का स्टॉक संग्रह करे जो बढ़कर इस वर्ष 100,500 मी० टन हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ की उद्योग-वार उपभोग की लगभग आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

	उत्पाद	प्राकृतिक रबड़ की अनुमानित आवश्यकता (मी० टन)
1.	आटो टायर तथा ट्यूब	269,00
2.	साइकिल टायर तथा ट्यूब	79,700
3.	कैमल बैक	38,200
4.	फुटवियर	63,100
5.	बैल्ट तथा होसेस	43,700
6.	लैटेक्स फोम	31,300
7.	डिप्ड वस्तुएं	27,700
8.	बैटरी बॉक्स	2,100
9.	केबल तथा वायर	1,800
10.	अन्य	45,600
	कुल	603,000

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

609. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मेघालय में कार्य कर रही हैं और सन्दिग्ध बचत योजनाओं द्वारा भोली-भाली जनता को आकर्षित कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी ही कंपनियों में से जेवीजी फाइनेन्स नाम की एक कंपनी ने हाल ही में मेघालय में अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं और बेचारे निवेशकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और वृक्षारोपण कंपनियों को देश में कार्य करने पर रोक लगाने के लिए कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है जब तक वे सर्वोच्च बैंक में धनराशि जमा कराने और इस प्रकार निवेशकों को समय पर पुनर्भुगतान की गारण्टी देने के लिए तैयार नहीं हो जाती;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्पूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, दिल्ली स्थित तथा पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषरूप से मेघालय में कार्यरत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)

की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड का असम और मेघालय में निम्नानुसार एक अंचल कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय और 17 शाखाएं हैं :

राज्य	अंचल कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	शाखाएं
असम	1	4	14
मेघालय	–	1	3

सभी क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं वर्ष 1995-96 में खोली गई थीं। जेवीजी समूह की तीन कंपनियों अर्थात जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड, जेवीजी लीजिंग लिमिटेड और जेवीजी हाऊस फाइनेंस लिमिटेड के लिए अंचल और क्षेत्रीय कार्यालय सामान्य हैं।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अपनी शाखाएं खोलने और बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई शाखा खोलने या बंद करने पर भारतीय रिजर्व बैंक को कोई भी सूचना देनी अपेक्षित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी नहीं है कि जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में मेघालय में अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशि स्वीकार किए जाने से संबंधित अपने विनियमों में हाल ही में संशोधन किया है। केवल वे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है जिन्हें निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है। अपनी क्रेडिट रेटिंग के ग्रेड के आधार पर, कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अपनी निबल स्वाधिकृत निधि की तुलना में अधिक या कम राशि स्वीकार कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए आय की पहचान, परिसंपत्ति के वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता अनुपात तथा ऋण और निवेश के संकेन्द्रण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य बना दिया है। जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को जनता की जमाराशियों की 12.5 प्रतिशत राशि सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सरकार द्वारा गारंटीशुदा बांडों में निवेश करना भी अपेक्षित है। इन सभी उपायों का उद्देश्य गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण को सरल एवं कारगर बनाकर तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाकर जमाकर्ताओं को अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करना है।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के पास जमा कराई गई राशियां गारंटी शुदा अथवा बीमाकृत नहीं होती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय जमाकर्ताओं के हितों को कुछ हद तक अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी जमाराशि की शर्तों के अनुसार किसी जमाराशि की वापसी अदायगी करने में असफल रहती है, तो जमाकता कंपनी विधि बोर्ड के पास जा सकता है और कंपनी विधि बोर्ड गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को जमाराशि की तुरंत अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर वापसी अदायगी करने का निदेश जारी कर सकता है।

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

610. श्री पी. शंकरन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को पहले से ही संग्रह किए गए रबड़ के निर्यात पर रोक लगाने के कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या निर्देश के फलस्वरूप घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में और भी गिरावट आई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार फिर से प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने के लिए जारी आदेशों की समीक्षा करने का है; और

(घ) रबड़ उत्पादों के लाभ हेतु भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग में सुधार के लिए सरकार की नीति क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत में प्राकृतिक रबड़ के लिए बाजार बनाए रखने की दिशा में सरकार ने वर्ष 1997 के दौरान एसटीसी द्वारा 10,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद के लिए एक बाजार हस्तक्षेप कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सरकार ने हाल ही में 20,000 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा खरीदने का निश्चय किया है।

दिल्ली में प्रौद्योगिकी उद्यान

611. श्री के.एस. राव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां स्थापित किया जाएगा, इस पर अनुमानित व्यय कितना होगा तथा इसके वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में प्रौद्योगिकी उद्यान को कब से चालू किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ग) दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वह ''साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान'' स्थापित करने के प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि का पता लगा रही है। उन्होंने अभी तक अनुमानित लागत तथा वित्तपोषण के स्रोत को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक सहायता

612. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को 2,334 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विश्व बैंक ने गत डेढ़ वर्ष में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की है;

(ग) यदि हाँ, तो वर्तमान विश्व बैंक ऋण को किन-किन मदों पर खर्च किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त पूर्ववर्ती ऋणों का पूर्णतया उपयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के पास कितनी अप्रयुक्त राशि शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) ऋणों सहित विश्व बैंक सहायता सामान्यतः उन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जो कई वर्षों (सामान्यतः 5-6 वर्ष) के दौरान कार्यान्वित की जाती हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 6 परियोजनाएं कार्यान्वयानाधीन हैं। इन परियोजनाओं पर 221.242 मिलियन डालर की राशि का उपयोग किया जा चुका है जबकि दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार 671.602 मिलियन डालर की राशि उपयोग के लिए शेष है। अप्रयुक्त राशि राज्य सरकार के पास नहीं रहती बल्कि जब कभी व्यय होने की स्थिति होती है तो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के माध्यम से, इसके उपयोग की प्रगति के आधार पर, पुनः संवितरित की जाती है।

उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव

613. श्री गिरिधर गमांग : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा पर्यटन से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उनका पता लगाने तथा उनका चयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमाक अपांग) : (क) उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटक स्वागत केन्द्र, पर्यटक परिसर और मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण, स्मारकों के सौन्दर्यीकरण और मेले तथा उत्सवों के आयोजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने 28 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं और 557 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इनमें मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 8, जनसुविधाओं के लिए 5, पर्यटक स्वागत केन्द्र के लिए 6 और पर्यटक परिसरों के लिए 4 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के साथ विचान-विमर्श किया और पर्यटक स्थलों की पहचान करने तथा विकास करने के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का निर्यात का हिस्सा

614. श्री के.पी. नायक्कू :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का निर्यात का हिस्सा बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वास्तविक हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की विकास दर क्या रही; और

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, हाँ/वर्ष 1996-97 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 0.6 प्रतिशत का है। भारत के निर्यातों का कम हिस्सा मुख्यतः उन नीतियों के कारण है; जो आयात प्रतिस्थापना पर केन्द्रित है।

(घ) डी.जी.सी. एण्ड एस. के अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की वृद्धि दर निम्नानुसार है :

	अमरीकी डॉलर के रूप में	रुपये के रूप में (%)
1995-96	21.4	29.3
1996-97	4.0	10.4
1997-98	2.6	7.5

(ङ) निर्यात-निष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों, घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, समर्थनकारी अवस्थापना आदि द्वारा प्रभावित होता है और सरकार उदारीकरण और वैश्वीकरण की अपनी नीतियों के जरिए ऐसा नीतिगत वातावरण उपलब्ध करने का प्रयास कर रही है। जिसके तहत निर्यात में उच्च वृद्धि प्राप्त हो सके। इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कदमों में शामिल हैं। डी.ई.पी.बी. दरों में संशोधन, लगभग 300 नई निर्यात मदों के लिए डी.ई.पी.बी. दरों की घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कीमतों पर निर्यातकों को कच्ची सामग्री की सरलतापूर्वक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी बंधक भंडारगारों की स्थापना की अनुमति देना और बड़े-बड़े विदेशी आयातकर्त्ताओं द्वारा भारत से बल्क आयातों को सुकर बनाना, निर्यातों में वृद्धि के लिए एक मध्यावधि कार्य योजना तैयार करना और फोकस एल.ए.सी. स्कीम की शुरूआत आदि।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का मुक्त आयात

615. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 340 उपभोक्ता वस्तुओं के मुक्त आयात की स्वीकृति प्रदान की है;,

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी स्वीकृति देने से पूर्व कुटीर और लघु उद्योगों पर इन वस्तुओं के आयात के प्रभाव की जांच की गई;

(ग) यदि हाँ, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(घ) नई एक्जिम नीति के कार्यान्वित होने के पश्चात् अब तक कितनी लघु उद्योग इकाइयां बंद हो चुकी हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण डेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) 340 मदों के मुक्त आयात की अनुमति देने से संबंधित निर्णय जून 1991 के बाद से मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की समग्र नीति को देखते हुए लिया गया है।

इन मदों की उक्त सूची को प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करके इस दृष्टि से तैयार किया गया है ताकि यह पता चल सके कि घरेलू उद्योग और विशेषतया लघु उद्योग को कम से कम क्षति पहुंची है।

(घ) सरकार को इस स्वरूप की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवाओं को सहायता

616. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री माधवराव पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कतिपय योजना का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(घ) वर्ष 1998-99 में योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्यगण का आशय प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) से है जिसके अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को संबल प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 1993-94 के दौरान चालू की गई थी। 18-35 वर्षों की आयु वाले युवक जो मैट्रिक पास या फेल या आईटीआई पास या जो सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम छह माह की अवधि वाले तकनीकी कोर्स किए हुए हैं और जिन लाभान्वितों के माता-पिता की वार्षिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं है या 24,000 रुपये वार्षिक तक है और उस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों से रह रहे हों, वही इस योजना में सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। परियोजना लागत के 15% तक जिसमें 7500 रुपये की अधिकतम सीमा रखी गई है, सहायता के तौर पर दिया जाता है। लाभान्वित व्यक्ति को परियोजना लागत के 5% के बराबर मार्जिन राशि देनी होगी। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित ब्याज दरों पर देनी होंगी। इस योजना में इस ऋण की राशि में से बनाई गई आस्तियां प्रतिभूति के रूप में रहेंगी और इसमें किसी अन्य पक्ष की गारंटी/समर्थन आवश्यक नहीं होगा। आरंभिक 6 से 18 माह की अधिस्थगन अवधि के पश्चात 3 से 7 वर्ष तक की अवधि के बीच ऋण चुकाना होगा।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत युवकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बारे में राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(घ) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान वास्तविक लक्ष्य के आंकड़े भी बैंकों ने नहीं दिए हैं।

विवरण-I

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यक्रम वर्ष 1995-96		
	लक्ष्यगत मामलों की संख्या	मंजूर मामलों की संख्या	संवितरित मामलों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	31900	29795	24001

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	300	256	226
असम	10125	9039	7786
बिहार	22150	17100	12738
गुजरात	8500	10477	8919
गोवा	550	514	409
हरियाणा	7480	9026	7268
हिमाचल प्रदेश	2100	2570	2351
जम्मू एवं कश्मीर	3152	2657	1692
कर्नाटक	17700	15895	13445
केरल	16000	14236	12651
महाराष्ट्र	35920	40122	31938
मणिपुर	4000	1278	1149
मध्य प्रदेश	27050	30592	23325
मेघालय	550	534	391
मिजोरम	250	250	215
नागालैण्ड	300	295	292
उड़ीसा	8310	7941	5961
पंजाब	15000	15312	12369
राजस्थान	14000	10017	7073
सिक्किम	200	161	144
त्रिपुरा	1300	1433	695
तमिलनाडु	22870	18312	14999
उत्तर प्रदेश	42613	34498	28820
पश्चिम बंगाल	25950	11035	7384
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1550	4337	2554
अंडमान एवं निकोबार	100	92	72
चण्डीगढ़	150	177	162
दादर एवं नगर हवेली	150	180	177
दमन एवं दीव	100	44	29
लक्षद्वीप	50	35	35
पांडिचेरी	500	404	341
*निर्दिष्ट नहीं		11	7
अखिल भारत	321360	289233	229698

विवरण-II

शिक्षित बेरोजगार युवक (पी.एम.आर.वाई.) के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यक्रम वर्ष 1996-97		
	लक्ष्यगत मामलों की संख्या	मंजूर मामलों की संख्या	संवितरित मामलों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	31900	28319	19336
अरुणाचल प्रदेश	450	296	287
असम	15000	8626	7355
बिहार	22150	17354	14343
गुजरात	8500	9505	8447
गोवा	550	485	398
हरियाणा	7200	8260	6370
हिमाचल प्रदेश	2100	2409	2250
जम्मू एवं कश्मीर	3500	1256	710
कर्नाटक	17700	15608	11897
केरल	15000	14599	12700
महाराष्ट्र	35900	37333	31201
मणिपुर	3000	2047	1527
मध्य प्रदेश	27050	31548	2209
मेघालय	825	495	445
मिजोरम	375	225	197
नागालैण्ड	450	317	301
उड़ीसा	8250	7361	4464
पंजाब	8600	9817	8063
राजस्थान	10400	10189	7396
सिक्किम	200	125	102
त्रिपुरा	1950	1376	626
तमिलनाडु	21800	15294	11076
उत्तर प्रदेश	35813	33622	27113
पश्चिम बंगाल	22900	8742	6368

1	2	3	4
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4450	1883	1038
अंडमान एवं निकोबार	100	81	59
चण्डीगढ़	150	148	117
दादर एवं नगर हवेली	150	173	131
दमन एवं दीव	100	24	19
लक्षद्वीप	50	36	36
पांडिचेरी	500	284	211
निर्दिष्ट नहीं		18	13
अखिल भारत	307163	268155	206700

विवरण-III

शिक्षित बेरोजगार युवक (पी.एम.आर.वाई.) के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यक्रम वर्ष 1997-98 (अनन्तिम)		
	लक्ष्यगत मामलों की संख्या	मंजूर मामलों की संख्या	संवितरित मामलों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	34200	22121	11405
अरुणाचल प्रदेश	300	117	26
असम	13400	5233	1210
बिहार	21500	12358	6606
हरियाणा	6309	5927	3130
गुजरात	12600	9754	7898
गोवा	600	305	205
हिमाचल प्रदेश	2300	2287	1748
जम्मू एवं कश्मीर	3500	2384	1157
कर्नाटक	22000	13392	6829
केरल	16000	8968	6338
महाराष्ट्र	42600	34877	24956
मध्य प्रदेश	31500	28553	10738
मेघालय	550	251	84
मिजोरम	400	11	
नागालैण्ड	450	58	5
उड़ीसा	9250	6429	700
पंजाब	9000	8525	4864
राजस्थान	14300	11583	5284
सिक्किम	100	62	23
त्रिपुरा	1300	404	124
तमिलनाडु	27700	13318	7223
उत्तर प्रदेश	45200	33765	21342
पश्चिम बंगाल	23000	3804	1935
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4700	963	505
अंडमान एवं निकोबार	100	47	37
चण्डीगढ़	200	161	70
दादर एवं नगर हवेली	50	75	67
दमन एवं दीव	50	31	30
लक्षद्वीप	50	38	26
पांडिचेरी	500	363	160
विनिर्दिष्ट नहीं		3272	1996
अखिल भारत	345000	230555	126842

अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

617. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से देश में समतुल्य वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के अलावा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना संबंधी कोई ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री

(श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरबीईए) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ समय-समय पर कई मांगें उठाते रहे हैं। देश में सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन.आर.बी.आई.) बनाने की मांग पर सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 1992-93 के दौरान विचार किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्रों को अलग-अलग मामलों (स्टैंड एलोन) के आधार पर ठीक करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाए। तदनुसार, वर्ष 1994-98 अवधि के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 151 बैंकों को व्यापक पुनर्गठन के लिए लिया गया, जिसमें उनके तुलन पत्रों को ठीक करना तथा नई पूंजी शामिल करना सम्मिलित था। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए बजटीय सहायता के रूप में 774 करोड़ रुपए की राशि दी है। इस कार्य का उद्देश्य इस समय कमजोर एवं रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से सक्षम एवं प्रभावशाली साधन के रूप में बदलना रहा है।

इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाते का पता लगाया जाना

618. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** 6 दिसम्बर, 1996 और 1 अगस्त, 1997 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 और 1744 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि मामला संख्या आरसी 22 (ए)/96-पीएटी की जांच के दौरान इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं में कई बेनामी खाते पाए गए तथा आरसी-79 (ए)/96 पीएटी के अंतर्गत ''अनुपातहीन आस्तियों'' का एक अलग मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक जांच पूरी नहीं की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 1.1.1993 से 30.6.1997 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 600 कर्मचारियों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 90 कर्मचारियों को बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं का पालन न करने का दोषी पाया गया। 30 जून, 1997 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान, फेडरल बैंक लिमिटेड में तीन खाते, कर्नाटका बैंक लिमिटेड में एक खाते, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड में, एक खाते, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड में तीन खाते, वैश्य बैंक लिमिटेड में एक खाते तथा बैंक ऑफ मदुरा में एक खाते के मामले में खाता धारक की मृत्यु के बाद खाता खोलने/खाते के परिचालन का पता लगा था। बैंकों ने उक्त राशियों की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की है और विभागीय/आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

619. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कितनी बार देशव्यापी हड़ताल की है;

(ख) हड़ताल की अवधि के दौरान कुल कितनी हानि हुई;

(ग) बैंक कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक कर्मचारी बैंकिंग क्षेत्र में काम-काज को और अधिक ठप्प न करें क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान जहां अवार्ड कर्मचारियों ने सात अवसरों पर हड़ताल की वहां अधिकारी वर्ग के कर्मचारी गत तीन वर्षों में तीन बार हड़ताल पर गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि उनके श्रेणी-III के कर्मचारियों ने 1996 में एक बार अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की थी।

(ख) से (घ) आईबीए और आरबीआई ने आगे यह भी सूचित किया है कि इससे बैंक को हुई आर्थिक हानि और व्यापार व उद्योग को हुई हानि का मूल्यांकन करना कठिन है। जब भी हड़ताल होने की आशंका होती है सभी संबंधित प्राधिकारी उससे बचाव का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में वित्तीय अनियमितताएं

620. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने वित्तीय अनियमितता वाले राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता रोक देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों की संख्या बताएं जिनमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है; और

(ग) ऐसे राज्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने अब तक क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। अतः इसका जारी होना राज्य की योजना निष्पादन से जुड़ा है। यदि योजना व्यय में कमी होती है तो केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कमी की जाती है। किसी राज्य की केन्द्रीय सहायता रोकी नहीं गई है।

जहां तक वित्तीय अनियमितताओं का सम्बन्ध है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (ii) के अधीन राज्य की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य के गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है जिसे वह राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने के बाद राज्य की लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा इन पर विचार विमर्श किया जाएगा और इनका व्यापक जांच की जाएगी। ये समितियां मामले की व्यापक जांच करने के बाद सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट राज्य विधान सभा को प्रस्तुत करती है।

[अनुवाद]

सामान्य बीमा निगम के घाटे

621. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम की चारों सहयोगी कंपनियों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सहयोगी कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक जी.आई.सी. की प्रत्येक सहयोगी कंपनी द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और इससे वार्षिक रूप से कितनी आय अर्जित की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कंपनियां प्रति वर्ष पूर्ण लाभ कमा रही हैं, केवल वर्ष 1995-96 को छोड़कर जब एक सहायक कम्पनी नामतः ओरिएन्टल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड में वेतनों में संशोधन के कारण प्रबंध व्यय में वृद्धि और मोटर वाहन पोर्टफोलियो में हुई भारी हानियों के कारण कम्पनी को 45.96 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई थी।

(ग) जैसा कि शुल्क सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की गई है मोटर वाहन शुल्कों में 15.2.1998 से संशोधन किया गया है।

(घ) साधारण बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराई गयी अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

	नेशनल			न्यू इंडिया		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
किया गया कुल निवेश	1424	1712	2029	3257	3739	4254
वर्ष के दौरान निवेश आय	169	213	252	342	433	448
	ओरिएन्टल			यूनाइटेड इंडिया		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
	1529	1890	2165	1889	2230	1590
	179	229	282	212	281	314

राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता संबंधी कार्यबल

622. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को वित्तीय शक्तियां सौंपने के लिए रीति निर्धारण हेतु कार्य बल के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने को कहा गया है; और

(ग) समिति को कौन से मुख्य मुद्दे दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) विशेष कार्यबल के गठन के बारे में अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अधिसूचना जारी होने के चार हफ्तों के अन्दर इसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। तथाकथित समय को अब 31 जुलाई, 1998 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) कार्यबल ऐसे उपायों की जांच और सिफारिश करेगा जिससे राज्यों को अतिरिक्त या वैकल्पिक तरीकों से अधिसंसाधन जुटाने में मदद मिले और संघ की अतिरिक्त वित्तीय शक्तियों का राज्यों से विलयन हो।

सामान की तस्करी

623. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ओपन बोर्डर इज स्मगलर्स डिलाइट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत-नेपाल व्यापार संधि को नजरअंदाज करते हुए हांग-कांग-नेपाल-दिल्ली मार्ग से खुलेआम हो रही तस्करी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक भारत-नेपाल सीमा पर जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कायम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार को माननीय संसद सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार की जानकारी है। समाचार में बताए गए अभिग्रहण के मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :

प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, नए सीमा शुल्क गृह, दिल्ली के अधिकारियों ने 30.12.97 को मेटाडोर वाहन सहित 14 पैकेजों का अभिग्रहण किया। माल ले जाने के लिए प्रयुक्त की गई मेटाडोर वैन के मालिक मैसर्स पवन कार्गो फॉरवार्डर्स, शंकर मार्किट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली हैं और इसे उस समय पकड़ा गया जब यह इंडियन एअरलाइन्स के जरिए देश में विभिन्न स्थानों को माल की बुकिंग के लिए बुलाई कर रही थी। इन पैकेजों में सहायक उपस्करों एवं कम्प्यूटर के पुर्जों सहित विभिन्न विदेशी मार्का वाले 193 सेल्युलर फोन पाए गए थे जिनका कुल मूल्य 1.08 करोड़ रुपए आंका गया था। प्राप्त सबूत से ऐसा प्रतीत होता है कि इस माल को प्रत्यक्ष रूप से देश में तस्करी करके लाया गया था और देश के विभिन्न केन्द्रों में उसका वितरण करने की व्यवस्था की जा रही थी। श्री उमाशंकर और श्री रविन्दर कुमार नामक दो व्यक्तियों को जो उक्त कार्गो फारवर्डर्स के क्रमशः भागीदार और कर्मचारी हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के अधीन दर्ज किए गए अपने बयान में इन दोनों व्यक्तियों ने अन्य बातों के साथ-सथ यह भी बताया कि कंप्यूटर के इन पुर्जों तथा सेल्यूलर फोन को नेपाल से भू-मार्ग से तस्करी करके लाया गया था।

इस समाचार में नेपाल स्थित तस्करों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है कि वे किस प्रकार "पारगमन तथा व्यापार के लिए भारत नेपाल संधि" के अधीन उपलब्ध पारगमन सुविधाओं की आड़ लेकर विभिन्न विदेशी मार्का वाले इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं का नेपाल में आयात करते हैं तथा इसके बाद खुली सीमा के जरिए भारत में चोरी छिपे बिक्री हेतु भेज देते हैं जो सीमा शुल्क के जरिए वैध रूप से निकासी किए गए माल की तुलना में सस्ता होता है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक भारत-नेपाल सीमा पर जब्त किए गए तस्करी के मामलों का विवरण निम्नवत है :

(i) मामलों की संख्या	4575
(ii) पकड़े गए माल का मूल्य	5673.41 लाख रुपए
(iii) पकड़े गये माल	बालबियरिंग, चीनी सिल्क के कपड़े तथा यार्न, सोना, इलेक्ट्रोनिक सामान, लौंग, दालचीनी आदि।

(घ) सरकार को किसी अन्य देश के माल के नेपाल के जरिए कथित रूप से भारत में भेजने के मामलों की जानकारी है तथा भारत-नेपाल सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी निरोधक उपाए किए जा रहे हैं। तस्करी की रिपोर्टों/पता लगाए गए मामलों को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान नेपाल सरकार के महाराजाधिराज की सरकार के ध्यान में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि मामले पर समुचित उपचारी कार्रवाई की जा सके। दोनों देशों के महानिदेशक स्तर की आगामी संक्रियात्मक वार्ता के दौरान जो 15/16 जून, 1998 को होनी है, इस मामले पर एक बार पुनः चर्चा की जाएगी।

आयकर/उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

624. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार/परिमंडलवार आयकर और उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला खानों में सुरक्षोपाय

625. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"
श्री पी.आर. किन्डिया :
श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों को कोयला खान दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को कम करने हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय करने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कोयला खानों में कौन-कौन से विशिष्ट सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(घ) निकट भविष्य में कोयला खानों में श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को कोयला खानों में अवैध तथा अवैज्ञानिक ढंग से खनन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विजीप राय) : (क) जी, हाँ।

(ख) कोयला कंपनियों की सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. की कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या जिनमें मौतें हुई, नीचे दी गई हैं :

राज्य	कोयला कंपनी	दुर्घटनाओं की संख्या		
		1997 (अनं.)	1996	1995
असम	नाईको/कोइंलि	1	2	1
बिहार	भाकोकोलि	29	26	30
	सेकोलि	14	17	18
	ईकोलि	2	0	2
प. बंगाल	ईकोलि	18	19	17
	भाकोकोलि	0	2	0
महाराष्ट्र	वेकोलि	4	5	3
मध्य प्रदेश	नाकोलि	1	2	2
	साईकोलि	17	12	21
	वेकोलि	7	4	7
उड़ीसा	मकोलि	6	7	9
उत्तर प्रदेश	नाकोलि	1	0	3
उप-जोड़	को.इं.लि.	100	96	113
आंध्र प्रदेश	सिं.को.क.लि.	35	28	18
जोड़ को.इं.लि.+सिं.को.क.लि.		135	124	131

(ग) (i) को.इं.लि. सुरक्षा बोर्ड के ट्रेड यूनियन के सदस्यों तथा कोयला कंपनियों के आतंरिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से खानों की सुरक्षा स्थिति का प्रबोधन तथा खानों में समयावधि सुरक्षा लेखा-परीक्षा करना।

(ii) उत्पादन के शुरू होने से पूर्व कोयला उत्पादक क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी पूर्व स्वीकृति।

(iii) रॉक मास रेटिंग के माध्यम से रूफ सपोर्ट की वैज्ञानिक पद्धति को शुरू करना तथा लकड़ी के अवलम्बों का इस्पात अवलम्बों से प्रतिस्थापन तथा रूफ बोल्टिंग/रूफ स्ट्रेचिंग का बढ़ता हुआ उपयोग।

(iv) प्रत्येक खान हेतु आपातकालीन संगठनों की योजना की तैयारी तथा माक रिहर्सल का आयोजन; तथा

(v) कोयला खानों में सुरक्षा की स्थायी समिति, को.इं.लि. सुरक्षा बोर्ड जैसे संगठनों से श्रमिकों के प्रतिनिधियों वाले त्रिपक्षीय निकायों द्वारा खानों की सुरक्षा संबंधी कार्य-निष्पादन की समीक्षा।

(घ) निकट भविष्य में श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा किए जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) भूमिगत खानों में रूफ/साईड सपोर्ट तकनीकों के कार्यान्वयन पर निरन्तर बल।

(ii) आंतरिक सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खानों के निरीक्षण पर और अधिक बल देना, तथा

(iii) श्रमिकों का प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण और समयावधि सुरक्षा आयोजनों के माध्यम से उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि किया जाना।

(ङ) और (च) संगठित क्षेत्र में कोयला खनन वैज्ञानिक रूप से तथा इस संबंध में बनाए गए विभिन्न सांविधिकों के अनुसार किए जाते हैं। किन्तु, समय-समय पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से खनन किये जाने के मामले सामने आए है। अवैध खनन का नियंत्रण स्पष्ट रूप से कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या है, जिसे केवल संबद्ध राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हल की जा सकती है। किन्तु, अवैध खनन रोकने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :

(i) अवैध-खनन रोकने हेतु सहयोग किए जाने के लिए राज्य तथा जिले के अधिकारियों के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखना।

(ii) कोयला कंपनियों के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाया जाना।

(iii) सुरक्षा बलों द्वारा अवैध खनन स्थलों पर अचानक जांच करना/छापा मारा जाना।

(iv) अवैध खनन के मामले जिला प्राधिकारियों की दृष्टि में लाया जाना तथा स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराना।

(v) कोयला सीमों तक पहुंचने से रोकने के लिए, जहां भी व्यवहार्य हो, अवैध खनन स्थलों को बंद करना तथा उन्हें भरा जाना।

[अनुवाद]

बैंक जालसाजियां

626. श्री डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जालसाजी के मामले अबाध रूप से हो रहे हैं और सीबीआई ने बैंक जालसाजी के कई मामलों में एफआईआर दायर की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में बैंकवार कितने जालसाजी के मामले हुए हैं;

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और इन सभी मामलों की इस समय क्या स्थिति है; और

(घ) बैंकों में जालसाजी के मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला भंडार

627. श्री अजीत जोगी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की उन खानों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण के समय कोयले के भंडार में कमी पाई गई थी;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों जैसे - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, की उन कोयला खानों की सूची, जहां कोयले के स्टाक की कमी 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में पाई गई थी, संलग्न विवरण में दी गई है। को.इ.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार 1997-98 हेतु कोयला इन्वेंटरी की लेखा-परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) कोयला स्टाक की कोई भी कमी जब पुस्तिका स्टाक के 5 प्रतिशत की संभावित सीमा से परे पाई जाती है, तो को.इं.लि. की समबद्ध सहायक कंपनी कमी हेतु जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करती है। स्टाक में कमी की पुनरावृत्ति को दूर करने हेतु, कोयला स्टाक के भौतिक मापन का कार्य यूनिट स्तर के दलों द्वारा प्रतिमाह, क्षेत्रीय स्तर के दलों द्वारा तिमाही रूप में, सहायक कंपनी मुख्यालय के दलों द्वारा अर्ध-वार्षिक रूप से तथा को.इं.लि. दलों द्वारा वार्षिक रूप में किया जाता है। अधिक स्टाक वाली 10 प्रतिशत कोलियरियों में को.इं.लि. के बाहर से पर्यवेक्षकों सहित पर्यवेक्षक दलों द्वारा जांच किए जा रहे हैं। कोयला मंत्रालय

ने भा.को.को.लि., से.को.लि. तथा ई.को.लि. में स्टाक की कमियों की जांच किए जाने हेतु 3 सरकारी समितियां गठित की गई है। इन तीन समितियों की रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद, कई अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में पहले ही दंडित कर दिया गया है। विक्रय-योग्य स्टाफ तथा गैर-विक्रय योग्य स्टाक के ब्यौरे के साथ स्टाक के आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु, को.इं.लि. तथा उसकी प्रत्येक सहायक कंपनी के 1995-96 तथा उसके बाद के वार्षिक लेखों में अंगीकृत किए जाने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है। प्रपत्र में को.इं.लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों को कमियों के बारे में उचित स्पष्टीकरण देना अपेक्षित है। प्रत्येक सहायक कंपनी के निदेशक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में स्टाक में कमी के मामलों में की जा रही जांच की प्रगति की समीक्षा करने का सुझाव कोयला मंत्रालय द्वारा को.इं.लि. को दिया गया है। यह समीक्षा किसी कोलियरी विशेष में स्टाक की कमियों की पुनरावृत्ति के कारणों तथा स्टाक में कमी की घटनाओं को कम किए जाने हेतु, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, अन्य विशेष उपायों का पता लगाएगी। को.इं.लि. को, को.इं.लि. की निदेशक बोर्ड की बैठक में, जब वार्षिक लेखों को अंगीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, सभी सहायक कंपनियों में स्टाक में कमी तथा जांच की वार्षिक स्थिति की समीक्षा किए जाने का भी निर्देश हुआ है।

विवरण

ई.को.लि., भा.को.को.लि. तथा से.को.लि. की उन कोयला खानों की सूची, जहां 1994-95, 1995-96 तथा 1997-98 में पुस्तिका स्टाक की 5 प्रतिशत से अधिक के कोयला स्टाक की कमी हुई।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1996-97 :

मेधेरबोनी, नकराकोंडा, गोपीनाथपुर, मोइरा, दालुरबंद, एस. समला, कापासरा, एस.एस.पुर, खंदा, सी.एल. जाम्बाद, लाचीपुर, के.के. ओ.का.प., रतीबती प्रोजेक्ट, छपुतखास, डब्लू.केन्द्रा ओ. का.प., न्यू केन्दा. नाबाकाजोरा, नूतनडंगा, अमृतनगर, कौरडीह, तीरथ, पूरे सियरसोल, भनोरा, भनोरा डब्लू/बी, कालीदासपुर, अरधाग्राम, धुसिक, के.डी. सीम, मधईपुर

1995-96 :

मधईपुर, पांडेश्वर, साउथ सामला, एस.एस.पुर, तीरथ, कौरडीह, रतीबची, चपुईखास, मीथापुर, कुनुस्टोरिया, पोइडीह, खैराबाद।

1994-95 :

पांडेश्वर, दालुरबंद भू.ग., साउथ सामला, मधईपुर, दालुरबंद ओ.का.प., जे. पलासथली, गंगारामचक, कुमारडीही ए. कुमारडीह बी., टीलाबोनी, भनोरा, खंद्रा, सिदुली, सी.एल. जाम्बाद, लोअर केन्दा, मधुसुदनपुर, मधुजोरे, पारसकोले, खास काजोरा, लाचीपुर, धनश्याम भू.ग., बेलबेंद, एन/सियरसोल, कुनुस्टोरिया, परासिया 6 और 7 इन्क्, चपुईखास, अरधोग्राम, भनोरा आर. भनोरा वेस्ट, कालीपहाड़ी, घुसिक आर. मेथानी, नरसमुंडा, परबेल्ला, दुबेश्वरी, मोहनपुर, बरमुरी, श्यामपुर बी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1996-97 :

ईस्ट कटरा, कुस्टोरे, गानड्डीह, जी.ओसीपी, महेशपुर, जोगीडीह, बलिहारी, लैकडीह डीप, विक्टोरिया वेस्ट।

1995-96 :

मुडीडीह, नार्थ तिसरा, साउथ तिसरा

1994-95 :

मूडीडीह, कनकनी, तेतूलमारी, बस्ताकोला, बेरा, डोबारी, गानहूडीह, कुजमा, कुया, जी.ओसीपी, एन.तिसरा., एस. तिसरा, जीनागोरा, जयरापुर, मुरईडीह, जमुनला ओसीपी, बलिहारी, भागबंद, हुरीलाडीह, बसंतीमाटा।

सैंट्रल कोलफील्ड्स लि०

1996-97 :

लापंगा

1995-96 :

सिरका भू.ग., अरगारा, कथारा, एस. धोरी कल्याणी

1994-95 :

भुरकूना, लपंगा, सौंदा, ए. करनपुरा, के. करनपुरा, सयाल डी. उरीमारी, गिड्डी ''ए-रेलीगारा, सिरका भू.ग.सिरका ओ.का. रोहिणी ओ.का.प., चुरी, करकटा, शाक ओसीपी, तेतरीखड ओ.का., के दीवारखंड, सवांग और पिपराडीह, गोविंदपुर (पी), कथारा, जरानडीह, धोरी, एन.एस. धोरी, आमलो, कल्याणी, तरमी, धोरी-के, गिरीडीह.ओ का प, कबरीबाद पी डी एस/टी आर एन, कुजु, सीमरा, सुगला, पुंडी, टोपा, पिंडरा, सरूबेरा, एन आर सिंडिंग, चिनपुर साइडिंग।

[अनुवाद]

इलायची का आयात

628. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान इलायची के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) क्या इलायची आयात हेतु लाइसेंस दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इलायची के आयात का प्रस्ताव है तथा इसकी मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में नेपाल जैसे देशों से बड़ी मात्रा में इलायची की तस्करी की जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इलायची, एक उपभोक्ता मद होने के कारण, इसके आयात की अनुमति केवल आयात लाइसेंस पर ही दी जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान छोटी इलायची के हुए आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपये में)
1995-96	26.00	20.75
1996-97	28 00	45.40
1997-98 (नवम्बर, 97 तक)	22.00	36.09

डीजीसीआई एण्ड एस कलकत्ता

आयात मुख्यतः सिंगापुर और म्यांमार से किए गए हैं।

(घ) इलायची के उत्पादनकर्त्ताओं ने सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन दिए हैं कि छोटी इलायची को भारत में अवैध रूप से लाया जा रहा है।

(ङ) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को नेपाल से भारत में होने वाली इलायची की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु औद्योगिक नीति

629. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एक पृथक औद्योगिक नीति तैयार किए जाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तब लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ग) सरकार ने 24 दिसंबर, 1997 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। नीति का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायत

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक और अन्य रियायतें अनुमोदित की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न परिकल्पना की गई है :

क. औद्योगिक अवसंरचना का विकास

1. सरकार ने यह अनुमोदन किया है विकास केन्द्रों पर संपूर्ण व्यय केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 15 करोड़ रुपये होगी।

2. आई आई डी केन्द्रों के संबंध में, वित्तीय स्वरूप को बदल कर इसका अनुपात भारत सरकार और सिडबी के बीच 2:3 के स्थान पर 4:1 किया जाएगा, और भारत सरकार की निधियां अनुदान के बतौर होंगी।

ख. परिवहन राजसहायता योजना

1. जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है परिवहन राजसहायता की अवधि आगामी 7 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2007 तक बढ़ा दी जाएगी।

ग. नये औद्योगिक एककों और उनके पर्याप्त विस्तार हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन

1. सरकार ने विकास केन्द्रों और आई आई डी केन्द्रों को अगले दस वर्षों के लिए कर मुक्त क्षेत्र के रूप में परिवर्तन अनुमोदन किया है। उत्पादन शुरू होने से 10 वर्षों की अवधि तक इन क्षेत्रों में सभी कार्यकलाप आयकर और उत्पादन शुल्क से मुक्त होंगे। राज्य सरकारों से बिक्री कर और नगर कर से छूट देने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

2. विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों को संयंत्र और मशीनरी में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता भी प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

3. उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर 3 प्रतिशत ब्याज राजसहायता प्रदान की जायेगी।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केन्द्रों में उनका पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा औद्योगिक संपदा/उद्यान/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को भी ऐसे ही लाभ प्रदान किये जायेंगे।

घ. प्रधान मंत्री रोजगार योजना संबंधी नियमों में शिथिलता

बागवानी, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, लघु चाय बगानों इत्यादि क्षेत्रों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से व्यवहार्य सभी कार्यकलापों को समाविष्ट किया जा सके। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में प्रत्येक लाभभोगी के/की पत्नी/पति सहित पारिवारिक आय की उच्चतम सीमा 40,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके 40 वर्ष किया जायेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनायें सहायता की पात्र होंगी। 1 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए किसी संपार्रिश्वक (कोलेटरल) पर जोर नहीं डाला जायेगा। 5 लाख रुपये तक के सामूहिक वित्त पोषण की पात्रता होगी। इस योजना में 15,000 रुपये की अधिकतक सीमा सहित 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता संघटक शामिल होगा। राजसहायता और सीमान्त अंशदान परियोना लागत का 20 प्रतिशत करने के लिये, सीमान्त धन परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत के बीच होगा। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में उद्यमिता प्रशिक्षण संघटक मौजूदा दर के अनुसार ही रहेगा।

ड. प्रस्तावित अन्य प्रोत्साहन

1. भारतीय सामान्य बीमा निगम लि. के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक एककों के लिए एक व्यायक बीमा योजना तैयार की जायेगी और केन्द्र सरकार 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम की राजसहायता प्रदान करेगी।

2. उद्योगों के प्रौद्योगिकी आर्थिक अध्ययनों और इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त अवसंरचना के वित्त पोषण के वास्ते केन्द्र सरकार के एन.ई.सी. के माध्यम से पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई.डी.एफ.आई.) को एक बार 20 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।

निर्यात नीति

630. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए कोई मध्यावधिक निर्यात नीति तैयार की थी और इसे इस वर्ष जनवरी में घोषित किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कार्यान्वित और लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण डेगड़े) : (क) जी, हाँ।

(ख) मंत्रालय ने वर्ष 2002 तक 90 से लेकर 100 बिलियन अमरीकी डालर तक के लक्षित निर्यात स्तर को प्राप्त करने के लिए और विश्व निर्यातों में 1 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और निर्देशात्मक पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक मध्यावधिक कार्य योजना तैयार की है। क्षेत्रीय कार्य योजना में क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर विचार किया जाता है और इन क्षेत्रों में व्यापार सुधार के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया जाता है। निर्देशात्मक कार्य योजना में अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और सीआईएस देशों में उभर रहे बाजारों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया जाता है।

(ग) हाल ही में घोषित की गयी एक्जिम नीति को प्रक्रियागत सरलीकरण और निर्यात संवर्धन योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित किया गया है। लेटिन अमरीकी देशों को निर्यातों का संवर्धन करने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम चलाया गया है। निर्यात वित्त की लागत को कम करने के लिए निर्यात ऋण पर ब्याज की दर में कमी की गयी है।

निर्यातों के लिए उत्पादन आधार को बढ़ाने के निमित विशेष उपाय किए गए हैं। निर्यात संवर्धन निरंतर चलने वाला कार्यकलाप है और व्यापार, उद्योग तथा निर्यात सवर्धन संगठनों के परामर्श से इस संबंध में उपाय किए जाते हैं।

कोयला खानों में श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं

631. श्री तथागत सत्पथी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत विभिन्न कोयला खानों को सरकार द्वारा कितने अस्पताल/डिस्पेंसरियां तथा चल स्वास्थ्य वैन आदि उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) के श्रमिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के श्रमिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विजीप राय) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से सभी कामगारों को कोयला क्षेत्र में विद्यमान अस्पतालों तथा औषधालयों के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। जब कंपनी के अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तब कामगारों को बाहर के अस्पतालों में भी उपचार के लिए भेजा जाता है। कामगारों के स्वास्थ्य का आवधिक चिकित्सा संबंधी जांच के माध्यम से नियमित प्रबोधन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित विभिन्न विशिष्ट/अतिविशिष्ट सुविधाएं कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अस्पतालों में प्रदान की गई हैं : नियानेटोलोजी, डाईलेसिस यूनिट, आई.सी.यू., टी.एम.टी. और होल्टर मॉनीटर, न्यूरोसर्जरी, पूरे शरीर के लिए सी.टी. स्कैनर यूनिट, एन्डोस्कोपी यूनिट, लेपरोस्कोपिक यूनिट कोलेसिसटेक्टोमी, फिजियोथ्रेपिक यूनिट इत्यादि।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के अस्पतालों, औषधालयों तथा उपलब्ध करवाए गए वैनों की संख्या निम्न है :

1. अस्पतालों की संख्या	-	86
2. डिस्पैंसरियों की संख्या	-	434
3. मोबाइल हेल्थ वैनों की संख्या	-	11

(ग) म.को.लि. के कामगारों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

सकल घरेलू उत्पाद

632. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु क्षेत्र को छोड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के सकल घरेलू उत्पाद का गत तीन वर्षों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा सकल घरेलू उत्पादों के आंकलन का विवरण इस प्रकार है :

सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1994-94	231764	636255
1995-96	263957	742329
1996-97	294050	855165

बंगलौर शहर का उन्नयन

633. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन का 30 प्रतिशत आवास किराया भत्ता के रूप में देने के उद्देश्य से बंगलौर शहर को "ए-1 शहर" घोषित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी संघों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) 50 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले किसी भी शहर/नगर को ए-I के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित इस शर्त को बंगलौर शहर पूरा नहीं करता है। इसलिए आवास किराया भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से बंगलौर शहर को ए-I के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना

634. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधिक गांवों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं। समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना प्रभावी रूप से दिनांक 1.4.1997 से समाप्त कर दी गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई बैंक शाखाएं

635. श्री राजवीर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रदेशों विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1997-98 के दौरान बैंकों की नई शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) बैंकों की नई शाखाएं खोलने का निर्णय संबंधित बैंकों द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार लेकर किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। चूंकि चालू वाणिज्यिक स्थितियों के आधार पर संबंधित बैंक शाखाएं खोलने का निर्णय लेते हैं, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि इस वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

636. श्री ए.सी. जोस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षण करने के लिये भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का हाल ही का निर्णय देश में होने वाले विदेशी निवेश को प्रभावित करेगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) से (ग) विदेशी निवेशकों की आर्थिक प्रतिबंधों के प्रति धारणाएं अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं किंतु फिलहाल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह पर प्रतिबंध का प्रभाव खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने संबंधी चालू प्रयासों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निवेशकों में विश्वास पैदा करने तथा उनके द्वारा निवेश करने में पहल करने की दिशा में ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना

637. श्री पी. शंकरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना से कितनी धनराशि को वैध बनाया गया है; और

(ख) उक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत घोषित की गई लेखाबाह्य आय की कुल धनराशि 33,339.03 करोड़ रुपये है।

(ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत घोषित की गई कुल आय का विवरण मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार-वार द्वारा रखा जाता है तथा आंकड़े संलग्न विवरण में रखे जाते हैं।

विवरण

स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत घोषित कुल आय को दर्शाने वाला विवरण मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार वार

क्रमांक	मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार	घोषित की गई कुल धनराशि (रुपये करोड़ में)
1.	अहमदाबाद	3,253.00
2.	बंगलौर	2,425.07
3.	भोपाल	1,019.56
4.	कलकत्ता	2,399.52
5.	चण्डीगढ़	2,013,69
6.	चेन्नई	2,778.00
7.	कोचीन	446.45
8.	दिल्ली	4,152.83
9.	हैदराबाद -	1,749.00
10.	जयपुर	925.26
11.	कानपुर	1,208.00
12.	लखनऊ	738.00
13.	मुम्बई	6,500.70
14.	पटना	871.95
15.	पुणे	2,858.00
	कुल	33,339.03

पूंजी जुटाना

638. श्री रति लाल कालीदास वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने के लिए धमकियों को देखते हुए, सरकार का विचार विदेशी ऋण में कटौती करने और राष्ट्रीय स्रोतों के माध्यम से और अनिवासी भारतीयों को विभिन्न प्रोत्साहन देकर धन जुटाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) स्वीकृतियों की पृष्ठभूमि में, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि निवल विदेशी सहायता (सरकारी अनुदानों सहित) भारत के निवल पूंजी निर्माण के 3 प्रतिशत से कम है। घरेलू बचतों ने भी भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू बचतें (बाजार मूल्यों पर) 1992-93 में 22 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 25.3 प्रतिशत हो गई तथा 1996-97 में यह और अधिक बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई। सुदृढ़ वृहत आर्थिक नीतियों के साथ, इनके अपनी उर्ध्वामुखी प्रवृत्ति रखने की संभावना है।

अनुसरण की जा रही उदार निवेश नीति की अनुरूपता में, अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओ.सी.बी.) द्वारा 100 प्रतिशत तक के इक्विटी निवेश को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में अनुमति दी गई है। खनन (उद्योगों की 3 श्रेणियां) में विदेशी इक्विटी निवेश को भी एन.आर.आई./ओ.सी.बी. के लिए 100 प्रतिशत तक की अनुमति प्रदान की गई है। एन.आर.आई./ओ.सी.बी./एफ.आई.आई. के लिए कुल पोर्टफोलियो निवेश हेतु 24 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को निदेशक मंडल की स्वीकृति से कम्पनी की निर्गम तथा प्रदत्त पूंजी के 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

साफ्टवेयर क्षेत्र के लिए व्यापक योजना

639. श्री के.एस. राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्टवेयर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से निर्यात हेतु सरकार के पास कोई व्यापक पैकेज योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने साफ्टवेयर का निर्यात किया गया;

(ग) क्या मंत्रालय ने साफ्टवेयर निर्यातकों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर मामला उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार ने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र को निर्यात के लिए एक ग्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में शामिल हैं - सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क स्कीम की स्थापना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर शून्य आयात शुल्क लगाना, धारा 80 एच.एच.ई. के तहत आयकर लाभ प्रदान करना और मौजूदा क्रिया-विधियों का सरलीकरण इत्यादि। इस नीति में आने वाले किसी अवरोध को दूर करने हेतु और समन्वयन की दृष्टि से इन मामलों पर निर्यात संवर्धन बोर्ड में विचार-विमर्श किया जाता है।

इस दिशा में और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि भारत को विश्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति वाला देश बनाया जाय और इसे 10 वर्षों के भीतर विश्व में साफ्टवेयर के सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से एक देश बनाया जाय। इस वक्तव्य के अनुसरण में उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके आलावा, नई बिजम नीति में ई.पी.सी.जी. योजना की अधिकतम सीमा को घटाकर 10 लाख रुपये और इससे अधिक कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कम्पयूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	वृद्धि (%)
1995-96	2650	80
1996-97	4113	55
1997-98	6800	65

(स्रोत : इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ग) और (घ) सॉफ्टवेयर इकाईयों के सामने आने वाली वित्तपोषण की समस्याओं पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है। सॉफ्टवेयर इकाइयों को कार्यशील पूंजी की मंजूरी प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप देने हेतु हमारे सुझावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में एक कार्य-दल का गठन किया है।

अप्रासंगिक उत्पाद शुल्क नियम

640. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1998 के "इकनोमिक टाइम्स" में "एम.ओ.एफ. पैनल टू लुक इनटू इररेलेवेंट एक्साइज

रूल्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो, इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) समिति द्वारा अब तक की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी हाँ।

(ख) टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बावजूद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली की वर्तमान योजना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों तथा कर निर्धारितियों को कई बार परस्पर मिलना होता है जिसकी वजह से अक्सर अधिकार का दुरूपयोग होता है तथा इसकी वजह से कुछेक मामलों में उत्पीड़न, भ्रष्टाचार एवं आपसी सांठ-गांठ भी होती है। सरकार ने एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव श्री एस.वी. अय्यर इसके अध्यक्ष हैं तथा फिक्की के महासचिव डॉ० अमित मित्रा इसके सदस्य हैं। समिति को एक ऐसी नयी प्रणाली के बारे में सुझाव देना है जिसमें परस्पर मिलना-जुलना कम हो, जो पारदर्शी हों, निर्धारितियों को स्वीकार्य हो लेकिन साथ ही इसमें राजस्व हित की सुरक्षा हो तथा कर वसूली संतुलित एवं स्थिर हो। समाचार में व्यक्त टिप्पणियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित हैं जिनकी समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाएगी।

(ग) और (घ) समिति व्यापारी वर्ग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का साक्ष्य ले रही है तथा आशा की जाती है कि यह अपना कार्य अक्टूबर, 1998 के अंत तक पूरा कर लेगी।

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पैकेज

641. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी पैकेज का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सरकारी निवेश बढ़ाने तथा इसी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करने हेतु उपायों की भी जांच कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पैकेज का कितना अध्ययन कर पाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो अर्थव्यवस्था को किस सीमा तक सुदृढ़ किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में सुधार प्रक्रिया को जारी रखने, उसका पुनः मूल्यांकन करने और उसे पुनः सक्रिय करने के सरकार के निश्चय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7-8 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, राजकोषीय और राजस्व घाटों को नियंत्रित किया जाएगा। निर्णय करने की व्यवस्था को बेरोजगारी उन्मूलन को प्राथमिकता देने तथा अवसंरचना में, विशेष कर ऊर्जा और विद्युत में, विकास को तीव्र करने की ओर उन्मुख किया जाएगा।

कालेधन को सफेद करने के बारे में जागरूकता

642. श्री मुकुल वासनिक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए काले धन को सफेद धन में बदलने संबंधी जागरूकता के विषय में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए काले धन को सफेद धन में बदलने संबंधी जागरूकता के विषय में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में है।

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा सक्रिय कार्रवाई की जा रही है तथा प्रस्तावित काले धन को सफेद धन में बदलने संबंधी कानून के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर विचार करते हुए इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए काले धन को सफेद धन में बदलने संबंधी जागरूकता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

नई दिल्ली, 3-5 मार्च, 1998

जिसमें बंगलादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सिफारिशें

1. राष्ट्रों को स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ, 1998 के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन करना चाहिए तथा काले धन को सफेद धन में बदलने तथा

अपराध से प्राप्त धनराशि के बारे में इसके उपबंधों को लागू करने के लिए कदम उठाएं। अपने कानून का मसौदा तैयार करते समय राष्ट्रों को वित्तीय कार्रवाई कार्य दल की 40 सिफारिशों, अपराध से प्राप्त धनराशि को सफेद बनाने, तलाशी अभिग्रहण तथा जब्ती करने संबंधी यूरोपीय परिषद्, 1990, काले धन को सफेद धन में बदलने के प्रयोजन से वित्तीय प्रणाली के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी 10 जून, 1991 की यूरोपीय समुदाय दिशा-निर्देश परिषद् तथा अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में उल्लिखित मानकों को ध्यान में रखना होगा।

2. काले धन को सफेद धन में परिवर्तन को रोकने संबंधी उपायों को अधिक कारगर बनाने के लिए राष्ट्रों को चाहिए कि वे प्रतिपादित अपराध (ये ऐसे अपराध हैं जिन्हें कानून की निगाह से काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने संबंधी कानून के प्रयोजन से अपराध से प्राप्त धनराशि को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है। औषधि व्यापार से जुड़े अन्य अपराधों को भी शामिल करें ताकि वे अपने कानून को यथासंभव और अधिक व्यापक बना सकें। इस संबंध में एफ.ए.टी.एफ. की सिफारिश 4 के व्याख्यात्मक टिप्पणी की भाषा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे ऐसे उन सभी अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनसे आय का प्रचुर धनराशि प्राप्त होती है।

3. काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने संबंधी निवारक उपायों में वित्तीय क्षेत्र के सहयोग और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होना चाहिए कि कानून प्रवर्तन अथवा कानून द्वारा नामोदिष्ट अन्य निकायों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को गोपनीय रखा जाए बशर्ते कि यह सूचना वास्तविक जांचों तथा अभियोजनों अथवा अन्य विधिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

4. पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के अलावा काले धन को सफेद धन में परिवर्तन को रोकने संबंधी उपायों को यथा-व्यवहार्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य व्यवसायों अथवा उद्यमों जिनका इस्तेमाल करके धन को सफेद धन में परिवर्तित करने हेतु किया जा सकता है, पर लागू किया जाए।

5. व्यवसायिक संघों से यह अनुरोध किया जाए कि वे उन संघों की सदस्यता समाप्त कर दें जो काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने में लिप्त हैं।

6. काले धन के सफेद धन में परिवर्तन को रोकने सम्बन्धी प्रशिक्षण और राज्यों को उपलब्ध तकनीकी सहायता पर प्रदान की जाने वाली संगत एवं उच्च गुणवत्तावाली अधिक जानकारी तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर प्रदाताओं के मध्य ऐसे प्रशिक्षण के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इस संबंध में राष्ट्र काले धन को सफेद धन में परिवर्तन करने के विरुद्ध प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता उपायों पर सलाह देने तथा समन्वय करने के एक माध्यम के रूप में आई.एम.ओलिन बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल करने में संयुक्त राष्ट्र विश्वव्यापी कार्यक्रम के पहल का समर्थन करते हैं।

7. चूंकि इस क्षेत्र में बहुत से राष्ट्र अब संगत कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उन्हें अपने प्रारूपकारों को प्राधिकृत करने का विचार करना चाहिए ताकि वे अपने कानूनी उपबंधों को यथा संभव अधिक से अधिक सुसंगत बनाने के लिए मिलकर काम कर सकें जिससे कि संगत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के मामले में उनके बीच सहयोग का स्तर बढ़ सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक तरीका, जिसके बारे में राष्ट्रों को विचार करना चाहिए, यह होगा कि राष्ट्र अपने मसौदा कानून की तुलना करने के लिए एक उपयुक्त मंच पर आएं ताकि प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों एवं सम्प्रभुता को ध्यान में रखते हुए जहां संभव हो, एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे मंच में संगत अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अथवा ऐसे कानून का अनुभव रखने वाले अन्य राष्ट्रों के विशेषज्ञ सलाहकार शामिल हो सकते हैं।

8. राष्ट्रों को ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिए जिनसे अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह काले धन के सफेद धन में परिवर्तन को रोकने संबंधी उन्हीं नियमों के अधीन वैकल्पिक प्रेषण प्रणाली, जहां उन पर प्रतिबंध नहीं लगा है। (हवाला आदि) का निर्माण हो सके ताकि काले धन को सफेद धन में परिवर्तन करने वालों द्वारा इन उपायों का दुरूपयोग न किया जा सके। ऐसे उपायों का निर्माण करते समय राष्ट्रों को एफ.ए.टी.एफ. की सिफारिश 9 की भाषा को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के राष्ट्रों में किए जाने वाले उपायों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रों से आग्रह किया जाना चाहिए कि वे हवाला किस्म की प्रेषण प्रणालियों को हतोत्साहित करने अथवा उनके प्रोत्साहन पर रोक लगाने की संभाव्यता की जांच करें जिसमें उनके विज्ञापन माध्यम में निहित ऐसा प्रोत्साहन शामिल है।

9. राष्ट्रों को आपराधिक परिसम्पत्तियों के मूल्य के एक भाग को अलग रखने पर विचार करना चाहिए जिन्हें वे काले धन के सफेद धन में परिवर्तन को रोकने सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए जब्त करते हैं।

10. प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवं अनुभव के परिणामस्वरूप जहां संभव हो ऐसा अगला प्रशिक्षण ''प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कीजिए'' दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में एक व्यापक, अधिक लागतकारी जानकारी एवं विशेषज्ञता का प्रसार हो सके, तथा ऐसा प्रशिक्षण कानून प्रवर्तन की परिधि से परे होना चाहिए तथा इनमें वित्तीय एवं कानूनी/विधिक जैसे संगत क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

11. सभी संबद्ध सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों में काले धन के सफेद धन में परिवर्तन करने का प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

12. सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जनता, विधिवेत्ताओं, नीति-निर्माताओं तथा संचार माध्यमों को काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी उपाय करने चाहिए।

13. राष्ट्रों को काले धन को सफेद धन में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाली अपनी मौजूदा एवं भावी एजेन्सियों के बीच समन्वय एवं सम्पर्क को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र में एक प्रणाली को विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि सहयोग को बढ़ाया जा सके एवं सूचनाओं का यथा-समय आदान-प्रदान किया जा सके। काले धन के सफेद धन में परिवर्तन पर नियंत्रण रखने के प्रयास में सहयोग को बढ़ाने के लिए उदिष्ट एशिया प्रशान्त ग्रुप तथा एगामांट ग्रुप जैसे मौजूदा ग्रुपों को क्षेत्र में नियमित आधार पर बैठकें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. जहां पर वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ समुचित प्राधिकारियों को संदेहास्पद लेन-देन के बारे में रिपोर्ट करने में असमर्थ होने की वजह से लापरवाह पाए जाते हैं, तो राष्ट्रों को ऐसे स्टाफ तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के एक विकल्प के रूप में नियामक तथा प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने का सामर्थ्य होना चाहिए।

15. राष्ट्रों को अपराध से प्राप्त आय की नियंत्रित सुपुर्दगी जैसी विशेष जांच तकनीकों के इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए।

16. राष्ट्रों को अन्य सहयोगी देशों के साथ जब्त की गई परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर भी विचार करना चाहिए।

17. संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी समुचित एजेन्सियों अथवा निकायों के माध्यम से काले धन को सफेद धन में परिवर्तन तथा अपराध से प्राप्त धनराशि जिसमें वे सभी अपराध शामिल हैं जिससे प्रचुर धनराशि प्राप्त होती है के संबंध में एवं विशिष्ट अभिसमय के निर्माण पर विचार करने के लिए आमंत्रित है।

[अनुवाद]

.....(व्यवधान)

श्री विक्रम देव कोशरी (कालाहाण्डी) : महोदय, मैं उड़ीसा की कृषि उपज के संबंध में बात करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सोमवार को अनुमति मिलेगी।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 208/98]

(ख) (एक) ओमनीबस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 209/98]

(3) (एक) नैशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियलस, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैशनल कांउसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियलस, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 210/98]

(4) (एक) इंडो जर्मन टूल रूग, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 211/98]

(5) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 212/98]

(6) (एक) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 213/98]

(7) (एक) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सैंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सैंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 214/98]

(8) (एक) सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजायन, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजायन, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 215/98]

(9) (एक) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सैंटर, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सैंटर, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 216/98]

(10) (एक) इंडो डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 217/98]

(11) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 218/98]

(12) (एक) सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूलस, जालंधर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल इंस्टीटयूट ऑफ हैंड टूलस, जालंधर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 219/98]

(13) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 220/98]

(15) पेटैंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल आफ पेटैंटस, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 221/98]

(17) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की उपधारा 126 के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिये कन्ट्रोलर ऑफ पेटैंटस डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (क) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 222/98]

(18) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, रामनगर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, राम नगर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 223/98]

(19) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 224/98]

(21) (एक) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 225/98]

(22) (एक) इंस्टिट्यूट फोर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फोर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 226/98]

(23) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो; सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 227/98]

(24) (एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 228/98]

(26) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत मेसर्स मध्य प्रदेश पेपर्स लिमिटेड, नव भारत भवन, कॉटन मार्किट को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना सं0 का.आ. 788 (अ) जो 20 नवम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 229/98]

(27) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोएिसशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 230/98]

(29) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई ने वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 231/98]

(31) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 232/98]

चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 233/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 234/98]

(ख) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स इंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखारीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 235/98]

अहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

कपड़ा मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 236/98]

(तीन) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 237/98]

(2) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद; बोम्बे टेक्सटाइल एसोसिएशन रिसर्च, मुम्बई; साऊथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर; और नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 238/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 239/98]

(ख) (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 240/98]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 241/98]

(6) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 242/98]

सिक्का निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सिक्का निर्माण (मानक), वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त पचास रुपये (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है) और 50 पैसे (फैरीटिक स्टेन्डर्ड स्टील के स्मृति सिक्के जिन्हें "स्वतंत्रता के पचास वर्ष (1947 से 1997) की स्मृति में निर्मित किया गया है) नियम, 1997, जो 7 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (मानक) वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त एक रुपये, पचास पैसे, पच्चीस पैसे और दस पैसे के फैरीटिक स्टेन्डर्ड स्टील के सिक्के जिसमें 83 प्रतिशत लोहा और 17 प्रतिशत क्रोमीयम सम्मिलित है। नियम, 1997 जो 7 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 243/98]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : मैं सुखवीर सिंह बादल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रंक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 244/98]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि 1 जून, 1998 से प्रारम्भ होने वाले वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(ख) वित्त (संशोधन), अध्यादेश, 1998

3. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(ख) उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(घ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998

4. वर्ष 1998-99 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

5. वर्ष 1995-96 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।

6. रेलवे संबंधी स्थिति पत्र पर चर्चा

7. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए -

गत वर्ष रुपये का डालर के मुकाबले 31 रुपये से 39 रुपये तक अवमूल्यन हो जाने के बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि रूपया गत लम्बे समय से अधिक मूल्य पर चल रहा था, उसका अवमूल्यन जरूरी था। अब मुद्रा विनिमय की दर ठीक हुई है जो देश के व्यापार को बढ़ाएगी और आर्थिक हालत सुधारेगी। किन्तु आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रुपये का और अवमूल्यन हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय सम्मिलित किए जाएं -

1. उत्तर प्रदेश के डीडीहाट, धारचूला, जौरासी, रानीखेत आदि में स्थित समस्त अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर रिले केन्द्रों

की क्षमता में वृद्धि किए जाने तथा इस वित्तीय वर्ष में दस नए अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

2. केन्द्रीय सीमा सड़क संगठन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों तथा अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मियों की सेवाओं का नियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. देश में देशी नमक की जगह आयोडीन नमक होना अनिवार्य कर दिया है, इस प्रतिबंध को समाप्त किया जाए।

2. राजस्थान के राष्ट्रीय राज्य मार्गों के रख-रखाव हेतु अधिक धन राशि दी जाए।

समितियों के लिए निर्वाचन

अपराह्न 12.07 बजे

(एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण की शेष अवधि अर्थात् 23.11.1998 तक के लिए सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 (3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण की शेष अवधि अर्थात् 23.11.1998 तक के लिए सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) रबड़ बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) कॉफी बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, एसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना आरम्भ होने की तारीख से कॉफी बोर्ड की शेष अवधि के लिए कॉफी बोर्ड से सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (2) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना आरम्भ होने की तारीख से काफी बोर्ड की शेष अवधि के लिए कॉफी बोर्ड से सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4)(घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4)(घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि और प्रंसस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) तम्बाकू बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4(एक) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 4(4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4(1) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 4(4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छः) चाय बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) और 5(2) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3)(च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1)(ख) और 5(2) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3)(च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) मसाला बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

"कि गर्म मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1)(ख) और 5(2) के साथ पठित गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाय गये नियमों के अध्यधीन गर्म मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 (1) (ख) और 5 (2) के साथ पठित गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन गर्म मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(आठ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 रेल-बजट को लेंगे। श्री नीतीश कुमार।

लेकिन उससे पहले, रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : अब रेल मंत्री खड़े हो गए तो बजट पेश होना चाहिए। इसको सारा देश देख रहा है।

अपराह्न 12.15 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पाकिस्तान का नाभिकीय परीक्षण

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय भूकम्प प्रेक्षण केन्द्रों ने 28 मई, 1998 को दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर पाकिस्तान के चगाई पर्वतीय क्षेत्र में एक भूमिगत परमाणु विस्फोट की घटना को दर्ज किया है। अनेकों केन्द्रों पर दर्ज किए गए प्रेक्षण यह बताते हैं कि उक्त विस्फोट 10 किलोटन टी.एन.टी. के बराबर की क्षमता का था। यदि परीक्षण एक से अधिक किए गए तो ये परीक्षण एक-साथ किए गए हैं और क्रमिक परीक्षण पहले से कम क्षमता के थे। हमारी सरकार को ऐसी घटना का पूर्वानुमान था और इस तथ्य को पहले से ही हमारी रक्षा नीति में शामिल कर लिया गया था। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने इसे "विशिष्ट रूप से भारत के प्रति" किया गया गया परीक्षण घोषित किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब, रेल मंत्री वर्ष 1998-99 का रेल-बजट प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 12.16 बजे

रेल बजट, 1998-99*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं भारतीय रेलों के लिए 1998-99 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 25 मार्च, 1998 को इस माननीय सदन में अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनका इन अनुमानों में समावेश किया गया है।

प्रस्तावना

पिछले कुछ महीनों के दौरान मुझे भारतीय रेलों को नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। भारतीय रेलों की भूमिका, उनकी वर्तमान दशा, उनके सामने पेश आने वाली समस्याओं और उनके संभावित समाधानों के बारे में मेरे मन में कुछ विचार आए हैं। मैं माननीय सदस्यों को उनके बारे में संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा।

राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक होने के अलावा, भारतीय रेलें देश के आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य को नापने का एक प्रमुख और निर्णायक बैरोमीटर भी हैं। ऐसे मौके पर, जबकि देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, भारतीय रेलें अपने प्रयासों में पीछे नहीं रह सकतीं। इसलिए, यह जरूरी है कि लोगों को रेलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हो, खासकर ऐसी जानकारी कि रेलें क्या कर सकती हैं और क्या करने में असमर्थ हैं, और क्यों ? दो दिन पहले मैंने सदन के पटल पर रेलों से संबंधित स्थिति पत्र (स्टेटस पेपर) रखा है। इसमें मैंने इन बातों की जानकारी देने का एक प्रयास किया है।

इस अवसर पर, मैं कुछेक बुनियादी मुद्दों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिनसे भारतीय रेलों को जूझना पड़ता है। महोदय, यह भली भांति विदित है कि रेलें कई मायनों में सहज रूप से श्रेष्ठ हैं। रेलें सड़क यातायात की तुलना में छः गुना और भूमि उपयोग में चार गुना अधिक कुशल हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत उम्दा हैं। यात्री और माल यातायात की मध्यम और अधिक दूरी की ढुलाई के लिए रेल निश्चित रूप से सस्ती है। इसलिए, भारतीय रेलों का राष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना में वैभवशाली स्थान होना चाहिए। परंतु, सच्चाई कुछ और ही है। परिवहन क्षेत्र में रेलों का माल और यात्री यातायात दोनों में हिस्सा कम हुआ है। बाजार हिस्सा जो 1950-51 में क्रमशः 89 प्रतिशत और 80 प्रतिशत था, अब घटकर 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत ही रह गया है। मैं महसूस करता हूँ कि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। राष्ट्र और स्वयं रेलों के हित में यह उचित होगा कि इस रुख में बदलाव लाया जाए।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 245/98.

यह स्पष्ट है कि देश की सामान्य प्रगति के साथ रेल प्रणाली तालमेल नहीं बिठा पाई है। रेलों को अपने योजनागत विकास के प्रारंभिक वर्षों में सामान्य राजकोष से काफी पूंजी मिलती थी जो धीरे-धीरे घटती गई। इस कारण, रेलों में भारी मात्रा में निवेश नहीं किया जा सका। साथ ही, निवेश में कमी का एक और कारण यह भी रहा है कि रेलें अपनी कुछ मजबूरियों की वहज से पर्याप्त मात्रा में आंतरिक संसाधन भी नहीं जुटा पाईं। गत 12 वर्षों के दौरान, रेलें धीरे-धीरे उधार के पैसे पर निर्भर होती जा रही हैं जिससे उनकी संसाधन की सृजन क्षमता और भी कम होती जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि रेलों की अपनी सूची में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बकाया पड़ी हैं। इन परियोजनाओं में वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम परियोजनाएं भी हैं और ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद हैं। सामाजिक-आर्थिक अथवा वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सार्थक रेल परियोजनाएं विशाल और भारी निवेश वाली होती हैं और इनसे फायदा उठाने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। बहुत सी योजनाओं को पूरा करने के लिए केवल सीमित संसाधन उपलब्ध होने के कारण लागत और समय में वृद्धि होता है जिससे उनकी अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

रेलों को कभी तो एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में और कभी सामाजिक दायित्व निभाने के साधन के रूप में देखा जाता है। सामाजिक दायित्व निभाने के साधन के रूप में अपनी भूमिका के कारण उन्हें अलाभप्रद निवेश करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ, रेलों को रियायती सेवाएं भी देनी पड़ती हैं जो अधिकतर यात्री क्षेत्र में हैं, और कुछ हद तक अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के कारण हैं, लागत से कम दर पर करनी पड़ती है। लगातार बढ़ते निवेश की लागत में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण और अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ, लागत को पूरा करने के लिए और योजना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए सामान्यतः रेल को टैरिफ निर्धारित करने की पूरी छूट नहीं रही है। विशेषकर, हाल के वर्षों में यात्री किरायों में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। माल यातायात के जरिए क्रॉस-सब्सिडाइजेशन बढ़ रहा है और इस समय माल भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि करने में यातायात गंवाने का गंभीर जोखिम भी है। कई अन्य देशों की सरकारें जन सेवा दायित्वों के लिए रेलों को आर्थिक सहायता देती हैं। लेकिन, भारतीय रेलों को उनके अलाभप्रद परिचालन के लिए कोई विशिष्ट मुआवजा नहीं मिलता है।

निवेश के लिए संसाधनों की निरंतर कमी के बावजूद अपर्याप्त परिसंपत्तियों से ही भारतीय रेलें अधिकाधिक आउटपुट निकाल रही हैं। भारतीय रेलों विशेषकर अपने उच्च घनत्व वाले मार्गों पर अत्यधिक दबाव महसूस कर रही हैं। इससे परिसंपत्तियों की विश्वस्तता प्रभावित होती है और इन मार्गों पर रेलों के विकास और गुणवत्ता को कायम रखना निरंतर कठिन होता जा रहा है।

महोदय, कुछ समस्याओं को मैंने आपके सामने रखा है। रेलें अपनी ओर से जहां तक होगा, सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहेंगी। साथ ही, रेलों को निवेश की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि की भी आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों के विचारों और सुझावों का भी खुले दिल से स्वागत करूंगा जिनका बजट पर बहस के दौरान मुझे इंतजार रहेगा।

किफायत और मितव्ययिता के उपाय

महोदय, इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रस्तावित किफायत और सादगी के उपायों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अतिथि-सत्कार, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोह और ऐसे कुछ क्षेत्रों में भारी खर्च के बारे में कुछ आलोचनाएं होती रही हैं। मुझे मालूम है कि इन क्षेत्रों में किफायती उपायों से बहुत अधिक बचत होने की आशा नहीं है, फिर भी मुझे विश्वास है कि संयम के वातावरण के सर्वत्र बेहतर वित्तीय कुशलता लाने में मदद मिलेगी।

रेलों के राजस्व का एक बड़ा भाग अनुरक्षण और परिचालनिक खर्च को पूरा करने में लग जाता है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि खर्च केवल जरूरत के आधार पर चाहे यह ईंधन पर हो, चाहे सामग्री पर, चाहे कर्मचारियों पर या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में हो। चल स्टॉक, सिगनल, रेल उपस्कर, लाइन-क्षमता और जनशक्ति जैसी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग पर नये सिरे से जोर दिया जाएगा। निगरानी प्रक्रिया का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और जहां कहीं कमी होगी उसमें सुधार लाया जाएगा। निर्माण गतिविधियों और सामग्री की खरीद पर किए जाने वाले खर्च के मामले में और अधिक सावधानी बरती जाएगी और विवेक का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां प्रणाली की वित्तीय स्थिति की मजबूती के लिए परिसंपत्तियों का किफायती प्रबंधन महत्वपूर्ण है, वहीं दुर्घटनाओं, चोरी, बिना टिकट यात्रा और अन्य कदाचारों के जरिए संसाधनों का अपव्यय और रिसाव की रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है। मैं इन क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश करूंगा।

रेल भर्ती बोर्ड

महोदय, पिछले कुछ समय से रेल भर्ती बोर्डों के कामकाज की काफी आलोचना होती रही है। इसे देखते हुए मैंने उनके कामकाज की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि रेल भर्ती बोर्डों के प्रशासनिक ढांचे और भर्ती की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया जाए ताकि रेल भर्ती बोर्डों के कामकाज के तौर तरीके में स्वच्छता लाई जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि रेल सेवा के लिए नियमों के अंतर्गत उपयुक्त उम्मीदवारों का ही चयन हो।

इस दिशा में कई कदम उठाए गये हैं। रेलवे बोर्ड में एक रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड (आर.आर.सी.बी.) की स्थापना की गई है। यह बोर्ड भर्ती से संबंधित मामलों में रेल भर्ती बोर्डों को नीतिगत अनुदेश जारी करेगा और यह भी देखेगा कि उन्हें कारगर ढंग से लागू किया जाता है। सभी रेल भर्ती बोर्ड सीधे रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड के अधीन काम करेंगे। इसके अलावा और भी कई उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भर्ती एक सुचारु प्रक्रिया द्वारा हो और उसमें पारदर्शिता हो। मुझे आशा है कि इन सभी उपायों से देश के नौजवानों को योग्यता के आधार पर रेल सेवा में आने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, सही व्यक्तियों की भर्ती से रेलें यात्रियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित, समयनिष्ठ और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध करा सकेंगी।

1997-98 में निष्पादन

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष 1997-98 में रेलों ने लगभग 429.30 मिलियन टन प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई की है। यह 430 मिलियन टन के हमारे लक्ष्य के बहुत निकट है और पिछले वर्ष के लदान से लगभग 20 मिलियन टन अधिक है। यह लगातार ऐसा तीसरा वर्ष है जिसमें भारतीय रेलों ने लगभग 20 मिलियन टन या उससे ज्यादा वृद्धिपरक राजस्व लदान किया है। कुल मिलाकर, पिछले तीन वर्षों में रेलों ने 64 मिलियन टन से अधिक के वृद्धिपरक लदान का रिकार्ड कायम किया है। 1997-98 में यात्री यातायात में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संशोधित अनुमानों में वित्तीय परिणामों में खर्च से 1470 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इस वर्ष के लिए अंतिम लेखे तैयार किए जा रहे हैं और मोटे अनुमान के आधार पर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इनमें मामूली अंतर हो सकता है। योजना खर्च कमोबेश, संशोधित अनुमान में निर्धारित किए गए 8403 करोड़ रुपए के आसपास ही रहने की संभावना है।

यात्री सेवाएं

महोदय, नई यात्री गाड़ियां चलाने, उनके फेरे बढ़ाने तथा गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार करने, बेहतर सेवा प्रदान करने, नए हाल्ट खोलने आदि के लिए सदैव दबाव बना रहता है। बढ़ती आबादी तथा आर्थिक विकास की उच्चतर दर प्राप्त करने के लक्ष्य के कारण यात्रियों और माल की ढुलाई में भी वृद्धि होगी। रेल यात्री सेवाएं मांग से सामान्यतः कम रही हैं और इसका मुख्य कारण है क्षमता की कमी तथा इसे बढ़ाने के लिए संसाधनों की अत्यधिक तंगी। माल यातायात के महत्व को नकारे बिना, जो कि आम जनता के जीवन और देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रेलें यात्री आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी हद तक सफल रही हैं।

महोदय, इसी क्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त नयी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है।

i. भोपाल-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस

ii. वाराणसी-कुर्ला एक्सप्रेस

iii. भागलपुर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस

iv. मदुरै-कोयम्बतूर एक्सप्रेस (मीटर लाइन)

v. गुन्तूर-सिंकदराबाद एक्सप्रेस

vi. मंगलौर-कुर्ला एक्सप्रेस (कोंकण रेलवे के रास्ते)

vii. तिरूचिरापल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)

viii. नई दिल्ली-मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस बरास्ता बलिया-गाजीपुर (सप्ताह में दो बार)

ix. सियालदह-न्यू कूच बिहार उत्तर बंग एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

x. बंगलौर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस बरास्ता गुंतकल (साप्ताहिक)

xi. कुर्ला-हावड़ा सुपर डीलक्स वातानुकूल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

xii. कुर्ला-नागपुर सुपर डीलक्स वातानुकूल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

निम्नलिखित गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगेः

i. 7029/7030 हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन

ii. 4863/4864 मरूधर एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन-बढ़े हुए तीन दिनों में इसे फैज़ाबाद के रास्ते चलाया जाएगा

iii. 5209/5210 अमृतसर-बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन

iv. 2715/2716 नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन

v. 8603/8604-8605/8606 रांची-दिल्ली स्वर्ण-जयंती एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर चार दिन

vi. 6339/6340 मुंबई-नागर कोइल एक्सप्रैस सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर चार दिन

vii. 8403/8404 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रैस, सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर चार दिन

viii. 5219/5220 कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन

ix. 9047/9048 सूरत-पटना एक्सप्रैस को एक दिन से बढ़ाकर दो दिन

x. 1031/1032 पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन

xi. 1029/1030 पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन

निम्नलिखित गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा

i. 6683/6884 मंगलौर-पालघाट एक्सप्रेस को तिरूचिरापल्ली तक

ii. 9759/9760 दिल्ली-जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जोधपुर तक

iii. 3447/3448 दादर-भागलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) सप्ताह में एक बार गुवाहाटी तक।

आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने पर बड़ी लाइन की निम्नलिखित बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

i. बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस

ii. जोरहाट-गुवाहाटी एक्सप्रेस

iii. जोधपुर-अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सपेस

iv. तिरूचिरापल्ली-चेन्नई पल्लवन एक्सप्रेस

v. चेन्नई-तिरूचिरापल्ली रॉकफोर्ट एक्सप्रेस

vi. बीजापुर-होटगी पैसेंजर (3 जोड़ी पशु-पुल सेवाएं)

vii. सिकंदराबाद-हुबली के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

viii. विलीपुरम-तिरूचिरापल्ली पैसेंजर (3 जोड़ी)

ix. तिरूचिरापल्ली-लालगुड़ी पैसेंजर

x. 523/524 काचेगुड़ा-महबूबनगर पैसेंजर (द्रोणाचलम के लिए)

xi. 535/536 सिंकदराबाद-महबूबनगर पैसेंजर का कुर्नूल टाउन तक विस्तार

xii. 7607/7608 सिकंदराबाद-महबूबनगर तुंगभद्रा पैसेंजर कुर्नूल टाउन तक विस्तार

xiii. पूर्णा-मुदखेड़ पैसेंजर का आदिलाबाद तक विस्तार।

नई लाइनों के पूरा हो जाने पर निम्नलिखित गाड़ी सेवाएं चलाई जाएंगी:

i. भुवनेश्वर-राउरकेला एक्सप्रेस संबलपुर के रास्ते

ii. तालचेर-संबलपुर पैसेंजर

निम्नलिखित खंडों पर मुख्य लाइन ई.एम.यू. सेवाएं शुरू की जाएंगी:

i. कानपुर-शिकोहाबाद

ii. दुर्ग-बिलासपुर

iii. आसनसोल-झाझा

iv. पुरूलिया-बर्धमान

निम्नलिखित खंडों पर डी.एम.यू. सेवाएं शुरू की जाएंगी:

i. दौंड-पुणे

ii. तिरूचिरापल्ली-करूर

iii. बक्सर-दानापुर-पटना

iv. मऊ-इंदौर (मीटर लाइन)

v. पटना-राजगीर

निम्नलिखित खंडों पर रेल बस सेवाएं शुरू की जाएगी:

i. तुमसर रोड़-तिरोड़ी

ii. सिलचर-जिरीबाम (मीटर लाइन)

iii. जूनागढ़-धारी (मीटर लाइन)

निम्नलिखित गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करके कोंकण रेल के रास्ते चलाया जाएगा :

i. 2617/2618 हजरत निजामुद्दीन-मंगलौर मंगला एक्सप्रेस

ii. 6333/6334 तिरूवनंतपुरम-राजकोट एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

iii. 6337/6338 कोचीन-राजकोट एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

iv. 6335/6336 नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

उपरोक्त नई गाड़ियां चलाने और मौजूदा गाड़ियों के फेरे बढ़ाने के अलावा, मैं सवारी गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा ताकि प्रति गाड़ी यात्री वहन क्षमता में वृद्धि हो सके। कुछ चुने हुए मार्गों पर लोकप्रिय यात्री गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 24 की जाएगी। इस उपाय से प्रत्येक गाड़ी पर उपलब्ध यात्री वाहन क्षमता में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि से आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि प्रत्येक गाड़ी में दूसरे दर्ज के अतिरिक्त सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जाएंगे। प्राप्त अनुभव के आधार पर हम 26 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियां चलाने की दिशा में इस वर्ष बढ़ेगे।

यात्रियों की पसंद के अनुसार वातानुकूल शयनयान सेवाओं में वृद्धि किए जाने के कारण रेलों ने पिछले कुछ वर्षों में पहले दर्जे की सेवाएं कम कर दी हैं जिनसे स्वास्थ्य संबंधी या अन्य कारणों से इसके इच्छुक यात्री इस सेवा से वंचित हो गए हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि पहला दर्जा के समकक्ष सेवा सीमित संख्या से फिर से शुरू कर दी जाए। एक नए डिजाइन के कम्पोजित डिब्बे को धीरे-धीरे शुरू करने का प्रस्ताव है, जो कि दूसरे दर्जे के शयनयान सवारी डिब्बों का ही हिस्सा होंगे।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि विशेष सुख-सुविधाओं वाली एक नए प्रकार की तेज रफ्तार की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में, यह गाड़ी स्वर्ण मन्दिर के शहर, अमृतसर से यात्रियों को नई दिल्ली तक लाने और ले जाने का काम करेगी। यह गाड़ी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कहलाएगी और यह मौजूदा नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान ले लेगी।

तत्काल बुकिंग

हमारे कुछ रेल यात्रियों को अपने कारोबार या निजी काम के लिए अचानक यात्रा पर जाना पड़ जाता है। ऐसे यात्रियों के लिए प्रयोगात्मक आधार पर पिछले वर्ष एक नवीन प्रकार की 'तत्काल आरक्षण स्कीम' शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत कोई भी यात्री गाड़ी चलने के 24 घंटे पहले तक अपना फोटो परिचय-पत्र दिखाकर और अधिभार का भुगतान करके आरक्षण प्राप्त कर सकता है। यह योजना काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है और साथ ही इससे दलालों पर भी अंकुश लगा है। यह योजना 5 महानगरों के बीच चलने वाली 20 शताब्दी और सुपर फास्ट गाड़ियों में पहले से ही लागू है और इस वर्ष के दौरान इसे सभी सुपर फास्ट गाड़ियों में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा में वृद्धि

महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वितीय श्रेणी में अभी तक उपलब्ध 25 प्रतिशत रियायती यात्रा सुविधा को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है और यह सुविधा अब राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों के सभी दर्जों में भी उपलब्ध होगी।

बेरोजगारों की सहूलियत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन के साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को द्वितीय श्रेणी में पूर्ण रियायत दी जाएगी। यह रियायत आवेदन और बुलावा पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर मिलेगी।

इस समय संपुष्ट टिकटों पर यात्रा की तिथि आगे या पीछे करने की सुविधा उपलब्ध है। अब यह सुविधा प्रतीक्षा और आर.ए.सी. सूची वाले यात्रियों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों का आरक्षण शुल्क भी किराए के साथ ही ले लिया जाएगा ताकि आरक्षण की पुष्टि हो जाने पर उन्हें गाड़ियों में अलग से भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े।

किराए के वापसी की प्रक्रिया सरल बनाई जा रही है जिससे कि यात्रीगण न केवल उस स्टेशन से टिकट की धन वापसी प्राप्त कर सकेंगे जहां से उन्होंने टिकट ली हो बल्कि अपनी सुविधानुसार वे जिस स्टेशन पर टिकट जमा करेंगे उसके क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय से किराए की राशि वापस ले सकेंगे।

लाइसेंसशुदा पोर्टरों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रेलवे अस्पताल की सुविधा आउटडोर रोगी के रूप में उपलब्ध है। यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाला एक अन्य लघु वर्ग भी है अर्थात् लाइसेंसशुदा जूते पालिश करने वाले लड़के, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। सामाजिक उत्थान की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें रेलवे अस्पतालों में आउटडोर रोगी उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

पर्यटन

महोदय, लगभग पचास लाख विदेशी पर्यटकों को सन् 2000 तक आकर्षित करने के लिए भारतीय रेलों ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष पहल की है। मैंने एक पर्यटक रेल गाड़ी, जिसका नाम ''बोध परिक्रमा'' है, चलाने का निर्णय लिया है जो सारनाथ बोध गया तथा राजगीर को जोड़ेगी।

निजी क्षेत्र के सहयोग से निम्नांकित रास्तों पर पर्यटक गाड़ी चलाने की व्यवस्था की गई है:

i. दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली।

ii. बंगलौर-मैसूर-चेन्नई-कोडैकेनाल रोड़कन्याकुमारी-तिरूवनंतपुरम-कोचीन-मेट्टुपालयम-बंगलौर।

विश्व के सबसे पुराने भाप इंजन ''फेयरी क्वीन'' द्वारा चालित दिल्ली तथा अलवर के बीच चलने वाली पर्यटक गाड़ी काफी लोकप्रिय हो गई है तथा इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में स्थान मिला है। इस सेवा की आवृत्ति पर्यटक समय में माह में एक बार से बढ़ाकर दो बार करने का प्रस्ताव है।

विश्वव्यापी एजेंसियों के जरिए बेचे जाने वाले ''यूरोरेल'' पासधारक विदेशी पर्यटक भारतीय रेलों में यात्रा करने के लिए, इन पासों को ''इंडरेल'' पास से बदल सकते हैं।

भारतीय रेल के नेटवर्क पर यात्रा और सरल बनाने के उद्देश्य से एअर-इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के विश्वव्यापी वितरण नेटवर्क के जरिए ''इंडरेल'' पासों की बिक्री के लिए इन विमान कंपनियों के साथ नीतिगत गठबंधन किया गया है।

खानपान सेवाएं

माननीय सदस्यों ने गाड़ियों और स्टेशनों पर खानपान सेवा में सुधार करने की आवश्यकता पर बार-बार चिंता जताई है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि भोजन को साफ-सुथरे तरीके से बनाया जाए और उसकी गुणवत्ता बरकरार रखते हुए उचित ढंग से यात्रियों के सामने पेश किया जाए। ''चलती गाड़ी'' में खानपान सेवाओं में सुधार करना भी हमारी एक प्राथमिकता है और चालू वर्ष के दौरान 8 और गाड़ियों में पैंट्री कार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

खानपान सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय रेल खानपान और पर्यटक निगम की स्थापना का प्रस्ताव है। यह संस्था

स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान सेवाओं पर आवश्यक नियंत्रण और दिशा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन के लिए तैयार प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

यात्री आरक्षणों का कंप्यूटरीकरण

पिछले दशक में 339 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराई गयी है जिनके द्वारा कुल आरक्षण कार्यभार का लगभग 95 प्रतिशत कार्य किया जाता है। नई दिल्ली और सिंकदराबाद के बीच कंप्यूटर प्रणालियों की नेटवर्किंग कर दी गई है और इसे शीघ्र ही मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई से जोड़ दिया जाएगा।

अधिकाधिक यात्रियों की सहायता के लिए उन स्थानों पर भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है जहां प्रति दिन 200 आरक्षण किए जाने होते हैं, जबकि इसके लिए मौजूदा मानदंड प्रति दिन 300 आरक्षण का है।

समय पालन

मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के समयपालन में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। इसमें और अधिक सुधार के लिए रेल परिसंपत्तियों की विश्वस्तता के लिए प्रमुख इनपुट और रेक की ओवरलेपिंग की व्यवस्था अपेक्षित है ताकि जब कभी अस्तव्यस्तता होती है तो यात्री गाड़ियों को अतिरिक्त रेक द्वारा उनके गंतव्य तक समय से पहुंचाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष में अधिक आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विलंब से चलने वाली गाड़ियों के समयपालन पर रिअल टाइम आधार पर निगरानी की मशीनरी को चुस्त व मजबूत बनाया गया है तथा मार्ग के मंडल रेल प्रबंधकों को इस पर विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया गया है।

माल यातायात

यद्यपि लम्बी दूरी के थोक माल यातायात पर अधिक बल दिया जाता रहेगा तथापि गाड़ी भार से कम फुटकर यातायात को मल्टी-मोडल मार्ग पर द्वारा सड़क से रेल की ओर आकर्षित करने पर बल दिया गया है। माल यातायात के घटते हुए बाजार हिस्से के रूप की रोकथाम करने के लिए भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर) में घरेलू संभाग बनाकर इसे मजबूत किया गया है।

'रोड रेलर्स' तथा 'रॉल-आन रॉल-आफ' के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नवीन परिवहन पैकेज शुरू करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

व्यापारी वर्ग के लिए सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कारगो संचलन की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए कनकोरों ने आधुनिकतम सपाट कंटेनर खरीदे हैं जो 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। इससे पारगमन समय में भारी कटौती होगी और देश के निर्यात अभियान को अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा।

संरक्षा

महोदय, रेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रणाली की मजबूती को बहाल करना है ताकि यात्रियों और माल यातायात की संरक्षित ढुलाई की जा सके। भारतीय रेलों पर होने वाली कोई भी दुर्घटना हमारे लिए गहरी चिंता और दुख का विषय है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संरक्षा एक अधिकतम चिंता का विषय है और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवेश की व्यवस्था करने को हम प्राथमिकता देगें। पुरानी पड़ गई परिसंपत्तियों को तकनीकी उपाय से काम लायक बनाने के लिए जरूरी निवेश को यथोचित महत्व दिया जा रहा है।

महोदय, मानवीय भूल से लगभग 70 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। इस समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए, गाड़ी परिचालनों से जुड़े कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाता है और उनके काम पर निगरानी रखी जाती है। मानवीय विफलता पर यथासंभव रोक लगाने के लिए तकनीकी उपायों की व्यवस्था की योजना है। उदाहरण के लिए गाड़ी टकराने की रोकथाम के लिए चोरी न की जा सकने वाली सहायक चेतावनी प्रणाली (अर्थात आक्जिलरी वार्निंग सिस्टम) लगाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सुरक्षा

माननीय सदस्य रेलवे परिसरों और चलती गाड़ियों पर चोरी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की बढ़ रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। आम धारणा यही है कि यात्री और उनके सामान की सुरक्षा के लिए रेलें जिम्मेवार हैं। बहरहाल, कानूनी स्थिति ऐसी नहीं है। संविधान के अनुसार रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत राजकीय रेल पुलिस (रा.रे.पु.) को रेलवे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। हमें मालूम है कि मौजूदा स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। मुख्यतः रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए गठित रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के साथ निरंतर संपर्क कायम रखता है।

रेलों ने रेल सुरक्षा बल को और अधिक कारगर बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की है। इस दिशा में दूरसंचार तथा सुरक्षा उपकरण और शस्त्रागार का आधुनिकीकरण, पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था, कंप्यूटरीकरण, प्रशिक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करना आदि जो उपाय किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट व्यवस्था की गई है।

कोंकण रेल निगम (के.आर.सी.)

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कोंकण रेलवे को पूरी तरह से चालू कर दिया गया

है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली मई, 1998 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। 760 किलोमीटर लंबी यह लाइन रेल निर्माण के क्षेत्र में देश की एक वैभवशाली उपलब्धि है। इस लाइन से देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से केरल तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों के बीच की दूरी और यात्रा समय में अत्यधिक कमी आई है और मुझे विश्वास है कि यह लाइन पश्चिमी तट के आर्थिक विकास में भरपूर योगदान देगी।

इंजीनियरी के इस बेजोड़ काम में 20 प्रमुख वाया डाक्टों का निर्माण जिनमें से सर्वाधिक ऊंचा वाया डक्ट 64 मीटर का है, कुल 83.60 कि.मी. लंबाई की 92 सुरंगों की खुदाई, जिनमें से सर्वाधिक लंबी सुरंग 6.5 कि.मी. की है, शामिल है। कोंकण रेल निगम के इंजीनियरी कौशल का ही कमाल है कि महाराष्ट्र सड़क विकास निगम लिमिटेड ने प्रस्तावित मुंबई-पुणे एक्सप्रेस सड़क मार्ग पर सुरंग संबंधी कार्य के निष्पादन के लिए उसका चयन किया है।

कोंकण रेल परियोजना की अंतिम लागत लगभग 3550 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें से बाजार ऋण के खर्च की लागत (अर्थात निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज) 1033 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष में ऋणों और ब्याज की अदायगी लगभग 455 करोड़ रुपये की होगी। इस लाइन पर माल यातायात बढ़ने में अभी कुछ समय लगेगा जिसके बाद ही के.आर.सी. अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा। इन परिस्थितियों में भारतीय रेलों ने के.आर.सी. को कुछ ऋण सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

वार्षिक योजना 1998-99

महोदय, मैंने अंतरिम रेल बजट में 8,300 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा था जिसे निवेशों की आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाने का विचार था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसे बढ़ाकर 9500 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है जो कि पिछले वर्षों के संशोधित अनुमान से काफी अधिक है। यह आंतरिक संसाधनों में हुई वृद्धि के जरिए संभव हो पाया है जो बढ़कर अब 4,400 करोड़ रुपए हो गया है। आंतरिक संसाधनों में वृद्धि मुख्यतः सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के सरकार के हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप पेंशन संबंधी और अन्य लाभों के स्थगित हो जाने के कारण हुआ है। रेलों को सामान्य राजकोष से पूंजी निधि में अंतरिम बजट स्तर से की गई 369 करोड़ रुपए की वृद्धि से भी सहायता मिली है जो कि अब 2200 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ-साथ बाजार से लिऐ जाने वाले ऋण को भी थोड़ा बढ़ाकर 2900 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि वर्ष के दौरान योजना परिव्यय में कुछ और वृद्धि हो सकती है और नौवीं योजना के आगामी वर्षों में परिव्यय, इतने होंगे कि रेलवे में निवेशों को नई शक्ति और दिशा दे सकें।

महोदय, रेलों के पास विभिन्न योजना शीर्षों से संबंधित विशाल परिव्यय वाली विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की एक लम्बी सूची है। चूंकि हमारे पास संसाधन असीमित नहीं हैं इसीलिए परियोजनाओं के चयन में समझदारी तथा वित्तपोषण में अग्रता के निर्धारण द्वारा निवेशों का निर्णय किया जाना जरूरी है। नए क्षेत्रों में रेल प्रणाली के विस्तार के दावों, और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रणाली की क्षमता बढ़ाये जाने, आधुनिक टेक्नॉलॉजी और उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवा देने की आवश्यकताओं के बीच संतुलन रखने का पूरा प्रसास किया गया है।

मैंने इन पहलुओं को मद्देनजर कुछ योजना शीर्षों पर विशेष जोर दिया है। इस वर्ष के योजना परिव्यय में सामान्य वृद्धि की तुलना में कुछ योजना शीर्षों के लिए प्रतिशत के हिसाब से कुछ अधिक धनराशि मुहैया की जा रही है। नई लाइनों के लिए, यह परिव्यय, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के 370 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिए गए है अर्थात् इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लाइन क्षमता बढाने के लिए रेलपथ के दोहरीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने इस योजना शीर्ष के आबंटन में लगभग 88 प्रतिशत की वृद्धि की है अर्थात् इसे 272 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 510 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यातायात सुविधाओं के लिए आबंटन को पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में 146 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 220 करोड़ रुपए कर दिया गया है अर्थात् इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यात्री सुविधाओं के लिए 25 प्रतिशत का बढ़ा हुआ आबंटन रखा गया है जिससे यह 100 करोड़ रुपए हो गया है। रेल परिपथन और संरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की तीव्र प्रगति के लिए सिगनल और दूरसंचार योजना शीर्ष के आबंटन को 222 करोड़ रुपए के पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि 62 प्रतिशत अधिक है। मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता शहरों में महानगर परिवहन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, 250 करोड़ रुपए का आंबटन रखा गया है जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 65 प्रतिशत अधिक है। रेलपथ नवीकरण, उत्पादन इकाइयों, कारखानें आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण योजना शीर्षों में भी पर्याप्त बढ़ोत्तरी की गई है। आमान परिवर्तन योजना शीर्ष, जिसके लिए पिछले वर्षों में पर्याप्त आवंटन किया जा रहा था, के अंतर्गत मैंने उतने ही परिव्यय की व्यवस्था की है जो प्राथमिकता के हिसाब से चालू कार्यों में प्रगति लाने के लिए पर्याप्त हो। योजना निधियों के उचित उपयोग के लिए प्रत्येक योजना शीर्ष के विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता इस प्रकार तय की गई है कि ऐसे कार्य के लिए पर्याप्त धन मुहैया हो जाए जो पूरा होने के निकट हैं और जो परिचालनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। नये कार्यों को काफी चयन के बाद ही शामिल किया गया है।

नई लाइनें

महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जोगीघोपा-गोलपाड़ा लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नरनारायण सेतु-रेल एवं सड़क पुल-जिसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए है, भारतीय इंजीनियरों की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अप्रैल 1998 को किया गया था। इससे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तथा दक्षिण तटों के बीच महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित होगा।

रेलवे ने लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना नई लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में निश्चितपुर से काशीनगर तक एक नई लाइन का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है।

1998-99 में रेलें तालचेर-सम्बलपुर नई लाइन परियोजना के आंगुल-मानेश्वर भाग का कार्य पूरा करेंगी और इस प्रकार पूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार गोलपाड़ा-गुवाहाटी नई लाइन के निर्माण से जोगीघोपा-गुवाहाटी नई लाइन की परियोजना इस वर्ष पूरी हो जाएगी। गुना-इटावा लाइन का पनिहार-खजूरी खंड भी इसी वर्ष पूरा हो जाएगा जिससे गुना तथा ग्वालियर रेल से जुड़ जाएंगे।

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाएग। किंतु यह कार्य राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने पर निर्भर है।

महोदय, पिछड़े क्षेत्रों में रेल अवसंरचना का विकास करने की दृष्टि से हजारीबाग तथा बरकाकाना के रास्ते रांची से कोडरमा तक, देवघर से दुमका तथा रायचूर से गडवाल तक नई रेल लाइन परियोजना को बजट में शामिल किया गया है तथा अपेक्षित मंजूरियों के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा विशेषकर बौद्ध पर्यटकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजगीर को गया से जोड़ने के लिए राजगीर से तिलैया बरास्ता हिसुआ रेल लाइन तथा फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन के पुनर्निर्माण का कार्य इस वर्ष के बजट में शामिल किया गया है।

आमान परिवर्तन

1998-99 में निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन पूरा किए जाने की आशा है :

खंड	कि.मी.
मुदखेड़-आदिलाबाद (बोल्ट)	162
नरकटियांगज-गोरखपुर	151
ताम्बरम-त्रिचरापल्ली	303
त्रिचरापल्ली-दिंडीगुल	93
बैपनहल्ली-यशवंतपुर	17
बाबूपेट-बल्लारशाह	11
शोलापुर-होतगी	15
शिवसागर-मोरनहाट	36
मरियानी-जोरहाट	22
योग	810

महोदय, गांधीधाम-पालनपुर और तंजावुर-विल्लुपुरम मुख्य लाइनों का आमान परिवर्तन कार्य इस वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है और अपेक्षित मंजूरियों के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चांकुडा-दामोदर नवी रेल लाइन, जिसका स्वामित्व निजी कंपनी के पास था, को रेलवे द्वारा खरीद लिया गया है और अब इसे बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है।

दोहरीकरण

1997-98 में 160 कि.मी. रेलपथ दोहरीकरण का कार्य पूरा किया गया है। 1998-99 में विभिन्न खंडों पर 284 कि.मी. का दोहरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि यातायात के प्रवाह को सुगम बनाने और कुछ संतृप्त खंडों पर अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए कोरबा-गेवरा रोड़ तथा लखनऊ-सुल्तानपुर के दोहरीकरण और नई दिल्ली-तिलक ब्रिज के बीच 5वीं और 6वीं लाइनों के निर्माण को बजट में शामिल कर लिया गया है।

विद्युतीकरण

1997-98 के दौरान 445 मार्ग कि.मी. रेलपथ को विद्युतीकृत किया गया जिससे कुल 13,962 कि.मी. मार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। नौवीं योजना में 2300 कि.मी. मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिसमें कलकत्ता-चेन्नई मार्ग के गैर-विद्युतीकृत खड़गपुर-विशाखापट्नम खंड, अंबाला-कालका और सीतारामपुर-मगलसराय खण्डों का विद्युतीकरण शामिल है। 1998-99 में 500 मार्ग कि.मी. के विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए बजट में 340 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

रेलपथ नवीकरण

इस वर्ष रेलपथ नवीकरण के लिए 1425 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि पिछले वर्ष इस मद के लिए 1223 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान रखा गया था। तेज और भारी यातायात का वहन करने वाले महत्वपूर्ण मार्गों के रेलपथ नवीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नौवीं योजना अवधि के दौरान हमारा प्रयास रहेगा कि ए, बी एवं सी मार्गों पर बकाया नवीकरण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

उपनगरीय परिवहन प्रणाली

महोदय, लगभग दो-तिहाई रेल यात्री कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई नगरों की उपनगरीय प्रणाली पर यात्रा करते हैं तथा इन प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव बन गया है और इन्हें तत्काल सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैं यहां किए जा रहे सुधारों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूँ।

कलकत्ता मेट्रो को गरिया तक बढ़ाने से संबंधित सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसे दमदम से बैरकपुर तक बढ़ाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। सर्कुलर रेलवे को प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। दमदम से ताला जंक्शन तक

का विद्युतीकरण करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। राणाघाट-गेडे और राणाघाट-बोंगोंव खंडों के विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए हैं। बारासात-हसनाबाद खंड के विद्युतीकरण कार्य को बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित मंजूरियों के बाद यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा।.....*(व्यवधान)*

चेन्नई में लज से वेलाचेरी तक व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का विस्तार कार्य तमिलनाडु सरकार के समन्वय से शुरू किया गया है जो रेल लाइन के साथ उपलब्ध सरकारी भूमि की निःशुल्क व्यवस्था कराने के अलावा दो-तिहाई लागत वहन करने पर सहमत हो गई है। मीटर लाइन की उपनगरीय परिवहन प्रणाली का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य भी बजट में शामिल किया जा रहा है। अपेक्षित मंजूरियों के बाद यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

दिल्ली मैट्रो रेल निगम को तकनीकी मामलों में सहायता देने के लिए रेलवे बोर्ड में एक तकनीकी सेल स्थापित किया जा रहा है।

मुंबई के दैनिक रेल यात्रियों की विशाल संख्या के लिए यात्रा की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु उत्तरोत्तर 12 कार-रेक वाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं। सेवाओं में वृद्धि करने के लिए रेलपथ, सिगनल और बिजली आपूर्ति में सुधार किया जा रहा है। अतिरिक्त लाइनों के लिए प्रमुख परियोजनाओं के कई अध्ययन चल रहे हैं और इस वर्ष बोरीवली-विरार खंड के चौहरीकरण कार्य को बजटीय संसाधनों से वित्त पोषित करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि पूर्व में परिकल्पित की गई बोल्ट योजना इसके लिए सफल नहीं रही है।.....*(व्यवधान)* मुंबई क्षेत्र में परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड (एम.आर.वी.सी) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का गठन करने हेतु रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सर्वेक्षण

माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1998-99 में अनेक सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

I. उपनगरीय खंडों में निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जाएंगे :

क. बंगलौर के लिए इंटर-मोडल परिवहन प्रणाली का अध्ययन।

ख. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दैनिक यात्रियों के लिए अपेक्षित निवेश की पहचान करने हेतु तकनीकी-आर्थिक अध्ययन।

II. नई लाइनों के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जाएंगे :

क. देवघर-सुल्तानगंज

ख. घुगली-फरेंदा बरास्ता महाराजगंज

ग. अगरतला-सबूम

घ. उज्जैन-रामगंज मंडी बरास्ता घटिया, घोंसला, आगरा एवं सनसेर

ङ मदुरै-कोट्टायम

च. हैदराबाद-रायचूर

छ. कैथल-यमुनानगर बरास्ता करनाल

ज. राजनांदगांव-जबलपुर

झ. एटा-बरहन लाइन का शाहजहांपुर तक विस्तार

अ. हस्तिनापुर को जोड़ने के लिए अद्यतन सर्वेक्षण

ट. उरई-महोबा बरास्ता राठ

ठ. टाहणा-अबोहर बरास्ता भुना और फतेहाबाद

ड हमीरपुर-हमीरपुर रोड़

ढ़ दनियांवा-शेखपुरा बरास्ता चंडी, बिहारशक्ति और बरबीघा

ण. टौंक के लिए रेल संपर्क

त. मेड़ता रोड़-अजमेर

थ. पुष्कर के लिए रेल संपर्क

III. आमान परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जाएंगे:

क. कलोल-काड़ी-कोटासन

ख. चिकबल्लापुर-कोलार

ग. बोदीनयक्कानूर-मदुरै

घ. मदुरै-कोयम्बतूर

IV. दोहरीकरण के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जाएंगे:

क. गया-क्यूल

ख. दिल्ली-अहमदाबाद

ग. बंडेल-कटवा

घ. हसनाबाद-बारासात.....*(व्यवधान)*

रेलवे उत्पादन इकाइयां

हमारी उत्पादन इकाइयों के निष्पादन का हमारी परिवहन क्षमता के साथ बहुत गहरा संबंध है। 1997-98 के दौरान सभी उत्पादन इकाइयों ने अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया है। वास्तव में, इनमें से अधिकांश इकाइयों ने अब तक का अपना रिकार्ड उत्पादन किया है। यह भी गर्व की बात है कि हमारी पांच उत्पादन इकाइयों ने आईएसओ 9001 तथा 9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि पहिया एवं धुरा कारखाना, बंगलौर को गुणवत्ता के लिए 'स्वर्ण मयूर पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अब मैं रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूंगा। 1996-97 में इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ने 467 करोड़ रुपए का कारोबार तथा 43 करोड़ रुपए का करपूर्व लाभ दर्ज किया है।.....*(व्यवधान)* इसने अंगोला, नेपाल, मलेशिया और तंजानिया में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करके 42 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। 1996-97 में रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) ने भी 135 करोड़ रुपए का कारोबार करके बेहतर प्रगति दर्शाई है। इसका विदेशी व्यापार 55.6 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय कंटेनर निगम (कनकोर) ने भी यातायात में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है। इस निगम का कुल करोबार पिछले वर्ष के 389 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 1996-97 में 534 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेल वित्त निगम ने 1996-97 में 102 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।.....*(व्यवधान)* इसने 1997-98 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 2558 करोड़ रुपए जुटाए।

अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.)

आर.डी.एस.ओ. तकनीकी मामलों में भारतीय रेल के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इस समय जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनमें एडवांस कम्पोजिट में रेलवे गर्डर पुल स्लीपरों का विकास, मौजूदा डी.सी.ई.एम.यू. बोगियों में एअर स्प्रिंग का रेट्रयोफिटमेंट, आप्टिक फाइबर सिगनल और दूरसंचार, सालिड स्टेट इंटरलाकिंग और बड़ी लाइन के उच्च गति सवारी डिब्बे शामिल हैं।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर.डी.एस.ओ. की अनुसंधान संबंधी परियोजनाओं के लिए बजट व्यवस्था 1997-98 के 3 करोड़ से बढ़ाकर 1998-99 के दौरान 10 करोड़ रुपए कर दी गई है।

रेल श्रमिक संघों की भूमिका

भारतीय रेलों पर हमेशा की तरह औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और स्थापित मंचों स्थायी वार्ता तंत्र (पी.एन.एम.), विभागीय परिषद् (डी.सी.)/संयुक्त दार्ता तंत्र (जे.सी.एम.) और प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी (पी.आर.ई.एम.), ने अर्थपूर्ण संवाद के जरिए मुद्दों को हल करने में प्रभावी भूमिका निभायी।

चिकित्सा देखभाल

भारतीय रेल पूरे देश में मौजूद 122 अस्पताल और 670 औषधालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने कर्मचारियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रही है। रेल स्वास्थ्य सेवाओं ने रेल कर्मचारियों का स्वास्थ्य, मनोबल और उत्पादकता को उच्च स्तर पर रखकर रेलों के समग्र निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेलों ने पोलियो के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियानों तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में पूरी गंभीरता से भाग लिया।

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

भारतीय रेल सदैव समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में अग्रणी रही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि रेलों में मंडल, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन गत कई वर्षों से कायम हैं। पिछले वर्ष अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों के संगठनों को जोनल और मंडल स्तर पर अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई थी। अब रेलवे बोर्ड स्तर पर भी अन्य पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन के गठन को सुगम बनाने का विनिश्चय किया गया है। इसके अलावा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग रेलवे कर्मचारी एसोसिएशनों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

खेलकूद

1997-98 के दौरान राष्ट्रीय खेलकूद के क्षेत्र में भारतीय रेलों का प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है। रेलों ने 37 में से 30 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं जो कि यह देश में किसी भी खेलकूद संगठन द्वारा अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के अलावा, दो खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्कार' भी प्राप्त किए हैं।

भारतीय रेलों ने हमेशा खेलकूद को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया है। रेलों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को पक्की नौकरी और काम करने का अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जाता है। साथ ही, उदीयमान खिलाड़ियों को रेलों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के जरिए उनकी प्रतिभा के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय रेलें देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की रेलों में भर्ती करने के लिए सक्रिय रूप से खिलाड़ी प्रतिभाओं का पता लगाएंगी। नये उभरते हुए खिलाड़ियों की भर्ती आम विज्ञापनों के जरिए की जाएगी ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय रेलों द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने की भावना से यह निर्णय लिया गया है कि 'रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड' का नाम बदलकर 'रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड' कर दिया जाए।

भाग-II

बजट अनुमान 1998-99

अब मैं 1998-99 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

अनुमानित 450 मिलियन टन माल यातायात तथा 1997-98 की तुलना में यात्री यातायात में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के आधार पर मौजूदा किरायों और माल भाड़ा दरों पर अंतरिम बजट में सकल यातायात प्राप्तियां 31,022 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। इस अनुमान को कायम रखा गया है।

अंतरिम बजट में साधारण संचालन व्यय के लिए 23,370 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और रनिंग भत्तों की दरों में वृद्धि हो गई है। इन संशोधनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इन्हें 836 करोड़ रुपए आंका गया है। इस अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता को आंशिक रूप से 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करके तथा शेष को साधारण संचालन व्यय के कुछ अन्य क्षेत्रों में बचत करके पूरा करने का प्रस्ताव है। इस कारण, साधारण संचालन व्यय को 23,370 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 23,720 करोड़ रुपए किया गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो जाने से पेंशन संबंधी भुगतानों में भारी राहत मिली है। मुख्यतः इस कारण से अंतरिम बजट में 4,000 करोड़ रुपए पेंशन निधि के प्रावधान को घटाकर अब 2,218 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरी ओर, नवीकरण और बदलाव संबंधी कार्यों की योजना की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अंतरिम बजट में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में किया जाने वाला विनियोग 2,473 करोड़ रुपए रखा गया है। अंतरिम बजट में प्रावधान 1,500 करोड़ रुपए का था तथा साथ ही, रेलवे की निधि से 800 करोड़ रुपए की निकासी का प्रस्ताव था।.....*(व्यवधान)*

इस प्रकार, कुल संचालन व्यय 28,411 करोड़ रुपया होगा और शुद्ध यातायात प्राप्तियां 2,611 करोड़ रुपया होंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियों के जरिये 372 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है और इस प्रकार शुद्ध राजस्व 2,983 करोड़ रुपया होगा। सामान्य राजकोष से पूंजी के वृद्धिपरक संशोधन के कारण रेलों की लाभांश दायिता के लिए अंतरिम बजट के 1,756 करोड़ रुपए के प्रावधान के बजाय अब 1,777 करोड़ रुपए का उच्चतर प्रावधान किया गया है। इस प्रकार खर्च की तुलना में प्राप्तियां 1,206 करोड़ रुपए ज्यादा होंगी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, रेलों के 9500 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में 4400 करोड़ रुपए आंतरिक संसाधनों से जुटाये जाने हैं। इसमें से 1656 करोड़ रुपए "आधिक्य" में से पूरे किए जाने हैं। चूंकि प्राप्तियों से केवल 1206 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं इसलिए योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 450 करोड़ रुपए की कमी रह जाएगी।

महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेल परिचालनों और रेल की वित्तीय स्थिति में सुधार करना रेल प्रणाली तथा राष्ट्र के दीर्घकालीन हितों में होगा। रेल योजना के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना अति आवश्यक है जिसके लिए यह जरूरी है कि निवेशों की बढ़ती लागत के साथ-साथ टैरिफ को भी आवश्यक रूप से बढ़ाया जाए। माल यातायात के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। दरअसल, माल भाड़ा पहले से ही उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां कोई और बढ़ोतरी करने से अर्थव्यवस्था तथा रेल उपयोगकर्ताओं पर भारी बोझ पड़ेगा। इससे परिवहन क्षेत्र में रेल के हिस्से को गंवाने का जोखिम है, जो रेलवे और देश दोनों के लिए अवांछनीय है। इसके विपरीत यात्री सेवाओं के किराए इतने कम रखे गए हैं कि उनके लिए माल यातायात आमदनी से क्रॉस सब्सिडाइजेशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। मूल्य निर्धारण की ऐसी पद्धति को ज्यादा नहीं बनाए रखा जा सकता है। मैं कभी भी, साधारण रेल यात्रियों के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता के महत्व को नकार नहीं सकता। इस मानवीय पहलू को मद्देनजर रखते हुए मैं मजबूरी में यात्री यातायात के विभिन्न दर्जों के किरायों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

द्वितीय श्रेणी (सामान्य) का किराया 50 कि.मी. के लिए 1 रुपया, 51 कि.मी. से 100 कि.मी. के लिए 2 रुपये, 101 कि.मी. से 300 कि.मी. के लिए 3 रुपये और 301 कि.मी. से आगे के लिए 5 रुपए बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस श्रेणी के 80 प्रतिशत यात्री 1 से 50 कि.मी. तक की यात्रा करते हैं और वे केवल एक रुपए अधिक का भुगतान करेंगे।

प्रथम श्रेणी (सामान्य) और स्लीपर श्रेणी (सामान्य) का किराया 750 कि.मी. तक की दूरी के लिए 5 रुपए, 751 कि.मी. से 1500 कि.मी. की दूरी के लिए 10 रुपए और इससे आगे की दूरी के लिए 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन श्रेणियों के 90 प्रतिशत यात्री 750 कि.मी. तक की यात्रा करते हैं और उन पर केवल 5 रुपए अधिक का भार पड़ेगा।

महानगरों में दैनिक यात्री उपनगरीय सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं और उनमें से अधिकांश निम्न आय वर्ग के हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव मासिक सीजन टिकटों के किरायों में 50 कि.मी. तक की यात्रा के लिए सिर्फ 5 रुपये, 51 से 100 कि.मी. की दूरी के लिए 10 रुपये और 100 कि.मी. से अधिक की दूरियों के लिए 15 रुपये की बढ़ोत्तरी करने का है। चूंकि सीजन टिकट धारक यात्री आम तौर पर एक महीने में 50 यात्राएं करते हैं और लगभग 80 प्रतिशत दैनिक यात्री 50 कि.मी. तक की यात्रा करते हैं, अतः उनके मामले में यह वृद्धि 10 पैसे प्रति यात्रा होगी।

महोदय, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में मामूली वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। द्वितीय श्रेणी में 500 कि.मी. तक की दूरी के लिए 5 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जो क्रमशः बढ़ते हुए 2501 कि.मी. से अधिक के लिए 25 रुपए होगी। इसी प्रकार, शयनयान दर्जे में यह वृद्धि 10 से 45 रु० तक होगी। इस तथ्य

को ध्यान में रखते हुए कि कम आय वाले वर्ग लंबी दूरी की यात्राओं के लिए इन्हीं दो श्रेणियों का उपयोग करते हैं, इस वृद्धि को न्यूनतम रखा गया है। ऊंची श्रेणियों के किरायों में भी वृद्धि की जा रही है - प्रथम श्रेणी मेल/एक्सप्रेस और वातानुकूल कुर्सीयान श्रेणी में 20 से 60 रुपये तक, वातानुकूल 3-टियर में 40 से 120 रु०, वातानुकूल 2-टियर में 60 से 180 रुपये तक और वातानुकूल प्रथम श्रेणी में 180 से 540 रुपये तक। वातानुकूल 3-टियर श्रेणी में भी अब बिस्तर की सप्लाई निःशुल्क की जाएगी।

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों के किरायों में 20 प्रतिशत वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

मेट्रो रेल कलकत्ता के किरायों में 1 कि.मी. से 5 कि.मी. की दूरी के लिए 1 रुपये, 6 कि.मी. से 10 कि.मी. की दूरी के लिए 2 रुपये और 10 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए 3 रुपये तक की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। एमआरटीएस, चेन्नई के संबंध में, मेरा प्रस्ताव द्वितीय श्रेणी में 50 पैसे का मौजूदा अधिभार बढ़ाकर 1 रुपये यात्री करने का है। प्रथम श्रेणी में यह अधिभार 2 रुपये प्रति यात्री होगा।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए सभी श्रेणियों के लिए यह प्रभार 5 रुपए बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए भी अतिरिक्त चार्ज वर्तमान 5 से 25 रुपए से बढ़ाकर 10 से 50 तक रुपए करने का प्रस्ताव है।

प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 3 रुपए निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, अखबारों और पत्रिकाओं की पार्सल किराया दरें कई वर्षों से संशोधित नहीं की गई हैं। पत्रिकाओं की पार्सल किराया दरें अब 20 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है परंतु अखबार इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी अन्य वस्तुओं के लिए पार्सल एवं सामान की दरें 5 प्रतिशत का प्रस्ताव है। पूरी रेक में ढोये जाने वाले केले के यातायात को संशोधित दरों पर मौजूदा छूट दी जाती रहेगी।

जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ मालभाड़ा दरों के संबंध में इस समय कोई सामान्य वृद्धि करने की गुजांइश नहीं है। मेरा प्रस्ताव इसमें केवल कुछ मामूली फेरबदल करने का है, जिसमें कुछ मामलों में मामूली वृद्धि होगी और अन्य में कुछ कमी की जाएंगी।

मेरा प्रस्ताव, छोटी दूरियों के लिए कोयले की माल भाड़ा दरों में मामूली संशोधन करने का है - जिससे 500 कि.मी. तक की विभिन्न दूरियों के लिए 2 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। 501 से 1500 कि.मी. तक कोई वृद्धि नहीं होगी तथा 1501 कि.मी. से ऊपर 1 प्रतिशत की कमी होगी। इस समय प्रभार के लिए अपेक्षाकृत निम्न वर्गीकरण का लाभ प्राप्त कर रहे लौह अयस्क, मैंगनीज तथा अन्य सामान्य अयस्कों, टिम्बर, कास्टिक सोडा, सोडा क्षार और अपरिष्कृत रबड़ के वर्गीकरण को एक दर्जा ऊपर करने का प्रस्ताव है।

इस्पात उद्योग को राहत देने के लिए लोहे अथवा इस्पात का गाड़ी भार वर्गीकरण श्रेणी 230 से घटाकर 210 और माल डिब्बा भार का वर्गीकरण 250 से घटाकर 230 किया गया था। यह राहत जारी रहेगी।

मध्यम और लंबी दूरियों के लिए रेल दरों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मेरा प्रस्ताव कोयले, सीमेंट, लोहे तथा इस्पात की दरों के टेपर में इस प्रकार संशोधन करने का है। जिससे अधिक दूरियों की दरों में लगभग 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कमी होगी। मुझे यकीन है कि इससे न केवल मूल क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र रेलों को और अधिक यातायात देने में समर्थ हो सकेंगे।

उद्योग और कृषि को और अधिक राहत देने के उद्देश्य से, चूना/पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम के वर्गीकरणों में एक श्रेणी की कमी करने का मेरा प्रस्ताव है।

खाद्यान्न, खाने का नमक, यूरिया, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि जैसी कुछ वस्तुओं की मालभाड़ा दरों को विगत में वृद्धि से मुक्त रखा गया है। आम आदमी और कृषि क्षेत्रों को राहत देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि इन रियायतों को जारी रखा जाए।

महोदय, रेलें सुनिश्चित और बड़ी मात्रा में अतिरिक्त यातायात पर छूट देने की योजना पर भी विचार कर रही है। मुझे आशा है कि इस योजना का स्वागत किया जाएगा।

महोदय, ये सभी प्रस्ताव 20.06.1998 से लागू होंगे और चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान इनके द्वारा 450 करोड़ रुपए जुटाए जाने की आशा है ताकि कम-से-कम रेलों की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। माल यातायात द्वारा यात्री सेवाओं के क्रॉस-सब्सिडाइजेशन की मात्रा को सीमित करने की सही दिशा में यह एक छोटा सा कदम है।

महोदय, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे स्वतंत्र भारत के स्वर्ण जयंती वर्ष में रेलवे बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है तथा मेरा मनोबल बढ़ाया है। समय-समय पर उचित मार्गदर्शन देने के लिए मैं उनका आभारी हूँ। भारतीय रेल एक विशाल संगठन है जो अपनी मूल्यवान परंपराओं से शक्ति प्राप्त करता है। मुझे विश्वास है कि इस शक्ति और सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों द्वारा सर्वोत्तम प्रयास के उनके देशभक्तिपूर्ण संकल्प के साथ भारतीय रेल इस महान देश और इसकी जनता के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी।

भारतीय रेल के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करता हूँ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट 1998-99 को सदन में संस्तुत करता हूँ।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.10 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 1995-96

श्री नीतीश कुमार : मैं 1995-96 के लिए बजट, (रेल) के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ.....*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 246/98]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं विरोध में सभा से बाहर जाता हूँ।

अपराह्न 1.12 बजे

(इस समय श्री पी.सी. थामस सभा भवन से बाहर चले गए)।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, हम विरोध में सभा से बाहर जाते हैं।

(इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

अपराह्न 1.13 बजे

वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (संख्यांक-2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 29.9.1998 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 1.13½ बजे

[अनुवाद]

वित्त (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 247/98]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : गैर-सरकारी सदस्यों को सरकारी दीर्घा में सभा के अधिकारियों से बात नहीं करनी चाहिए। यह सभा के नियमों के विरुद्ध है।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.31 बजे

मध्याह्न भोजन के उपरान्त लोक सभा अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री चेनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुए]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक*

सभापति महोदय : श्री सुरजीत सिंह बरनाला विधेयक को सभा की अनुमति के प्रस्ताव को पेश करेंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा जहाज और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 29.9.1998 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.31½ बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 247/ए/98]

अपराह्न 2.32 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

डाक डी में पोखरन में किए गए आणविक परीक्षण के बारे में चर्चा-*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वैको।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : सभापति महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम 193 में डिस्कशन चल रहा है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, नियम 376 के अधीन। प्रश्न बहुत साधारण है। आज के समाचार-पत्रों में छपा है कि त्रिणमूल कांग्रेस ने सरकार को अपना समर्थन स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि बीजू जनता दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या इस सरकार को बहुमत प्राप्त है या नहीं? उन्हें कम से कम इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। समर्थन वापस लेने की इस तरह की खबरें प्राप्त हुई हैं। हम संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकार को समर्थन प्राप्त है या नहीं?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वैको बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं और मंत्री भी मौजूद हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह हो सकता है इसके लिए वे मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हों।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं और एक मंत्री भी मौजूद है।

.....*(व्यवधान)*

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : आप मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए।.....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : कोई सवाल नहीं है, स्वामी जी आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है।.....*(व्यवधान)* आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले नहीं हैं।.....*(व्यवधान)* इस देश के अंदर एक यह स्वामी हैं और एक बाहर स्वामी हैं।.....*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप दोनों को नमस्कार करते रहिये नहीं तो आपकी हालत खराब हो जायेगी.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : महोदय, मैं नियम 376 (2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

> "औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा।"

कल, विपक्ष के नेता के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया था कि दोनों ही प्रस्ताव एक साथ लिए जाने चाहिए।

श्री वैको (शिवकाशी) : जब मुझसे बोलने को कहा गया है तो आप कैसे बोल सकते हैं? सभापति महोदय ने मुझसे बोलने को कहा है।

श्री आर.एस. गवई : मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं तो केवल अपने व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब डिस्कशन शुरू हो गई है और डिस्कशन के बीच में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब डिस्कशन बंद हो जाये या ईल्ड करें तब आप बोल सकते हैं। अभी डिस्कशन शुरू हो गई है।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई : महोदय, वे बोलने के लिए खड़े हैं लेकिन उन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है।

सभापति महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री वैको : सभापति महोदय.....*(व्यवधान)*

श्री आर.एस. गवई : महोदय, यदि वह अपना भाषण दे रहे हैं तो मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या होगा ?

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री आर.एस. गवई : कृपया मुझसे नाराज न हों और आप अपना निर्णय इसके पक्ष या विपक्ष में दे सकते हैं। नियम 376 (2) के अनुसार :

"औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा।"

मद संख्या 23 में कहा गया है :

"श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 27 मई, 1998 को पोखरन में हाल ही में किए गए नाभिकीय परीक्षणों के बारे में उठाई गई चर्चा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा 27 मई, 1998 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर आगे चर्चा।"

कल विपक्ष के माननीय नेता ने पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों का मामला उठाया था। अब इन दोनों पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिए अर्थात् भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों के संबंध में प्रस्ताव इनके अनुरूप होना चाहिए अन्यथा यह एक पक्षीय प्रस्ताव रह जाएगा। कल सभा द्वारा लिए गए विनिर्णय के अनुसार इस प्रस्ताव के अंत में हम "और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों" को जोड़ सकते हैं। सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इन दोनों प्रस्तावों को एक साथ ही लिया जाए लेकिन इस समय इसे एक अलग प्रस्ताव के रूप में लिया जा रहा है।

श्री वैको : महोदय, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि सभा के समक्ष और कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : सदन के सामने कोई मोशन नहीं है।.....*(व्यवधान)* केवल प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमैंट के ऊपर यहां चर्चा हो रही है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 193 पर कल चर्चा चल रही थी कि तभी सूचना आई कि पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया है। यह बहस कल ही समाप्त होनी थी लेकिन अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब जो वक्ता रह गये हैं, वे इन नई परिस्थितियों में अपने विचार रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई : महोदय, इस प्रस्ताव की विषयवस्तु पोखरण में हाल ही में किए गए नाभिकीय परीक्षणों के बारे में है। पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में क्या कुछ करना है, यह चर्चा में आना चाहिए। यह यहां बहुत तर्कसंगत है।

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : उसी संदर्भ में यह बहस चल रही है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आप बोलें तो उस वक्त आप अपनी स्पीच में इसे मैंशन कर सकते हैं। यह नई परिस्थितियां हैं और उन्हीं के लिए एक दिन और बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

श्री वैको : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री आर.एस. गवई : आप अपना भाषण शुरू करें और मैं उसके बाद अपना भाषण दूंगा।

श्री वैको : सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बलूचिस्तान के प्रांत चगई में कल 3.46 बजे पाकिस्तान द्वारा किये गये परमाणु परीक्षणों तथा पाकिस्तानी सरकार द्वारा बाद में की गई कार्रवाई और अपनाये गये रुख, विशेषकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्री नवाज शरीफ के आक्रामक भाषण या वक्तव्यों ने भारत द्वारा पोखरण में 11 तथा 13 मई को हुए परमाणु परीक्षणों को सही ठहराया है।

कल इस्लामाबाद में हमारे उच्चायुक्त श्री सतीश चन्द्र को रात को 2.10 बजे जगाया गया और उन्हें विदेश कार्यालय बुलाया गया। वहां उन्हें बताया गया है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। हमारे उच्चायुक्त ने इस बात को निराधार और विद्वेषपूर्ण बात कह कर मानने से इंकार कर दिया।

हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान के इस बयान पर इसी प्रकार की राय प्रकट की और इसे निराधार और विद्वेषपूर्ण बताया। इधर परीक्षण किये गये और उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति, श्री रफीक तरार ने इसे पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बाहरी आक्रमण का खतरा बताकर आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी।

[श्री वैको]

इसके बाद घटनाक्रम में बहुत तेजी आ गई और पाकिस्तानी अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने सूचित किया कि पाकिस्तान के पास शत्रु द्वारा किये गये दुःसाहस को करारा जवाब देने के लिए लम्बी दूरी तक मार करने वाली ''गौरी'' मिसाईल को परमाणु शीर्ष से लेस किया जा रहा है।

जब आप इन सब बातों की ओर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने इस परमाणु बम को एक रात में तैयार नहीं कर लिया होगा। वे इसे कई वर्षों से बना रहे होंगे। श्री नवाज शरीफ ने स्वयं इस बात को कहा कि उन्होंने 1974 से इस बम को बनाना शुरू कर दिया था।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान 'इस्लामी' बम के जन्मदाता कहलाने वाले डॉ० अब्दुल कादिर खान के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने 1 मार्च, 1987 को विदेशी पत्रकारों को एक साक्षात्कार में दिया। ये पत्रकार उस समय संयोगवश भारत में ही थे। यह साक्षात्कार 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ था। मुझे याद है कि इसके ऊपर संसद के दोनों सदनों में एक वाद-विवाद हुआ था। अपने उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था ''अमेरिका को इसके बारे में पता है और सी.आई.ए. का यह कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पास बम है।'' इसलिए, वे कई वर्षों से इसके निर्माण में लगे हैं। वे परमाणु बमों को हासिल करने की योजना बना रहे थे। वे सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे थे और कल परीक्षण कर दिये जाने के बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का ऐसी दोस्त है जो आड़े वक्त में उसका साथ देता है। पाकिस्तान चीन पर गर्व करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने परीक्षण होने से पहले ही चीन को इसके बारे में बता दिया होगा।

महोदय, इन सभी बातों, और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने अपने सभी भड़काऊ और आक्रामक भाषणों के बावजूद, आपसी बातचीत की पेशकश की है। भारत सदैव उनके साथ बातचीत करने की पेशकश करता रहा है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तानी सरकार केवल एक शर्त पर बात करने के लिए तैयार हैं और वह शर्त यह है कि कश्मीर का मुद्दा पहले निपटाया जाये, तभी अन्य बातों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। वे तो हमारे देश में आई.एस.आई. के द्वारा संचालित आतंकवादी कार्यवाहियों हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के पाकिस्तान के नृशंसतापूर्ण प्रयासों के बारे में भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम कश्मीर को किसी व्यंजन की भांति तश्तरी में रखकर सौंपने के लिए तैयार हैं?

कल हमारे माननीय गृह मंत्री अमरीकी कांग्रेस की आंतकवाद और अपारम्परिक युद्ध संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे थे। यह रिपोर्ट 'जेन्स डिफेंस वीकली' के संपादक श्री योसेफ बोदोन्स्की द्वारा तैयार की गयी है। श्री योसेफ बोदोन्स्की ने बहुत-सी पुस्तकें भी लिखी हैं। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ जो श्री आडवाणी ने कही थी। लेकिन मैं इस प्रलेख से वह उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस समय बहुत प्रांसगिक होगा। मैं उद्धरित करता हूँ :

> ''यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तानी सरकार ने वीरतापूर्वक अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया है। .. ..पाकिस्तान अपनी इस परमाणु क्षमता के द्वारा भारत पर करारा वार करने की स्थिति में है। अपनी पारम्परिक सैन्य शक्ति की किसी भी कमी को परमाणु शक्ति के द्वारा दूर करना पाकिस्तान की परमाणु रणनीति का मूल आधार है।''

फिर वही कश्मीर का मुद्दा सामने आता है। चीफ सीनेटर काजी हुसैन अहमद ने कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार से भारत के खिलाफ जिहाद् छेड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा :

> ''आओ हम कश्मीर के लिये 'जिहाद' छेड़े। परमाणु शक्ति सम्पन्न पाकिस्तान ही भारत को भारी पैमाने पर युद्ध छेड़ने से रोक पायेगा।''

अब हमें पता है कि पाकिस्तान का ऐजेंडा क्या है। जब उन्होंने घोषणा की है कि उन्हें एक जिहाद छेड़नी चाहिए। तो वाद-विवाद के दौरान पाकिस्तान की संसद में इसका सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। आज पाकिस्तान में सभी राजनैतिक दल नवाज शरीफ सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का समर्थन कर रहे हैं। वे अपनी संसद में इस पर एकमत हैं। लेकिन हम एकमत नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ। यही बात श्री चिदंबरम ने भी कही थी कि हम एकमत नहीं है। निश्चित रूप से हम संसद में भी एकमत नहीं हैं। राजनैतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन भारत की जनता इस मुद्दे पर एकमत है। वे सरकार के साथ है। यह एक सच्चाई है। हम सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। इस देश की जनता गर्व के साथ अति प्रसन्न है। वे खुशी, विश्वा और गर्व से अभिभूत है। यह एक सच्चाई है। लेकिन ये सब इस संसद में दिखाई नहीं पड़ती। इस समय हमें एक होना है। हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है।

महोदय, यदि मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तहे दिल से, बधाई न दूं तथा उनकी प्रशंसा नहीं करूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने कर्त्तव्य निवर्हन में कहीं चूक कर गया हूँ।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको : मैंने अभी-अभी बोलना शुरू किया है और आप घंटी बजा रहे हो।

[हिंदी]

सभापति महोदय : 20 मिनट हो गये हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको : हमारे वैज्ञानिक अपनी इस शानदार उपलब्धि के लिए हर प्रकार के सम्मान के हकदार हैं। इस देश का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। यह चिंता करने का समय नहीं है। क्योंकि इतिहास श्री अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिये

हरी झण्डी दिखाने के लिये यह सही, साहसिक, दूरदर्शितापूर्ण और प्रशंसनीय निर्णय लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने इस परमाणु परीक्षण के लिए अपनी स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग किया है। मैं डॉ० चिदम्बरम के साक्षात्कार से उद्धरण देना चाहूंगा। यह साक्षात्कार 5 जून को फ्रंट लाईन पत्रिका में छपा था। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा था "हमने एक परीक्षण किया है जिसमें विस्फोटक विधियों की संपूर्ण श्रृंखला है। हम कह सकते हैं कि हमने सभी किस्म के तरीके इस्तेमाल किये हैं। जिनमें उन्नत डिजाइन की परमाणु विखण्डन विधि, एक थर्मोन्युक्लियर तरीका आदि शामिल है।"

मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ने यह तरीका इस्तेमाल किया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको : मुझे सरकार की ओर से बोलना है। मुझे कई प्रश्नों को उजागर करना है।

सभापति महोदय : इस चर्चा में अभी बहुत से सदस्यों को भाग लेना है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जितने सदस्य अभी तक बोले हैं, आपने उनको आधे घंटे से लेकर पचास मिनट तक दिए हैं।

सभापति महोदय : इसे आज ही समाप्त करना है।

श्री मदन लाल खुराना : ठीक है आज ही समाप्त करना है, इन्हें थोड़ा समय और दे दें।

[अनुवाद]

श्री वैको : हमारी प्रौद्योगिकी एक स्वदेशी प्रोद्योगिकी है। एक राजनीतिक विश्लेषक और सी.आई.ए. भूतपूर्व निदेशक, ने कल बताया कि पाकिस्तानी उपकरण चीनी प्रौद्योगिकी से बने हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कल अपने भाषणों में बताया था कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है। विशेषकर माननीय श्री चिदम्बरम ने कहा, "चीन से कोई खतरा नहीं है और सरकार ने खतरे को पैदा करने के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज को मोहरा बनाया है।" उन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पांचवे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों का उल्लेख किया। मैं पांचवें प्रतिवेदन से उद्धरण करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है :

> "चीन के भारत के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि में एक प्राथमिक सुरक्षा चुनौती बने रहने की संभावना है। मिसाईल क्षमताओं की बढ़ोत्तरी पाकिस्तानी मिसाईल कार्यक्रमों के लिए बहुत ही सहायक तथा भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।"

माननीय श्री इंद्रजीत गुप्त उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये सब प्रतिवेदन एक ही बात को दर्शाते हैं कि चीन की ओर से भारत की सुरक्षा को खतरा है।

माननीय श्री नटवर सिंह ने 1962 के युद्ध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा था :

> "इन 2000 वर्षों में केवल एक युद्ध हुआ है और इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि यह युद्ध क्यों हुआ।"

माननीय चिदंबरम ने उन परिस्थितियों का भी विवरण दिया। जिनके कारण यह युद्ध शुरू हुआ था और ये परिस्थितियां आज भी विवाद के घेरे में हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शांति के दूत पंडित नेहरू चीन के साथ शांति करने के पक्ष में थे।

उन्होंने बैनदुंग में पंचशील के नारे का महत्व समझाया। हम सैन्यीकरण के पक्ष में नहीं है। हम हथियारों के निर्माण के पक्ष में नहीं है। हमारे सभी संसाधनों का उपयोग उद्योग, कृषि का विकास करने तथा संपन्नता लाने की ओर था। लेकिन क्या हुआ ? 1962 में, जब उन्होंने हमारी सीमा को पार कर लिया था और उनकी तोपें केनन रोड़ पर दागी जा रही थी, नेहरू का संसार टूट-टूट कर बिखर गया। वह बहुत ही निराश हो गये थे। उनके सारे सपने टूट-टूट कर चूर-चूर हो गये। इसी सदन में 8 नवम्बर 1962 को अपने भाषण में उन्होंने कहा था "चीन ने हमें धोखा दिया है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए थे।" महोदय यदि हमने उस समय स्वयं को तैयार कर लिया होता तो वे हमारी सीमा को पार नहीं कर पाते।

महोदय इसी प्रकार बम बनाने का या परमाणु शस्त्रों को रखने का अभिप्राय केवल आक्रमण करना नहीं होता है। लेकिन यह आने वाले खतरे को रोकने में काम आयेगा। उदाहरण के लिए अब तक हुये युद्धों को लीजिये, 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराये गये उसके बाद कई युद्ध लड़ गये किंतु कोई भी दो परमाणु शक्तियां आपस में नहीं लड़ी। युद्ध या तो केवल परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के बीच हुये, या परमाणु शक्ति सम्पन्न और परमाणु शक्तिविहीन शक्तियों के बीच हुये।

1962 में हमें अपने एक पड़ोसी के साथ कुट अनुभव हुआ। हम आज चीन के साथ अपने संबंध चाहते हैं लेकिन साथ ही आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते तब तक शांति संभव नहीं है।

महोदय, आप सम्राट अशोक का उदाहरण लीजिए। कलिंग की लड़ाई के बाद वह शांति के दूत बन गये थे। कलिंग की लड़ाई के पश्चात् देश में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। किसी ने इस देश की तरफ देखने का साहस नहीं किया। कलिंग की लड़ाई में उसने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। इसी प्रकार से हमें स्वयं को तैयार रखना है। यही एक उपाय है। एक देश सुस्थापित रूप में परमाणु शक्ति है तथा दूसरा देश छिपे रूप में परमाणु शक्ति है। हमारी सरकार ने बिल क्लिंटन को यही संदेश दिया। इसमें कुछ बुराई

[श्री वैको]

नहीं है। यही सच्चाई है हमें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। हम आत्मप्रवचना की नीति का अनुपालन नहीं कर सकते।

अतः, जब वे देश काफी ताकतवर हैं और दुर्भावना रखते हैं तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा और अपनी शक्ति को सिद्ध करना होगा।

हम विश्व में शांति चाहते हैं। इसके लिए हमने ही 1954 में पूर्ण-निरस्त्रीकरण तथा पुनः 1965 तथा 1988 में परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के लिए पहल की। इस दिशा में पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हमने ही प्रयास किया है। हमने पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया है।

आइये, हम इस दिशा में भी कदम उठाये। हम जैव हथियार समझौते और रासायनिक हथियार समझौते का पहले ही अनुमोदन कर चुके हैं। हम वही कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमें अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना होगा। महोदय मैं देश के बारे में तिरूवल्लुवार की एक कुरल उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

''पडाई-वुडी कूझ एमेतोउ नाप्तू
अराना अरूम उडायाम आरासाकल एर''

देश के शासन, सेना, धन-संपत्ति जनता, मंत्रीपरिषद्, मित्रो और शत्रुओं के बारे में वह लिखते हैं। यदि किसी राजा के पास सभी चीजें हैं तो वह राजाओं में शेर के समान है। अतः सबसे पहली आवश्यकता है 'सेना'। अतः आपको अपनी ताकत का परिचय देना पड़ेगा। यदि आप ताकतवर नहीं हैं, तो आप शांति स्थापित नहीं कर सकते।

महोदय, लोग वियतनाम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बारह वर्षों तक वियतनाम ने लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें उसके सिर पर चीन और सोवियत गणराज्य का हाथ था। अगर उनके पास एक बम होता तो अमेरिका तक भी उनके साथ 20 मिनट से ज्यादा नहीं लड़ पाता।

अतः हमें इस घातक हथियार से सुसज्जित होना होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि परमाणु युद्ध का खतरा है। हमारे पड़ौसी के पास पहले से ही परमाणु हथियार है। क्या आप वह भूल गये हैं कि उन्होंने सारी प्रौद्योगिकियां पाकिस्तान को दी है? उनका 'गौरी' प्रक्षेपास्त्र 6 अप्रैल को छोड़ा गया था। वह सावधान करने वाला संकेत था। और फिर पाकिस्तान 'गजनवी' प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने शरारतपूर्ण ढंग से अपने प्रक्षेपास्त्रों का नाम ''गौरी' और 'गजनवी' रखा है। उनके पास बम पहले से था। उनके पास बम पहले से थे, परंतु उसका परीक्षण उन्होंने अभी किया है।

अब हमने विश्व को दिखा दिया है कि हम भी परमाणु शक्ति हैं। परमाणु हथियार सम्पन्न देशों में है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम हथियारों की दौड़ में शामिल हो रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि हमने हथियारों की दौड़ शुरू कर दी है।

अपराह्न 3.00 बजे

इस्लामाबाद में जो कुछ कहा जाता है हमें वह नहीं दोहराना चाहिए। हमनें इसकी शुरूआत नहीं की है। उनके पास पहले से ही हथियार है। हम किसी प्रकार के खतरे से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अब, हमारी स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। अतः हमने सरकार द्वारा दिए गए दस्तावेज में यह स्पष्ट कर दिया है। कार्लेगना में हुए गुट-निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री-स्तर की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया गया.....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। छोटे दलों को चर्चा के अंत में समय नहीं मिलता।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ० एम. तम्बी दुरई) : श्री वैको छोटे दलों में से ही किसी दल से हैं।

श्री पी.सी. थॉमस : श्री वैको का दल मेरे दल से कहीं बड़ा है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री.पी.सी. थॉमस : छोटे दलों को चर्चा के अंत में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए समय नहीं मिलता। श्री वैको के दल को लगभग आधा घंटा दिया गया है। मैं इसका आभारी हूँ। मेरा कहना यह है कि जब उन्हें आधा घंटा दिया जाता है तो मेरा दल, जो उनके दल का तिहाई है, को एक-तिहाई समय दिया जा सकता है। अन्यथा मुझे सत्र के अंत तक समय नहीं मिलेगा। पिछली बार मैंने सिर्फ दो मिनट तक बड़ी जल्दबाजी में बोला।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह सभापति के निर्णय पर छोड़ दिया गया है।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : उन्होंने एक सुझाव दिया है। उनके सुझाव पर ध्यान दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : उनका सुझाव नोट पर लिया गया है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल है।

श्री वैको : भारत उन देशों में था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मुद्दे पर अपील की थी कि हर देश पर यह जिम्मेदारी है कि वह इस सद्भावना से कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में परमाणु निरस्त्रीकरण का पालन करे।

सभापति महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वैको : मैं केवल दो मिनट लूंगा। तथाकथित ये पांच परमाणु शक्तियां परमाणु हथियारों का अपना जखीरा नष्ट करने के लिये तैयार नहीं है। यही बात है। सभी भण्डार अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जाने चाहिये। इसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल की जाये। हमारे पास सभी नैतिक अधिकार हैं। आइये, हम दृढ़ता से कहें कि सभी परमाणु हथियार नष्ट किये जायें, सभी आयुधशालाएं नष्ट की जायें। आइये इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पहल करें।

इसी के साथ ही हमारे पड़ौसी-देशों से हमारी सुरक्षा के खतरे अथवा चुनौती को देखते हुये, हमें अपने आपको ताकतवर और सक्षम बनाना चाहिये। इस क्षण हम सबको एकजुट हो जाना चाहिये।

मैं इस समय माननीय सदस्यों राजनैतिक दलों के नेताओं से राजनैतिक सीमाओं से निकलकर और सरकार के समर्थन देने की संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलने की अपील करना चाहूंगा। मैंने संसद के दोनो सदनों में वर्ष 1974 में हुये सभी वाद-विवाद का अध्ययन किया है। उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यहां तक कि उस समय श्रीमती गांधी के विरुद्ध किसी ने व्यंग्यपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं किया। सभी दलों ने श्रीमती गांधी को अपना समर्थन दिया। वर्ष 1971 में, जब बंगलादेश युद्ध के बारे में विवाद था, जब दूसरे देश पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिये हमारी निन्दा कर रहे थे, तो उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही श्रीमती गांधी का भारत की दुर्गा के रूप में अभिवादन किया था। निःसन्देह, वह उस समय एक राजनैतिक युद्ध लड़ रही थी। हमारा ऐसा दृष्टिकोण रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने 30 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री वैको : मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपने 1983 में इसकी कोशिश की थी। भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री वेंकटरमन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने एक पत्र में लिखा है - यह सर्वविदित है कि वे परीक्षण के पक्ष में थे और उन पर ऐसा न करने के लिए दवाब डाला गया था। क्या यह सत्य है कि जब श्री नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो भारत सरकार ने परीक्षण करने का प्रयत्न किया था। अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, चूंकि उनके जासूसी उपग्रह ने इसका पता लगा लिया था कि पोखरण में कुछ चल रहा है और उन्होंने इसका विरोध व्यक्त किया था। तभी उन्होंने परीक्षण करने का विचार त्याग दिया।

क्या यह सच है। अभी तक उनकी ओर से इस संबंध में मना नहीं किया गया है। आपने 1983 में और 1995 मे परीक्षण करने का पुनः प्रयास क्यों किया था। आनने किन कारणों से परमाणु विकल्प को बनाये रखा था ? वे कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। पहली पीढ़ी के वैज्ञानिकों का ज्ञान अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों के पास जाना चाहिये। इस प्रयोजनार्थ श्री वाजपेयी ने अनुमति दे दी है। यह मुद्दा था। उन्होनें आंकड़े इकट्ठे किये हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी से हमने अपने परीक्षण किये हैं। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

.....(व्यवधान)

श्री वैको : ऐसी स्थिति में, मैं यहां उपस्थित सभी सदस्यों और राजनैतिक दलों से सरकार का समर्थन करने की अपील करता हूँ। इस मुद्दे पर हम सब एक हैं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिये गये निर्णय की प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : सभापति महोदय, 11, 13 और 28 मई 1998 के दिन को उप महाद्वीप के इतिहास में दुःखद दिनों के रूप में याद किया जायेगा। भारत और पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बिना सोचे समझे और प्रतिस्पर्द्धी परमाणु परीक्षण करके त्रासदीपूर्ण हथियारों की दौड़ शुरू कर दी है।

हमारी ओर से पिछले वक्ता द्वारा पोखरन परीक्षण के कारणों और समय के संबंध में प्रश्न किया गया है। इसका अभी तक कोई समुचित जवाब नहीं आया है। गत पचास वर्षों से भारत सुस्पष्ट परमाणु नीति का अनुसरण करता रहा है, जो राष्ट्रीय सहमति पर आधारित थी जिसके अनुसार परमाणु हथियार के विकल्प को खुला रखा गया है। अतः हमारे पास यह विकल्प था कि इस बारे में संयम बरता जाए अथवा इस विकल्प का प्रयोग किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर इस माह की 11 तारीख तक, सभी आने वाली सरकारों और सभी प्रधानमंत्रियों ने इस विकल्प के बारे में संयम बरता। यदि इस विकल्प को बनाये रखने और इसका प्रयोग करने में से किसी एक का चुनाव का प्रश्न था, तो विकल्प बनाये रखना अधिक मुश्किल था। मेरे विचार में इसका श्रेय उन सरकारों को जाता है, उन प्रधानमंत्रियों को श्रेय जाता है जिन्होंने इस संबंध में संयम बरतने जैसी अधिक मुश्किल स्थिति का चयन किया। रोमांचकारी कार्य के कारण बहुत आसान हैं। मुझे पता नही कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और उसके लिये श्रेय कहां है और पिछले प्रधानमंत्रियों द्वारा विकल्प का प्रयोग क्यों नहीं किया। आखिरकार, हमारे पास क्षमता है।

1964 में ही डॉ० होमी भाभा ने घोषणा कर दी थी कि भारत केवल 18 माह में परमाणु बम बना सकता है। फिर भी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग में व्याप्त उल्लासोन्माद के बावजूद, प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने काफी शालीनता से यह स्वीकार किया है कि उनकी जो भी उपलब्धि रही वह बी.जे.पी. नेतृत्व सरकार के पचास दिनों का परिणाम नहीं है। बल्कि वह पिछली सरकारों द्वारा अनुसरण की गई नीति के परिणामस्वरूप ही प्राप्त की जा सकी है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा :

> "सन् 1974 में हमने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। हमारे बाद जो सरकारें आई उन्होंने भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के उस संकल्प को और राष्ट्रीय इच्छाशक्ति को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठायें।"

मुझे प्रधानमंत्री जी की प्रंशसा करनी चाहिये। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोगों ने इसके 'हिन्दू-बम्ब' होने का दावा किया है; इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोगों ने इसे 'गौरव-दिवस' के रूप में मनाया, इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोगों ने पिछले प्रधानमंत्रियों को* बताया गया हालांकि मैं यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता किंतु मैं यह शब्द प्रयोग करने के लिये बाध्य हूँ। श्री वाजपेयी ने अत्यन्त निष्पक्षता के साथ यह स्वीकार किया यह पचास दिन की सरकार के प्रयासों का नहीं है, बल्कि पचास वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रयास है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

इस संबंध में, मैं पूरे सदन के साथ एकमत होते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हमारे वैज्ञानिकों, कम्प्यूटर विशेषज्ञों, इंजीनियरों और रक्षा सेवाओं में उनके सहयोगियों को पूर्णसमर्पित भाव से प्रयास करने और शानदार उपलब्धियों के लिये, सलामी देता हूँ।

महोदय मैं संयम के बारे में बात कर रहा था। पिछली सरकारें और पिछले प्रधानमंत्रियों ने संयम क्यों बरता। क्या इसलिये कि वे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिन्तित नहीं थी। क्या इसलिये कि वे सरकारें भारत की अखण्डता के बारे में कभी भी चिन्तित नहीं रही ? क्या ऐसा इसलिये था क्योंकि उन सरकारों ने हमारे रक्षा-बलों के निर्माण की कभी चिन्ता ही नहीं की ? नहीं।

जहां तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, हम इस देश की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता की रक्षा में किसी से पीछे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही विदेशी शासन से इस राष्ट्र को स्वतंत्र करवाया था। हम राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित थे। किन्तु तब हमारी सरकारों का विश्वास था कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता केवल बम रखने से ही नहीं होती। देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता की सुरक्षा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाकर, निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन करके, और लोगों को पेयजल प्रदान करके की जा सकती है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकतायें थीं।

हम धर्म-निरपेक्षता की बात क्यों कर रहे हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इस देश की प्रादेशिक अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिये किसी अणु बम से अधिक प्रभावशाली है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि उनकी सरकार सहित पिछली सभी सरकारों ने उस विकल्प को क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि "केवल अस्त्र-शस्त्र ही किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनाते। अन्यथा उत्तरी कोरिया आज एक शक्ति होता और सोवियत संघ विखण्डित न हुआ होता। मेरे तुलन-पत्र में आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण था।"

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछली सरकार ने परमाणु परीक्षण का विकल्प क्यों नहीं चुना और क्यों इस बारें में संयम बरता।

जब हम अखबार में पढ़ते हैं और जब कि अलग-अलग मंत्रियों की अलग-अलग किस्म की बातें सुनते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि परमाणु परीक्षण करने का औचित्य क्या था। इसका आधार क्या था ? क्या ऐसा किसी नीति विशेष के अंतर्गत किया गया ? क्या इसके पीछे कोई सिद्धांत था ? ऐसा कुछ भी नहीं था।

पहले भी कई परमाणु परीक्षण किये गये। पहले जब कभी भी सरकारों ने परमाणु परीक्षण किये, तो उसके पीछे उनके कुछ सिद्धांत थे उदाहरण के लिये 1974 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रथम परीक्षण करने का निर्णय लिया तो, उनका एक सीधा सा सिद्धांत था। सिद्धांत यह था कि परमाणु परीक्षण शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया गया है। यह अन्तर है वह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये था। 1974 में कांग्रेस पार्टी का और श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह सिद्धांत था।

जब फ्रांस ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तो उसका एक सिद्धान्त था। वह समानुपातिक निवारण का सिद्धांत था। जब चीन ने पहला परीक्षण किया, तो उसका उद्देश्य 'विश्व में संपूर्ण सुरक्षित वातावरण बनाना' सिद्धांत था। और उसके पीछे पहले उपयोग न करने का सिद्धांत था।

किंतु अब जब हमने इस माह की 11 और 13 तारीख को पोखरण में परमाणु परीक्षण किये हैं तो सरकार हमें यह बताने में असमर्थ है कि उद्देश्य क्या था और ये किस आधार पर किये गय। विभिन्न मंत्रियों के अभिकथनों से विशेषतया, राष्ट्रपति क्लिंटन तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों को सम्बोधित प्रधानमंत्री के पत्रों से हमें पता चला है कि इसका उद्देश्य 'पड़ौसी देशों, विशेषता दो देशों - चीन और पाकिस्तान से खतरे के विरुद्ध सुरक्षित वातावरण बनाना था। यह सिद्धांत था। क्या यह सिद्धांत है ? मैं प्रसन्न हूँ कि सरकार ने आज यह अनुभव किया कि देशों का नाम लेने का सिद्धांत अच्छा नहीं है। क्योंकि रक्षा मंत्री ने मध्याह्न भोजन से पूर्व पाकिस्तानी परीक्षण का उल्लेख किया था और यह कहा था कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण भारत को ध्यान में रखकर किये गये थे। उन्होंने इस सिद्धांत की भी आलोचना की। उन्होंने पाकिस्तान के सिद्धांत की भी भर्त्सना की, जबकि उनके अपने परीक्षण पाकिस्तान केन्द्रित और चीन केन्द्रित थे।

आज इस देश के रक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो किया वह गलत है, क्योंकि उनका सिद्धांत गलत था। सिद्धांत क्या था। सिद्धांत भारत पर केन्द्रित था।

क्या आप सोचते हैं कि विश्व हमारी बातें नहीं सुन रहा हैं, विश्व हम पर नजर नहीं रखे हुये है। क्या भारत जैसे महान देश को ऐसा व्यवहार करना चाहिये। क्या ऐसे सरकार चलायी जानी चाहिये। विश्वास मत वाले दिन, इसी सीट से मैंने विशेष रूप से अपना संदेह और चिंता व्यक्त की थी। मैंने कहा था कि मैं वाजपेयी सरकार के स्थायित्व के बारे में चिन्तित नहीं था; मैं इस बारे में अधिक चिन्तित था कि यह सरकार इस राष्ट्र पर कैसे शासन करेगी। शासन मुख्य मुद्दा था। और आज हम देखते हैं कि यह सरकार देश पर कैसे शासन कर रही है। मैं सभी मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। बहुत से मुद्दे पहले ही उठा दिये गये हैं।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मुद्दा यह है कि अब आप कह रहे हैं कि 1974 का विस्फोट एक शांतिपूर्ण विस्फोट था और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये था। आप श्री शिव शंकर द्वारा दी गयी उस टिप्पणी से इसका सामंजस्य कैसे बिठायेंगे, जो कि उन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में की गयी थी। तब उत्पन्न हुई थी जब राष्ट्रपति निक्सन ने अमरीकी युद्धपोत भेजा था। आप उस वक्तव्य को पढ़ें और अपना वक्तव्य भी पढ़ें और उसके बाद आप यह समझने की कोशिश करें कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। मेरे विचार से यही आधारभूत भ्रांति है, जिसका मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अन्य जिन मुद्दों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ वह यह है कि सी.टी.बी.टी. के बाद, एन.पी.टी. को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा देने के बाद क्या विश्व की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है, जिसमें एक परमाणु क्लब, एक शक्ति नियंत्रक संस्था बनाई गई जिसमें से भारत को स्थायी रूप से निकाल दिया जाता है और हमारे पास तो तथाकथित विकल्प को अपनाने का भी अधिकार भी नहीं है। कुछ समय बाद समझौते की पुष्टि हो जाने पर यह विकल्प भी समाप्त हो गया होता, क्या आप कृपया इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

श्री पूर्णो ए. संगमा : यदि आपको याद हो, 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार का न केवल एक सिद्धांत था, अपितु उन्होंने इस दिशा में काफी राजनयिक कार्य भी किया था। इसका निर्णय लेने से पहले श्रीमती गांधी ने न केवल राष्ट्र और संबंधित लोगों को अपितु अन्य अनेक मित्र देशों को भी विश्वास में ले लिया था। यह अंतर है। 1974 का परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये था, जबकि आप अब यह सब शस्त्रीकरण के लिये कर रहे हैं। मैं शस्त्रीकरण के साथ ही सी.टी.बी.टी. और एन.पी.टी. के प्रश्न पर आ रहा हूँ। आपने पूर्णतः उन सिद्धांतों के विरुद्ध खर्च किया है, जिन पर भारत कई वर्षों से अडिग रहा है। आपने उन सिद्धांतों को तोड़ा और उन कारण की अनदेखी की है जिसकी वजह से हमने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया था।

श्री जगमोहन : भारत शक्तियों के एकाधिकार का विरोध करता रहा है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : आपने हर कारण को अनदेखा किया है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ जरा मेरी बात सुनें। आपकी स्वयं की जानकारी के लिये, मैं शस्त्रीकरण कार्यक्रम पर आ रहा हूँ। अब जबकि ऐसा किया जा चुका है तो इसे पलटा नहीं जा सकता ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री संगमा कृपया इंतजार करें।

अपराह्न 3.25 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के स्थगन के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज सम्पन्न हुई नेताओं की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि आपके लिये निर्धारित गैर सरकारी सदस्यों के कार्य स्थगित कर दिये जायें और उन्हें 2 जून, 1998 को लिया जाये। इसी के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य 2 जून, 1998 को लिये जायेंगे।

श्रीमान् संगमा, अब आप अपनी बात जारी रखें।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, सदन को इस निर्णय से सहमत होना चाहिये।

सभापति महोदय : मेरे विचार में, यह घोषणा करना ही पर्याप्त है।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस : यदि कार्य मंत्रणा समिति सहमत हो भी जाती है, तो भी सदन को सहमत होना चाहिये।

सभापति महोदय : यह निर्णय नेताओं की बैठक में लिया गया है।

श्री पी.सी. थॉमस : सदन को इससे सहमत होना चाहिये। महोदय कृपया आप सदन का मत जान लें ताकि सदन इससे सहमत हो सके।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सदन को सहमत नहीं मान लिया जाना चाहिये। यहां तक कि यदि इस संबंध में नेताओं की बैठक में निर्णय ले भी लिया गया है तो भी इसे सदन के समक्ष रखा जाना चाहिये और सदन की राय जाननी चाहिये। यह आवश्यक है, महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या सदन की राय है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल को 2 जून को लिया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

अपराह्न 3.27 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा
डाल डी में पोखरन में किए गए आणविक परीक्षण – *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री संगमा अपना भाषण जारी रखें।

श्री पूर्णो ए. संगमा : अब जबकि देश ने अपने विकल्प का प्रयोग करने की नीति अपना ली है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इसके परिणामों का मुकाबला किस प्रकार करेगी। आप इसके विपरीत पड़ने वाले प्रभावों का सामना किस प्रकार करेंगे ? क्या आपने इस बारे में सोचा है ? कल के अनुभव के पश्चात् यह बेतुका सा प्रश्न है। कल क्या हुआ ? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी घट रहा था आपको उसकी जानकारी थी। आपको पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम के परीक्षण किए जाने के अलावा सब कुछ जानकारी थी। आपको वह नहीं मालूम था। इस देश के प्रधानमंत्री को भी दो घंटे बाद इस बात की जानकारी मिली। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इसकी जानकारी पहले मिली।

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

इसी कारण मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सरकार ने उस स्थिति का मुकाबला करने के बारे में अपनी नीति तैयार की है। इसके क्या परिणाम होंगे ? हम जानते हैं कि प्रथम परिणाम तो पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही रही है। उन्होंने इस पर सर्वप्रथम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

कल मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि, ''महोदय लोग राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं कि भारत तक परमाणु शक्ति बन गया है, इसमें गौरव की क्या बात है ? मैंने कहा, ''क्यों ? हाँ, यदि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा शक्तिशाली बन जाए तो हमें गर्व होगा किन्तु हम तो पाकिस्तान जितने शक्तिशाली बन गए हैं। कल तक हमारा देश एक ताकतवर देश था। पूरा विश्व जानता था कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी अग्रणी भूमिका थी। किन्तु आज हम बराबरी पर आ गए हैं। उनके पास भी परमाणु बम्ब है। पाकिस्तान व भारत के बीच एक अंतर है ? भारत इतना बड़ा लोकतंत्र और पाकिस्तान जितना छोटा देश बराबरी पर आ गये हैं। इसमें राष्ट्रीय गौरव की बात कहां है ?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

.....*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : यह कमजोरी का संदेश है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुर्बल व्यक्ति ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बलशाली व्यक्ति तो शक्ति का प्रदर्शन करते ही नहीं हैं। हमारी शक्ति हमारी मांस-पेशियां नहीं होनी चाहिए जिनका दिखावा भी नहीं करना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, दोनों देशों में आज यह अंतर है कि पाकिस्तान ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और हम लोकतंत्र की उत्तम परम्परा के अन्तर्गत इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह ही अंतर है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : श्री सिन्हा जी, मैंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा मत है.....*(व्यवधान)* मैं तो यह बता रहा हूं जो कि मुझे बच्चों ने बताया था। मैं तो आपको बच्चों की अवधारणा के बारे में बता रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि.....*(व्यवधान)* आपकी सरकार अच्छी है.....*(व्यवधान)*

यह एक गंभीर चर्चा है। कृपया मुझे अनुमति दें। मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : महोदय मैं एक अत्यंत सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्री संगमा जी आप बच्चों की ओर से बोल रहे हैं। हम तो आपका मत जानना चाहते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (बड़ोदरा) : जिस मामले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है.... *(व्यवधान)* बच्चों ने तो इस विषय को बहुत गौरवान्वित समझा है।.....*(व्यवधान)* इस गौरव से परे किसी भी बात को इस तरह से लेना नहीं चाहिए.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री पूर्णो ए. संगमा : सभापति जी, इसके परिणाम जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि इससे किस प्रकार परमाणु अस्त्रों की दौड़ आरम्भ होगी और इससे इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता किस प्रकार प्रभावित होगी। दूसरा इससे क्षेत्रीय सहयोग, 'सार्क' किस प्रकार प्रभावित होगा और 'सार्क' में भारत की भूमिका क्या होगी ? तीसरी बात यह है कि आज भारत, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से बिल्कुल अलग-थलग पड़ा है, अपनी राजनैतिक भूमिका किस प्रकार निभाएगा। हम उस स्थिति का मुकाबला किस प्रकार करेंगे ? अमरीका जैसे महत्वपूर्ण देशों ने भारत पर दोहरी भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। मैं उस पर आ रहा हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका भारत पर दोहरी भूमिका निभाने का आरोप किस प्रकार लगा रहा है।

श्री वैको (शिवकाशी) : क्या आप उस मत की पुष्टि करते हैं ?

श्री पूर्णो ए. संगमा : यह आपके व्यवहार पर आधारित है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : क्या कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो गये हैं ? कल शरद पवार जी ने कहा था.....*(व्यवधान)* सभापति जी, क्या कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो गया है ?..... *(व्यवधान)* कल शरद पवार जी ने कहा था कि हम एक राय देना चाहते हैं।.....*(व्यवधान)* इसका मतलब क्या है ?.....*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि इनके नेता का विरोध हो रहा है।..... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : हम वही राय देंगे।..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सिन्हा जी, रूलिंग पार्टी के लोगों को शांत रहना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप धैर्य रखिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रूलिंग पार्टी में रहकर आप थोड़ा धैर्य रखना सीख जाइये।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इतनी गंभीर बहस चल रही है। इसको आप गंभीर मत बनाइये। आप सत्ता पक्ष में है। इसलिए आपको सुनना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं एक-एक करके सभी परिणामों को बता रहा हूँ। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपके सिन्हा साहब बैठे हैं। उन्होंने जो कहा उसी का जवाब संगमा जी ने दिया है। आप धैर्य छोड़ देंगे तो यह सदन किस तरह चलेगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर सत्ता पक्ष धैर्य छोड़ देगा तो सदन कैसे चलेगा। आपको ज्यादा शांत रहना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापित महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : हमको शांत रहना चाहिए मगर सवाल यह है कि जो बात सदन के बाहर जा रही है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

.....*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : इससे हमारे पड़ौसी देशों के साथ हमारे आपसी संबंध विशेषकर चीन के साथ कैसे प्रभावित होंगे। मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार इसका समाधान कैसे करेगी। सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य पहले ही यह प्रश्न उठा चुके हैं। और मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा यहां मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वे इस देश की अर्थव्यवस्था पर इससे पड़ने वाले प्रभाव का सामना किस प्रकार करेंगे। हमें उनके बजट की प्रतीक्षा है। सामान्य बजट पर चर्चा के समय मैं इस पर और अधिक चर्चा करूंगा। लेकिन मैं श्री सिन्हा जी से यह आशा करता हूं कि वे देश को बतायें कि वे प्रतिबंधों से उत्पन्न इस चुनौती का सामना किस प्रकार करेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक हथियारों की होड़ की बात है, प्रधान मंत्री जी ने सभापटल पर रखे अपने वक्तव्य के पैरा 14 में कहा है :

> ''भारत हथियारों की होड़ में नहीं लगेगा। भारत शीत-युद्ध के सिद्धांत का समर्थन या इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देगा।''

मुझे नहीं पता कि इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा वक्तव्य कैसे दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के द्वारा पांच परमाणु परीक्षण किये जाने के बाद भी क्या यह वक्तव्य मान्य है।

अपराह्न 3.35 बजे

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह वक्तव्य मान्य है या नहीं। यदि यह मान्य है तो, मुझे यह नहीं पता है कि क्या सरकार का वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण है। आज की स्थिति क्या है? मैं इस पर सभा में संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूँ। हमें पहले से पता है कि पाकिस्तान ने हमारे परमाणु परीक्षणों के बाद क्या किया है। मैं इसका विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूँ। श्री क्लिंटन ने क्या कहा था? राष्ट्रपति क्लिंटन ने श्री नवाज शरीफ से पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ-साथ काम करने में सहायता करने की बात कही। श्री क्लिंटन ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह राष्ट्रपति क्लिंटन की प्रतिक्रिया है। अमेरिका.....*(व्यवधान)* मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे इस प्रकार व्यवधान क्यों कर रहे हैं और वह भी उस समय जब ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : इतनी गंभीर चर्चा चल रही है वह लगातार टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यदि वे यील्ड करें तो आप पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : मेरे विचार से श्री सिन्हा इसे स्पष्ट करें। श्री क्लिंटन की क्या प्रतिक्रिया थी? अमेरिका के सेक्रेटरी आप स्टेट ने क्या कहा था?.....*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : आप उन्हें इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति मडोदय : नहीं, मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : वह मान नहीं रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : हमें दो मिनट का समय दीजिए।

सभापति मडोदय : किस बात के लिए दो मिनट का समय दे। ये सीनियर मेम्बर है, स्पीकर रह चुके हैं। आपको इनकी बात सुननी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : अमेरिकी विदेश मंत्री सुश्री मेडलाईन ऐलब्राइट ने कहा है मैं उद्धृत करता हूँ। "अमेरिका पाकिस्तान की सुरक्षा के मामले में ध्यान देगा।" हमारे पास रिपोर्ट है कि अमेरिका और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में बातचीत चल रही है। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है और अब यह लगभग निश्चित है कि जिस प्रेसलर (संशोधन) अधिनियम को 1990 में रोक दिया था। उसी अधिनियम को अब पाकिस्तान को एम-16 जेट सप्लाई करने के लिए रद्द किया जा रहा है। मुझे पता है कि सरकार को इसकी जानकारी है लेकिन मैं सभा को इसकी जानकारी दे रहा हूँ। पाकिस्तान की ओर से चीन के बहुत दौरे हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या बातचीत की। लेकिन हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को अपने प्रसारण में क्या संकेत दिये। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता की प्रशंसा की। मेरे विचार से इन बातों पर देश को ध्यान देना चाहिए।

ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान भारत की परमाणु शक्ति को रोकने के लिए इस्लामी देशों से समर्थन की मांग कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के स्वयं प्रधानमंत्री श्री सुल्तान मेहमूद चौधरी का ब्रिटिश सरकार के विदेश कार्यालय और राष्ट्रमंडल कार्यालय में स्वागत हुआ है। ये वे संकेत है जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही पाकिस्तान में हो रहा है। हमें पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मेरे विचार से मुझे गृह मंत्री श्री आडवाणी की सक्रिय कार्यवाही की बात को दोहराना चाहिए। हमने उन्हें ऐसा कहते हुए कई बार सुना है। हमने कल भी सुना है। उन्होंने जिस ढंग से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

मेरे विश्वसनीय मित्र, श्री खुराना जी अब यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा है, "भारत पाकिस्तान के साथ चौथा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें समय और स्थान बताने दो फिर हम उन्हें दिखायेंगे कि भारत क्या है और मेरी सरकार क्या है।"

मैंने आपको उन सभी संकेतों के बारे में बता दिया है जो हमें मिलने चाहिये थे। अब मैं उस संकेत केन्द्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान को जा रहा था।

जहां तक हथियारों की दौड़ का संबंध है यह बहुत महत्वपूर्ण है, डॉ० फारूख अब्दुल्ला, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा "बातचीत और विचार-विमर्श का समय बीत गया है, अब हमें सख्त निर्णय लेना चाहिए।"

भारत से पाकिस्तान को यही संदेश मिल रहा था। श्री अशोक सिंघल ने 23.5.98 को कहा था, "यदि पाकिस्तान भारत में आंतकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है तो विकल्प क्या है? पाकिस्तान पर आक्रमण करना और उसे शांत करना गलत नहीं होगा।.....*(व्यवधान)* श्री प्रमोद महाजन ने कहा था, "परमाणु परीक्षण शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं होते।"

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उन्होंने क्या गलत कह दिया ? इसमें गलत क्या है ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : ठीक है, मैं विश्व हिंदू परिषद् के प्रमुख का नाम नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री पूर्णो ए. संगमा : लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

आप उद्धृत कर सकते हैं नियमों की चिंता न करें। मैं अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं नियमों को जानता हूँ।

[हिन्दी]

मैं पहले स्पीकर था।

श्री राजवीर सिंह : आप स्पीकर रह चुके हैं, इसलिए लोगों की बात सुन लिया करिये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति मडोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पूर्णो ए. संगमा : अब मैं, चीन पर आता हूँ। हम सभी जानते हैं कि चीन ने दावा किया है कि भारत ने उनके भू-भाग का 90,000 वर्ग कि.मी. भूमि पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैकमोहन रेखा अवैधानिक है। इस महीने के 14 तारीख को चीन ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा किए गए परीक्षण रोक लगाने के विश्व प्रयासों की घोर अवहेलना है और ये परीक्षण दक्षिण एशिया में दादागिरी जमाने के उद्देश्य से किए गए थे और भारत ने चीन की ओर से परमाणु खतरे का नाम लगाकर उसे बदनाम किया है। चीन से यह संदेश आया है।

अपराह्न 3.42 बजे

[श्री येरननायडू *पीठासीन हुए]*

रूस की क्या प्रतिक्रिया थी। रूस भारत को अपना सामरिक सहभागी कहता है और उन्होंने घोषणा की कि वह भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का इच्छुक है बशर्ते कि वह अन्तरांष्ट्रीय अप्रसार संधि में शामिल हो जिसमें व्यापक परमाणु संधि, परमाणु अप्रसार संधि आदि हैं।

ये ही संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहे हैं और प्रधान मंत्री कहते हैं, ''भारत हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। भारत शीत युद्ध के सिद्धांत से सहमत नहीं है या इसका सहारा नहीं लेगा।'' मैं नहीं जानता कि व इसे किस प्रकार रोकेंगे। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। सरकार जिस तरह का आक्रामक रुख पाकिस्तान के लिए अपनाए हुए है और जिस तरह का दृष्टिकोण चीन के प्रति अपना रही है - मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता जो रक्षा मंत्री ने कहा था - उनके लिए अच्छा होता यदि वे जो बात कहते हैं उसके बारे में सतर्कता बरतते। मुझे मालूम नहीं है कि इस सरकार के मंत्री बोलने के इतने शौकीन क्यों हैं। कृपया शासन के लिए उन्हें ऐसी बातें करने से रोकिए। जब वे बोलते हैं तो उन्हें ऐसा सोच समझकर करना चाहिए। भारत जैसे बड़े देश को चलाना आसान नहीं है, हम अत्यधिक परस्पर विरोधी बातें बोलने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा बहुत हो रहा है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है।

कल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेशकश की थी कि पाकिस्तान बातचीत करने का इच्छुक है और पाकिस्तान 'युद्ध न करने का समझौता' की पेशकश का इच्छुक है। वास्तव में भारत सरकार ने भी अपने आप अपनी तरफ से पाकिस्तान को कहा था कि भारत 'पहले प्रयोग न करने' का समझौता पाकिस्तान के साथ करने का इच्छुक है।

यह अच्छा संकेत है। कृपया उन्हें मनाइए। मैं पिछले नवम्बर में दक्षेश क्षेत्र के अध्यक्षों और सांसदों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में था। सम्मेलन का विषय था, 'व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क'। जब मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कुछ बुद्धजीवियों से मिला वे बहुत प्रसन्न थे। श्री जसवंत सिंह मेरे साथ थे। मुझे आप लोगों को बताने में प्रसन्नता हो रही है कि पाकिस्तान के एक सज्जन ने मेरे से कहा 'संगमा जी, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भारत का कौन सा राजनेता सबसे लोकप्रिय है? मैंने कहा, ''मैं कैसे जान सकता हूं? उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान में भारत का सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं'' कृपया तालियां बजाइए।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर) : ताली बजाओ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : झूठी बात पर ताली बजाने की संस्कृति आपके यहां है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यह बचकानी हरकत है.....*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैंने उनसे पूछा ''क्यों''? ''मैंने उनसे पूछा कैसे?''.....*(व्यवधान)* श्री वाजपेयी पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय क्यों है? उन्होंने कहा कि आज आपका दोनों देशों की जनता के बीच सम्पर्क संबंधी सम्मेलन है किन्तु भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच सम्पर्क की यह प्रक्रिया श्री वाजपेयी द्वारा शुरू की गयी थी, जब वे भारत के विदेश मंत्री थे। वे पाकिस्तान गये। उन्होंने वीसा प्रक्रियाओं का उदार और सरल किया। उन्होंने वीसा प्राप्त करने की प्रक्रिया का आसान बनाया ताकि पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें और भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें। यह पहल श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गयी थी। इसी कारण से पाकिस्तान में उन्हें सबसे अधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ कहा गया। 11 मई के बाद, मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में श्री वाजपेयी की लोकप्रियता क्या है। निःसन्देह वह मैं नहीं बता सकता।

श्री सोमपाल : वे अब बहुत लोकप्रिय हैं।

श्री पूर्णो ए. संगमा : मेरे विचार से आप गत रात्रि इस्लामाबाद से वापिस लौटे हैं।.....*(व्यवधान)*

मैं आपको बात सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान के बहुत से लोगों से मिला। मैं प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ से मिला, मैं पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति से मिला; मैं स्पीकर और बड़ी संख्या में संसद सदस्यों से मिला। उनमें से प्रत्येक ने मुझे बताया था कि भारत और पाकिस्तान ने 50 वर्ष संघर्ष में बर्बाद कर दिये हैं। हमें पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। और अगले 50 वर्षों में विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हम क्यों लड़ते हैं।

मैंने पाकिस्तान में कराची क्लब का दौरा किया। मैं बुद्धिजीवियों की बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गया। वहां लगभग 150 प्रबुद्ध लोग थे। उन सबके पास भारत के बारे में कहने को कुछ न कुछ था - ओह! मेरा भाई ब्रिगेडियर था; मेरे अंकल जल-सेना में थे, मेरे पिता भारत में थे। उन्होंने मुझे यह सब क्यों बताया? उन्होंने ऐसा केवल यह दिखाने के लिये किया कि वे हमारे देश के साथ अपने संबंध सुधारने के कितने इच्छुक हैं और वे भारत के और नजदीक कैसे आना चाहते हैं मैं नहीं जानता कि हमने यह सब क्यों नष्ट कर दिया।

सभापति महोदय : श्री संगमा, आपने पहले ही 45 मिनट ले लिये हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : आपने बताया कि उन सभी लोगों ने आपसे क्या पूछा और आपने उन्हें क्या कहा। क्या आपने उनसे पूछा कि गत नौ वर्षों से वे कश्मीर में आतंकवादी क्यों भेज रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का स्वयं का भी यह मानना है कि वे कश्मीर में आंतकवादियों की सहायता कर रहे हैं। क्या आपने उनमें से किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से यह पूछा कि वे इस काम में क्यों लगे हुये हैं। क्या यह दोस्ती और लोगों से लोगों के सम्पर्क का द्योतक है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ अपनी बातचीत का केवल वृतान्त दे रहा हूं। मैं पाकिस्तान सरकार की ओर से बात नहीं कर रहा हूं।

1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ। हमने चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये। राजनयिक बातचीत कब शुरू हुई। वह 1979 में शुरू हुई। किसके द्वारा ? पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। 1962 के युद्ध के बाद अधिकारिक रूप से चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय उच्चपदाधिकारी भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री वाजपेयी थे और उनके बाद श्री राजीव गांधी के दौरे, राष्ट्रपति के दौरे और अन्य बहुत सी चीजों से स्थिति में परिवर्तन शुरू हुआ। गत कई वर्षों से हम अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम विश्वास निर्माण उपाय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैंने दो बार चीन की यात्रा की है। मैं वहां राष्ट्रपति जिआंग जेमिन से मिला। जब वे भारत आये तो मैंने उनके साथ काफी लम्बी चर्चा की थी। मैं बीजिंग में बहुत से चीनी नेताओं से मिला। जब हम इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं कि विश्वास निर्माण उपायों का निर्माण कैसे किया जाये, यह आपसी विश्वास कैसे बनाया जाये, तो हमें अन्य विवादों को भूल जाना चाहिए, उन्हें एक तरफ रखें और दोनों देशों के हित में आर्थिक सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हम अत्यन्त कठिनाइयों से, अत्यधिक प्रयासों से वह संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

और तब क्या हुआ ? उन प्रयासों का क्या हुआ ? आज, जो काम आपने किया है - मुझे मालूम नहीं - मुझे कई बातें कहनी हैं और समय कम है, लेकिन अब मैं व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि पर बोलूंगा क्योंकि मैं कम से कम इसे तो छोड़ना नहीं चाहता आप व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि के बारे में क्या करने वाले हैं। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। अलग-अलग लोग अपने-अपने ढंग से बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन ने 13 मई को कहा था, "सरकार का अभी व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का कोई इरादा नहीं है"। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज 18 मई को कहते हैं, "देश परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य के रूप में व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि पर चर्चा करना चाहेगा", मुझे नहीं मालूम वे क्या चर्चा करेंगे यह चर्चा करने योग्य है भी या नहीं। मुझे व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। श्री जसवंत सिंह ने 18 मई के ही दिन कहा था, "हम व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि के प्रमुख वार्ताकर्त्ताओं के साथ सार्थक बातचीत का प्रस्ताव करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री बृजेश मिश्रा ने क्या कहा ?

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं उनका जिक्र किसी और समय करूंगा क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति का नाम बार-बार नहीं लेना चाहता। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पैरा 19 में क्या कहा गया है, उसे देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से इसे पढ़ लिया जाना चाहिए।

> "परीक्षणों के पश्चात् सरकार ने पहले ही बता दिया है कि भारत अब स्वैच्छिक प्रतिबंध का पालन करेगा।"

यद्यपि उन्होंने इसे गत रात्रि को वापस ले लिया है। मैंने उन्हें दूरदर्शन पर बोलते हुए सुना था। उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा है ? वे दावा करते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वे उसे जानते हैं। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। इन सब बातों को जानने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे स्वैच्छिक प्रतिबंध का पालन करेंगे। लेकिन उसके बाद कल उन्होंने अचानक ही दूरदर्शन के समक्ष कहा, "नहीं, मुझे पांबदी की समीक्षा करनी है", वे ऐसा क्यों करते हैं ?

> "इसने घोषणा के विधि सम्मत औद्योगीकरण के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर की है। इस तरह व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि की आधारभूत बाध्यता भी पूरी हो जाएगी।"

इसका क्या अर्थ हुआ ? वे हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। वे कैसे हस्ताक्षर करने जा रहे हैं ? क्या हमने वास्तव में इस पर विचार किया है ? जब सदन में व्यापक परमाणु निषेध संधि के बारे में चर्चा हुई थी और सदन ने सर्वसम्मति- नहीं, एकरूपता से यह बात व्यक्त की थी कि हम व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह एक आम सहमति थी - आम सहमति न होकर बल्कि सदन भी एकमत था। व्यापक परमाणु निषेध संधि के तहत हमारी नीति राष्ट्रीय आम राय पर भी आधारित है, और आज सदन में प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देंगे। इस संबंध में हमें विश्वास में नहीं लिया गया, न ही संसद में इस पर चर्चा हुई, हमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और हम व्यापक परमाणु निषेध-संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

हम इस व्यापक परमाणु निषेध संधि का विरोध क्यों करें ? हम व्यापक परमाणु निषेध संधि का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह वास्तव में व्यापक हो। क्या इन परीक्षणों के पश्चात् इसमें व्यापकता आ गई है ?

हमने यह देखा है कि यह व्यापक नहीं है। क्या इन परीक्षणों के पश्चात् इसमें व्यापकता आ गई है। दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि यह भेद-भाव रहित होनी चाहिए। हमने कहा कि "आपके पास आपके हथियार हैं और आप अन्य लोगों को हथियार बनाने के लिए रोक रहे हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। यह तो भेदभाव है।" अब भारत ने इसे प्राप्त कर लिया है और भारत और अन्य देशों में अंतर करना चाहते हैं? अभी तक आपने कहा है कि यह भेद-भाव रहित होना चाहिए। अब आप भी इसे भेद-भाव पूर्ण कह रहे हैं। तीसरी बात जो है वह अति महत्वपूर्ण है कि व्यापक परमाणु निषेध संधि निरस्त्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए और हमारे पास निरस्त्रीकरण के लिये समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। आप परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं। आप निरस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं। भारत निरस्त्रीकरण पर अडिग है। आपने व्यापक

परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया है क्योंकि इसमें निरस्त्रीकरण कार्यक्रम नहीं था।

अब जबकि आपने परीक्षण कर लिया है और जैसा कि आपने अचानक कहा है कि हम इस पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। आप शस्त्रों की होड़ में शामिल नहीं हैं। जबकि कार्यक्रम बड़ा ही स्पष्ट है।

श्री जसवंत सिंह ने कहा है : हथियार इकट्ठे करने का प्रश्न तो परमाणु परीक्षणों में ही निहित है। भारत ने अपने हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन कर और विभिन्न प्रणालियों में हथियार बनाने और बने हथियारों को तैनात करने का सामर्थ्य है। श्री जसवंत सिंह ने यही बात कही है। अब मैं श्री मिश्र जी की बात उद्धृत करना चाहता हूँ। कोई उनके वक्तव्य को सुनना चाहता है उन्होंने कहा है कि परीक्षण ने हमारे हथियार कार्यक्रमों से हमारी प्रमाणित क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यही बात तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भी कही है।

मैं तो पहले ही श्री प्रमोद महाजन की बात कह चुका हूँ उन्होंने कहा था कि "परीक्षणों का उद्देश्य शैक्षिणिक नहीं होता है ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप कौन सी तारीख के बारे में बता रहे हैं। वे प्रतिदिन इसे बदलते रहते हैं।..... *(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : हाँ, वे इसे बदलते हैं किन्तु उनकी भावना स्थिर है।

डॉ० कलाम ने कहा है : "भारत का शस्त्र कार्यक्रम अब पूरा हो चुका है।" आणविक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ० चिदम्बरम ने कहा, "भारत अपने हथियारों को और सुसज्जित करने के लिए अधिक परमाणु साधनों का विस्फोट करेगा।"

मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस के वक्तव्य से उद्धरण नहीं देना चाहता हूँ। पिछले वाद-विवाद के दौरान वह शस्त्रों की होड़ के संबंध में जोरदार शब्दों में बोले थे। मेरे पास पूरा कार्यवाही वृतांत है। सभापति महोदय, चूंकि आपने पहले ही घण्टी बजा दी है इसलिए मैं इसका उद्धरण नहीं देता हूँ।

ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ तो आप व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप हथियारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? वास्तव में मैं नहीं जानता हूँ आपको देश के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखना होगा कि व्यापक परमाणु निषेध संधि पर आपकी अंतिम राय क्या है। हम सभी यह जानना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : हम हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। यही कार्यक्रम है।.....*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : ठीक है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा वह गलत है?.....*(व्यवधान)* यह कोई मौखिक वक्तव्य नहीं है बल्कि सभा पटल पर रखा गया एक लिखित वक्तव्य है.....*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : सभा पटल पर रखा गया लिखित वक्तव्य है। क्षमा कीजियेगा प्रधानमंत्री को बोलने से पहले आपसे परामर्श कर लेना चाहिए था। उन्होंने आपसे परामर्श क्यों नहीं किया?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार इसका जवाब देगी आप क्यों व्यर्थ व्यवधान डाल रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री पूर्णो ए. संगमा : महोदय, मेरे पास दोहरी नीति पर बोलने के लिए समय नहीं है। परंतु मैं केवल आर्थिक प्रतिबंधों पर बोलूंगा। श्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि यदि प्रतिबंध लगाये जाते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा : प्रतिबंधों से हमें कोई आघात नहीं पहुंचने वाला है और न ही कर सकेंगे। भारत ऐसे दण्डात्मक उपायों के आगे नहीं झुकेगा।"

श्री प्रमोद महाजन पूछ रहे हैं। "कैसे" उन्होंने कहा "हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारत 85 प्रतिशत आत्म-निर्भर हैं।" क्या उन्होंने यह 85 प्रतिशत उपलब्धि 50 दिनों में प्राप्त की है। वे यह बात भूल गये। निसंदेह मेरे पास सभी कथनों का उद्धृण है।

महोदय मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार परमाणु परीक्षणों के सामाजिक, आर्थिक कीमतों और निहितार्थों के बारे में एक पूरा पूरा दस्तावेज रखे मुझे वित्त मंत्री को और भी बहुत सारी जानकारी देनी है। हो सकता है वित्त मंत्री मेरी बात से सहमत न हों विभिन्न देशों के हिन्दुस्तान में आने वाली वित्तीय सहायता तथा धनराशि की लम्बी सूची है। प्रतिबंधों के लगने के कारण वह सब बंद हो गई है। आम बजट पर चर्चा के लिए मैं इसे आरक्षित कर रहा हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा फिर कम से कम प्रधानमंत्री को नहीं तो वित्त मंत्री को प्रतिबंधों के कारण सामाजिक आर्थिक लागत और पोखरण परीक्षणों की अड़चनों के संबंध में इस सभा के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करें। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : संगमा जी, आप पाकिस्तान के परीक्षण पर भी कुछ प्रकाश डालते। नवाज शरीफ जी ने इतनी सख्त भाषा का प्रयोग किया है। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले.....*(व्यवधान)* संगमा जी, ऐसा लगता है कि कोई बाहर का स्पोकसमैन बोल रहा है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के परीक्षण पर एक शब्द भी नहीं बोला।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर) : कृपया, जवाब के लिए प्रधानमंत्री को कहिये श्री वाजपेयी को चाहिए कि इस बात का जवाब दें।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, 11 और 13 मई को पोखरन में जो परीक्षण हुए, उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश के लोगों में और इस सदन के अंदर कई प्रकार से अलग-अलग हुई है। मैं समझता हूँ कि उस परीक्षण के बाद पूरे राष्ट्र ने एक स्वाभिमान की ओर नये कदम की अनुभूति की है, पूरे राष्ट्र ने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदमों की आहट को सुना है। उस विस्फोट के बाद दुनिया के अंदर कुछ देशों में भूचाल आया। जिन देशों का एकाधिकार था, जिन देशों की मनोपली थी, जो चाहते थे कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए भीख का कटोरा लेकर उन बड़े मुल्कों के दरबार के सामने खड़ा रहे वे देश परेशान हो गए, क्योंकि भारत का कद ऊंचा हो गया। भारत उन देशों के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया, लेकिन इस सदन के अंदर कुछ घबराये हुए स्वर मैंने सुने, परेशानी की भाषा सुनी, उसका मुझे दुख अवश्य है।

सभापति महोदय, कल जो परीक्षण पाकिस्तान ने किया है उसके बाद 11 और 13 मई के हमारे परीक्षण के औचित्य स्वयं सिद्ध हो गए। उस तरफ से बार-बार पूछा जा रहा था कि क्यों परीक्षण किया, क्या जरूरत थी ? शायद मेरे उन मित्रों को स्पष्ट करने के लिए कल पाकिस्तान ने बता दिया कि क्यों जरूरत पड़ी और क्यों परीक्षण करना चाहिए था।

मैं अभी आदरणीय संगमा जी को सुन रहा था। उन्होंने सिद्धांतों की बात कही। सभापति जी, सिद्धांत अपनी जगह हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो शस्त्र चाहिए, सिद्धांत काम नहीं आता है। मैं आपको 1962 की याद दिलाना चाहता हूँ जिसके जख्म अभी तक हरे हैं। मुझे याद है, मैंने 1962 के युद्ध के बाद हिंदी की सबसे बड़ी पुस्तक ''हिमालय पर लाल छाया'' लिखी थी। उस समय भी यही भाषा बोली जाती थी। क्या जरूरत है युद्ध की तैयारी करने की, हमारे सिद्धांत हैं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, सब हमारे मित्र हैं। लेकिन उस समय चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था और भारत के अंदर ''हिंदी-चीनी भाई-भाई'' नारे का नशा पिलाया जा रहा था। एक्साई चीन के अंदर चीन की मशीनरी आई, पहाड़ खोदा और सड़क बनना शुरू हो गयी। हिंदुस्तान की धरती में चीन ने सड़क बना ली लेकिन भारत सरकार को पता नहीं चला। हम ''हिंदी-चीनी भाई-भाई'' का नारा लगाते रहे।

सभापति जी, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सड़क हमारी धरती पर बनकर तैयार हो गयी और जब उसका उद्घाटन हुआ, तब भारत सरकार को पता लगा। हम 1962 में युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, चीन कर रहा था। चीन ने जब हमला किया तो कोई सिद्धांत काम नहीं आया और हिन्दुस्तान को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। हमें तेजपुर खाली करना पड़ा, जवान मरे और घर-घर में मातम छाया तथा हमारी सैंकड़ों एकड़ भूमि आज भी चीन के कब्जे में है। हम 1962 की उस हार को नहीं भुला सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि भारत एक और 1962 सहन नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। सभापति जी, 1962 में भी यही भाषा बोली जाती थी और यही लोग सत्ता में थे तथा युद्ध की तैयारी की नहीं थी। युद्ध की तैयारी करने वाले को जंगजू कहा जाता था। इस देश के माथे पर उस समय हार का जो काला टीका लगा था, वह आज तक धुला नहीं है, हम उसे भुला नही सकते हैं। आज भी हिमालय घायल है और उस समय हिमालय पर जो आक्रमण हुआ था, उसके कारण यह देश 10 साल पीछे चला गया। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भारत की परिस्थिति क्या है ? दोनों तरफ जो परिदृश्य है उसमें चीन एक महाशक्ति बन चुका है। अणुबम उसके पास हैं। तिब्बत बीच में से ध्वस्त हो गया है। अंग्रेज जब इस देश में रहे, मुझे क्षमा करें, अंग्रेज उस समय की कांग्रेस सरकार से ज्यादा बुद्धिमान थे। उनमें तिब्बत को हस्तगत करने की शक्ति थी। लेकिन उन्होंने तिब्बत को भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में रखा। लेकिन हमने तिब्बत को चीन को सौंप दिया और चीन भारत की सीमा से आकर टकरा गया। आज चीन एक महाशक्ति और भारत की सीमा के साथ मिला हुआ है। चीन ने 1962 के युद्ध में भारत की जो हजारो एकड़ भूमि हथियाई और लोक सभा ने उस समय प्रस्ताव भी पास किया लेकिन आज 35 वर्ष बाद भी उस भूमि के बारे में हमने चीन से कोई बात नहीं की है।

चीन पाकिस्तान को मिसाईल बनाने में मदद कर रहा है, एटम बम बनाने में मदद कर रहा है। हमारे सिर के ऊपर, हिमालय के ऊपर एक महाशक्ति बैठी है। पाकिस्तान के साथ हमारे तीन युद्ध हो चुके हैं। कल यहां पर बहुत सी बातें कही गयी। प्रोक्सी-वार जो पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हुई है उसमें लगभग चालीस हजार लोग मारे गये हैं और करोड़ों-अरबों रुपया आतंकवाद से निपटने में हमारा खर्च हो चुका है। अब तो पाकिस्तान ने एटम-बम का परीक्षण कर लिया है। फतेहगंज के अंदर चीन की मदद से मिसाइल की फैक्ट्री पाकिस्तान ने बना ली है, परीक्षण कर लिया है, गौरी बना लिया है और गजनी बना रहा है, तो उसके इरादे साफ हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे मित्र हमसे बार-बार पूछते हैं कि परीक्षण की क्या आवश्यकता थी।

सभापति जी, मैं यह समझता हूँ कि 11 और 13 मई का परीक्षण ठीक समय पर लिया गया ठीक फैसला है। वह केवल सुरक्षा की दृष्टि से था, वह आत्मनिर्भरता को सामने रख कर लिया गया निर्णय था। भारत को एक महाशक्ति के रूप में कुछ देश देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इससे परेशान हैं लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा को गिरवी नहीं रखा जा सकता। सुरक्षा उधार लेकर नहीं की जा सकती। जब चारों तरफ यह परिदृश्य है, उसके अन्दर हमें

आत्मनिर्भरता और सुरक्षा करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में 'ट्रिब्यून' के एडिटोरियल की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"पूरे परमाणु संबंधी प्रश्न को इस तथ्य के प्रकाश में देखना होगा कि आज बहुत सी परमाणु मिसाइलों का निशाना भारत की ओर है अथवा वे ऐसा मिनटों में कर सकती है। भारत को, ऐसे जोखिम भरे पर्याप्त मतभेदों को झेलना पड़ता है। यह धमकी सैद्धान्तिक नहीं है। भारत को उस राष्ट्र ने नीचा दिखाया है। जो इसके प्रति भारत भातृभाव रखने का दावा करता है। कटु अनुभवों के कारण साढ़े तीन दशकों की टीस के पश्चात् भी यह अपनी सुरक्षा में कमी को सहन नहीं कर सकता। परमाणु हथियार किसी गुप्त जोखिम के विरुद्ध प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं।"

[हिन्दी]

मैं इसमें कहना चाहूंगा कि यह ठीक समय पर लिया गया एक ठीक फैसला था क्योंकि देश की सुरक्षा को न गिरवी रखा जा सकता है, न देश की सुरक्षा के लिए भीख का कटोरा लेकर किसी बड़े देश के दरबार में खड़ा हुआ जा सकता है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ठीक समय पर लिया गया है। भारत के स्वाभिमान को जगाने का एक ऐतिहासिक प्रत्यत्न हुआ है। 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले भारत अब बोना नहीं रहा। भारत का सिर ऊंचा हो गया और भारत विश्व की महान शक्तियों के बीच खड़ा हो गया। आज इस स्वाभिमान की अनुभूति पूरे विश्व में अनुभव की जा रही है।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह इस सदी के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया के देशों की बराबरी में, जो सम्मान भारत को 50 साल में प्राप्त नहीं हुआ, वह अटल जी ने 50 दिन में भारत को प्राप्त कराया है। इस बात को कभी भूला नहीं जा सकता। मैं श्री जे. एन. दीक्षित का एक आर्टिकल जरूर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यूनाइटिड नेशन्स के सैक्रेट्री जनरल, कॉफी अन्नान का स्टेटमैंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

आप कोई ऐसा विशेष क्लब नहीं बना सकते जिसके सदस्यों के पास परमाणु हथियार हों और हथियार होते हुए भी वे इन्हें छोड़ने के लिए इन्कार कर रहे हैं और दूसरों को यह कहते हैं कि आप परमाणु हथियार न रखें। परमाणु शक्तियों को एक बार पुनः सोचने की जरूरत है और दूसरे देशों के समक्ष एक उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

दुनिया के अन्दर अब यह अनुभूति हो रही कि यह मनॉपली खत्म होनी चाहिए, यह एकाधिकार खत्म होना चाहिए। अमेरिका ने 1942 में ऐसा कार्यक्रम शुरू किया था। दुनिया का एकमात्र देश, सबसे पहला देश, जिस ने एटम बम का प्रयोग किया, आज वह अन्य देशों को एटम बम का प्रयोग न करने की सलाह देता है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी संधियां हैं - चाहे वह एन.पी.टी. हो, सी.टी.बी.टी. हो, उसके प्रति अमेरिका का जो भी व्यवहार है, उसके पीछे एक ही मकसद है, एटम बम उनके पास रहे और कोई देश उसकी बराबरी में न आए। भारत में महाशक्ति बनने के पोटेंशल है। भारत को महाशक्ति बनने से रोकने के षडयंत्र का यह हिस्सा है। उस षड्यंत्र को इस सरकार ने तोड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 और 13 मई के विस्फोट से उस षडयंत्र को तोड़ा है। इससे यह साबित हो गया है। दुनिया के कुछ बड़े देशों को छोड़कर छोटे-छोटे देश इस पर प्रसन्न हैं। मैं श्री जे.एन. दीक्षित के आर्टिकल की चार और पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

मैंने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कूटनीतिज्ञों के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह देखा है कि उनकी सरकारों को चाहे कुछ भी औपचारिक आधार हो प्रगतिशील देश के द्वारा संतुष्टि की अर्न्तप्रवाह से एक भेद-भावपूर्ण दबाव का विद्रोह किया गया है और आत्म-निर्भरता तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धि का दावा किया गया है।

[हिन्दी]

बहुत से देश इस बात पर खुश हैं कि किसी विकासशील देश ने मोनोपली को तोड़ने की हिम्मत की है। आगे जे.एन. दीक्षित एक और बात कहते हैं -

[अनुवाद]

"हमें परीक्षणों को ही अपना अंतिम ध्येय नहीं समझना चाहिए अपितु जो क्षमता हमने प्राप्त की है। उसे शस्त्रीकरण तथा डिलिवरी प्रणाली के संदर्भ में तैनात करना चाहिए। हमें रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसलिए अमेरिका, जिसने आज तक 1020 परीक्षण किये हैं, दुनिया में ऐटम बन का प्रयोग किया है, वह भारत को महाशक्ति बनने से रोकना चाहता था, उसके विरूद्ध इस देश ने एक प्रयत्न किया है जो प्रयत्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उपदेश, त्याग, मानवता की बात, नैतिकता की बात, ये कोई नयी बातें नहीं हैं। ये बातें 1962 से पहले भी की जाती रही हैं, ये बातें आज भी वहां कही जाती हैं, लेकिन दुनिया चलती है धरती और जमीन की सच्चाई से। केवल भावनाओं से दुनिया नहीं चलती। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी के 'कुरुक्षेत्र' की वह पंक्तियां याद आ रही हैं जिनमें धर्मराज युधिष्ठर को जब वह इसी किस्म का उपदेश दे रहे थे तो कहलवाया था कि जब स्वत्व पर आक्रमण होता है तो पुण्य की, पाप की भाषा बदल जाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि --

"छीनता हो स्वत्व कोई, और तू
त्याग तप से काम ले यह पाप है।
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे,
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।"

[श्री शांता कुमार]

यह है जिन्दगी की सच्चाई, और उस सच्चाई को कभी कोई देश भूल नहीं सकता। सभापति महोदय, यहां माननीय संगमा जी ने और बहुत से लोगों ने बातें की। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ लोगों ने डराने की कोशिश की, कुछ लोगों ने मायूसी की भाषा कही, कुछ लोगों ने परेशानी की बात की, लेकिन राष्ट्र जीतते हैं हिम्मत के साथ, राष्ट्र जीतते हैं इच्छाशक्ति के साथ। डरकर, घबराकर न व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है, न राष्ट्र कुछ कर सकता है।

आर्थिक प्रतिबंधों की बात कही गई है। उसके बारे में विस्तार से विचार होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, 1995-96 का भारत का सकल घरेलू उत्पाद भारत का है 11 लाख 19 हजार करोड़ रुपये है और 1995-96 के अंत तक जो सब प्रकार की गवर्नमेंट, नौन-गवर्नमेंट लोन प्रांट के रूप में सहायता प्राप्त हुई है, वह 12.163 करोड़ रुपये है। यह उसका 1.01 परसेंट बनता है और जो देश सैंक्शन लगा रहे हैं उनका हिस्सा 0.5 परसेंट बनता है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए बड़े से बड़ा त्याग, बड़ी से बड़ी तपस्या की जा सकती है। ये आर्थिक प्रतिबंध तो कुछ भी नहीं है। इनसे देश को घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो बदली हुई आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो बदली हुई आर्थिक नीतियां हैं उसमें ऐक्सटर्नल असिस्टेन्स के रूप में धन काम आएगा, उसमें फौरन इनवेस्टमेंट के रूप में धन ज्यादा आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और भारत जैसा बहुत बड़ा बाजार, भारत जैसे देश जिसमें पूंजी-निवेश की सबसे अधिक संभावनाएं हैं, उसे दुनिया इगनोर नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कुछ बातें होती भी हैं तो उस संबंध में मैं समझता हूं कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक प्रतिबंधों की जब बात आई, तो मैं समझता हूं कि वह तो होना था। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम उन देशों के बराबर होने की कोशिश करें। हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। हम परीक्षण करें और अमेरिका हिन्दुस्तान में आकर हम पर फूल बरसाए, अमेरिका नोट बरसाए, यह तो होना नहीं था। परेशानी तो उनको होनी थी, चिंता तो उनको होनी थी! यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है और इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि कल विपक्ष के नेता ने जो बात कही, उससे हमें लगा कि शायद चर्चा और सोच की दिशा बदल जाए। 1974 में भी जब इस देश में परीक्षण हुआ था, पूरा देश उस समय की प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा हो गया था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। कल जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे लगा कि सोच बदल जाएगी, लेकिन आज फिर इसका विरोध हुआ है। आलोचना के लिए आलोचना की जा रही है।

यदि भारतीय जनता पार्टी उधर होती, आप इधर होते और आप ऐसा करते तो हम समर्थन करते और देश के जश्न, देश के समारोह में शामिल होते, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। इससे बड़ी राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात और कोई नहीं हो सकती।

एक बात बार-बार पूछी गई कि परीक्षण क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। मैंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं। जॉर्ज फर्नांडीस ने ठीक कहा है कि आपने नहीं किया इसलिए हमें करना पड़ा। इस बारे में एक विशेष बात और है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिम्मतवाला नेतृत्व यहां पर आया है, निर्णय लेने की हिम्मत करने वाला नेतृत्व यहां पर आया। आपने 1974 में किया, आपको बार-बार बधाई है। लेकिन उसके बाद ऐसे क्षण आये, अभी श्री वेंकटरमण जी का बयान छपा है कि जब वह रक्षा मंत्री थे तो पोखरन में एक्सपेरीमेंट करने की बात तय हो गई, वे वहां पर गई, जगह देख ली, तिथि तय हो गई, फिर लगा दुनिया नाराज हो जायेगी इसलिए परीक्षण नहीं किया गया। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। यदि देश की सुरक्षा के लिए परीक्षण नहीं था तो योजना क्यों बनाई और अगर देश की सुरक्षा के लिए परीक्षण आवश्यक था तो किसी देश की नाराजगी के कारण उसे स्थगित क्यों किया गया। कोई प्रक्षेपास्त्र हम बना रहे थे, कोई देश नाराज होने लगा, उसके लिए योजना स्थगित कर दी गई। देश की सुरक्षा को गिरवी रखने की बात की गई। इसलिए मैं समझता हूं कि आप कई बार ठीक समय पर, ठीक निर्णय नहीं ले सके। इस बार नेतृत्व आया है जिसने देश की सुरक्षा को सामने रखकर निर्णय लिया और यह इस समय इसलिए हुआ है क्योंकि दमखम वाला, देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकने की हिम्मत रखने वाला एक नेतृत्व आया और उन्होंने इस निर्णय को लिया। हमारे मित्रों की हालत तो यह थी कि जैसे कई बार कोई फैसला नहीं कर पाता। "इरादे बांधता हूं, जोड़ता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए।" आपकी यही हालत रही। लेकिन श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने देश की सुरक्षा को सामने रखा, इरादा बांधा, न तोड़ा, न जोड़ा, पोखरन में एक बहुत बड़ा बम फोड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि कल पाकिस्तान की बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। अच्छी बात है, छिपे हुए हथियारों की बजाय खुले हुए हथियार सामने हों तो उस चुनौती का सामना करना आसान हो जायेगा।

एक बात उधर से बार-बार कही गई कि देश के संबंध बिगड़ जायेंगे। क्या दूसरे देशों से संबंध सुधारने का एक ही तरीका है कि कमजोर होते जाएं। यह तर्क समझ में नहीं आया। हम अपने घर में मालिश कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसी पड़ोसी को परेशानी क्यों हो। अगर किसी पड़ोसी को परेशानी होती है तो इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। भारत सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होना चाहता है। भारत के चारों तरफ जो संकट है। उसे ध्यान में रखकर भारत मजबूत होकर एक स्वाभिमान और आत्मविश्वास की बात करना चाहता है। उसके लिए बार-बार कहा गया है कि संबंध बिगड़ जायेंगे तो क्या संबंध सुधारने के लिए जरूरी है कि भारत कमजोर हो जाए। भारत के पास सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ हो, यह तर्क बिलकुल ठीक नहीं है और यह मनोवृत्ति चिंता का विषय है।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे मित्रों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, बहुत अच्छी बात है। पूरा राष्ट्र इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है, टेक्नीशियनों को बधाई दे रहा है, इंजीनियरों को बधाई दे रहा है, चूंकि ये लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे मित्र

उठे, वैज्ञानिकों को बधाई दी, फिर दो कदम और आगे बढ़े, टेक्नीशियनों को बधाई दी, फिर दो कदम और आगे बढ़े, इंजीनियरों को बधाई दी, फिर रुक गये, उससे आगे नहीं गये। उससे आगे यह सरकार थी, उससे आगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या उनको बधाई नहीं दे सकते थे? क्या कारण था। आप खुशी तो मना रहे थे, बधाई तो दे रहे थे, लेकिन आपके मन में कोई टीस थी, जिसे हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि हम भी यही करना चाहते थे। श्रेय की बात आपके मन में हैं, हमारे मन में नहीं है। इतने बड़े देश की सुरक्षा के बारे में अगर कभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो उसमें श्रेय नहीं देखा जाता। हाँ, कोई काम करता है तो कभी उसे श्रेय मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन मेरे मित्रों के दिल और दिमाग में श्रेय की बात है।

यह बात कही गई कि 1974 में हमने एक्सपेरीमेंट किया, 1975 में हार गये, इसमें हार और जीत का सवाल ही क्या है, आपने एक्सपेरीमेंट किया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन आपको 1974 के एक्सपेरीमेंट का अफसोस है कि हमने 1974 में एक्सपेरीमेंट किया, लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह श्रेय का सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, टेक्नीशियनों और इंजीनियरों को श्रेय जाता है और यह काम 11 और 13 मई को नहीं हुआ है बल्कि वह बहुत पहले से शुरू था। इसको शुरू करने का श्रेय आपको है, सबको है लेकिन आपके मन में यह चीज है कि इसका श्रेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को न मिले, इस सरकार को न मिले। इसलिए आपकी जो मुस्कान है, उसमें भी थकान थी। आपकी खुशी में भी परेशानी थी। आपकी खुशी, खुशी नहीं थी। इसी पर मुझे एक गीत की पंक्ति याद आती है :

"तुम इतना जो मुस्करा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।"

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वक्त की जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत है कि सुरक्षा को दलों की दीवारों से ऊपर उठकर देखा जाये। मैं माननीय शरद पवार जी को कल की बात के लिए बधाई देता हूँ और बधाई दूंगा यदि वह बात सच्ची हो और आगे भी बढ़ सके। आज जरूरत इस बात की है कि सारी बातों से ऊपर उठकर जब पाकिस्तान ने एक्सपेरीमेंट किया है, देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है, 1962 के घाव अभी हरे हैं, हिमालय, शिव का शिवालय घायल है – इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा केवल सुरक्षा हमारी परम प्राथमिकता है और उस पर सारा राष्ट्र एक है, यह संदेश इस सदन में जाना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रकुमार गुजराल (जालंधर) : महोदय, इस माननीय सदन को आज सम्बोधन करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। चुनावों के बाद पहली बार मैं इस सदन को सम्बोधित कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे समय इस सदन के समक्ष बोल रहा हूँ जबकि मैं यह महसूस करता हूँ कि स्थिति की यह मांग है कि जो मुद्दे हमारे समक्ष उभर कर आ रहे हैं उनपर पूरी गंभीरता और तन्मयता से विचार करने की आवश्यकता है। मुद्दे को भावनात्मक रूप देने और नारे लगाने का कोई लाभ नहीं है। परिपक्व राष्ट्र, गंभीर राष्ट्र स्थिति या विश्लेषण करके उससे निपटने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं।

पहले मैं कल अपने विचार व्यक्त करने की सोच रहा था अगर मैं कल सदन को सम्बोधित करता तो मैं, पोखरण-II परमाणु परीक्षण से पैदा हुए मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करता परंतु आज मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर चुका है। अतः आज जब मैं इससे पैदा हुए मुद्दे पर बोल रहा हूँ तो मैं वर्तमान स्थिति जो तत्काल सामने आई है उसी पर चर्चा कर सकता हूँ। ये जटिल मुद्दे हैं तथा इन दो परीक्षणों को हमें एक साथ देखना होगा। ताकि हम कोई नीति निर्धारित कर सकें तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सकें।

भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर काफी वर्षों से बातचीत चल रही है। कई वर्षों में उस पर चर्चा हुई। कई वर्षों से बहुत सारी समस्याओं पर हमारे मतभेद रहे और अभी भी हैं।

महोदय, इस समय जबकि मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। मुझे पुराना इतिहास याद आ रहा है। परन्तु मैं इस इतिहास पर चर्चा करके अपना समय नहीं लेना चाहता हूँ। अब इस इतिहास को रद्द करना भी संभव नहीं है। अब यह भी संभव नहीं है कि परमाणु परीक्षणों से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धी पर चर्चा की जाए। इस विषय के संबंध में चर्चा करने से पूर्व में सदन के सभी संसद सदस्यों के साथ मिलकर वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी से संबंधित लोगों को बधाई देना चाहता हूँ पूर्णतौर से वैज्ञानिक संबंधों में उनकी कृतियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पोखरण-II ने यह साबित कर दिया कि यदि इस मामले में वास्तव में किसी प्रमाण की जरूरत है तो हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विश्व स्तर के वैज्ञानिकों में प्रथम श्रेणी के हैं।

जब मैं पोखरण की बात करता हूँ तो वह परमाणु वैज्ञानिकों के प्रति मेरे सम्मान की अभिव्यक्ति और उन्हें मेरी शुभकामनाएं होती हैं। मैं पूरे वैज्ञानिक सम्प्रदाय को अपनी बधाई देता हूँ। विज्ञान को भागों में नहीं बांटा जा सकता। यदि वैज्ञानिक उन्नति के अन्य आयामों का विकास नहीं हुआ होता तो पोखरण-II भी संभव नहीं हुआ होता। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, आप के राज्य आंध्र प्रदेश में हम गए थे और वहां श्रीहरिकोटा में चमत्कारिक उपलब्धियां देखी थी कि कुछ महीनों अथवा एक वर्ष अथवा हो सकता है कि दो वर्ष पूर्व जब अमरीका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया तो किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के बलबूते पर उपग्रह का प्रक्षेपण करके हमें गौरवान्वित किया था। यह कार्य हमारे लोगों ने किया और हमने इसे संभव बनाया। मुझे जानकारी है कि हम और उपग्रहों का प्रेक्षण करने वाले हैं और हम अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अनेक देश हमारी सेवाओं के लिए हमसे सम्पर्क कर रहे हैं।

मैं सुपर-कम्प्यूटर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपको तथा इस सदन को याद होगा कि हमें सुपर-कम्प्यूटर देने से मना कर दिया गया था। किन्तु पुनः हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

ने स्वयं ही सुपर-कम्प्यूटर का निर्माण कर लिया। उन्होंने न केवल स्वयं इसका निर्माण किया अपितु आज इसका बाजार भी हमारे पास है और अनेक देश, जिन्हें अन्यथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व है, उस सुपर-कम्प्यूटर को खरीदने के लिए कतार में है। इस सुपर-कम्प्यूटर के बिना, परमाणु आयाम संभव नहीं था और इसीलिए, जब मैं बधाई देता हूँ - मैं दोहराता हूँ - तो समूचे वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दे रहा होता हूँ। उन्होंने अपने समक्ष मौजूद चुनौती पर विजय पाई है और उन्होंने हर बार अस्वीकरण का फायदा एक अवसर के रूप में उठाया। हर उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया जिससे उन्हें वंचित किया गया, यह मेरा विनम्र प्रयास था और मेरी शुभकामनाओं का एक आयाम कि कुछ महीनों पहले भारत ने पहली बार वैज्ञानिक को उसके जीवन काल में भारत रत्न प्रदान किया।

जब मैं भारत के प्रति अपनी शुभकामनाओं की बात करता हूँ तो मुझे नेहरू के बारे में बात करनी होगी। आज हम जहां भी हैं, जो कुछ भी हैं वह उनकी दृष्टि वैज्ञानिक विकास के प्रति वचनबद्धता, उनके नेतृत्व उनके द्वारा इस देश में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने और अपनी दृष्टि को बेहतर ढंग से हमें सुपरिभाषित करने के कारण हैं। जब मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तो मुझे न केवल विज्ञान के संदर्भ में उनका योगदान याद आता है बल्कि यदि नेहरू का विलक्षण नेतृत्व नहीं मिलता तो आज का आधुनिक भारत, आधुनिक भारत नहीं होता।

इन 50 वर्षों में जो सफर हमने तय किया है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम यहां इस सदन में इकट्ठे हुए थे और तब मेरे मित्र श्री पी.ए. संगमा उस पीठ पर सुशोभित थे। तब करीब एक सप्ताह तक हमने अपने समाज की अच्छाईयों और बुराइयों तथा सफलताओं और असफलताओं पर चर्चा की थी। मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि यदि कुछेक क्षेत्रों में हमने सफलता नहीं प्राप्त की होती तो आने वाले वर्षों में हमारे निष्पादन के बारे में देश हमसे क्या अपेक्षा करता?

मैं समझता हूँ कि हमारी महत्वपूर्ण नीति मूल रूप से विज्ञान को प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए। हमें इस पर निरंतर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिक पर हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना हम उस उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे जिसे नेहरू ने हमारे लिए निर्धारित किया था।

विज्ञान कभी भी पाबन्दियों में नहीं फलता-फूलता। विज्ञान की प्रगति कभी भी दकियानूसी विचारों से नहीं होती। विज्ञान का विकास कभी भी वहां नहीं होता। जहां विचार अधिक नहीं हैं। विज्ञान का विकास तभी होता है जब हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पिरामिड की तरह एक बुनियाद आधार प्रदान करते हैं और फिर वहां से हम पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिक पैदा करते हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे ऐसा चमत्कारिक कार्य निष्पादित करते हैं जैसा कि उन्होंने अब किया है। अतः मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यह सुनिश्चित करना नितांत महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक शिक्षा के आधार में विस्तार हो। वही हमारी सच्चाई बधाई होगी।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान की शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हों। हमें शिक्षा और धन नियत करना चाहिए। चूंकि मेरे मित्र, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह वैज्ञानिक शोध और विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन करें।

कुछ देर पहले मैंने कहा कि विज्ञान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति तब तक नहीं फलती-फूलती जब तक विज्ञान आप की प्रकृति में मूल रूप से शामिल न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रायः इस बारे में बात करते थे। महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि जब मैं प्रधानमंत्री का पद भार ग्रहण कर रहा था तो मैने इस ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था। वैज्ञानिक प्रकृति वह आधार है जिस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी फलती फूलती है और वैज्ञानिक प्रवृत्ति दकियानूसी विचारों तथा अन्धविश्वासों को भी दूर करता है। जब तक आप अन्धविश्वास को दूर नहीं करते तब तक आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति के सन्दर्भ में नहीं सोच सकते।

क्या मुझे एक बात कुछ पीड़ा तथा वेदना के साथ कहने की इजाज़त है? जब हम विज्ञान को महिमामंडित कर रहे हैं तो क्या यह निष्ठुर विडम्बना नहीं है कि हम मन्दिर निर्माण के बारे में भी सोच रहे हैं, हम मिट्टी ढोने के बारे में सोच रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बजाय हम दकियानूसी विचारों को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में सोच रहे हैं।

इधर बैठकर या उधर बैठकर बधाईयां देने से तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक इससे हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यदि आप वैज्ञानिक उपलब्धियों को मन्दिरों, मिट्टी तथा ऐसी चीजों में बदलने जा रहे हैं तो मुझे इस देश में विज्ञान के भविष्य को लेकर चिंता है। इसलिए, मैं आशा करता हूँ कि यदि यह सदन अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं देते हुई कोई संकल्प पारित करने का निर्णय करता है - जिसमें मैं भी शामिल होना चाहूंगा - तो हमें संकल्प में कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाये। इसलिए जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तब तक कोई भी संकल्प पारित करने का कोई मतलब नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रोत्साहन संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का भी एक हिस्सा है। संविधान ने भी इसका समर्थन किया है। हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हमें इस पहलू पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि इसके बाद मुझे आपसे मौजूदा स्थिति पर मेरे दृष्टिकोण के बारे में बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कल मैं एक भिन्न सांचे में सोच रहा था किन्तु आज मैं एक भिन्न परिदृश्य और एक भिन्न सांचे में सोच रहा हूँ। कुछ समय पहले मैंने दो पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखे थे। ये दोनों पत्र परमाणु परीक्षणों के बाद 13 और 22 मई के थे। जब मैंने देखा कि देश में माहौल बन रहा है तो मैंने उन्हें पत्र लिखना अपना फर्ज समझा। मैंने उस पत्र में बहुत सारी बातें लिखीं। उस पत्र में एक बात की सलाह मैंने यह भी दी थी कि भगवान

के लिए यह सुनिश्चित कीजिए कि सरकार एक सुर में बोले। सरकार पांच-पांच सुरों में बोल रही थी। सभी एक-दूसरे से भिन्न और सभी भ्रमित करने वाले तथा सभी भिन्न-भिन्न सन्देश देने वाले और जिन्होंने उन्हें सुना वे भ्रमित थे। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों को ये बातें कहीं गई थी, वे भ्रमित हुए या नहीं। अतः मैंने माननीय प्रधानमंत्री से दो बार आग्रह किया कि वह देखें कि सरकार एक आवाज में बोले और यह सुनिश्चित करें कि सरकार के नाम पर जो कुछ भी कहा जाये उसे प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त हो ताकि, हमें पता हो कि ये सरकार के प्रमाणित शब्द है। मैं नहीं जानता कि उस पर कोई ध्यान दिया गया अथवा नहीं। लेकिन मैंने उन्हें सुझाव भी दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि..... *(व्यवधान)* पत्र यहां मेरे पास है। लेकिन मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहूंगा। इसके साथ ही पत्र में मैंने यह सुझाव भी दिया था कि वह भी देखें कि उनके सहकर्मी अपने विचारों में परिपक्वता का प्रदर्शन करें तथा जिस पद पर वे बैठे हैं उसकी शोभा ओर मर्यादा को बना कर रखें। वे असमय कुछ न कुछ बोलते रहे जिससे देश में एक अजीब तरह का वातावरण उत्पन्न हो गया।

कभी बढ़चढ़कर राष्ट्रवाद की गई, कभी युद्ध का हौवा खड़ा किया गया, कभी एक दूसरे को ललकारा गया तो कभी लोगों की भावनाओं को भड़काया गया जैसा कि रात भर में देश युद्ध के कगार पर खड़ा है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि यदि युद्ध की नियति के बिना युद्ध का माहौल खड़ा किया जाता है तो वह खतरनाक हो सकता है। भगवान के लिए कृपया इस पर ध्यान दीजिए।

मैंने उन्हें यह भी लिखा और सुझाव दिया कि भारत के पास सर्वसम्मति की एक आधारभूत शक्ति है। चूंकि मुझे कुछ समय के लिए प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री बनने का मौका मिला था, अतः मैंने सर्वसम्मति का प्रयोग किया था। उसके लिए मैं आपसे श्रेय नहीं मांगता हूँ लेकिन हमने, चाहे सी.टी.बी.टी. हो अथवा पड़ौसी के साथ संबंध हो अथवा संयुक्त राष्ट्र हो, हर जगह, इस सर्वसम्मति का प्रयोग किया था। हमने सबको बताया कि सर्वसम्मति कैसे तैयार की जाती है। मैंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में देखा है और उन्हें अपने भाषण में कहते हुए सुना भी है कि वह इसका समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ कि कृपया इसे पुनः कीजिए। कृपया इसे अपनी पार्टी की उपलब्धि के रूप में मत पेश कीजिए। यह आपकी पार्टी की उपलब्धि नहीं है। यदि आप कहना चाहते हैं कि यह आपकी पार्टी की उपलब्धि है और आप चुनाव के बारे में सोच रहे हों तो ठीक है।

जब मेरे विद्वान मित्र श्री जगमोहन, जिनकी अन्यथा मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ने भेद-भावपूर्ण रूप से बात करने की कोशिश की तो मुझे बड़ी निराशा हुई।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : नहीं।

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : आपने कही है। यदि आप अपना भाषण पुनः पढ़ें तो आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और अब आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मुख्य बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वह यह है कि सर्वसम्मति भारत की ताकत है, सर्वसम्मति हर पार्टी की भी ताकत है। मैंने प्रधानमंत्री स यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि जिस भी नीति का अनुसरण वह कर रहे हैं, उन्हें सर्वसम्मति का निर्माण करना चाहिए। जब मैं उनसे मिला तो उन्हें यह भी बताया था कि सर्वसम्मति और 'सूचना देने' में अंतर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तर होता है। आप पार्टियों के नेताओं को बुलाएं और उन्हें सूचना दें - यह सर्वसम्मति नहीं है। सर्वसम्मति निर्माण में लचीलापन होता है। इसमें गुंजाइश रखी जाती है। इसमें अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगला व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसका कोई मूल्य है अथवा नहीं। उसके बाद वह या तो मनाने की कोशिश करता है या फिर मनाए जाने की कोशिश करता है। केवल उसके बाद आप सर्वसम्मति तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ कहता हूँ कि अभी भी विशेषरूप से कल के बाद जब नई चुनौतियां सामने आई तब भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। हर कोई भिन्न-भिन्न संदर्भ में बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वह समय ऐसा था जब हमें इकट्ठे बैठकर सर्वसम्मति तैयार करनी चाहिए थी। मेरे मित्र, विपक्ष के नेता, ने कल इसका प्रस्ताव किया था। उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियां गंभीर हैं तो हमें इसे समझना चाहिए, हमें चुनौती की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम चुनौतियों को समझ लेते हैं तो संभवः हम एकजुट होने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई, सर्वसम्मति तैयार करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यदि आप सर्वसम्मति नहीं तैयार करते हैं तो आप स्थिति से कैसे निपटेंगे ? यदि हमारी प्रवृत्ति कठोर है, यदि हम उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखते, यदि वह गुणाविहीन है, यदि हमारी प्रवृत्ति यह सोचने की है कि हमें सब कुछ पता है और हमने अपना गौरव प्राप्त कर लिया है तथा हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां हमें किसी की आवश्यकता नहीं है तो मुझे दुःख है कि यह देश को आगे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है।

यह सब कहने के बाद, अब मैं उस विवाद में नहीं फंसना चाहता कि परीक्षण करने चाहिऐ थे या नहीं। यह पीछे छूट चुका है। मैं केवल एक बात कहूंगा और मैं समझता हूँ कि बड़े-बड़े पदों पर काम करने के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि परीक्षण करने के लिए सुरक्षा संबंधी कोई विवशता नहीं थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री रह चुका हूँ। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ पता था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में कतिपय गोपनीय चीजें ऐसी होती हैं जिनके संसर्ग में केवल प्रधानमंत्री ही होता है और कोई नहीं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि परमाणु परीक्षणों के लिए कोई सुरक्षा विवशता नहीं है।

हो सकता है कि इसके पीछे अन्य सोच रही हो। हो सकता है कि राजनीतिक सोच रही हो। देशभक्ति की भावना हो सकती है। लेकिन सुरक्षा का कारण तो निश्चितताौर पर नहीं था। जब मैंने 19 मार्च को देश की बागडोर सौंपी थी तो हमारे समक्ष सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था। खतरा क्यों नहीं था ? खतरा इसलिए नहीं था क्योंकि 1987 में ही हमारे समक्ष एक नई स्थिति पैदा हो

[श्री इन्द्रकुमार गुजराल]

गई थी। 1987 में कौन सी स्थिति हमारे समक्ष पैदा हो गई थी? 1987 में जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमें बहुत विश्वसनीय और बहुत निश्चित तौर पर पता चला था कि परमाणुकरण प्रौद्योगिकी पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई है हमें अच्छी तरह पता है कि अमरीका की इस पर पूरी नजर थी। अब यह अमरीकी कांग्रेस के दस्तावेजों में लिखा है कि जनरल जिया के समय में क्षेत्र में मुख्यतया अफगानिस्तान की स्थिति होने के कारण अमरीका ने अन्य रुख अख्तियार करने का प्रयास किया था। जनरल जिया पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में अमरीकी हस्तक्षेप दो शर्तों पर चाहते थे। पहली शर्त यह थी कि अमरीकी देश के लोकतन्त्रीकरण की मांग नहीं करेगा और दूसरी शर्त यह थी कि अमरीका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में दखलंदाजी नहीं करेगा। इसीलिए उस दिन के बाद से 1993 तक प्रेसलर संशोधन लागू नहीं किया गया। लेकिन मैं इस सब का श्रेय अवश्य ही श्री राजीव गांधी को दूंगा। वह विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण के कट्टर हिमायती थे। उनका इसमें विश्वास था। और मैं समझता हूँ कि उसमें वह भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक का प्रत्येक प्रधानमंत्री बहुत विनम्रता के साथ इसमें मैं अपना नाम भी जोड़ना चाहूंगा - विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण का कट्टर हिमायती रहा है। हम अभी भी महसूस करते हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण के युग में विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अधिक सुरक्षित होगा। उस वक्त राजीव गांधी ने एक दूसरा फर्ज भी निभाया था। और, वह था प्रधानमंत्री का फर्ज। उन्होंने उसे बखूबी निभाया था। और मैं कहूंगा कि कोई गोपनीयता भंग किए बिना राजीव गांधी ने जिस प्रक्रिया की शुरूआत की उस प्रक्रिया को उनके सभी उत्तराधिकारी ने आगे बढ़ाया है। भारतीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और परमाणु खतरे के विरूद्ध भारतीय निवारण बिल्कुल चुस्त-दुरुस्त है तथा आपको परमाणु परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह निवारक उपाय हमेशा बना कर रखना चाहते थे।

इस सदन में भी इस पर चर्चा की गई है और मैं इसे पुनः कहना चाहता हूँ कि परमाणु हथियार युद्ध का हथियार नहीं है। परमाणु हथियार का प्रयोग कभी नहीं किया गया है। परमाणु हथियारों का प्रयोग विशेष रूप से भारत द्वारा कभी किया भी नहीं जा सकता। हिरोशिमा पर एक बम गिरा था, क्या हुआ था वहां? नागाशाकी पर एक बम गिरा था, क्या हुआ था वहां? करोड़ों-करोड़ लोग मारे गए। हमारा देश महान परम्पराओं और महान सभ्यताओं का देश है, हमारा देश महान पुरुषों का देश है और संभवतः हम कोई ऐसा बम नहीं रख सकते जिसे एक बार गिराने से हजारों लोग, 10,000 या करोड़ की संख्या में लोग मारे जाते हों। हम यह नहीं कर सकते। किसी ने इसे नहीं किया है।

मैं सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में पांच वर्षों तक रहा था। मैंने उन्हें परमाणु हथियार प्राप्त करते हुए देखा है। 1979 में एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और मास्को के दौरे पर थे तो परमाणु नीति पर चर्चा कर रहे थे और हम दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि सोवियत संघ के पास पूरे विश्व को नौ बार खत्म करने के लिए हथियारों का पर्याप्त जखीरा है। अन्तर सिर्फ इतना कि उस समय तक अमरीका पूरे विश्व को 13 बार खत्म करने की स्थिति में था।

क्या आप पूरी दुनिया को नौ बार खत्म करना चाहते हैं? या आप पूरी दुनिया को 13 बार खत्म करना चाहते हैं? किन्तु आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार कैसे खत्म कर सकते हैं? यह विडम्बना थी जिसने अंततः सोवियत संघ को ही विखण्डित कर दिया। एक बार आप परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, महोदय, तो आप गलतफहमी में मत रहिए - आप देशभक्ति के उन्माद का कोई भी नारा क्यों न दें, आप क्या, कोई भी देश उस दौड़ में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। यदि सोवियत संघ इस दौड़ में शामिल न हुआ होता तो वह टूटा न होता; वह सभ्यता और वह 'वाद' विलुप्त नहीं हुआ होता। मैं वहां पर राजदूत था और मैंने वहां देखा था कि उनके सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 30 प्रतिशत परमाणु हथियारों की होड़ पर खर्च किया जा रहा था। अमरीका ऐसी किसी संभावित स्थिति को टालने में सफल रहा क्योंकि सोवियत संघ को इस दौड़ में धकेलने वाले लोग वे स्वयं थे। आपके भी अन्दरूनी और बाहरी "मित्रों" ने आपको इस दौड़ में धकेल दिया है। भगवान के लिए कृपया अपने आप को धोखा मत दीजिए। यह कोई पराक्रम नहीं है, यह कोई बहादुरी नहीं है। यह केवल स्वयं का विनाश है। एक बार आप इस दौड़ में शामिल हो जाएं तो मैं नहीं जानता कि आप संभवतः इससे बाहर कैसे निकलेंगे। मैं इस दौड़ के त्रासदीपूर्ण परिणामों को देख सकता हूँ।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। इसका साफ अर्थ ही मुझे समझ में आता है क्योंकि हथियार का एक निश्चित अर्थ होता है। किन्तु यदि उससे उनका अभिप्राय यह है कि हमारे पास विश्वसनीय परमाणु हथियार निवारक उपाय हैं तो यह मुझे स्वीकार्य है। यदि उससे उनका अभिप्राय यह है कि शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। तो मुझे वह स्वीकार्य है। पर भगवान के लिए, शस्त्रीकरण और सैन्यकरण के बीच फर्क पैदा कीजिए। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है।

मेरे पास यहां दो दिन पुराना एक अखबार है जिसमें मेरे मित्र और एक विद्वान व्यक्ति, रक्षा मंत्री ने कहा है कि हथियार सेना को पहले ही सौंपे जा चुके हैं। वह क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ऐसा किया गया है तो भगवान हमारी रक्षा करे। मैं प्रधानमंत्री से यह आश्वासन चाहूंगा कि शस्त्रीकरण का अर्थ सैन्यकरण कतई नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि वह मुझे, इस सदन और देश को यह आश्वासन दें कि हम परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं। हताश देश ही इसे कर सकते हैं। पाकिस्तान हताश हो सकता है। वहां हमारे जैसा लोकतंत्र नहीं है। उनकी सभ्यता में वह प्रतिबद्धता नहीं है जो हमारी सभ्यता में है। वे शांति के प्रति उतने वचनबद्ध नहीं हैं जितने हम हैं।

मैं कहूंगा कि शांति केवल एक नारा ही नहीं है यह एक नीति है। शांति के संबंध में हमें एक नीतिगत ढांचा तैयार करना होगा।

उसके बाद ही आप उस सन्दर्भ में संभवतः सोच सकते हैं। मैं तो केवल यह कहूंगा कि हम कोई आंतकित होकर ये बातें नहीं कह रहे हैं। न तो कोई मुझे बता सकता है और न ही आपको मुझे बताने की कोई जरूरत है कि जो परीक्षणों से सहमत नहीं हैं वे सब आंतकित हैं तथा सारे बहादुर लोग उस तरफ बैठे हैं। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वे आंतकित हैं और जिन्होंने नहीं लिया वे सब बहादुर हैं। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने इस देश को अदम्य उत्साह, प्रतिबद्धता, जो जोशखरोश और जिम्मेदारी के साथ चलाया है उन्हें इस देश की समझ नहीं है और जिन्होंने नहीं चलाया, उन्हें समझ है। किसी को हमें वह पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मूलतः वे ही भारत को समझते हैं और हम नहीं। मेरी आपसे विनती है और मैंने आपसे कहा है तथा फिर कहता हूं कि आप इसे समझें कि परमाणु हथियारों की दौड़ ने राष्ट्रों को खत्म किया है। परमाणु हथियारों की दौड़ ने सभ्यताओं को नष्ट किया है। मैं उन्हें सभ्यताएं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी धारणा में सोवियत संघ एक नई तरह की सभ्यता थी। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन उनकी एक सभ्यतापरक सोच थी। हमने यह भी देखा है कि इस दौड़ ने महाशक्तियों को भी समाप्त किया है। हम तो अभी तक महाशक्ति बने भी नहीं हैं।

इसलिए हमें स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि यदि कभी परमाणु युद्ध होता है तो कोई उसे जीत नहीं सकता और कोई हार नहीं सकता - भगवान उसे टाले, बार-बार टाले। परमाणु हथियार कभी भी मत दीजिए। इसीलिए परमाणु हथियारों के निर्माण पर लोगों ने अरबों रुपए खर्च किए अब इनके जखीरों को नष्ट किया गया है। इसीलिए 'साल्ट' सन्धि और 'स्टार्ट' सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन पर हस्ताक्षर क्यों किए जा रहे हैं? इतने से भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम चाहते थे कि उन्हें और तेजी के साथ किया जाये। कुछ लोग इसे कर रहे हैं। इसलिए मैं केवल एक बात कहूंगा मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब हम वह हमें सम्बोधित करें तो कृपया मेरी बातों का उत्तर दें। मैं आशा करता हूं कि वह मेरी बातों का उत्तर देंगे और मुझे बताएंगे, आपको बताएंगे, हम सबको बताएंगे और समूचे देश को बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में भारत कभी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा।

यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, यह कोई गौरव का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न जिम्मेदारी की भावना का है; और प्रश्न राष्ट्र के भविष्य के प्रति वचनबद्धता का है; यह हमारे बच्चे तथा आने वाली पीढ़ी के प्रति वचनबद्धता का प्रश्न है।

मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आपको याद होगा कि क्योंकि आप मेरी सरकार के एक अंग थे - दो वर्षों तक हमने अपनी विदेशी नीति को एक नया मोड़ देने के लिए महान प्रयास किए थे। वह नया मोड़ यह था कि हमारी अपनी विदेशी नीति पाकिस्तान-केन्द्रित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने, न कि संयोगवश, पाकिस्तान के साथ विवादात्मक युद्ध रोक दिया एकपक्षीय रूप से हमने उनके किसी भी भड़काऊ बयान का उत्तर देना बन्द कर दिया। यहां तक हमने नवाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए भाषण का भी उत्तर नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि हम कोई भाषण नहीं तैयार कर सकते थे, ऐसा इसलिए नहीं था कि हम कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ऐसा इसलिए नहीं था कि हमारे पास भाषण कला नहीं थी बल्कि ऐसा मुख्यतया इसलिए था क्योंकि - ऐसा मेरा सोचना और मानना था और इस सदन का विश्वास मुझे प्राप्त था क्योंकि इसने मुझे समर्थन दिया था - भारत को अपनी भूमिका विश्व में निभानी है और चूंकि भारत को अपनी भूमिका विश्व में निभानी है अतः इसकी नीतियां कभी भी पाकिस्तान-केन्द्रित नहीं होनी चाहिये। हमारे परीक्षण और बदले में किए गए उनके परीक्षण आपको पुनः पाकिस्तान-केन्द्रित बना रहे हैं। क्योंकि सदन इस पर चर्चा कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि "हम पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं; हम पाकिस्तान से ज्यादा हिम्मतवाले हैं।" क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान चाहे कुछ हो या न हो। मैं उस विवाद में फंस रहा हूं। लेकिन भारत को अपनी आजादी के 50वें वर्ष में अवश्य ही पाकिस्तान केन्द्रित नहीं रहना चाहिए। कृपया इस बात को समझें।

अमरीका और चीन के बीच एक तरह का छिपा हुआ विवाद छिड़ा है - इसे खिलाफत कहिए। कृपया किसी को आपके खिलाफ चीनी पत्ता मत फेंकने दीजिए। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री कार्यालय में किसने वह पत्र तैयार किया था। मैं जानता हूं कि वह पत्र विदेश मंत्रालय में नहीं तैयार किया गया क्योंकि हमारे पास विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के बहुत ही सक्षम सदस्य हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वह पत्र राष्ट्रपति क्लिंटन को कैसे लिख दिया और चीन के बारे में क्यों बात की क्योंकि इससे तो हम उनके शिंकजे में, उनके जाल में फंस गये।

जब मैं विदेश नीति का प्रभारी था तो मैंने अपनी नीतियों पर दृढ़ रहते हुए इस बात का ध्यान रखा कि हम चीन के पत्ते की चाल न चलें ताकि अन्य कोई हम पर भी चीन के पत्ते की चाल न चले। हमने किसी को भी अपने ऊपर चीन के पत्ते की चाल चलने का मौका नहीं दिया। अब हमने यह चाल चली है। हमने एक तरफ तो चीन को नाराज किया है लेकिन दूसरी तरफ हमने वाशिंगटन में लोगों को खुश कर दिया है और अब हमें यह मालूम नहीं है कि हम किधर जायें। मेरे प्रिय मित्र डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी जी यहां बैठे हुए हैं। वे चीन के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं। और मैं आशा करता हूं कि वे अभी तक चीन की कारगुजारियों को भूले नहीं होंगे क्योंकि उनका ए.आई.ए.डी.एम.के. से अत्यधिक लगाव है। मैं समझता हूं जब वे बोलेंगे अर्थात् जब वे कुछ कहेंगे तो वे हमें यह बता देंगे कि यह खेल कितना खतरनाक हो सकता है और यह जाल कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब आप अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें : दूसरे हमारे ऊपर इस पत्ते की चाल चलें। इससे हमारा बहुत भारी-विनाश हो जायेगा।

चीन के साथ हमारी एक प्रकार की धीमी प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस प्रक्रिया से कुछ हल निकलता नज़र आ रहा है।

[श्री इन्द्रकुमार गुजराल]

शाबाशी की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। 1962 में कुछ हुआ था। क्या आज हम और अधिक शक्तिशाली बन गए हैं क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं? वे ऐसे परमाणु परीक्षण 45 बार कर चुके हैं। क्या यह उनको अधिक शक्तिशाली बनाता है? क्या वे आपके ऊपर परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या आप उनके विरूद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न ही नहीं उठता। आप युद्ध को एकबार फिर क्यों बुलावा दे रहे हैं। कोई भी समझदार देश युद्ध को बुलावा नहीं देता है। लेकिन यहां मैं देखता हूँ कि युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है। हम एक दूसरे से यह होड़ लगा रहे हैं कि किस की भाषा अधिक असंगत है, किसकी वाक्यपटुता अधिक बलवती है और इस प्रकार से हम परेशानी खड़ी करते हैं।

कृपया इस बात को समझें कि परमाणु हथियार बनाना एक बहुत विकट खेल है, इसमें अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्रिय मित्र, श्री पी. चिदम्बरम जी ने कई बातें शुरू की थीं और कई बातों को अंजाम भी दिया था। वे वित्त संबंधी मामलों को मेरे से अधिक जानते हैं। अतः मैं आपको यह बताने का प्रयास नहीं करूंगा कि इस कार्य को करने में आपका कितना धन लगेगा।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अपने को अधिक प्रगति की पटरी से उतरने का यही एक निश्चित तरीका है। आर्थिक सर्वेक्षण सम्बंधी आंकड़े जो कल यहां सभा पटल पर रखे गए थे हम सबको यह बता दिया है कि जो समस्याएं हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं उनसे छुटकारा कैसे पाऐं। हमारे सामने किए जा रहे समझौतों का प्रभाव अन्य भाषा में बात करने का यूरोपीय प्रभाव, विभिन्न भाषाओं में बात करने का विश्व बैंक का प्रभाव, अन्य भाषा में बात करने का जापान का प्रभाव जेसी समस्याएं हैं। बहादुरी एक बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन बिना होश के जोश खतरनाक होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। हम जो कुछ कहना चाहते हैं हमें स्पष्टरूप से कहना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी परमाणु हथियार बनाने और सैन्यीकरण करने के अंतर को समझते हैं। मुझे आशा है जैसे ही वे इस बात को समझेंगे। वे इनको बंद कर देंगे। मैं नहीं जानता कि क्या कोई आपात योजना तैयार की गई है। यदि कोई तैयार भी की गई है तो मैं चाहता हूँ कि वे इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे इसे सार्वजनिक करें। लेकिन मैं तो यह चाहता हूँ कि वे इस बात को लेकर हमसे चर्चा करें। उनकी आपात योजना क्या है? कूटनीति सम्बंधी उनकी योजना क्या है? हो सकता है कि हम उनकी मदद कर दें। अर्थव्यवस्था संबंधी उनकी आपात योजना क्या है? नीति सम्बन्धी उनकी आपात योजना क्या है? पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में उनकी आपात योजना क्या है? महाशक्तियों के साथ सम्बंधों के बारे में उनकी आपात योजना क्या है?

वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। कृपया यह देखिए मुझे प्रतिबंधों से इतना अधिक डर नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का डर है। हम सब दक्षिण-पूर्व एशिया में वित्तीय संकट देख रहे हैं। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि मुद्रा का परिचालन कैसे किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि वित्तीय व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। मैं दो वर्ष पहले इंडोनेशिया गया था और मैं वहां दस वर्ष के बाद गया था। इंडोनेशिया बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से कार्य कर रहा था। मैं मलेशिया गया था। यह भी अत्यधिक अच्छा कार्य कर रहा था लेकिन अचानक क्या हुआ? वे बिल्कुल बदल गए हैं। ये लोग जो ब्रेटनवुड्स संगठनों और संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं वे आपको भी आपके मार्ग से विचलित कर सकते हैं। भगवान न करे कि आगे भी रुपए का अवमूल्यन हो, भगवान न करे कि इंडोनेशिया के रुपए की भांति हमारे रुपए का अवमूल्यन हो, यदि ऐसा हो जाता है तो यह अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भी खतरनाक होगा। हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि ऐसा न हो। यहां बहुत सी बातें बताई गई है, मैं समझता हूँ कि इन शर्तों का ध्यान रखना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण नीति पर विचार कीजिये। नीति पत्र अथवा आपात पत्र हम सभी को शेयर करना चाहिए। भगवान के लिए एक काम करो। मैं देश के नाम आपसे अपील करता हूँ, कि भगवान के लिए जिंगोबाद की जय-जयकार न करें और भगवान के लिए भावातिरेक में न चिल्लायें भगवान के नाम पर अब अपनी कोई समस्या उत्पन्न मत करो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हम शांति पूर्ण विकास चाहते हैं। हम उन देशों की भांति इस देश की उन्नति चाहते हैं जहां विकास दर 11 से 12 प्रतिशत तक है। मेरे विचार से वित्त मंत्री ऐसा बजट जो हमारे विकास में बाधक हो, को प्रस्तुत करने की बजाय 10 से 12 प्रतिशत विकास दर लाने वाला बजट प्रस्तुत कर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब यही बुद्धिमता का विषय हमारे सामने होगा। एक दूसरा खतरा भी है। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में हमने कश्मीर को समझौतों के द्विपक्षीय स्तरों पर लाने में सफलता पाई है। हमारी प्रगति बहुत धीमी है। हम अब तक कामयाब नही हो सके हैं। लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का एक बार फिर बड़ी खतरा है। मुझे नहीं मालूम कि आपात कूटनीतिक योजना इसके बारे में क्या कहती हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे योग्य प्रधानमंत्री ने, जो विदेश मंत्री भी हैं इसके बारे में क्या सोचा है और मैं नहीं जानता हूँ कि वे किस प्रकार की पहल करने की सोच रहे हैं।

जब प्रधानमंत्री ने कल इसके बारे में बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उनका दृष्टिकोण प्रति रक्षात्मक है। मैं बहुत परेशान हूँ। पाकिस्तान ने परीक्षण कर लिया है और वह यह कह रहे हैं।

आज दोपहर बाद यहां आने से पूर्व में टेलीविजन देख रहा था जिसमें सी.एन.एन. चैनल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह वक्तव्य था कि पाकिस्तान एक बार और परीक्षण कर सकता है। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान एक बार और परीक्षण कर सकता है। यदि यह सही है तो क्या कल प्रधानमंत्री भी अपने वक्तव्य को दोहराना उचित समझेंगे। यदि पाकिस्तान फिर से परीक्षण करता है तो वह स्पष्ट रूप से सबके सामने खुले में आ जाएगा। और यदि वह तीसरी बार परीक्षण करता है तो तीसरी बार भी सबको इसका पता चल जाएगा। इसमें किस बात का रहस्य है और यह कैसा रहस्य है? उसने इस समस्त उपमहाद्वीप को इस दौड़ में शामिल

कर लिया है। फिर रहस्य क्या रह गया? उसने परीक्षण विशुद्ध राजनैतिक कारणों से किया है न कि सुरक्षा कारणों से और मैं यह बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमारा देश परमाणु हथियार सम्पन्न देश है। उन्हें इसका ब्यौरा देना चाहिए। वे परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र का क्या अर्थ लगाते हैं। इस शब्द का अर्थ है बहुत से लोगों के लिए बहुत सी बातें। इसीलिये, हमारे लिए इस शब्द के अर्थ को समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तभी हम सम्भवतः विस्तृत नीति प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर दे सकते हैं।

अब मैं जो कुछ हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए। उस बात के ऊपर आता हूँ चूंकि मैं नहीं समझता कि यह अकेले प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य है। हम भी इस तंत्र के हिस्से हैं; हमारी भी यह तमन्ना है कि यह देश आगे बढ़े, हमारी भी यह तमन्ना है कि यह देश फले फूले, और हमारी तमन्ना है कि आज आपने जिस ब्रह्म में देश को धकेल दिया है, उसमें हम अपना सहयोग देकर इसे निकालें। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है तब प्रधानमंत्री अन्यथा कारणों पर विश्वास करते रहेंगे। जब तक आप एकतरफा यह घोषणा नहीं कर देते कि हम पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम एक तरफा यह घोषणा कर सकते हैं कि हम किसी ऐसी शक्ति के विरुद्ध जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं। परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे।

उन्होंने आगे परमाणु परीक्षण न करने की बात कही है। आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं और इसे एक तरफी रूप में कह सकते हैं उन्हें अपनी घोषित नीति के एक भाग के रूप में यह भी घोषणा करनी है कि हम परमाणु प्रसार में विश्वास नहीं करते। इस बात से मुझे सी.टी.बी.टी. का खयाल आया। मैंने आज अपराह्न में आपने भाषण के अंत में सी.टी.बी.टी. के बारे में बात की जैसा कि सभा को ज्ञात है मेरा सी.टी.बी.टी. नीति से कुछ सम्बन्ध है। जब मैं इस नीति को बना रहा था तो मैंने यह नीति इस सभा के समक्ष रखी थी। मेरे दृष्टिकोण से सी.टी.बी.टी. के प्रति हमारे दृष्टिकोण मे एक और आयाम जुड़ गया है। हम हमेशा गैर परमाणुकरण की एक विचारधारा के रूप में बात करते आये हैं। मैंने इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम को भी जोड़ दिया है।

जब मैं श्री क्लिंटन के साथ गत वर्ष सितम्बर में न्यूयार्क में बातचीत कर रहा था तो मैंने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराने को कहा था। मैं उस समय प्रधानमंत्री था, यहां नहीं बैठता था। मैंने उन्हें भारत के मानचित्र और हमारे आसपास दृष्टि डालने को कहा था। मैं इसका यहां विस्तृत ब्यौरा नहीं दूंगा। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री के लिखे पत्र में जो परिदृश्य परिलक्षित किया गया है वैसा ही परिदृश्य चाहिए था। कुछ समय तक मेरी बात सुनने के बाद श्री क्लिंटन ने कहा "मैं समझ गया।"

जब राष्ट्रपति सिराक यहां आए तब भी मेरा यही दृष्टिकोण था, मेरे मित्र, तत्कालीन वित्त मंत्री मेरे साथ थे। मेरा यही दृष्टिकोण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ था। वे सभी आ रहे थे तथा मेरे दृष्टिकोण को समझ रहे थे। ईश्वर के लिए आप अपनी कूटनीतिक कुशलता का अपने मामले को अच्छे ढंग से रखने हेतु इस्तेमाल करें। हमारे पास एक मामला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मामला नहीं है, सिर्फ इस पर अच्छे ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

यहां मैं अपने सहित सभी से अपील करता हूँ कि "हमारी सद्बुद्धि प्रबल हो। हम शांति की बात करें।" हम आजादी के पहले दिन से ही इसके लिए वचनबद्ध हैं। हमारे पास नेहरू के वे शब्द हैं। जो उन्होंने कहा था 'नियति के साथ साक्षात्कार हमारी शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में ख्याति रही है। भगवान के लिये इस ख्याति को बनाए रखें। इसके साथ ही हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और परमाणु निरस्त्रीकरण की वचनबद्धता को भी निभाना होगा। विश्व को यह बताना होगा कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं। क्योंकि तभी प्रत्येक देश अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा और भारत भी उनके साथ होगा। 'परमाणु हथियारों' को आप समाप्त करो तो हम भी कर देंगे। हमने ऐसा ही रासायनिक हथियारों के मामले में किया है। जब हमने संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो इस बात को कोई नहीं जानता था कि हमारे पास रासायनिक हथियार हैं।

तथ्य यह है, कि मेरे मित्र जो उस तरफ बैठे हैं ने मेरी आलोचना की थी और विशेष रूप से श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह अलोचना की थी। मुझे विश्वास है कि अब उनके विचार इससे दूर होंगे। मैंने उन्हें बता दिया था कि हम ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और हम संधि पर गौर फरमायेंगे हमने इस पर गौर फरमाया है। हमने जैविकीय हथियारों संबंधी संधि पर भी गौर फरमाया है। हम इस पर भी गौर फरमाने के इच्छुक हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयास से, बड़े बलिदान से हमने पड़ौसी देशों के लिए एक नीति बनाई है। श्रीमती सुषमा स्वराज अभी ऐसे दो देशों से होकर आई हैं। उन्होंने उन नीतियों के फायदे देखे हैं। उन्होंने ढाका की प्रतिक्रिया को देखा है। उन्होंने श्रीलंका की प्रतिक्रिया को भी देखा है। भगवान के लिए इन नीतियों को समाप्त न करें क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें मेरा नाम दिया है। भले ही आप इन्हें अपना नाम दे दें लेकिन कृपया इस नीति को जारी रखें, पड़ौसी देशों के अच्छे संबंध बनाए रखने की नीति को जारी रखें और पड़ौसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखकर युद्ध को टालें।

पाकिस्तान ने हमसे बातचीत करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम हमला न करने सम्बन्धी समझौता करने के लिए तैयार हैं। वे इससे अधिक और कुछ चाहते हैं लेकिन हम उनके अनुसार अपने को नहीं ढालना चाहते। हमें पाकिस्तानी सीमा के सम्बन्ध में और न ही पाकिस्तान की राजनीति में कोई दिलचस्पी है। शिमला समझौते के अनुसार हम कश्मीर के बारे में भी बातचीत करने के इच्छुक हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सहमति से मैंने ऐसा पहले ही कहा था कि और वचन दिया था कृपया इसे बनाये रखें। ताकि सम्पूर्ण मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता तक सीमित रखा जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर

[श्री इन्द्रकुमार गुजराल]

श्री जगमोहन आपके सलाहकार हैं तो भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि फिर तो कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जाएगा और फिर आपको न्यूयार्क जाना ही पड़ेगा। यह मुद्दा इस उपमहाद्वीप में नहीं रहेगा।

माले में श्री नवाज शरीफ के साथ समझौता करते समय हमने आठ मुद्दों को चुना था। उन्होंने कहा था कि हम इन्हीं आठ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जब मैं पिछली बार उनसे इस वर्ष जनवरी में ढाका में मिला हम दोनों इन पर सहमत थे और मैंने यह बात दोहराई थी - श्री नवाज शरीफ और मैं सहमत थे कि निकट भविष्य में हमारे विदेश सचिवों में वार्ता इसी आधार पर होगी और सभी आठों मुद्दे एक स्थान पर एक भवन में एक साथ उठाए जाएंगें। हम दोनों ने अपने-अपने विदेश सचिवों को ऐसे निर्देश दिए थे। इस नीति को जारी रखा जाए। मेरे बैठने से पूर्व, मुझे आशा है कि, मेरे मित्र जो उस तरफ बैठे हैं और जिनके प्रति मेरे दिल में अत्यधिक सम्मान है और उनमें से कुछ के प्रति मेरे दिल में अत्यधिक स्नेह है मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे और शर्मिंदा नहीं होंगे।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अच्छे पड़ौसी बनिये यहां भी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं केवल यही कहूंगा कि आपात योजना तैयार करनी चाहिए। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आपात योजना निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य शांति का है। हमारा उद्देश्य पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बंधों का है, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होना नहीं है और हमारा उद्देश्य इसे अक्षुण्य बनाए रखने का है। इस कार्य को मेरे प्रिय मित्र माननीय वित्त मंत्री द्वारा और आसान बनाया जाना चाहिए। वे निश्चित रूप से कल हम पर हावी हो सकते हैं वे निश्चित रूप से कुछ भी करें देश उनका साथ देगा। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आये और इसे संभवतः समाप्त ही कर दिया जाये। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि काश जो कुछ कल घटित हुआ वह नहीं होगा था हालांकि इसकी संभावना थी। मैं यह भी आशा करता हूँ कि पर एक ऐसी बात नहीं हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हो लेकिन फिर भी हमें ऐसा आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिये। इसी अपील के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल का भाषण सुनने के पश्चात् मैं यह सोचने पर मजबूर हूँ कि परीक्षण और प्रतिपरीक्षण समान अनुपात में खतरनाक और नासमझीपूर्ण होते हैं क्योंकि राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों के पश्चात् यह कहा था कि परमाणु हथियार विज्ञान का सबसे क्रूर आविष्कार है वे घिनौने हथियार हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने उन परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों जिन्होंने पोखरण में दो बार सफल परीक्षण किए, को धन्यवाद देने के इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ।

पोखरण में हुए परीक्षणों को कई नाम दिए गए कई बार इसे लड़ाकू नीति संबंधी और कई बार इसे दलगत राजनीति से प्रेरित बम कहा गया, विश्व हिन्दू परिषद के श्री सिंहल ने इसे हिन्दू बम कहा। लेकिन श्री शरद पवार ने इस पर अपनी टिप्पणी की और ऐसी कारगुजारियों को पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बताया।

वे वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने पोखरण में दूसरी बार परीक्षण करने में अपना योगदान दिया ? भारत रत्न रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ० अब्दुल कलाम, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ० आर. चिदम्बरम और डी.आर.डी.ओ. के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ० के. सन्थानम। सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यदि वे इसे हल्के-फुल्के हिन्दू बम कहते हैं। तो मैं इसे तमिल वालों का बम कहूंगा अथवा तमिलनाडु का बम कहूंगा। क्योंकि यह उचित भी होगा।

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु का रहने वाला भी हिन्दू होता है।

सभापति महोदय : दखलअंदाजी न दें।

श्री मुरासोली मारन : मैं ऐसा हल्के-फुल्के मूड में कह रहा हूँ। यह हिन्दू बम नहीं है।.....*(व्यवधान)*

हम सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं।

श्री वैको (शिवकाशी) : तमिलनाडु के निवासी होने के नाते हमें इस पर गर्व है। मैं आपसे सहमत हूँ।

श्री मुरासोली मारन : धन्यवाद, एक बार तो आपसे सहमत हो रहे हैं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री को उनकी उस उदारता के लिए बधाई देनी है जिस उदारता के साथ उन्होंने हमारे परमाणु कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि की रूपरेखा प्रस्तुत की है। श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने हमारे परमाणु विकल्प की आधारशिला रखी थी, उनकी चीन के द्वारा 1964 में पहला परमाणु विस्फोट करने से पहला ही मृत्यु हो गई। जिससे भारत के परमाणु हथियारों के वाद-विवाद को धक्का लगा। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत के परमाणु विस्फोट का आदेश दिया लेकिन वे भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। अतः इसे श्रीमती इंदिरा गांधी औ डॉ० होमी भामा के बाद वैज्ञानिकों ने 1974 में प्रथम भारतीय विस्फोट को अंजाम दिया। हालांकि श्रीमती गांधी ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया और उस दिन से भारत परमाणु हथियार क्षमता सम्पन्न राष्ट्र बना। तत्पश्चात् श्री राजीव गांधी आए - हालांकि उन्होंने विश्व निरस्त्रीकरण के लिए अभियान चलाया। लेकिन - उन्होंने इस विकल्प को अपनाया था। उनके बाद श्री वी.पी. सिंह और श्री चन्द्रशेखर आए जिन्होंने इस कार्यक्रम का जोरदार समर्थन किया। श्री पी.वी. नरसिंहराव ने 1995 में परमाणु परीक्षण कर सकने की स्थिति तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उन्होंने अल्प सूचना में ही इस परीक्षण की सुदृढ़ तैयारी कर ली थी। इसलिए इस विस्फोट का श्रेय उन्हीं को जाता है। उस प्रयास की वजह से ही आज हमने इसे छद्म के साथ छिपा दिया है। सी.आई.ए. भी इसका पता नहीं लगा सकी तत्पश्चात् श्री एच.डी. देवेगोड़ा और श्री इन्द्र कुमार गुजराल आए। उन्होंने

इसका परीक्षण नहीं किया। उनके लिए परीक्षण करना संभव था। परीक्षण करने का आदेश जारी करना उनकी पहुंच के भीतर था लेकिन उन्होंने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करके इस विकल्प को खुला रखा।

यह कार्य लम्बी प्रसारण दौड़ की तरह है और इस दौड़ में एक के बाद एक प्रधानमंत्री शामिल हुए। जिनमें सबसे अंत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और उन्होंने भारत को प्रत्यक्ष परमाणु हथियार शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बना दिया। तो इसमें वाजपेयी जी ने क्या कर दिखाया। पहली नौ सरकारों ने कुछ नहीं किया है जैसा कि श्रीमती गांधी ने 24 वर्ष पहले ही अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब श्री वाजपेयी ने क्या किया है।

लेकिन अब प्रश्न यह है कि यह परीक्षण इसी समय क्यों किया गया। मैं श्री गुजराल जी के विचारों से सहमत हूँ। हमारी सुरक्षा की कोई बाध्यता नहीं है। हमारी सुरक्षा को कोई चुनौती नहीं है। इसीलिए इग्लैंड के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि यह एक बेहतरीन विपथन है। एक अन्य टिप्पणी में कहा गया है कि यह एक जोरदार राजनैतिक चाल है। यह ऐसा लगता है राजनीति से प्रेरित कार्य लगता है। इसलिए पोखरण में दोबारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे नया सुरक्षा तर्काधार क्या है? इस बात को हमें स्पष्ट करना होगा।

लेकिन कोई नजर नहीं आता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सचिव श्री सुदर्शन ने रहस्य खोल दिया है। उन्होंने कहा था कि "1996 में भारती जनता पार्टी के 13 दिन के शासन के दौरान ही हम ऐसा करना चाहते थे।" क्योंकि यह समय बहुत कम था इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। यहां सुरक्षा की किसी को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ऐसा किया। सारा विश्व हमारी तरफ किस तरह देख रहा है? यह दुख की बात है। आपने यह कार्य ऐसे समय किया है जब सम्पूर्ण विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो रही है। यह ऐसे समय किए गए हैं जब 6 परमाणु अस्त्र सम्पन्न देशों अर्थात् ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टीना, उक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान को परमाणु हथियार विहीन कर दिया है।

उस समय 25 हजार परमाणु हथियारों को नष्ट किया गया था। अन्य देश उदाहरण के लिए, ताइवान से इराक तक सभी इस तरह के परमाणु विस्फोट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन और तेहरान के मुल्लाह परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे समय में हमने परमाणु विस्फोट किए हैं। इसलिए, इसके पीछे यह भावना है कि हमने परमाणु युद्ध के खतरे को पुनर्जीवित कर दिया है। भारत को अब धमकी मिल रही है।

महोदय, मैं यहां 'फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन' द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है :

> "शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही परमाणु युद्ध का खतरा समाप्त हो गया है और इसलिए, परमाणु निरस्त्रीकरण का समय आ गया है। महोदय, हम परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ावा देने के दोषी हैं। हमने क्या किया है? पोखरण में दो बार परीक्षण के कारण क्या हो गया है? सरकार ने हमारी परमाणु प्रतिबंध की अनुभूत नीति को उलट कर दिया है जिसे राष्ट्रीय सहमति से बनाया गया था। 11 मई से पूर्व भारत की परमाणु नीति कुछ नहीं थीं बल्कि परमाणु संयम की एक नीति थी और इसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं।"

पोखरण में दो बार परीक्षण करने के पश्चात् दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परिवर्तन आया है। भारत भी अब बदल गया है। गुजराल के सिद्धांतों का क्या हुआ? श्री गुजराल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर और अन्य विदेशी हस्तियों के कुछ पत्र दिखाए थे जिनमें उन्होंने उन सिद्धांतों के लाभों की प्रशंसा की है। जो लाभ हमें 'गुजराल सिद्धांत' से प्राप्त होते थे। उन्होंने 'गुजराल सिद्धांत' के नाम का जिक्र किया है। मैंने श्री गुजराल को श्री टोनी ब्लेयर द्वारा लिखा पत्र देखा है, बंगलादेश भी खुश था, अन्य छोटे-छोटे देश भी खुश थे, श्रीलंका खुश था। पाकिस्तान के साथ हमारे विदेश सचिव स्तर की वार्ता कार्यक्रम के अनुसार चल रही थी। इन दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हॉट लाइन स्थापित हो गई थी। इस प्रकार दोनों देशों के प्रधानमंत्री का रूख नरम हुआ और सभी बातें सामान्य रूप से चल रही थी। परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार ने इस कार्य को निपटाने के लिए यह समय क्यों चुना?

हमारी विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका है। शिमला समझोते का क्या हश्र हुआ? ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराल सिद्धांत को इतिहास के पन्नों में बंद कर दिया गया है। मैं यह नहीं जानता कि हम अभी भी शिमला समझौते पर दृढ़ हैं अथवा नहीं। मेरे विचार से इसका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं।

महोदय, "आपरेशन" "ब्रासटैक" के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए हैं। चीन के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने के लिए श्री वाजपेयी 1979 में चीन गए थे। चीन के साथ हमारे संबंध 1960 से ही बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान और पोखरण-दो के परमाणु विस्फोट के बाद भारत की विदेश नीति को पुनः परिभाषित करें।

महोदय, पाकिस्तान की कार्यवाही अप्रत्याशित नहीं थी। हम अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और वे भी यही कर रहे थे। यहां न्यूटन का सिद्धांत लागू होता है - प्रत्येक क्रिया की आमने-सामने और समान प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने यही किया है। परन्तु हम यह 1987 से जानते हैं कि उनके पास बम है और उन्होंने इसे खुलने पर स्वीकार किया है। परन्तु, अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 'स्क्रू ड्राइवर' से अंतिम बार कस लिया है। उनके पास सभी सामग्रियां उपलब्ध हैं। परन्तु हम तो यह जानते हैं कि उन्हें सभी सामग्रियां कहां से प्राप्त हुई हैं। जेन्स साप्ताहिक ने इसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है - एक हिस्सा प्राप्त किया गया है, एक हिस्सा गुप्त रखा गया है और इसका एक हिस्सा विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने मांगकर, उधार के रूप में प्राप्त करके और चोरी-छिपे बम बना लिया है। इस प्रकार से गुप्त कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है। इसके क्या परिणाम निकले?

[श्री मुरासोली मारन]

मैं रूढ़िवादी समाचार पत्र 'द हिन्दु' का उद्धरण देना चाहूंगा। जिसमें यह कहा गया है;

> "पाकिस्तान ने कल पांच परमाणु हथियारों का विस्फोट करके श्री वाजपेयी प्रशासन के नेतृत्व में भारत द्वारा शुरू किए गए हथियारों के होड़ के दबाव के आगे न झुकने का संकेत दिया है। दुःख इस बात का है कि यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र गंभीर संकट के दौर की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि वाजपेयी सरकार ने उत्तेजना और कट्टरपंथी रवैये ने देश को पत्तन के कगार पर खड़ा कर दिया है।"

द हिन्दु जैसे रूढ़िवादी समाचार में ऐसी बातें लिखी गई हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : यह तो एक तमिल समाचार पत्र है।

श्री मुरासोली मारन : नहीं, यह तमिल समाचार पत्र नहीं है बल्कि यह पत्र डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी के अधिक करीब है।

महोदय, मैं प्रतिबंधों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हम यह कह सकते हैं कि प्रतिबंधों से पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित होगा और हम इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगे। परन्तु बात यह नहीं है। निस्संदेह पाकिस्तान एक छोटी टोकरी की तरह एक छोटा देश है। उनके पास एक बिलियन डालर विदेशी मुद्रा है जो कि एक माह की आयात के बराबर है। यह एक अलग बात है कि इसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

वे राष्ट्र भावना की सनक को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने एक अलग प्रकार के आपातकाल की घोषणा की है। वे बिल्कुल अलग दिशा की ओर बढ़ रहे हैं हम इससे तुलना नहीं कर सकते।

युद्ध के कई सिद्धांत हैं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में यह कहा गया है कि हम हथियारों की होड़ में शामिल होना नहीं चाहते हैं। जाने अथवा अनजाने में हम हथियारों के होड़ को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार हैं; यह कोई साधारण हथियारों की होड़ नहीं है परन्तु यह तो परमाणु हथियारों की होड़ है। यह होड़ चल रही है और हमने इसको आगे बढ़ाया है। अब यह होड़ शुरू हो गयी है और हम यह नहीं जानते कि यह होड़ कब खत्म होगी। जैसा कि श्री चिदम्बरम ने कहा कि यह केवल जमा करना नहीं है। यह मात्र बम तैयार करना और इसे तैयार करके भूमितल में रखने जैसा नहीं है। यह सिर्फ गणना की बात नहीं है कि हमारे भूमितल में कितने बम हैं। बल्कि प्रत्येक बम में ट्रिटम नामक पदार्थ है जो कि थोड़े समय के बाद क्षीण हो जायेगा। हमें हर बार इसका नवीकरण करना होगा।

केवल इतना ही नहीं शीत युद्ध के अग्रणी देशों ने एम.ए.डी. (म्युचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन) नामक सिद्धांत बनाया है। उस स्तर तक पहुंचे बिना कोई देश इसका उत्पादन बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे पास दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त बम होने चाहिए और इसी प्रकार दुश्मनों के पास हमें बर्बाद करने के लिए पर्याप्त बम होने चाहिए। जब तक हम दोनों ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हम बम का और निर्माण नहीं रोकेंगे। युद्ध के कई सिद्धांत हैं। यह उनमें से एक है। क्या हम इस एम.ए.डी. सिद्धांत को अपनाने जा रहे हैं?

कोई भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र को क्यूबाई प्रक्षेपास्त्र संकट की भांति देखना नहीं चाहेगा। हमें शीत युद्ध का भी अनुभव है। हमने यह देखा कि पूर्व-पश्चिम शीत युद्ध की शुरूआत के दिनों में अनिश्चितता के कारण सर्वत्र असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने और संकट के दौर में सम्प्रेक्षण करने अमरीका और तत्कालीन सोवियत संघ जैसे देशों को भी थोड़ा समय लग गया था। परन्तु, यहां हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि अब परमाणुकरण हो गया है। हमारे पूर्व प्रधान ने एक स्पष्टीकरण मांगा है; यदि हाँ, तो बागडोर और नियंत्रण किसके हाथ में है। क्या इसका नियंत्रण सेना के जनरल, प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। इसका निर्णय कब लिया जाता है? भारत और हमारे पड़ौसी देशों के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। हमारे पास कोई शीघ्र चेतावनी प्रणाली नहीं है। हमारे गृह मंत्री के अनुसार हम द्वन्द्व युद्ध का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद भी तो है। लोग यहां आकर हमारे लोगों को गोली से उड़ा रहे हैं। हमें इस संदर्भ में इस पर गौर करना होगा। छुट-पुट घटनाएं कम की जा सकती हैं परन्तु यदि, इसे गलत आंका गया तो इसके भीषण परिणाम होंगे। मैं एक उद्धरण देना चाहूंगा कि एक पाकिस्तानी प्रोफेसर परमाणु बम के बारे में क्या सोचते हैं। वे इस्लामाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका उद्धरण इस प्रकार है :

> "जब भारत के साथ युद्ध में मुकाबला करने में हमारी पारम्परिक रक्षा प्रणाली विफल हो जाएगी तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा।"

वे यह मानते हैं कि यदि पारम्परिक हथियार प्रणाली विफल हो जायेगी तो वे परमाणु बटन दबा देंगे। मैं एक और उद्धरण देता हूँ :

> "यह संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि भविष्य में कोई युद्ध होगा और हमें प्रतीत होगा कि हमारे रक्षा बल हार रहे हैं तो हम अपने किसी प्रकार के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। इससे भले ही थोड़ी क्षति हो परंतु वह भी आपके लिए स्वीकार्य नहीं होगी। हम यह भी जानते हैं कि आपके पास परमाणु हथियारों का बड़ा भण्डार है और आप बेशक हमारी अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचा सकेंगे परन्तु हमारा आक्रोश उस स्तर तक पहुंच जाएगा कि हमें आपकी दादागिरी के आगे झुकने के मुकाबले यह स्वीकार्य होगा।
>
> कहीं कहीं की गई छोटी-सी गलती से भी दोनों देशों में विनाशकारी होगी। क्या ऐसा होने दिया जाना चाहिए।"

पाकिस्तानी प्रोफेसर ने यह बात पूछी है। मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक छोटी-सी गलती से यह प्राचीन सभ्यता परमाणु से नष्ट हो जाएगी। ऐसा होने से रोका नहीं जा सकेगा। भीषण अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे इसे मात्र साधारण

अस्थिरता ही नहीं मानते परन्तु इसे किसी ऐसे भावी संकट की अस्थिरता मानते हैं जिसमें अनेक लोगों की हत्याएं होंगी।

वर्ष 1985 में जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गोरबाचेव ने मिलकर यह घोषणा की है कि परमाणु युद्ध निर्णायक रूप से जीता नहीं जा सकता, अतः इसकी शुरूआत नहीं की जानी चाहिए। इन दोनों महाशक्तियों ने यह सबक ली। अब हमारे सामने इस उमहाद्वीप और पूरे क्षेत्र को युद्ध और संघर्ष से मुक्त रखने की चुनौती है। परमाणु युद्ध अथवा परमाणु हथियारों के संकट को शीघ्रातिशीघ्र रोके जाने की आवश्यकता है। हमें परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना चाहिए। परमाणु और हथियारों के संबंध में नई दिल्ली द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापक रूप से पारम्परिक विश्वास बनाए रखने के लिए व्यापक बातचीत का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

इस समय हमारा प्रत्येक कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम किसी बात को तोड़-मरोड़ नहीं सकते हैं। हम पूर्वस्थिति में पुनः नहीं जा सकते हैं। परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं; पाकिस्तान इसे जारी करने जा रहा है। हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा कि अब हमें क्या करना है। मैं यह नहीं जानता कि हमने इस समस्या में चीन को अनावश्यक रूप से क्यों शामिल किया है। इस संबंध में मैं पूर्व विदेश सचिव, श्री जे.एन. दीक्षित, का उद्धरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा :

> "मेरी इच्छा है कि हमें अपने परमाणुकरण के कारण के रूप में चीन का विशेष रूप उल्लेख नहीं करना चाहिए था। भारत ने चीन के साथ अनावश्यक रूप से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। हमें चीन के साथ हमारे संबंधों को पुनः सामान्य बनाने की नितान्त आवश्यकता है। वर्तमान टकराव की स्थिति जो कि स्पष्ट रूपसे हमने उत्पन्न की है, से हमारे आपसी हित के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन भी प्रभावित होगा।"

हमें इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। जैसा कि श्री गुजराल ने कहा वर्ष 1993 में चीन जो कि उस समय की परमाणु हथियारों से सम्पन्न देश के रूप में जाना जाता था - और भारत के बीच परस्पर और समान सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर सीमा पर शांति और खुशहाली लाने के लिए समझौता हुआ था। यह 1993 में उस समय सम्पन्न हुआ जब श्री पी.वी. नरसिम्हाराव भारत के प्रधानमंत्री थे। परस्पर सुरक्षा का सिद्धांत अब और अधिक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इससे 44 वर्ष पहले प्रतिपादित किए गए पंचशील सिद्धांत के अनुसार अधिक समझ-बूझ और परस्पर सम्मान बढ़ेगा।

मैं प्रधानमंत्री से भारत और चीन के बीच 'परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने' की वचनबद्धता और आपसी समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। चीन ने ऐसा समझौता पाकिस्तान और रूस के साथ किया है। अतः हम भी चीन के साथ ऐसा समझौता कर सकते हैं। पाकिस्तान ने चार वर्ष से भी पूर्व घनी आबादी वाले केन्द्रों और आर्थिक केन्द्रों पर आक्रमण न करने के समझौते का प्रस्ताव किया था। पाकिस्तान द्वारा गड़काऊ भाषण देने का क्रम जारी रखने के बावजूद ऐसे प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा सकता है। जैसा कि श्री गुजराल ने सुझाव दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। इस समय पड़ोसी देशों के साथ परस्पर विश्वास बनाने के उपायों के लिए गंभीरता से जुट जाने की आवश्यकता है।

दुनिया बदल गई है। अमरीकी राष्ट्रपति श्री क्लिंटन का कहना है कि हम इतिहास के गलत पहलू की ओर हैं और हमें परमाणु राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम परमाणु राष्ट्र हैं। यह संभव नहीं है; वे हमें परमाणु देश नहीं मानेंगे। यह एक अलग प्रश्न है कि वे ऐसी बात करने वाले कौन होते हैं। परमाणु अप्रसार संधि में परमाणु शक्ति मानने की तिथि 1.1.1967 है। इसलिए राष्ट्रपति क्लिंटन कहते हैं कि हम इतिहास को गलत पहलू की ओर हैं। परन्तु, संयुक्त राष्ट्र को यह समझना चाहिए कि इतिहास बदल गया है, चाहे वे इस बात को मानें या नहीं। यह मिथक कि पांच परमाणु शक्तियां पूरे विश्व पर शासन करेंगी अपना अस्तित्व खो चुका है।

परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से भारत पाकिस्तान, इजरायल और क्यूबा जैसे देश बाहर हो चुके हैं। हम यह जानते हैं कि क्यूबा विभिन्न कारणों से इसमें शामिल नहीं है। इजरायल ने पहले ही परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। अतः अब भारत और पाकिस्तान ही बच गए हैं। मेरे विचार से प्रतिबंध लगाने की बजाय इस तथाकथित विश्व व्यवस्था की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए परमाणु शक्तियों की सूची में भारत और पाकिस्तान और यदि आवश्यक हो इजरायल को भी शामिल करना चाहिए। अमरीकी सरकार के विभागीय अधिकारियों ने इसे मुश्किल काम बताया है। यह कार्य भले ही कठिन हो किन्तु, पूरे विश्व के लिए परमाणु सुरक्षा पर विचार करने हेतु प्रधानमंत्री को विश्व नेताओं का सम्मेलन अथवा शिखर सम्मेलन आमंत्रित करना चाहिए। परिस्थितियां बदल गई हैं। कल इरान में, उत्तरी कोरिया में अथवा किसी अन्य स्थान पर भी बम विस्फोट हो सकता है। अतः पूरे विश्व की परमाणु सुरक्षा की बात की जानी चाहिए न कि केवल इस क्षेत्र की। इसलिए वर्तमान में उत्पन्न बिल्कुल नई स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन/सम्मेलन आमंत्रित करने चाहिए।

उन्हें सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम और सुरक्षा मानदण्ड तैयार करने चाहिए। सभी देशों को विशेष दूत भेजे जाने चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का प्रश्न क्या है ? व्यापक परमाणु परीक्षण निषध के बारे में कई बातें सुनी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर को वचन दिया है। मैं इस समाचार को पढ़ना चाहूंगा :

> "ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर ने भारतीय परमाणु परीक्षण के बारे में जी-8 के कड़े रूख से अवगत कराया और यह दावा किया कि उन्हें श्री टोनी ब्लेयर को टेलीफोन पर

[श्री मुरासोली मारन]

बातचीत के दौरान श्री वाजपेयी से यह आश्वासन मिला था कि नई दिल्ली व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर बातचीत आरंभ करेगी और जी-8 देश इस समय श्री वाजपेयी द्वारा दिए गए वचन को पूरा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।''

हम यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या वचन दिया है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में पूरी सभा ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। हमने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था। ऐसा क्यों किया गया ? क्योंकि यह संधि व्यापक नहीं हैं अपितु यह भेदभावपूर्ण है, इसमें हमारी सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं किया गया है। इसमें निरस्त्रीकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं था। हमने इन कारणों से व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था। अब बदली हुई परिस्थितियों में हम इस पर विचार कर सकते हैं। यह मेरा अपना विचार है। मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेताओं और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। मेरे विचार से ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस समय स्थिति अत्यधिक गंभीर है। हालात बदल गए हैं। यदि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करने में कोई गलती नहीं है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा। यदि बदले हुए हालात में हमारे मुद्दों को उचित ध्यान दिया जायेगा और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करेगा तो हम सर्वसम्मति के आधार पर व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर विचार करने की बात पर भी विचार कर सकते हैं।

हमारी चिंता का प्रमुख और एक मात्र विषय है शांति बनाये रखने की। मैं शांति का समर्थक हूँ। हमारी शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के मुकाबले सेना पर दो गुना अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। हथियारों की ऐसे होड़ का क्या हश्र होगा ? हमारे राजदूत श्री एन.एस. झा के अनुसार एक बम की लागत 70 मिलियन डालर प्रतिवर्ष हो सकती है। यह तो अल्प राशि है। हम इस खर्च को वहन कर सकते परन्तु इसके अलावा डेलिवरी सिस्टम, संचयन और अन्य बातें भी शामिल हैं। मेरे विचार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपनी प्राथमिकताओं से हट जायेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि बमबारी, प्रयोग, परीक्षण विश्व की आबादी के छठे हिस्से के आठवें के बराबर है। हाँ, इसके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। परन्तु तथ्य क्या है ? दुनिया के निर्धन लोग कहां रह रहे हैं ? विश्व की निर्धन जनता सहारा मरुस्थल में नहीं रहती है अपितु वे दक्षिण एशिया में, भारत में रहते हैं। विश्व के एक तिहाई निर्धन लोग भारत में रहते हैं। इनमें से आधे लोग निरक्षर हैं जिन्हें लिखना-पढ़ना तक नहीं आता; और इसमें से आधे बाल मजदूर हैं।

भारत 11 मई के पहले भी महान राष्ट्र था। यदि हमारे देश की 40 प्रतिशत जनता घोर गरीबी में नहीं होती तो हमारा देश इससे भी महान हो जाता। अतएव, मैं माननीय प्रधानमंत्री से भारत में ही नहीं अपितु विश्व में और इस क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने और तनाव को कम करने का अनुरोध करता हूँ। चूंकि उन्होंने इसकी शुरूआत की है इसलिए इसकी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। उन्होंने इस होड़ को आगे बढ़ाया है। अब हमें इसे रोकने का रास्ता ढूंढ निकालना होगा। हमें पोखरण विस्फोट और पाकिस्तान परीक्षण के बाद की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। अतएव इस संदर्भ में हम यह नहीं जानते कि इसका क्या नतीजा होगा। वे प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं। मैं भी प्रतिबंधों के बारे में चिंतित हूँ। हम बहादुरी का प्रदर्शन कर सकते हैं परन्तु प्रतिबंधों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा ही। यह संभव है कि इसका प्रभाव बहुत थोड़ा होगा अथवा प्रभाव उतना नहीं होगा जितना कि पाकिस्तान प्रभावित होगा।

अमरीका के एक प्रबुद्ध एवं वरिष्ठ राजनेता डॉ० किसिंजर ने सी.एन.एन. को दिए साक्षात्कार में बताया :

''भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के दीर्घावधिक हित कई दशकों बाद अलग-अलग होने से कहीं अधिक एक जैसे हो जायेंगे। अमरीका को हितों के इस अभिसरण को ध्यान में रखना चाहिए।''

अमरीका में भी भारत के कुछ मित्र हैं। कांग्रेस में हमारा अधिक सम्मान नहीं हैं परन्तु जो भी हो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी यही इच्छा है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री इसकी पहल करेंगे। इसका यह आशय नहीं है कि मैं सुरक्षा उपायों के खिलाफ हूँ। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर हम अपने जान की कुर्बानी देने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। परन्तु, इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह जरूरी था ? हम परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ाने के दोषी हैं। यह भारत और इस क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। इसलिए, मानवता के नाम पर मैं माननीय प्रधानमंत्री से तनाव को कम करने और सामान्य स्थिति को पुनः बहाल करने का अनुरोध करता हूँ।

मैं तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य का उद्धरण देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा :

''परीक्षण के सही होने और उचित समय पर होने के बारे में अब वाद-विवाद किया जा सकता है परन्तु, जब भारत के समक्ष शेष विश्व से खतरे का सवाल उठेगा तो यह देश सभी राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक जुट हो जायेगा।''

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत की परमाणु नीति प्रस्तुत की है और इसके साथ ही इस माह की 13 तारीख को भारत ने सफलतापूर्वक कुल पांच परीक्षण किए हैं।

जब भारत में यह परीक्षण किए गये और विशेषकर जब यह दस्तावेज इस सभा के समक्ष रखा गया तो इस पर हमारे देश के नेताओं ने क्या सुझाव दिए। माननीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट रूप

से बताया "हम इन हथियारों का इस्तेमाल आक्रमण करने अथवा किसी देश को डराने के लिए नहीं करना चाहते हैं। यह हथियार हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं ताकि भारत यह सुनिश्चित कर सके कि वह किसी परीक्षण के दबाव में न आएं। हम हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं।" माननीय प्रधानमंत्री ने यह सुझाव दिया है।

समाचार पत्रों में उठाये गए प्रश्न के संबंध में कि इस प्रश्न पर सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परमाणु परीक्षण करने का साहसी निर्णय लेने, हां, साहसी निर्णय के लिए हमारे नेता डॉ० पुराथयी थलैवी की ओर से तहे दिल से प्रशंसा करते हुए बेहद प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

विपक्ष के कुछ प्रबुद्ध और प्रख्यात नेताओं ने कहा है कि (उन्होंने प्रधानमंत्री ने) परीक्षण करने से पहले यहां के किसी राजनेता से विचार विमर्श नहीं किया। महोदय मैं विपक्ष के सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया या तो उस समय उन्होंने किसी भी राजनेता के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया था। परन्तु, अब ये लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री पर किसी से विचार विमर्श न करने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि उन्हें इस उपलब्धि का श्रेय मिल रहा है।

मैं इस सभा का ध्यान इस देश में किए गए परमाणु परीक्षणों की मंशा की ओर भी दिलाना चाहूंगा।

11 और 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्या राय थी? अब दस दिन बीत जाने के बाद उनकी क्या राय है? मैं माननीय सभा का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा। जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस समय हमारे वैज्ञानिकों का क्या विचार था? उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। उन्होंने इस परीक्षण का कोई श्रेय नहीं लिया है। प्रधानमंत्री जी ने उदारतापूर्वक कहा : "इसका पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इन कार्यों में लगे व्यक्तियों को जाता है, न कि मेरे लिए।" उन्होंने इसे स्पष्टतया कहा है। परन्तु यहां के कुछ काबिल और प्रतिष्ठित नेताओं ने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा : "नहीं। भाजपा ने मिठाइयां बांटी हैं और भाजपा की ऐसी मंशा रही है।" प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र को यह स्पष्टतया बता दिया है कि इसका श्रेय केवल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इस कार्य में लगे व्यक्तियों को जाता है।

हमारे वैज्ञानिकों का क्या विचार है? महोदय, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमेन डॉ० आर. चिदम्बरम ने कहा : "साथ-साथ किए गए तीन परीक्षणों से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भ्रमित हो गए थे परन्तु हमारा यह इरादा नहीं था। कई परीक्षण लागत बचाने के उद्देश्य से किए गए थे।" यह तो परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन का विचार है।

अब सभा के समक्ष दो प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न इन परीक्षणों के समय के बारे में है। दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ने ये परीक्षण क्यों किए? इस पर हमारे राजनेताओं का क्या विचार है? मैं इस प्रश्न पर बाद में कुछ कहूंगा।

परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमेन डॉ० पी.एस. अय्यंगार ने कहा : पोखरण में सोमवार को किए गए तीन परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को पांच परमाणु शक्ति वाले राष्ट्रों के समतुल्य समझा जाना चाहिए। प्रौद्योगिकीय और संचालनगत कारणों से ये परीक्षण आवश्यक हो गए थे और इसका उद्देश्य संभावित खतरे के विरुद्ध भारत में विनियोज्य परमाणु क्षमता की नींव रखना था। भारत ने इस कार्य में पहले से ही विलम्ब कर दिया था। जिसके कारण इसकी सुरक्षा प्रभावित हुई है। भारत में हमारे बुद्धिजीवी लोगों के ये विचार हैं।

कांग्रेस पार्टी में कुशल और प्रख्यात नेताओं ने अपने सुझाव रखे हैं। 11 तारीख को उनके क्या सुझाव रहे? कांग्रेस ने एक घंटे से भी अधिक समय तक विचार विमर्श करने के पश्चात् एक पृष्ठ का वक्तव्य जारी किया है जिसमें अधिकांशतया यह कहा गया है कि कांग्रेस ने देश की परमाणु नीति को तैयार करने में किस प्रकार से मुख्य भूमिका निभाई तथा श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने किस प्रकार से इसे स्वरूप प्रदान किया।

श्रीमती सोनिया गांधी ने श्री नटवर सिंह और डॉ० मनमोहन सिंह को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कायम करने का कार्य सौंपा था। यह वक्तव्य कांग्रेस पार्टी द्वारा उसी 11 तारीख को जारी किया गया था। उस दिन हमारे विपक्ष के नेता श्री शरद पवार मद्रास में थे और उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की प्रंशसा की थी और राष्ट्र के गौरव की बात की थी। इसी प्रकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने न केवल हमारे वैज्ञानिकों की प्रंशसा की बल्कि उन का कहना था कि "भारत ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि वह उच्च प्रौद्योगिकी में किसी से भी पीछे नहीं है।"

महोदय, इस समय इस सम्मानीय सदन के सम्मुख क्या मुद्दा है?.....*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन) : उन्होंने यह बात इसी सभा में कही है.....*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : मैं इस बात पर बाद में चर्चा करूंगा।

इस समय इस सम्मानीय सभा के समक्ष क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि क्या यह परमाणु परीक्षण राष्ट्र के लिए जरूरी है या नहीं।

लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी अन्य देश के खिलाफ परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमने यह परमाणु परीक्षण अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया है जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। परन्तु इस बारे में आपका क्या विचार है? इन परीक्षणों के बारे में इस सभा में कांग्रेस के नेताओं

[श्री सी० गोपाल]

का क्या मत है? वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण क्यों किया गया था? वर्ष 1974 में यह परमाणु परीक्षण उस समय किया गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय यह कहा गया था कि हम हमेशा परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग करेंगे जबकि पश्चिमी देशों विशेषकर अमरीका का भारत पर निरंतर दबाव बना हुआ था।

महोदय, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। वह अहिंसा के पुजारी थे। जब वह 'अहिंसा में विश्वास व्यक्त करते थे तब क्या वह अपने हाथ में बंदूक लेकर चलते थे? यह परमाणु परीक्षण क्यों किया गया था? यद्यपि हम यह कह रहे हैं कि इस का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण प्रयोग है परंतु 1974 में यह परमाणु परीक्षण क्यों किया गया था?

मैं विपक्ष के नेता के साथ-साथ प्रबुद्ध कांग्रेसी नेताओं का ध्यान उस पत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1983 में कांग्रेसी शासन के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। 1983 में श्री वेंकटरमण हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने प्रधान मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है? हालांकि वर्ष 1983 में देश में परमाणु परीक्षण करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई थी। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनेक बातें कहीं गई हैं। अभी आप बिना कुछ जाने ही यह कह रहे थे कि इस परमाणु परीक्षण को करने के लिए परमाणु परीक्षण की तारीख से केवल दस दिन पहले ही निर्णय लिया गया था।

वैसे तो वर्ष 1983 में भी भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की सभी तैयारियां कर ली गई थी लेकिन कुछ बड़े राष्ट्रों के दबाव के कारण उसे स्थगित करना पड़ा था। यह वक्तव्य पूर्व रक्षा मंत्री का है और यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं था और यह आपके विचारों के अनुरूप भी नहीं था। अब वह यह कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम को विदेशी राष्ट्रों के दबाव के कारण स्थगित कर दिया गया था।

इसका क्या उद्देश्य है? आपकी मंशा क्या है? उनका यह कहना था कि देश को पाकिस्तान और चीन से खतरा है। परन्तु इस बात से तो पूरा देश वाकिफ था। लेकिन हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने इस बारे में सोचा था। परन्तु आज की तारीख में आप सौभाग्यशाली हैं। तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी कारण आप इस नीति में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री को इसका श्रेय मिल रहा है और आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य श्री संगमा जी को यह बात बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व क्या है। सन् 1962 के पश्चात् उन्होंने ही पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे संबंध कायम किए थे। यही वह व्यक्ति थे जो यह कार्य कर सकते थे। अब क्या स्थिति है? आज वह भारत की सुरक्षा चाहते हैं तभी तो उन्होंने एक सुहृदय व्यक्ति की भांति सही समय पर सही कदम उठाया है। इसीलिए मैं आल इंडिया डी.एम.के. की ओर से इसकी प्रशंसा करता हूँ।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या यह खतरा नहीं है? कोई कह सकता है कि नहीं है। परन्तु पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। हम पाकिस्तान के बारे में क्या सोचें? वह जो करें करने दो। उसे, जो चाहे, कहने दो। उसे अपनी लड़ाई लड़ने दो। हमें पाकिस्तान के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है परन्तु हमें अपने देश की रक्षा तो करनी ही है। हमारा सोचना सही है। हम जो भी कर रहे हैं अपने देश में कर रहे हैं। हमारी मंशा किसी देश पर आक्रमण करने की नहीं है। पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने की क्या जरूरत है? परन्तु पाकिस्तान की मंशा तो कुछ और ही है। अमरीकी आसूचना एजेंसियों ने मीडिया के माध्यम से यह कहा है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। वे परीक्षण की अंतिम तैयारी में लगे हुए हैं।

उनके अनुसार पाकिस्तान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। सी.आई.ए. ने हमारे द्वारा परमाणु परीक्षण करने के लगभग बीस दिन पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक यह बात कही थी। इस परीक्षण के पीछे क्या मंशा थी? श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी और श्री नरसिम्हा राव जी की क्या मंशा थी। उन सबकी जो मंशा थी वह हमारी भी है। इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है। परन्तु आप अवसरवादी की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए आप गलत बातें कह रहे हैं और विशेषरूप से इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।

यह सभा कोई मामूली सभा नहीं है और आप यहां पर ऐसी बातें कर रहे हैं। आप बाहर तो कुछ और कहते हैं और अंदर कुछ और कहते हैं। आप दोहरी नीति अपना रहे हैं। जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सहयोग करें और हमारे देश के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले देशों के साथ लड़ने में एकजुटता दिखाएं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप देश के साथ सहयोग करें और प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों में उनका समर्थन करें।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा (हसन) : धन्यवाद्। सभापति महोदय। इस सभा में मेरे भाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति मात्र संयोग है और मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।

प्रधानमंत्री महोदय ने इसी सभा में विश्वास मत प्रस्ताव का उत्तर देते समय यह आश्वासन दिया था कि देश के बारे में कोई भी निर्णय सोच-समझ कर ही लिया जाएगा। यही बात उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते समय भी कही थी।

इस समय सरकार द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किए गए परमाणु परीक्षण पर बातें हो रही हैं। प्रधान मंत्री जी के सामने यह प्रश्न पहली बार नहीं आया है बल्कि जैसा कि में अन्ना डी.के. के सदस्य ने अभी कहा है कि यह प्रश्न सन्

1983 में तत्कालीन रक्षामंत्री श्री आर. वेंकट रमण के सामने भी आया था। वर्ष 1995, 1996 और 1997 में जब श्री नरसिम्हाराव जी प्रधानमंत्री थे तब भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था जब मैं प्रधानमंत्री था तब भी विचार किया गया था और जब श्री गुजराल प्रधानमंत्री थे तब भी इस पर विचार किया गया था।

हमारे वरिष्ठ सांसद श्री जगमोहन का कहना है कि पहले प्रधानमंत्रियों में ऐसा निर्णय लेने का साहस नहीं था। मैं यहां पर केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो उस समय आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ही विचारणीय मुद्दे नहीं होते हैं। कुछेक सदस्यों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विपक्ष को अथवा सभा को विश्वास में लेने अथवा किसी नेता से किसी प्रकार की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी तो पोखरण में परीक्षण किया था।

आज इस देश की राजनीति में पूरी तरह बदलाव आ चुका है। आपको तकनीकी तौर पर और संख्या के आधार पर इस सभा में जनादेश प्राप्त हो गया है।

अपराह्न 6.00 बजे

विश्वास मत के दिन उन्हें इस सभा में जनादेश मिला था। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। परंतु मैं माननीय प्रधानमंत्री को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी 13 दलों की साझा सरकार थी तो उस समय सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्कालीन विदेश मंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव जो उस समय कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, श्री चन्द्रशेखर और हमारे मित्र तथा वरिष्ठ सांसद जो यहां बैठे हुए हैं श्री सोमनाथ चटर्जी से मुलाकात की थी। हमने निर्णय लेने से पूर्व इन चारों पांचों महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत की थी। मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने सभा को अथवा अन्य राजनीतिक नेताओं को 1996 में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किस प्रकार विश्वास में लिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी साझा सरकार ने किस प्रकार कार्य करने की कोशिश की थी और एक आपकी भी साझा सरकार है जिसमें 18 या 19 राजनीतिक दल शामिल हैं। वह निर्णय ले लेते हैं और साहसी तथा निर्भीक कहलाते हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन आज उन्हें पड़ोसी देशों द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने के लिए इस सभा के सहयोग की जरूरत है, देश की जनता के सहयोग की जरूरत है। महोदय हमारा सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी उदारता दिखानी चाहिए। हमारे अंदर ऐसा निर्णय लेने का साहस नहीं था।

मैंने उन्हें 15 तारीख को एक पत्र लिखा था। परमाणु परीक्षण 11 और 13 तारीख को किए गए थे। मैं इस समय इस बात की चर्चा करना नहीं चाहता कि राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे गए पत्र में क्या लिखा गया था क्योंकि मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता।

जब रक्षा मंत्री महोदय ने पाकिस्तान के खिलाफ और विशेषकर चीन के खिलाफ भड़काऊ वक्तव्य दिया था तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने 6 मई को यह वक्तव्य जारी किया था :

> ''पड़ौसी देशों से खतरे बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार पुनः अपनी इस वचनबद्धता को दोहराती है कि वह चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत करने की प्रक्रिया और मैत्री संबंधों को बढ़ाने, अच्छे पड़ौसी की तरह सहयोग करने और आपसी हितों के लिए संधि को कायम रखेगी।''

आज यहां पर जारी किए गए वक्तव्य में विदेश मंत्रालय, जिसका प्रभार प्रधानमंत्री के पास है, के सचिव ने दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील के सिद्धान्तों का पालन करने की बात पर बल दिया है। मैं प्रकाशित हुए पूरे समाचार को नहीं पढ़ना चाहता हूँ।

महोदय, वह 1979 में विदेश मंत्री थे। उनके द्वारा न केवल विदेश मंत्री के रूप में बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में भी विदेश नीति संबंधी किए गए महत्वपूर्ण योगदान की पूरी सभा ने प्रशंसा की थी और प्रधानमंत्री के रूप में भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। परन्तु 19 मार्च के बाद से जिस प्रकार परिस्थितियां बनी हैं उनसे हम चिंतित हैं। हम निर्णय लेने में इतने सक्षम अथवा साहसी नहीं थे। मैं ग्यारह महीने तक प्रधानमंत्री रहा।

महोदय, ऐसा कौन सा खतरा था? आपके पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद और भारत तथा चीन के बीच सीमा-विवाद पिछले पचास वर्षों से चला आ रहा है। इसमें नया क्या है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने उग्रवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधिओं के कारणों का उल्लेख किया है जो कि नए कारण नहीं हैं।

महोदय, वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा विदेश मंत्री के रूप में 1979 में की गई चीन यात्रा के पश्चात् वर्ष 1988 में राजीव गांधी ने और उसके पश्चात् 1993 में श्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की थी। जब चीन के राष्ट्रपति ने हमारे देश की यात्रा की तो मैंने प्रोटोकोल की परवाह नहीं की और मैं स्वयं उन्हें लेने हवाई अड्डे पर गया। मैं समझता हूँ कि यह पहला अवसर था जब किसी देश का प्रधानमंत्री पड़ोसी देश के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगवानी करने हवाई अड्डे पर गया हो। मैंने यह प्रोटोकोल किसी प्रयोजन के लिए तोड़ा था। हमारे बीच विश्वास परक संधि हुई। परंतु उसके पश्चात क्या हुआ? प्रधानमंत्री को सभा को अवगत कराना चाहिए क्योंकि समस्त सामग्री उनके पास है। मैं यह नहीं बताना चाहता कि रॉ की रिपोर्ट में क्या लिखा है, आई.बी. की रिपोर्ट में क्या लिखा है अथवा रक्षा आसूचना की क्या रिपोर्ट है। रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज इसका कारण रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों को बता रहे हैं। वह प्रतिवेदन इतना बड़ा निर्णय लेने का कारण नहीं हो सकते हैं।

महोदय, यदि में गलती नहीं कर रहा हूँ तो वर्ष 1997-98 के दौरान चीन के साथ हमारा व्यापार 1.75 बिलियन डालर तक पहुंच गया था। पिछले वर्ष चीन के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

हुई थी और हमारी द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही थी। ऐसी स्थिति में क्या आप ऐसा निर्णय लेने के पीछे सुरक्षा की आंशका को एक मुख्य कारण मान सकते हैं। गृहमंत्री महोदय ने सभा को यह बताने का प्रयास किया है कि सरकार पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित की जा रही तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहती है। यदि वे परमाणु परीक्षण द्वारा ऐसा करना चाहते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं।

महोदय, देश की परमाणु क्षमता तो 1974 में ही सिद्ध हो गई थी। वर्ष 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और उस समय कांग्रेस दल ने परीक्षण स्थल की धूल अपने माथे पर लगाकर देश भर में घूम कर इसका श्रेय नहीं लिया था। श्रीमती गांधी इतनी नीचे नहीं झुकी थी और न ही उन्होंने अपने दल से वहां पर जाकर मंदिर अथवा 'शक्तिपीठ' बनाने को कहा था।

श्री वैको (शिवकाशी) : परन्तु सभी विपक्षी दलों ने श्रीमती गांधी की सराहना की थी।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो प्रधानमंत्री महोदय जवाब देने के लिए यहां पर मौजूद हैं।

अपराह्न 6.09 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

मेरी सरकार तेरह दलों की सरकार थी और हमें स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। इसीलिए हमने सी.टी.बी.टी. पर निर्णय लेने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत की और उन्हें विश्वास में लिया। ऐसे परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में यदि आप पूरे देश का पूरे विपक्ष का सहयोग चाहते हैं तो आपको विपक्ष को विश्वास में लेने की भी उदारता बरतनी चाहिए। इसी की आज जरूरत है। आज सभा में मतभेद क्यों हैं ? हमें भिन्न-भिन्न स्तरों में बोलने की क्या जरूरत है। क्या हम देश भक्त नहीं हैं।

स्वयाड्डन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें गोपनीयता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बीच में व्यवधान मत डालिए। मैं पीछे की सीट पर बैठा था और मैंने किसी की बात बीच में नहीं काटी। ऐसा करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे इस सभा को यह बताने का अधिकार है कि कहां पर क्या गड़बड़ हुई है।

महोदय, हमने ग्यारह महीनों के दौरान पिछली सरकार की नीतियों का पालन करने की कोशिश की थी। हमने सभी दलों के सहयोग से बंगलादेश और गंगाजल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी। यहां तक कि हमने नेपाल मुद्दे और महालक्ष्मी संधि संबंधी मुद्दे को भी हल करने की कोशिश की थी। हमने अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की थी। मेरे 7 अप्रैल, 1997 को त्याग पत्र देने से पूर्व पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर की बातचीत भी शुरू की गई थी .....*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, सभा का समय बढ़ाया जाए.....*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुझे अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का उल्लघंन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।.....*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, प्रधानमंत्री के उत्तर देने तक के लिए समय बढ़ा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, सभा का समय बढ़ा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय शाम के सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, कुछ सदस्यों ने गोपनीयता का मुद्दा उठाया है। जी हाँ मैं मानता हूँ कि गोपनीयता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक 23 अप्रैल, को मध्यप्रदेश के एक नेता जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता - ने कहा है कि प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें। वे देश भक्त हैं क्योंकि वे इन महत्वपूर्ण और गोपनीय मुद्दों की जानकारी रखते हैं। हम देश भक्त नहीं हैं। यही समस्या है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस नेता का स्तर क्या है ?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : वह किसी विशेष संगठन के संयुक्त सचिव है। संगठन के मुखिया कहते हैं कि परमाणु हथियार तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं तो फिर आप बोफोर्स तोप, सुखोई-30 इत्यादि पारम्परिक हथियारों को क्यों लेना चाहते हैं ? उनका पूछना है कि फिर आप इन हथियारों पर अनावश्यक ढंग से धन क्यों खर्च करना चाहते हैं ? मैं प्रैस रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। इस सदन में इस पक्ष के वरिष्ठ सदस्य ने जिक्र किया था..... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : लेकिन मैं एक मंत्री भी था। इसलिए उस अवधि की बात ही नहीं की जानी चाहिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : एक समाचार-पत्र समर्थक और प्रबंधक ने कई बातों को उजागर किया है।

महोदय, उनके अनुसार गोपनीयता रखी जानी चाहिए। लेकिन फिर इन सब संगठनों अथवा मीडिया ने इसे कैसे उजागर कर दिया ? आपने पहले दिन ही यह कहा था कि आप हमें विश्वास में लेंगे लेकिन आप ही बताइए कि जब आपका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है और आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा भी नहीं करना चाहते हों तो आप हमसे सहयोग की आशा कैसे कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है।

पोखरण-II परीक्षण कैसे हुआ ? यह एक छुपी हुई क्षमता थी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि किसी ने भी भारत की क्षमता पर संदेह व्यक्त नहीं किया। अन्यथा, महाशक्तियों को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डालने की क्या जरूरत थी ? यदि वह यह मानते कि इस देश के पास क्षमता नहीं है तो वे हमारे ऊपर इतना दबाव नहीं डालते। वे इस बात को जानते हैं। यह एक छुपी हुई क्षमता थी जिसे हमने इस उपमहाद्वीप के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध कायम रखने के लिए छुपा कर रखा था। अब, हमने उस क्षमता को दिखा दिया है। इस बात में दो राय नहीं है कि हमें अपने वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो अलग-अलग बातें कह रहे हैं लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल ने उन उपायों के बारे में बताया है जो उन्होंने मेरे पद त्यागने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उठाए थे। यही नहीं उन्होंने अभी आधा-घंटा पहले ही इस सदन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आपसी संबंधों पर हुई बातचीत के बारे में भी बताया। तनाव को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

इस परीक्षण के द्वारा हमने अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन कर दिया है। मैं रक्षा मंत्री के शस्त्रीकरण के प्रश्न पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इस बारे में कोई निर्णय लेना सरकार का काम है।

महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मैं सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। अपने इस एजेंडे में कई वायदे किये हैं। मुझे आपकी मंशाओं के बारे में संदेह नहीं है। लेकिन आज, आप इन वायदों को कैसे पूरा करेंगे ? जब माननीय प्रधानमंत्री ने परीक्षण स्थल का दौरा किया था, उन्होंने एक नया नारा दिया।'' श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ''जय जवान, जय किसान'' का नारा दिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने ''जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है। आपने कहा है कि विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का 60 प्रतिशत अंश कृषि तथा ग्रामीण विकास में लगाया जाएगा।

क्या आप अपना वायदा कल पूरा कर सकते हैं ? मैं यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ।

जब यह मामला मेरे पास आया तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मैं उस बातचीत के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ जो मेरे और दो वैज्ञानिकों के बीच हुई थी। यह गोपनीय बात है। मैं इसे बताना नहीं चाहता हूँ। जब मैंने परीक्षण के लिए अनुमति नहीं देने का अंतिम निर्णय लिया था, तब मेरी प्राथमिकता अलग थी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और एक किसान हूँ। मुझे यह बताते हुए कोई संकोच नहीं है। मेरी प्राथमिकता इस देश की दुःखी ग्रामीण जनता की समस्या का समाधान करना था। यह वही तर्क है जिसका मैंने 14 मई को आपको लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया है।

मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव हमारी क्षमताओं के बारे में विस्तार से बता रहे थे, हमारे कुछ मित्रों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि इससे हमारे शत्रुओं को मदद मिलेगी। कुछ भी गोपनीय नहीं है। चीन की जो क्षमता है, हमारी क्षमता एवं पाकिस्तान की क्षमता, हमारी सैनिकों की संख्या, हमारे प्रक्षेपास्त्र आदि के बारे में तब कुछ अखबारों में छपा है। मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता, कुछ भी नया नहीं है। आज हमारे देश की स्थिति की दूसरे लोगों को जानकारी है और पड़ौसी देशों की स्थिति की भी हमें जानकारी है।

आप कहते हैं कि अब क्षति को नियंत्रित कर लिया गया है। किस प्रकार नियंत्रित कर लिया गया है ? क्षति को नियंत्रित करने हेतु आप कौन से उपाय किए हैं ? कृपया इस सम्बन्ध में हमें विश्वास में लीजिए। कुछ कारणों से जिनका मैंने उल्लेख किया है, हमारे निर्णय भिन्न हो सकते हैं, यह कोई दलीय मुद्दा नहीं है। क्या आप के दल के लोगों ने आप की सहमति से यह किया है ? मैं इस सब के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। अनेक मंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों और केबिनेट मंत्रियों ने वक्तव्य दिए हैं और अनेक मुद्दे आपके ध्यान में लाए हैं। आपने जो साहसपूर्ण निर्णय लिया है उसके बारे में आपने सरकारी वक्तव्यों में जो बात कही है उसके बारे में अनेक लोगों के कथन को उन्होंने उद्धृत किया है।

क्या यह सच नहीं है कि आपने जो कथित जोश का माहौल पैदा किया है उससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपने यह सब किया है। अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश एक हो कर मुकाबला करे तो इस तरह की अदूरदर्शिता से कोई काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है कि राजस्थान में मंदिर निर्माण से संबधित तैयारी चल रही है। क्या यह सरकार राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल है ? आपने क्या वायदा किया है ? मैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में नहीं बोलूंगा। यह पार्टी का घोषणा पत्र है। लेकिन सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आपने सरकार चलाने के लिए अपना राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया है। क्या राष्ट्रीय एजेंडा में मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल किया गया है ? इन मुद्दों पर आप हमसे कैसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं ?

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि आज इस मुद्दे पर सदन एक मत नहीं है, यह सब पिछले दो महीनों में हुई घटनाओं के कारण है। अगर आप हमें विश्वास में लेना चाहते हैं तो बताएं कि इस कारण हुई क्षति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और आपकी रणनीति क्या है। केवल अपने बम का हौवा दिखाकर आप कई उम्मीद नहीं कर सकते कि पड़ौसी देश वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री जी आप अपने बम का हौवा दिखाकर, चाहे वो छोटा बम हो या बड़ा अपनी सीमा समस्या, कश्मीर समस्या और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

जब हमने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराया था तो एक भी मौत नहीं हुई थी। हालांकि घाटी के घनी आबादी वाले इलाके में एक

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट आठ बजे से पहले हुआ था। पर्याप्त संख्या में मतदाता मतदान केन्द्र तक नहीं पहुंचें यह इसलिए किया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल घाटी के घनी आबादी वाले इलाके में एक विस्फोट हुआ था। इससे नुकसान नहीं हुआ। वहां 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत मतदान हुआ।

हमारे माननीय गृह मंत्री ने कल कहा था कि कश्मीर के विद्रोह और उग्रवाद से निपटने के लिए या प्रतिक्रियात्मक या पहले से ही कार्यवाही करने की नीति ही अपनानी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम कि पहले से ही कार्यवाही करने की नीति अपनाने से कश्मीर की स्थिति में सुधार होगा या आपने जो बम तैयार किया है उससे समस्या का समाधान होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी आपके पास वह क्षमता है। आपने अपनी क्षमता सारे विश्व को दिखा दी है। इससे अगर आप समाधान निकाल सकते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे।

अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सदन को विश्वास में ले, आप लोगों को विश्वास में लें। अगर आप इस मुद्दे को दलगत दृष्टि से देखेंगे तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष जी सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय-भूमिगत परमाणु परीक्षण पर बहस कर रहे हैं।

सर्वप्रथम, मैं अपने और अपने दल की ओर से अपने महान वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकीविदों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देता हूँ। इस परीक्षण से हमें गर्व हुआ है। मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भूमिगत परीक्षण सतत् नीति का अंग है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकीविदों को जाता है।

आज हमारे सामने दो मुद्दे हैं, कल पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। हमने 11 और 13 मई को भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था। हमारी पार्टी का प्रबल मत है कि इस समय इस मुद्दे पर देश में मतभेद नहीं होना चाहिए। इसमे कुछ खामियां हुई हैं। चाहे जो भी हो हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व है। सारा श्रेय वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों को जाता है। यह एक दिन का कार्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी ऐसा करने की योजना बनाई थी। अगर कुछ सीमा तक उन्होंने हमारी विदेश नीति, राष्ट्रीय सर्वसम्मति और अन्य सभी विषयों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि नीति पर पहले भी इस सदन में हमने विस्तृत चर्चा की थी। सदन को पूर्ण विश्वास में लिया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी हम एक बात जानना चाहते हैं। इसके पश्चात् सरकार की आपात योजना क्या है? लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग यह महसूस कर रहे हैं कि परमाणु हथियारों के निर्माण के पश्चात् आगे क्या होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के परिणामों से सारा विश्व वाकिफ है। इसी कारण लोग आर्थिक दृष्टि से और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों की दृष्टि के बारे में आपात योजना के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। हमारी पार्टी की राज्य इकाई ने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने हेतु कल एक संकल्प पारित किया था यह एक सांझा संकल्प है। प्रधानमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वे विपक्षी दलों को विश्वास में लें। हम इस मुद्दे पर एकमत हैं। पाकिस्तान ने भी भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। सदन में इस समय कोई मतभेद नहीं है। हमारे बीच दिग्गज एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हमारी पार्टी की नीति यह है कि देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में आप आम सहमति बनाएं। हम अपने वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों को इस पर बधाई देते हैं। ऐसे मामलों पर जो सरकार ऐसे निर्णय लेती है, आम तौर पर उसे ही श्रेय मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। उन्होंने अपने मंत्रियों, कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को इसका श्रेय न लेने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय समस्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जाता है। इस भूमिगत परमाणु परीक्षण के लिए हम सबको उन्हें पूर्ण समर्थन देना चाहिए। अगर कोई मतभेद है तो हमें उसे सर्वसम्मति से सुलझाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए छः घण्टे निर्धारित किए गए थे। अब तक 11 घंटे और 18 मिनट हो गए हैं। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य बोल चुके हैं।

.....(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : यह कहा गया है कि अंत में छोटे दलों को बोलने का मौका दिया जाएगा।.... *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : हमारी पार्टी का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : सांय के 6.30 बज चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सब दो-दो मिनट के लिए बोल सकते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : सदन में हरेक सदस्य ने कितनी देर बोला मैं इसकी सम्पूर्ण सूचना आप को दे सकता हूँ। यह कोई तरीका है? सभी सदस्यों को पूरा समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास पांच और सदस्यों की सूची है।

अब श्री सरपोतदार बोलेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस विषय पर आपने मुझे इस सम्मानित सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई, 1998 को किए गए देश के प्रायः सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया। मैं प्रधानमंत्री, तथा डॉ० अब्दुल कलाम, डॉ० चिदम्बरम, डॉ० काकोदकर, डॉ० संथानम तथा अन्य तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस परीक्षणों में भाग लिया।

यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि 24 वर्ष बाद हमने ये परीक्षण किए। विश्व के कुछ देशों ने इस परीक्षण का स्वागत किया। हालांकि निहित स्वार्थों के कारण कुछ देशों ने इसका हमेशा विरोध किया। क्योंकि वे हमारे शत्रुओं की मदद करना चाहते थे।

पिछले दो-तीन दिनों से मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। अधिकतर विपक्षी नेताओं का यह सवाल था कि : इस समय विशेष पर परमाणु परीक्षण करने के क्या कारण थे?

यह मूल प्रश्न यहां उठाया गया था। अधिकतर सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया। इसके साथ ही इस निर्णय की आलोचना करते समय सदस्यों ने देश के पिछले इतिहास पर नज़र नहीं डाली। मेरे पास कुछ रेकार्ड हैं। 1964 में जब चीन ने इसी प्रकार का परीक्षण किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री (स्वर्गीय) श्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था :

> "परमाणु शक्ति के सैन्य उपयोग के बारे में इसके साथ-साथ परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह में प्रवेश के बारे में पूर्वानुमान लगाने वाला भारत पहला देश था।"

उस समय चीन ने कहा था :

> "उसने 1964 में पहला परमाणु विस्फोट किया और परमाणु अस्त्र इस्तेमाल करने की वह पहल नहीं करेगा मगर विदेशी आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ये हथियार रखे हैं।"

इसके बाद यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवम्बर, 1964 में, लोक सभा में विदेश मामलों पर बहस के दौरान कुछ कांग्रेसी सदस्य तथा विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार की परमाणु बम से सम्बन्धित नीति में बदलाव की मांग की थी।

[अनुवाद]

अतः कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों की भी यह मांग थी कि इस देश के पास परमाणु बम होना चाहिए।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तथा चीनी विस्फोटों पर सदस्यों की चिंता में शरीक होते हुए श्री शास्त्री ने कहा था :

> "सरकार के वर्तमान रवैये को स्थायी रवैये के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी सरकार इस समस्या पर एक जैसा रवैया नहीं रख सकती है।"

यह बात स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि यह प्रश्न सरकार के सामने रखा गया था या उसके विचाराधीन था। मैं इसलिए यह स्पष्टीकरण दे रहा हूँ क्योंकि इस सरकार की आलोचना करते वक्त इस सम्मानीय सभा के अधिकांश सदस्यों ने बार-बार यह प्रश्न उठाया है कि इन परीक्षणों की क्या जरूरत थी.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह क्या हो रहा है? तो मैं इसी तरह बैठ जाऊंगा?

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरों को भी अवसर देना है।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, प्रत्येक वक्ता ने 30 मिनट से कम समय नहीं लिया है। मैंने अभी बोलना ही शुरू किया है. .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तीन वक्ता और भी हैं। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो मुझे बैठना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें और बैठ जायें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे अपना पूरा वक्तव्य पूरा करना है। तब मैं बैठूँगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें और बैठ जायें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, इस प्रकार हम निःसहाय हो जाते हैं। महोदय, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जेड़. ए. भुट्टो ने 19 मई, 1974 को भारत के परमाणु विस्फोट को एक भयानक हादसा तथा एक खतरा बताया था। यदि आप विशेष रूप से पाकिस्तान तथा 1962 के बाद चीन की समग्र परिस्थिति को देखें तो आप पाएँगे कि हम अनवरत खतरों से गुजरते आ रहे हैं।

मेरा इस सदन के सभी सदस्यों से सीधा सा प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में कितने लोग मरे हैं तथा कितने मारे गए हैं? एक भी संसद सदस्य ऐसा नहीं है जिसने आगे आकर यह कहा हो कि उसे आंतकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति है। जब श्री देवेगौड़ा जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाना चाहते थे। तो उस समय मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा कि "देवेगौड़ा जी, यह अच्छी बात है कि आप जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने जा रहे हैं लेकिन कृपया हमें यह बताएं कि इस आतंकवाद की समस्या को आप कब सुलझाएंगे।" यह अति महत्वपूर्ण है। आये दिन वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। एक तरफ तो सभी निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। तथा दूसरी तरफ हम लगातार शांति के

[श्री मधुकर सरपोतदार]

लिए समझौता सम्बन्धी वार्ता कर रहे हैं। वे मार रहे हैं और हम समझौता सम्बन्धी वार्ता कर रहे हैं।

क्या इस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकल आयेगा। मेरा सभी राजनीतिज्ञों तथा यहां पर उपस्थित उन वरिष्ठ सदस्यों से, जो इस बहस तथा इस समस्या के बारे में सुन रहे हैं, सीधा सा प्रश्न है कि हम इस समस्या का किस प्रकार समाधान करेंगे। अब पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है। लोग गौरी प्रक्षेपास्त्र के संबंध में बातें करते हैं। कुछ लोग इसे गौरी रहते हैं। शब्द गौरी नहीं है, बल्कि इसका नाम उस मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया है जिसने इस देश पर सोलह बार आक्रमण किया तथा हार खाई सत्रहवीं बार जब उसने इस देश पर आक्रमण किया, उस समय किसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान उसका बंधक बन गया और वह मारा गया। यह इतिहास है। यह विशेष प्रक्षेपास्त्र उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। यह इंगित करता है कि गज़नी कौन था? उनका अगला प्रक्षेपास्त्र गज़नी के नाम पर रखा जाएगा। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है?

कल जब बमों का विस्फोट किया गया, जब इनकी ट्रायल की गई तो इन्हें भारत केन्द्रित के नाम से जाना गया। हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि यह पाकिस्तान केन्द्रित था। ऐसा कहां से आया? फिर भी हमलोग ऐसा कह रहे हैं। कल जब 4 बजे के बाद यह सूचना आई कि उन्होंने सचमुच में एक परमाणु बम का परीक्षण किया है। तो लोग यहां हड़बड़ा गए। सदन में हमारी समूची चर्चा रोक दी गई तथा प्रतिपक्ष के नेता सदन को आधे घंटे तक स्थगित करना चाहते थे। यह सचमुच में अत्यधिक आश्चर्यजनक बात है। उन्हें केवल एक नहीं, अपितु दस परीक्षण करने दो। यदि वे विस्फोट करना चाहें तो उन्हें करने दो। हम क्यों परेशान हों? इसका क्या कारण था? इस प्रकार हम समस्या को देख रहे हैं.....*(व्यवधान)*

यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप खड़े होकर कह सकते हैं। मैंने तीन दिन पहले शुरू हुई इस बहस के दौरान किसी के वक्तव्य में बाधा नहीं डाली है।.....*(व्यवधान)*

अजीत जोगी जी, मैं यही बात कह रहा हूं। आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हम भी अपनी नीति बदल सकते हैं तथा ऐसा कर सकते हैं जब आप बोलते हैं लेकिन जहां तक संभव हो हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि आपको याद हो तो मैं बताऊं कि गत वर्ष विशेष सत्र के दौरान हमने यह निर्णय लिया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अध्यक्षपीठ की ओर नहीं जाना चाहिए तथा प्रत्येक सदस्य ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम इस सदन में इस प्रकार का व्यर्थ का हंगामा क्यों कर रहे हैं? हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। क्या हम इस प्रकार से प्रजातांत्रिक प्रणाली में सफल हो जायेंगे। यही मेरा प्रश्न है। श्री संगमा यहां बैठे हुए हैं। वह उस समय अध्यक्ष थे।

आज वह जब इस सदन में बोल रहे थे, तब मैंने सोचा कि वह हमारे देश की वकालत नहीं कर रहे हैं बल्कि वे चीन और पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। उनके भाषण के बारे में मेरा यह ख्याल था वह हमारे देश की आलोचना कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या हो गया था। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। आखिरकार हम भारतीय हैं। यदि हमें किसी विभीषिका का सामना करना पड़े, तो हम साथ-ही-साथ इसका सामना करें। यदि हमने कोई गलती की हो तो हम साथ बैठकर कोई समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब पूरे देश में सीधा प्रसारण हो रहा हो तथा लोग इसे देख रहे हों तो लोगों तक उचित संदेश ही पहुंचना चाहिए। यह ठीक बात नहीं है। इसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। क्या मैं आपके अच्छे भाषण के लिए आपको धन्यवाद दूं?

श्री मधुकर सरपोतदार : श्री मुरली देवरा ने कहीं एक साक्षात्कार दिया। उस साक्षात्कार में उन्होंने इस विशिष्ट परीक्षण का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की बजाय देश को एकजुट होकर ऐसे मामलों पर एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। यह श्री मुरली देवरा द्वारा किया गया वक्तव्य है। मैं उनका बड़ा आभारी हूं। सामान्यतः लोक यही आशा करते हैं। दूसरों की आलोचना करना सांसदों का अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन देश तथा विदेश में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम विभाजित हैं। अभी-अभी श्री देवेगौड़ा जी ने कहा कि यह सदन विभाजित है। हम ऐसा संदेश क्यों दें? यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप करें, कोई भी आपको नहीं रोकता है। आखिरकार यह आपका अधिकार है। लेकिन यह आवश्यक है कि विशेषरूप से जब इसका सीधा प्रसारण हो रहा है जब इस देश के सभी लोग कार्यवाही देख रहे हों, तब हमें सावधान होना चाहिए।

मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने सभी मुद्दे नहीं उठाए हैं क्योंकि आवश्यक समय मंजूर नहीं किया गया.....*(व्यवधान)* आपको हमारी पार्टी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पार्टी की स्थिति सुस्पष्ट है। हम अपनी पार्टियों के हितों का ध्यान रखने में सक्षम हैं। चिंता न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिमला समझौते के बारे में बात की है। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। तब शिमला समझौता कहां था? किसी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं की। आज आप इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने निर्णय लिया है। अन्यथा, वे इसका स्वागत करते। यह कुछ आश्चर्यजनक बात है।

हमारी स्वतंत्रता के समय से इस देश में समस्याएं आ धमकी हैं किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में हलचलें मच रही हैं। जैसा कि श्री आडवाणी ने कल ठीक ही कहा था कि इस देश में लोगों की जान बड़ी असुरक्षित है। परमाणु विस्फोट कहीं भी किसी भी समय हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है और तीन या चार माननीय सदस्यों को बोलना है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में आपको और समय मिल जायेगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : सभी के साथ न्याय होना चाहिए। अन्यथा, मैं उन माननीय सदस्यों के नाम तथा उनके द्वारा लिया गया समय आपके ध्यान में ला दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह उचित तरीका नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस सभा में बोलने तथा विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका देना है।

श्री मधुकर सरपोतदार : कभी-कभी कुछ माननीय सदस्यों तथा पार्टियों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। यह पूरी तरह से अनुचित है।.....*(व्यवधान)* मैंने सभी माननीय सदस्यों का भाषण सुना है। मैं यहां शांतिपूर्वक बैठा रहा हूँ तथा अपना ध्यान पूरी तरह से केन्द्रित किया है।

जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री सोमनाथ चटर्जी ने क्या कहा था वह भी मैं जानता हूँ। मैंने उनके भाषणों में नकारात्मक इशारे को देखा है। मैंने उनके भाषणों में नकारात्मक इशारे पर गौर फरमाया है। यह इसलिए क्योंकि वे मिलने वाली शाबाशी को लेकर चिंतित हैं। यही वह मुद्दा है जिस पर मैंने गौर फरमाया है। यदि इसका श्रेय इस सरकार को मिलता है तो वे इसे नहीं चाहते हैं। यह मत भूलिये कि जब आप सरकार चला रहे थे तो हमने कभी नहीं कहा कि यह श्रेय हमारा है, और इसलिए यह आपको नहीं मिलना चाहिए। दूसरी ओर, जब भी आपकी सरकार - श्री देवेगौड़ा या श्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व में रही हो - उसे गिरा दिया गया, हम आपको समर्थन देने के लिए तत्पर थे। जब श्री गुजराल की सरकार को गिरा दिया गया तो उस समय भी हमने आपको समर्थन दिया था। मैं नहीं जानता कि जैन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। यह पूरी तरह से गायब हो गयी है। हमने अपना बहुमूल्य समय इस सभा में इस प्रकार तुच्छ आधार पर बिताया।

हमें पूरे देश के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जब देश के हितों की रक्षा करने का समय आए तब हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब हम इस सदन से बाहर जाते हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमें इस सभा में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्र के हित में हम सभी को एकजुट होना चाहिए। हमें एकजुट होकर इस देश की सेवा करनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों से यह मेरा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं परमाणु अनुसंधान के काम में लगे हुए अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों तथा दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं इन सब को बधाई देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर पूरे देश में एक गर्व की भावना आई, कि बावजूद अपनी बहुत सी कमियों और कठिनाईयों के, उन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के बावजूद जो दूसरे विकसित देशों में काम करने वालों को हासिल है, हमारे वैज्ञानिकों ने, टैक्नीशियनों ने कम सुविधाओं के बावजूद उनकी बराबरी करके दिखाई।

विज्ञान के क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में शानदार रिकार्ड कायम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि जिस वक्त यह परीक्षण हुआ, उस वक्त वह इस देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और निश्चित तौर से वे बधाई के पात्र हैं। मेरी पार्टी ने जरूर कुछ बातें कहीं हैं और कुछ संदेह व्यक्त किया है, लेकिन इस उपलब्धि के बारे में नहीं जो हमारे वैज्ञानिकों के श्रम और मेहनत का नतीजा है, बल्कि कुछ उन गैर-जिम्मेदाराना हरकतों और बयानों को लेकर, जो सरकार में शामिल सबसे बड़े पक्ष से जुड़े हुए संगठन और दूसरे संबंधित नेताओं ने दिये हैं।

आज माननीय देवगौड़ा जी यहां बोल रहे थे। उन्होंने डिवाइडिड ओपीनियन की बात कही। उस डिवाइडिड ओपीनियन के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है बल्कि गैर-जिम्मेदारी के बयानों पर इसकी जिम्मेदारी जाती है जो बहुत से संगठनों ने दिए हैं। मुझे पता नहीं कि यहां पर इनका नाम लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग परामर्श लेने हमारे पास आया करते थे, आज हम उनके पास परामर्श देने चले जाएंगे, क्योंकि वे आज सरकार में हैं। कुछ मंत्री जो इस सरकार में जिम्मेदारी के पदों पर हैं, उनके गैर-जिम्मेदाराना बयानों से पूरे देश में एक माहौल बना, उससे यकीनन उस राय में एक डिवीजन आया। यह बात सही है और हर कोई इसे जानता है। इसमें किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है।

परीक्षण अपने आप में कोई आखिरी चीज नहीं है। अगर इस देश में संकट होगा, अगर इस देश पर कहीं से खतरा होगा, तो सब लोग देश के अंदर और देश के बाहर भी जानते हैं कि पूरा देश एक व्यक्ति बनकर इस खतरे का सामना करने के लिए खड़ा होगा। इसलिए किसी को उपदेश मत दीजिए। एक ऐसी उपलब्धि जिस पर सारा देश गर्व करता है, अगर उसको साम्प्रदायिकता का जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि वहां पर मंदिर बनाया जाएगा, तो इस देश को बांटने का काम आप करेंगे। यह पहली दफा आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश को बांटने की आपकी परम्परा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यह केवल इस देश की सुरक्षा का मामला होता, तो मैं बधाई देकर बैठ जाता, लेकिन यहां बात की गयी है राष्ट्र के गौरव की, राष्ट्र के सम्मान की। कल माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि विदेशों से लोग फोन करके कह

[श्री आरिफ मोहम्मद खाँ]

रहे हैं कि अब कुछ गौरव की अनुभूति होती है। अगर यह सुरक्षा नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का मामला है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा और ताकतवर मुल्क क्यों न हो, क्या हम उसके सामने कटौरा लेकर भीख मांगने के लिए खड़े रहे, इस डर से कि कहीं वे हम पर प्रतिबंध न लगा दें। आप कहिये कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं हैं यह कौन सा गौरव है कि हमारे प्रतिबंध लगा रहे हैं और सरकारी पक्ष और माननीय प्रधान मंत्री के सलाहकार कह रहे हैं कि :

[अनुवाद]

"भारत-अमरीका संबंधों में आर्थिक प्रतिबंध अड़चन नहीं बनेगा।"

[हिन्दी]

वे हमें गाली बक रहे हैं और केवल प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, मान्यवर, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य को लेकर कहा कि यह बयान बेवकूफी का और खतरनाक बयान है।

[अनुवाद]

यह वक्तय मूर्खतापूर्ण तथा खतरनाक है। मैं इन आरोपों के गुण-दोष में नहीं जा रहा हूँ।

[हिन्दी]

मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि यह बयान बेवकूफी का है या नहीं लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिका के किसी प्रतिनिधि को किसी स्पोक्समैन को यह अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वह हमारे गृह मंत्री के बयान को बेवकूफी भरा कहें। अगर वह ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको यकीन न हो तो मैं वह बयान निकाल कर दिखा सकता हूँ। वह 21 तारीख के अखबारों में छपा है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं उसकी मैरिट्स में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ-

[अनुवाद]

मैं अमरीका की स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह इस देश के गृह मंत्री के वक्तव्य को मूर्खतापूर्ण तथा खतरनाक बताए यह मूर्खतापूर्ण हो सकता है किंतु उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर आपको राष्ट्रीय गौरव की चिंता है तो फिर खड़े हो जाइए। जो बेवकूफ कहने की हिम्मत करता है, उससे कहिए कि हमें आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह नहीं है, हम आपको यह कहने का अधिकार नहीं दे सकते। अपना बिस्तर बांधो और इस देश से जाओ। आप अपने अम्बैसडर को वहां से बुलाइए। जब तक अमेरिका की सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में माफी नहीं मांग ली जाती, तब तक आप उनसे सम्बन्ध विच्छेद रखिए। माननीय आडवाणी जी का इस प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। यह आडवाणी जी का नहीं, भारत सरकार का अपमान है। यह इस देश के गौरव पर हमला है, सम्मान पर हमला है। भारत का नागरिक होने के नाते और संसद का सदस्य होने के नाते मैं निश्चित तौर पर इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। यह उनका निजी अपमान नहीं है। यह एक राष्ट्रीय अपमान है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको गौरव और सम्मान की फिक्र है तो खड़े होकर स्टैंड लीजिए और कहिए आप चाहे कितने ताकतवर हों, हम आपको डील करना जानते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है कि आप इस बात को बेहतर समझेंगे। आप जरा इतिहास पर गौर करिए। इस देश की सुरक्षा को कहां से खतरा पैदा हुआ है ? मुझे ऑथर का नाम याद नहीं लेकिन बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका शायद नाम दी लास्ट सौर्ड ऑफ टीपू सुल्तान था। उस किताब में आखिरी चैप्टर है, उसमें बहुत मार्मिक शब्द हैं टीपू सुल्तान ने मरते हुए अपने प्रधानमंत्री पुरनइया को कहा कि यह देश तब गुलाम बनेगा जब इस देश को अन्दर से खतरा पैदा होगा। इस देश को खतरा उन लोगों से हैं जो इस देश को अन्दर से बांट कर रखना चाहते हैं। मैं सिर्फ प्रधान मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार आने के बाद क्या आपने विचार किया कि देश के अन्दर से कैसे मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता कैसे मजबूत होगी ? वह भावना भाईचारे से पैदा होती है। भाईचारे की भावना अपनाईयत से पैदा होती है। जिस समाज में हजारों साल से जन्म के आधार पर यह कहा जाता है कि इसका पैर छुआ जाएगा, इसको पैरों के नीचे रगड़ा जाएगा, यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह बड़ा है, यह छोटा है, यह अछूत है, यह मलीच है। यह सामाजिक व्यवस्था.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

मैं जल्दी की कनक्लुड करूंगा। एक व्यवस्था ने इस देश को कमजोर करके रखा है। अगर देश की सुरक्षा को खतरा है तो इस व्यवस्था से है। अगर इस देश की सुरक्षा को कोई खतरा है तो उन आन्दोलनों से है जो विघटनकारी प्रवृत्ति के साथ चलते मंदिर बनाने के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर इस देश में आन्दोलन चलाते हैं।

सांय 7.00 बजे

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि उस अंदरूनी विघटन को रोकने के लिए, उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? मैं आपके माध्यम से एक

सुझाव देना चाहूँगा। गृह मंत्री जी की रथ-यात्राएं निकालने में बहुत दक्षता है। आप ध्यान करें तो अयोध्या की रथ-यात्रा निकालना कौन सा बहादुरी का काम था, लेकिन मानसरोवर तक रथ-यात्रा लेकर चलें तो मैं उनके साथ रथ पर बैठूंगा। अगर आप हिम्मत नहीं करते तो आपके बगल में जोशी जी बैठे हैं, वह कम से कम झंडा फहराने चलें। आखिरकार मानसरोवर इस देश के पवित्रतम स्थलों में से एक है। विदेशियों के कब्जे में है। कायदे में बात यह है कि माननीय आडवाणी जी को चलना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : क्या ये न्यूक्लीयर इश्यू पर बोल रहे हैं ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि वे विघ्न नहीं डालते हैं, तो मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप विषय पर बोलिये।.....*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बस इतना बता दीजिए कि सदन का संचालन राजवीर सिंह नहीं कर रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है।.....*(व्यवधान)*

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा) : ये आपको याद दिला रहे हैं जो आपने वायदा किया था देश की जनता से, वह तो पूरा कर लीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी समझते हैं कि शायद देश को चलाने का मामला भी ऐसे है जैसे कि आप किसी सुबह को खाकी निकर पहनाकर परेड करा दीजिए। देश की सुरक्षा के मामले पर जब हम चर्चा करेंगे, तो हमारे समाज के अंदर जो कमजोरियाँ व्याप्त हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को कमजोर बनाती हैं, कौनसी चीजें ऐसी हैं जो हमें मजबूत बनने से रोकती हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा तथा इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय बरनाला साहब ने बहुत दर्द के साथ पंजाब की घटनाओं का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से बरनाला साहब से सवाल करता हूँ कि अगर 1984 की कुछ घटनाएं लोगों के दिलों में इतनी बड़ी दरार पैदा कर सकती हैं, जो सही था, तो मुझे बताइए क्या इस देश की सुरक्षा केवल परमाणु बम बनाने से सुनिश्चित होगी ?.....*(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : 1984 के बारे में आपने बोला है कि वह सही था उसको जरा ऐक्सप्लेन कर दें। जो कत्ले-आम हुआ था और हजारों लोग मारे गए थे.....*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं तो आपकी बात को और आपकी भावना को सही कह रहा था।.....*(व्यवधान)*

श्रीमन्, मुझे अपनी बात खत्म करने दें, मैंने प्रोमिस किया है कि मैं दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूँ।

चूंकि बरनाला साहब भी इस सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, उनसे मेरा निवेदन और अनुरोध है कि जरा उनके दिल की हालत पर भी गौर करें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता सामने खड़े हुए थे और एक इबादतगाह को अयोध्या में पलक झपकते गिराकर तहस-नहस कर दिया गया.....(व्यवधान) उसके बारे में मेरा कहना सिर्फ यह है कि आज की तारीख में भी मरहम लगाने का कोई काम कर दिया जाए तो शायद इस देश में जो अंदर का बंटवारा है वह खत्म हो जाए।

वैसे भी न भी खत्म हो तो भी अगर इस देश की सुरक्षा को खतरा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का एक-एक आदमी, सारे देशवासी एक व्यक्ति बनकर खड़े हो जायेंगे और उस खतरे का कामयाबी से मुकाबला करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विस्फोट की घटना का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि हमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों में विस्फोट के पश्चात् उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के बारे में विचार करना है। मेरी चिंता का विषय देश के कुछ हिस्सों मूलतः पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सामना की जा रही परिस्थितियों से है। हमने चीन को निशाना बनाया है। हमने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया है। हमने कहा कि आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा की हमारी अपनी समस्या हैं। मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण अनुपयुक्त तथा असंतोषजनक है। पिछली बार भी जब वे 13 दिनों के लिए सत्ता में थे, उन्होंने परमाणु विस्फोट करने का प्रयास किया था। यदि वे दो और दिनों के लिए सत्ता में होते तो मैं सोचता हूँ कि उसी समय विस्फोट कर दिया जाता। आज सुरक्षा की दृष्टि से जो भी बताया गया है, मैं सोचता हूँ, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसकी वास्तविक प्रांसगिकता जिस निष्कर्ष

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

पर मैं पहुंचा हूँ, वह सिद्धान्त है जिसका अनुसरण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रही है।

यदि आप 1950 में प्रकाशित मानचित्र देखें, सरदार वल्लभभाई पटेल और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के तत्कालीन प्रेजीडेन्ट के बीच एक समझौता हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ जारी भी कर दिया गया था। उस समय एक पुस्तक जारी की गयी थी। उस पुस्तक में संसार का मानचित्र भी छापा गया था। उस पुस्तक में पाकिस्तान का नाम नहीं था। भारत की सीमा को अफगानिस्तान की सीमा से लगता हुआ दिखाया गया था।

क्या मैं प्रधानमंत्री से इसके बारे में जान सकता हूँ? सबने कहा है कि जब वे 1979 में चीन गए थे तो उन्होंने संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया था। जी हाँ, उन्होंने प्रयास किया। किंतु इसी समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चीन छोड़ना पड़ा क्योंकि चीन ने किसी अन्य देश के विरूद्ध युद्धघोष कर दिया था। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से जान सकता हूँ कि जब आप चीन की ओर देख रहे हों या जब आप पाकिस्तान की ओर देख रहें हैं, तो आप चीन को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या यह व्यक्तिगत प्रतिशोध का तरीका है? यदि वैसा ही है, तो हम जो हासिल करने जा रहे हैं उस पर मुझे शंका है। अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदलने जा रहा है। जैसे ही भारत ने विस्फोट किया तथा पाकिस्तान ने भी विस्फोट किया, विश्व के कई देश इसी मार्ग का अनुसरण करने जा रहे हैं। पुनः एक नई परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है तथा इस स्थिति में परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की भी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। हम इन घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं?

तत्पश्चात् मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इसके पास इस्लामी बम है तथा न सिर्फ आज अपितु पिछले कई वर्षों से आ रही रिपोर्टों से हमें पता है कि खाड़ी के देश के उस भाग में परमाणु अस्त्र के विकास के लिए प्रयास कर रहे थे। शीत युद्ध की प्रवृत्ति के पश्चात, नए सिद्धांत प्रचलित हो गए हैं। जो सिद्धांत प्रचलित हुए हैं वह यह है कि यदि विश्व युद्ध छिड़ता है तो इसका कारण या तो जल विवाद होगा या यह सभ्यता संबंधी विवाद के कारण होगा।

महोदय, सत्ता पक्ष के पहले वक्ता श्री जगमोहन ने सभ्यता का हवाला दिया। मैं नहीं जानता कि वह इस देश में सभ्यता का क्या अभिप्राय समझते हैं। ऐसा इसलिए कि इस देश में हमारी कई सभ्यताएं तथा सभ्यता की कई बातें हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का चिंतन क्या है? मैं नहीं जानता कि क्या वे मुस्लिम सभ्यता युद्ध या हिन्दू सभ्यता युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रश्न पर मैं माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

महोदय, मुझे जो सूचना प्राप्त हो रही है वह बहुत ही विचलित करने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जून या जुलाई के महीने में किसी समय युद्ध की योजना बना रही है। यदि यह सच है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति है कि पेट्रोलियम पदार्थ जिनका चार महीनों की अवधि के लिए भंडारण किया जाता है - क्योंकि वर्षा के मौसम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं जाया जा सकता - पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं पहुंच सका है। यदि सरकार किसी दुस्साहस पूर्ण सिद्धांत पर सोच रही है तब मैं यह बताना चाहता हूँ कि - दूसरी ओर से, जिस देश की पहचान हमारी सरकार ने पहले शत्रु के रूप में की है - हम स्वयं द्वारा खड़ी की गई मुसीबत में फंस जाएंगे।

सरकार कभी भी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ संस्कृति के स्तर पर आबद्ध नहीं रही है। सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। सरकार ने एक निकाय बना दिया है। केवल समय ही यह बताएगा कि क्या इसके पास कुछ शक्तियों भी रहेंगी या नहीं। ऐसा इसलिए कि सीमाओं पर हम शत्रु देशों से घिरे हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एक राष्ट्र के रूप में एक चीज शुरू की है। तथा हमें सरकार को समर्थन करना होगा हम अलग-अलग राग नहीं अलाप सकते हैं। किंतु मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे इस देश में जो भी आंतरिक मतभेद हैं उसे दरकिनार कर वे राजनीतिक निपुणता दिखलाएं तथा उन्हें राजनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें और फिर एक आवाज में बोलें।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, प्रधानमंत्री ने मुझे पहले मिलने के लिए निमंत्रित कर अत्यधिक कृपा की। उस समय मैंने उन्हें हमारा वक्तव्य दिया था। आज मुझे इसमें सिर्फ एक या दो बातें और जोड़नी हैं।

महोदय, पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु विस्फोट किया है। संपूर्ण विश्व पाकिस्तान को ऐसा करने से नहीं रोक सका। यह एक भंयकर परिस्थिति है। मैं सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि इससे परमाणु हथियारों की कोई होड़ शरू नहीं होगी। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

"हम हथियारों की होड़ नहीं करना चाहते हैं।"

महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस स्पष्ट वक्तव्य पर पूरे विश्व में जिसमें चीन तथा पाकिस्तान भी शामिल हैं समुचित विचार होना चाहिए तथा समुचित आदर मिलना चाहिए। संभवतः हमें पाकिस्तान तथा चीन सहित विश्व को अभी भी विश्वास दिलाना बाकी है कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। हम पूरे विश्व में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जी, हाँ, हमने अपना परमाणु परीक्षण अपने बल पर किया है। हम उन परीक्षणों को सफलतापूर्वक अंजाम देने तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों तथा सभी संबद्ध व्यक्तियों को बधाई देते हैं। हम सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को हरी झण्डी दी। किंतु यह समझना आवश्यक है कि हमारी परमाणु नीति का

प्रयोजन परमाणु अस्त्र रहित विश्व के बारे में परमाणु शक्तियों की गलत सोच को ठीक करने हेतु स्वयं को सक्षम बनाना है। यह सतत् है तथा इसी परमाणु नीति का हमने सदैव अनुसरण किया है।

प्रधानमंत्री ने समस्त संसार तथा पाकिस्तान के लिए भी कई प्रस्ताव रखे हैं। पाकिस्तान ने भी बातचीत का प्रस्ताव रखा था। अब प्रधानमंत्री को इसका प्रत्युत्तर देना है।

यदि मैं पोखरन-दो से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के पूर्णतया गलत तरीके पर अपना घोर क्षोभ नहीं व्यक्त करता हूँ तथा मैं कटु आलोचना नहीं करता हूँ तो मैं अपने कर्त्तव्य निर्वाह में असफल रहूंगा। यद्यपि इनके बारे में विस्तार में जाने का समय नहीं है किंतु पोखरण-दो से उत्पन्न परिस्थितियों में सरकार द्वारा दिए जा रहे अलग-अलग वक्तव्य खेदजनक हैं। किसी ने बेवजह चीन को निशाना बनाया तो किसी ने अनावश्यक ही पाकिस्तान को लक्ष्य किया, जबकि हमारी परमाणु नीति का लक्ष्य, जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा है, परमाणु नियंत्रण के द्वारा विश्व शांति है। पोखरण में मंदिर के निर्माण की बात करके इस उपलब्धि को राजनीतिक तथा यहां तक कि साम्प्रदायिक रंग भी देने का प्रयास किया गया मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। अपनी पीठ स्वयं थपथपाने, हमारे वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धि का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दल का समारोह करने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्तरकालीन सरकारों को योगदान की उपेक्षा करने का प्रयास किया गया। यह सत्य है। पोखरण-दो, पोखरण-एक के बिना संभव नहीं था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् सभी सरकारों द्वारा सतत् रूपसे अपनायी गई परमाणु नीति के बिना पोखरण-दो संभव नहीं होता। यह दुःख की बात है कि इसने उपलब्धि को विषाक्त कर दिया यहां तक कि सरकार के उत्तरदायी मंत्रियों ने भी गैर जिम्मेदाराना तथा भड़काऊ बयान दिए। एक मंत्री ने तो पाकिस्तान को चौथे युद्ध के लिए जगह, दिन, समय इत्यादि सब कुछ चुन लेने की चुनौती तक भी दे दी। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह किसी पेशेवर पहलवान के लिए तो उपयुक्त हो सकता है किंतु एक ऐसे देश जो अब परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का दावा करता है के जिम्मेदार राजनीतिज्ञ या मंत्री के लिए नहीं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे भय है कि पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण पोखरण-दो से उत्पन्न परिस्थितियों से ठीक से नहीं निपटने तथा सरकार की ढुलमुल नीति का परिणाम है।

मैं सिर्फ एक मुद्दे के साथ अपनी बात समाप्त नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आम सहमति की नीति पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ, "चूंकि हम अगले सहस्राब्दि पर पहुँच रहे हैं अतएव आम सहमति बनाए रखना आवश्यक है।" यह अत्यन्त ही सुंदर भाषा है अच्छे ढंग से कही गई तथा भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। मैं इन भावनाओं को समझता हूँ तथा इनकी प्रशंसा करता हूँ। किंतु तब, महोदय, क्या सर्वसम्मति की नीति पर वास्तव में अनुसरण किया गया है ? सवाल यह है मैं नहीं जानता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं क्या आगे विस्फोट नहीं करने की घोषणा जिससे हमारे परमाणु विकल्प बंद हो जाते हैं, किसी आम सहमति पर आधारित है या नहीं ? मैं नहीं जानता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा, "हमें अपने भावी परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के इस प्रस्ताव की समीक्षा करनी होगी।" मैं नहीं जानता कि कभी भी कोई सर्वसम्मति थी। अतएव, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जब हम यह कहते हैं कि हम आम सहमति का अनुसरण करते हैं, हमें अपनी कथनी तथा करनी में वस्तुतः सच्चा होना चाहिए तथा उपलब्ध विकल्पों पर एकतरफा ढंग से नहीं चलना चाहिए।

कुछ परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा प्रतिबन्धों की बात कही जा रही है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें घबराना नहीं चाहिए। एक नई परिस्थिति है। किंतु यदि देश पर चाहे जिस भी प्रकार की परिस्थिति लाद दी जाए, इंशा अल्लाह, देश के सभी लोग दृढ़ निश्चय, विश्वास तथा दृढ़ एकता से स्थिति का सामना करेंगे किंतु इसके बारे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी परिस्थिति के बारे में है - आर्थिक परिस्थिति को भी देखना है। किंतु हमें यह जानना चाहिए कि, यदि आपने किसी रणनीति की कोई रूपरेखा तैयार की है जिसका अनुसरण किया जाना है तो सदैव ही हमारा सहयोग रहेगा।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि वास्तव में आम सहमति की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए और केवल इसी नीति की बदौलत देश में एकता रह सकेगी तथा देश अपने समक्ष उपस्थित होने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं. बंगाल) : महोदय, पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा अपने आप से दिए गए वक्तव्य पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद है, जिसे पोखरण क्षेत्र में किए गए परमाणु परीक्षणों के संबंध में प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारे वरिष्ठतम नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा आरम्भ किया गया है। महोदय मैंने इस विषय पर कई अच्छे भाषण सुने हैं और ऐसी स्थिति में इस विषय पर अपने विचार में बहुत संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर विस्तारपूर्वक बोलने से पूर्व मैं भारत के उन वैज्ञानिकों और अभियंताओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पोखरण क्षेत्र में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए। विशेष रूप से मैं डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉ० सन्थानम, डॉ० चिदम्बरम और अन्य वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। वास्तव में यह देश को भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं की एक देन है।

पाकिस्तान या चीन से कोई खतरा था या नहीं यह प्रश्न अब

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

व्यर्थ हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक बलूच पर्वतीय क्षेत्र में परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। पोखरण और फिर बलूच पर्वतीय क्षेत्र में किए गए परमाणु परीक्षणों से तनाव और विवाद और बढ़ गया है। यह छद्म युद्ध की नहीं बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध की तैयारी है। भारत-पाक सहित पूरा उप-महाद्वीप एक युद्ध क्षेत्र बन गया है और युद्ध सामग्री की तैयारी जारी है। यह इस उपमहाद्वीप में रहने वाली मानवजाति के लिए हितकर नहीं है।

कल मैंने माननीय गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण सुना था। वह राष्ट्रीय आस्मिता की रक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर एक बहुत अच्छा भाषण था।

हम एक हैं। हम भारत की सम्प्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थक हैं। निश्चय ही हम एक हैं।

मैं एक साधारण सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। भावना का होना अच्छा है पर विवेक उससे बेहतर है। देशभक्ति और देशप्रेम अच्छे गुण हैं किन्तु विश्वशांति और मानव मात्र के प्रति प्रेम इनसे भी बेहतर है।

आपकी अनुमति से मैं एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ : पोखरण प्रकरण का आप क्या निष्कर्ष है? इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि भारत अब एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, ने दावा किया है कि भारत अब परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह का छठा सदस्य बन सकता है। आज पाकिस्तान भी यह दावा कर सकता है कि वह उक्त समूह का सातवाँ सदस्य बन सकता है। यह तो शस्त्रों की होड़ है जो निरंतर जारी है।

आपकी अनुमति से मैं एक महान व्यक्ति और बांग्ला साहित्य में विख्यात कलकत्ता के महान कवि अन्नदा शंकरराय का एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह को आत्मघाती समूह कहा है और यह अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है आत्मघाती समूह फ्रांस में हुआ करता था जहां जागीरदार और अभिजात्य वर्ग के लोग उल्लासपूर्वक हँस-हँसकर प्राण गँवाया करते थे जो उनका परमानन्द था। आज परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भी अपनी जनता की कीमत पर ऐसे ही आत्मघाती समूह में सम्मिलित हो रहे हैं।

महोदय, परमाणु परीक्षणों की तैयारी करने या परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के समूह में सम्मिलित होने से भारत की गौरवमयी परम्परा और संस्कृति में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह तो गुटनिरपेक्षता और परमाणु निरस्त्रीकरण के सिद्धान्तों का पूर्ण उल्लंघन है। यही हमारा विचार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विचार है कि केवल परमाणु अस्त्र शस्त्रों से ही देश को संकट से नहीं बचाया जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन से क्या संकेत मिलता है? वह तो एक विशाल देश था; वह एक परमाणु शक्ति सम्पन्न देश था। उसका विघटन क्यों हुआ? उसके शस्त्रागार में कई परमाणु अस्त्रशस्त्र होने के बावजूद उसका विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ के विघटन से स्पष्ट होता है कि वहां सरकार की परमाणु नीति के साथ जनता की कोई सहमति नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्यतः कौन से घटक उत्तरदायी हैं? क्या कोई व्यक्ति रिवाल्वर के साथ सुरक्षित रह सकता है? यदि एक व्यक्ति तकिये के नीचे रिवाल्वर रखकर सोता है तो क्या यह उसकी अच्छी स्थिति को दर्शाता है? आग्नेय अस्त्रों के राज में तकिये के नीचे रिवाल्वर रखकर सोने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। मेरा यही विचार है कि जनता की आर्थिक सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असम्भव है।

परमाणु परीक्षण कराने के लिए व्यर्थ गंवाई जाने वाली धनराशि का देश की आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, निवेश उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा ही किसी देश और उसकी जनता को पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तभी उठेगा.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : ठीक है, महोदय।

मई, 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक सफल परीक्षण किया गया था। वह एक उत्कृष्ट परीक्षण था जिसे देश की सम्प्रभुता की रक्षा के नाम पर किया गया था। किन्तु एक वर्ष बाद 25 जून, 1975 को देश को आन्तरिक समस्याओं से बचाने के लिए श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। वह परीक्षण आपातकाल की घोषणा की एक तैयारी रहा। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से यह पूछ सकता हूँ कि क्या पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण व्यवस्था परिवर्तन की कोई तैयारी है?

आज सरकार की संसदीय प्रणाली का राष्ट्रपतीय प्रणाली में बदलने की काफी चर्चा देश में चल रही है। इससे क्या संकेत मिलता है? यह वैसी तैयारी नहीं होनी चाहिए। यही अपेक्षा है। कृपया सावधान रहें।

अतः अब मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखी जा सकती है। आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पोखरण के बारे में लम्बी चर्चा समाप्त होने जा रही है। इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। सारा सदन इस सम्बन्ध में एकमत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, तकनीशियनों ने और सेना के जवानों ने पोखरण के परीक्षण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं।

इस सवाल पर भी लगभग एक राय है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया गया, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को सीमित करने की कोशिश की गई और जो विश्व संस्थाओं से सहयोग हमें अभी तक मिलता था, उसको रोकने का प्रयास हुआ, तो देश पर जितनी भी मुसीबतें आएंगी सारा देश मिलकर उनका सामना करेगा।

स्वाभाविक रूप से इस चर्चा में यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि आखिर पोखरण में परीक्षण की आवश्यकता क्या थी? एक बात मुझे याद आ रही है जब परमाणु 'प्रथम' पर चर्चा हुई थी 1974 में, तो उस समय मैं चर्चा में उपस्थित था, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त भी उपस्थित थे और संसद में दो ही सदस्य हैं जो उस समय भी उपस्थित थे, आज सदन में मौजूद हैं।

उस समय मैंने जो बातें कहीं और आज जो बातें कहने जा रहा हूँ, उनमें कोई अन्तर नहीं है। 1974 में इंदिरा जी ने परीक्षण की इज़ाजत दी थी, सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। उनका निर्णय कोई सामूहिक निर्णय नहीं था, उनका निर्णय प्रतिपक्ष से विचार-विनिमय करने के बाद किया गया हो, ऐसा निर्णय नहीं था लेकिन निर्णय सही था, देश की रक्षा के लिए था। हमारे वैज्ञानिकों को एक आवश्यक अवसर देने की दृष्टि से था, इसलिए उसका स्वागत हुआ। मुझे याद है, जो चर्चा हुई थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाषण नहीं दिया था। उनकी ओर से, सरकार की ओर से, किसी एक और मंत्री ने भाषण दिया था। सारे देश में संतोष था। अभी पड़ोस से इशारा हुआ है कि 1974 में हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे लेकिन अब हम तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत ने परीक्षण किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने परीक्षण किया। क्या सोलह दिन के भीतर परमाणु परीक्षण संभव है? यहां परमाणु परीक्षण से परिचित लोग भी बैठे हैं, जानकार उपस्थित हैं, पन्द्रह दिन के भीतर कोई देश परमाणु परीक्षण की तैयारी नहीं कर सकता। यह तैयारी वर्षों से चल रही थी। कल परीक्षण हुआ, आज खबर आई है कि उन्होंने दूरमार करने वाली कोई मिसाइल आकाश में भेजी है। यह सिलसिला कब से चल रहा है, हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है और देश को तैयार करने का काम भी उन्होंने किया। मैंने एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा था, आज मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ कि इसके पीछे पचास साल का अन्वेषण, अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गर्म बालू में, पचास के करीब टेम्प्रेचर में जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होनी चाहिए।

देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस भावना को लेकर सदन में कोई मतभेद है। हम सबकी भावना है और इस देश की विशेषता रही है कि जब-जब संकट आता है, तो देश सारे मतभेद भुला देता है - लोकतन्त्रवादी देश है, मतभेद होना स्वाभाविक है - ''मुण्डे-मुण्डे मत भिन्नः।''

अभी की बात नहीं है, मैं देख रहा था कि 1985 में - शायद किसी ने श्री राजीव गांधी के वक्तव्य को उद्धृत किया है - 11 अक्टूबर को दिल्ली के प्रैस क्लब में एक प्रैस कान्फ्रैंस में श्री राजीव गांधी ने जो कुछ कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ -

[अनुवाद]

''जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है, हमें अपनी सुरक्षा पर विचार करना है और इस मामले में हम नई दिल्ली या भारत के किसी भी अन्य शहर को उपेक्षित होने दें इसका सवाल ही नहीं उठता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कार्यक्रम के बारे में और भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसके लिए अवश्य ही दूसरे देशों से प्राप्त हुआ है। अब हमें चिंता है कि जब कभी परमाणु शस्त्रास्त्र विकसित होंगे तो वे भी इन्हीं देशों के पास जाएंगे। मैंने यह नहीं कहा कि हम आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। पाकिस्तान द्वारा परीक्षण करने के संदर्भ में मैंने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने हैं। हम अपने परमाणु शस्त्रास्त्र बनाएं इसके अलावा भी कई उपाय मौजूद हैं।''

[हिन्दी]

यह उनका 1985 में दिया गया प्रैस कान्फ्रेंस का वक्तव्य है। सरकार के मन में चिंता थी और सीमा के पार क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी थी। इसीलिए जब सवाल आया कि विश्व की महाशक्तियां, जिन्होंने अणु अस्त्रों के अम्बार लगा रखे हैं, इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे अणु अस्त्रों के विनष्ट करने के लिए स्वीकृति दे। वे भेदभावपूर्ण संधि को दुनिया पर लादना चाहते हैं, तो सबने मिल कर फैसला किया, इकट्ठे फैसला किया कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डर था कि हम अलग-थलग पड़ जायेंगे। कभी-कभी अलग-थलग पड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन फैसला सही होना चाहिए और हम अलग-थलग हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विकल्प हमने खुला रखा। लेकिन बाद में जो समाचार प्राप्त हुए, उनसे ऐसा लगा कि इस संबंध में कुछ कहना आवश्यक होगा। वैज्ञानिकों की भी सलाह ली गई कि कौन से कदम उठाए जायें। हमारे लिए अणु अस्त्र विनाश के अस्त्र हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ है, उनका लाभ रक्षा में हैं, आत्म-रक्षा में है। हमारे विरोधी जान लें कि हमारे पास अणु अस्त्र है और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, होगी।

50 साल में तीनबार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देने वाला यह देश है। इसने कभी किसी की भूमि नहीं चाही, इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि यह आक्रमण का शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़नी पड़ी। हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वह बातचीत के द्वारा ही संभव है। लेकिन सौ करोड़ का यह देश इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता है कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करें।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हम शांति के पुजारी हैं, हमें न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए। पारस्परिक हितों का संवर्धन करने वाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ौसी देशों की तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर गुजराल डॉक्टरीन का निचोड़ तो यही था, लेकिन इसे स्वीकार करने में गुजराल साहब को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है उनकी डॉक्टरीन नहीं चली। पाकिस्तान ने नहीं चलने दी। देश के भीतर आतंकवादियों का प्रवेश, सीमा पर संकट बना रहा। बातचीत चल रही थी और मैं इस अवसर पर उस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हूँ - हम पाकिस्तान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है, इसलिए मतभेद के प्रश्नों को हमें आपस में बैठ कर हल करना चाहिए, जो प्रस्ताव ढाका में वार्ता के लिए मंजूर हुए थे, जो सहमति बनी थी उस सहमित पर पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फिर यह प्रस्ताव दोहराया है कि वह भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है - बड़ी अच्छी बात है, वार्ता होनी चाहिए।

मुझे याद है, मैंने एक बार पाकिस्तानी राजनेता से कहा था कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हम और आप पड़ोसी हैं, यह तथ्य कैसे बदला जाएगा। मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं छूट सकता, भूगोल तो हमें बांधे हुए है। मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, वे मैत्री संबंधों का विकास करते हैं और लौटने के बाद यहा आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में असुरक्षा की भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है, ऐसी भावना होने का कोई कारण नहीं है। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया। वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, सम्पन्न रहें, हमें शांति से रहने दें और हम दोनों मिल कर इस भूखंड से ही क्यों सारे संसार से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा के निराकरण के लिए प्रयास करें।

इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम है, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है जिसमें अणु-अस्त्र नहीं होंगे। भारत को निर्णय क्यों करना पड़ा ? क्या हम फिर बेखबर हो जाते ? कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ है, उस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। हम जानते थे यह हो रहा है और इसी की रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया है। मगर इसकी इस तरह से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया है कि आप पहले परीक्षण कर चुके हैं तो वे क्या तैयारी कर रहे थे ?

हमारे लिए तो और भी संकट है। उनके लिए तो अकेले हम हैं। उनके अणु-परीक्षण हमारे खिलाफ है - केवल भारत के विरुद्ध। हम जब अणु परीक्षण करते हैं और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महा-देशों को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिये। एक साथ नहीं कर सकते हैं तो चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत करिये। तब फिर कहा जाता है कि यह रवैया ईमानदारी से नहीं अपनाया जा रहा है। ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस मांग में शामिल हो। अणु-अस्त्रों को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाये जा सकते हैं। लेकिन हमारे अणु-परीक्षण को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है और कहीं समर्थन व्यक्त है और कहीं अव्यक्त है, उससे लगता है कि विश्व का बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थाई शांति चाहता है। ऐसी शांति चाहता है जो अणु-अस्त्रों के कारण खंडित न हो, जिससे शांति विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अपने घर को सुरक्षित रखकर अदा करना चाहते हैं हम अपने घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, दोनों में फर्क नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने और हम हवन करने जाएं और हाथ जला लें, ऐसी स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते हैं और कोई नहीं चाहेगा।

श्री देवेगौड़ा जी यहां नहीं हैं। .....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : हैं, पीछे बैठे हुए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उनके जनता दल का 1996 का मैनीफेस्टो देख रहा हूँ। शायन मैं जिस जनता दल का नाम ले रहा हूँ उससे देवेगौड़ा जी संबंधित हैं।

[अनुवाद]

''हम पाकिस्तान के विरुद्ध परमाणु क्षमता का पहले प्रयोग न करने के लिए औपचारिक रूप से वचन देते हैं।''

[हिन्दी]

हम यह गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी आणविक क्षमता का पाकिस्तान के विरूद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में आवश्यकता हुई तो करेंगे। मगर प्रयोग करने के लिए आपको अणु-क्षमता का विकास करना होगा।

यह भी इस तर्क की पुष्टि करने वाली उक्ति है कि राजनीतिक दलों में इस सम्बन्ध में एक व्यापक राय रही है, एक आम राय रही है। इसे कब किया जाए ? कल जो कुछ हुआ, उसके बाद यहां ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। यह निर्णय किस ने किया, कौन करेगा ? यह आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे बड़े-बड़े सहयोगी जब यह कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो इसमें यह भाव प्रकट नहीं होता कि उन पर मुझे विश्वास नहीं था। इसलिए यह भाव ग्रहण करना कि आम सहमति की बात करते हैं, सलाह नहीं की, उस क्षण जब परीक्षण होना था, सलाह करना संभव नहीं था। इसकी बहुत सीमित लोगों को जानकारी थी। जैसा कल आडवाणी जी ने कहा कि जहां हर चीज लीक हो जाती है, कमीशन की रिपोर्टें पूरी की पूरी प्रकाशित हो जाती हैं, वहां कोई इसका पता नहीं लगा

सका। विदेशों में इसको लेकर काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही है। यह भी राष्ट्र की शक्ति का एक परिचायक है। अगर हम चाहें, परिस्थिति का तकाजा हो और देश के सामने संकटों की चुनौती हो तो इस देश के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, बड़ी से बड़ी सावधानी बरतने के लिए तैयार हैं। यह एक उपलब्धि है। इसका समादर होना चाहिए।

मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब ये आरोप लगाए गए कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह काम किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराना चाहता हूँ। मैं 40 साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती रही है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया, देश के व्यापक स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूँ या बैठा दिया गया हूँ तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ की बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूंगा। यह गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा। भगवान मुझे ऐसा पाप कभी न करने दे। कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई फैसला किस समय किया जाए, किस समय न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती हैं लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। यह 1974 में क्यों किया गया था, हमने ऐसा नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा क्योंकि वह एक ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और इन्दिरा जी उसे उठा सकती थी। बंगलादेश के निर्माण के समय, बंगलादेश की मुक्ति के समय, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इन्दिरा जी का सम्मान किया। हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें सारा देश शामिल था। इसके बाद चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया। हमने इसकी आलोचना नहीं की। हमने इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इन्दिरा जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मेरे शब्द थे युग परिवर्तनकारी काम किया है। अगर हम चुनाव हारेंगे तो हार जाएंगे। चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। सरकारें बनती हैं, बदलती हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकारें बनती हैं, बदलती हैं मगर देश एक रहे, यह देश गर्व के साथ संपन्न हो, यह देश अपनी अनमोल आजादी को बचा सके - यह केवल एक पार्टी का काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है। पोखरन में मैंने अपने भाषण में, शुरू में यह कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, न पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया, देशहित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब यह सवाल उठाया गया कि आपने अपने नेशनल एजेण्डा में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार काम नहीं किया। आज हमारे नेशनल ऐजेण्डा की काफी चिंता की जा रही है। हम इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पर नजर रखने वाले लोग हैं, यह जानकार हमें खुशी हुई है लेकिन उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग-अलग हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वह कहेंगे कि ऐसा छपा है तो मैं कहूँगा कि वह ठीक नहीं छपा है। उसमें तीन मुद्दे हैं - सशस्त्र बलों को सुधारना।

[अनुवाद]

"सशस्त्र सेनाओं की तैयारी, मनोबल और युद्ध सम्बंधी प्रभावोत्पादकता की स्थिति पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा और उचित निवारक कार्रवाई की जाएगी।"

[हिन्दी]

इसके बाद के वाक्य में कहा गया है कि -

[अनुवाद]

"हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करेंगे।"

[हिन्दी]

और उसका विवरण दिया गया है। अंत में यह कहा गया है, सचमुच में वह पैरा अलग होना चाहिए था, तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

"उस उद्देश्य से हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु अस्त्र तैनात करने का विकल्प अपनाएंगे।"

[हिन्दी]

यह भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्यूरिटी काउंसिल बना ली जाएगी और सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा होगा तो कल करो तो भी हम यह कहेंगे कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी सेनाएं सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्यूरिटी काउंसिल का निर्माण हुआ है - कोई भी यह अर्थ नहीं निकाल सकता। लेकिन यह अर्थ निकालने का प्रयास हुआ। हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार-विनिमय संभव था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह की मुलाकातें उनकी आयोजित की गई, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो। हम बंगलादेश की लड़ाई लड़े, हम चीन से युद्ध में फंसे थे, हमने पोखरन में परीक्षण भी किया था, यह किया तो कोई अहसान नहीं किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक श्री चिदम्बरम हमारे राजनीतिक चिदम्बरम साहब को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका यह नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। मैं उन सबके बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। हमने कुछ फैसले किये जिनका आंशिक रूप से उल्लेख हो चुका है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा भारत के औचित्यपूर्ण सुरक्षा मामलों को न समझ पाने के कारण हमें निराशा हुई है। मैं उत्तरदायित्वपूर्ण

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बातचीत के लिए सभी प्रमुख पक्षों को साथ लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हम चर्चा करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं।

11 मई के बाद से सरकार ने कुछ कार्यों की पहल की है जिनका मैं यहां वर्णन कर रहा हूँ।

1. हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर पहले ही ऐच्छिक रोक लगा चुके हैं और इसे कानूनी प्रतिबद्धता में बदलने पर विचार और चर्चा के लिए तैयार हैं।

2. हमने 'ए.एफ.एम.सी.टी.' पर वार्ता की पेशकश की है।

3. भारत परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र सम्बंधी प्रौद्योगिकी और जन संहार के शस्त्रास्त्रों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कठोर नियंत्रण लागू करेगा।

हमने पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ 'प्रथम प्रयोग न करने' के समझौते पर चर्चा के प्रस्ताव की घोषणा पहले ही की थी और इसे फिर दोहराते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति चीन के साथ मित्रता के संबंध रखने की है। चीन हमारा पड़ोसी है, दोनों देश एशिया के देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों में परस्पर मित्रता हो और पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे व्यवहार करें, इस बात की आवश्यकता है। सीमा को लेकर कुछ चिंता की बातें जरूर हैं। सीमा पर शांति है। हम बातचीत के द्वारा सीमा का प्रश्न हल करना चाहते हैं। बातचीत जारी है, उसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए और सीमा का एक संतोषजनक हल निकालने का प्रयास होना चाहिए। चीन पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता देता है, उससे भी चिंता पैदा होती है। क्योंकि वह सहायता हमारे विरूद्ध काम में आती हैं। हमारी चिंताओं का भी चीन ध्यान रखे, इस बात की जरूरत है। भारत और चीन मिलकर काम करें, सहयोग से आगे बढ़ें, यह दोनों देशों के ही हित में नहीं है, एशिया के हित में हैं, सारी दुनिया के हित में है। कुछ वक्तव्यों को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी। कठिनाई यह है कि अगर वक्तव्य गलत रूप में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वक्तव्य है वह उचित स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार है वह सुर्खियां प्राप्त कर लेता है। हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखण्ड में शांति बनाये रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जो आज हमारे आलोचक हैं, उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आयेगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद पोखरन गया था, वहां रेडियोधर्मिता भी नहीं थी, हम वहां कई घंटे थे। यह खबर भी छप गई कि वहां नाक में से खून निकल रहा है, किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, यह बताने वाला कोई नहीं था। मगर ये खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। वहां जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं।

रेडिया धर्मिता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका हम राजनैतिक लाभ उठाएं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है। सबके सहयोग से आम सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है, उस दायित्व को मैं ऐसी जिम्मेदारी समझता हूँ जिसके निर्वाह के सामने और सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। अब व्यक्ति का, परिवार का, दल का, बिरादरी का और मजहब का सवाल नहीं है। यह देश बहुधर्मी है।

मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, कल हमारे पड़ौसी देश के प्रधान मंत्री ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए किस तरह भड़काने वाला भाषण दिया। वे अपनी जनता को उभाड़ रहे थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पड़ोस में भी करोड़ों लोग रहते हैं। उसमें इस्लाम को मानने वाले भी करोड़ों लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं। समान अधिकार का उपभोग करने वाले हैं। अब एक जुनून पैदा करने की कोशिश की गई। यह एक तरफ तो हम इतने सजग हैं, सतर्क हैं, लेकिन जब सामाजिक सुधारों की यहां पर चर्चा होती हैं, मीडिया में उसकी चर्चा होती है और वे अपने देश में उन बातों की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया जनता में ठीक नहीं हो रही है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर मैं देश की जनता को भड़काने लगूं, ऐसा कभी नहीं होगा, और जिस दिन यह करने की नौबत आएगी, उस दिन मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

देश की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। वह समय ठीक प्रकार से देश की सेवा में लगे और इसमें सबका सहयोग मिले, यही मेरे हृदय की कामना है।

पोखरन-एक का मेरा भाषण उद्धृत करते हुए किसी ने कहा था - उसमें मैंने कहा था कि वैज्ञानिकों और सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब राजनेताओं को अपना काम करना है - तो राजनेता से केवल मेरा मतलब नहीं है। राजनेताओं से मतलब सब लोगों से है। हम हम अपने दायित्व का पालन करें, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सुझाव रखा है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध न करने के समझौते पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपका क्या विचार है? क्या आप इस पर एक निश्चित राय कायम करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा करने को तैयार हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जब-कभी बातचीत हुई, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे युद्ध न करने का समझौता चाहते हैं पर तभी जब उनकी इच्छानुसार कश्मीर समस्या का समाधान किया जाए। परंतु अगर कोई नया प्रस्ताव किया गया है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं।

श्री शरद पवार : सुझाव कल ही दिया गया था।

श्री के. नटवर सिंह : क्या मैं प्रधानमंत्री जी से सादर यह पूछ सकता हूँ कि राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखा गया उनका पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में कैसे छप गया ? उस बेहूदा पत्र का मसौदा किसने बनाया था ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे सकता।

रात्रि 8.15 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 1 जून, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 जून, 1998/11 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
